खण्ड–521, अंक–10
गुरुवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1944
(दिनांक 02 मार्च, 2023 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2023)

(खण्ड 521 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1-8
प्रश्नोत्तर	9-89
मा0 सदस्यों को उनके जन्म दिवस के अवसर पर बधाई.....	89-90
समीक्षा बैठक में सम्बन्धित मा0 सदस्यगण को आमंत्रित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	90-91
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों से सम्बन्धित संयुक्त समिति वर्ष 2022-2023 का राजस्व विभाग से सम्बन्धित समिति का उन्चासवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	91
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष 2022-2023 का गृह विभाग से सम्बन्धित समिति का पचासवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	91-92
श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन सदस्य विधान सभा द्वारा श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा, कानपुर नगर व अन्य के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन व सदन की अवमानना के दोषी कार्मिकों को दण्डित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव (जारी) ...	92
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ	93-95
कैमूर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत पड़ने वाले जनपद-महोबा को वन प्रभाग कार्यालय महोबा में प्रशासनिक रूप से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद-बाँदा के थाना-गिरवा के अन्तर्गत खुरहण्ड पुलिस चौकी एवं नगर कोतवाली अन्तर्गत सिविल लाइन पुलिस चौकी को थाना का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	95-96
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में कतिपय सड़कों की विशेष मरम्मत व निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96-97

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद-उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	97
जनपद-श्रावस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड इकौना से सीताद्वार प्राचीन मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97-98
जनपद-एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के मुख्यालय अलीगंज में मण्डी स्थल बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	98
जनपद-झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा नदी पर खिरिया घाट के रपटा के स्थान पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद-बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद-कौशाम्बी में जिलाधिकारी द्वारा, शासन द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध आग्नेयास्त्रों की वरासत की पत्रावलियों का अनुमोदन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99-100
जनपद-शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में खेल का मैदान बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह में मिनी स्टेडियम बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में स्वीकृत विकास खण्ड मंगापुर-उदयपुर को क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101
जनपद-गोरखपुर के चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र के ब्लॉक बड़हलगंज अन्तर्गत वैरियाखास के पास बने पीपे के पुल को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	101
जनपद-गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत कालूपुर से युवराजपुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत भेलरवा और बघेड़ी के बीच वरुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	102
जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में घाघरा नदी पर खरीद-दरौली घाट पर पुल का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102-103
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां, ब्लॉक जोया के अतरासी की सभी सड़कों तथा नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103-104
जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत गुजरने वाली इन्दारा रजवहा की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104
जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में एक स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104
जनपद-सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा में औद्योगिक जमीन पर पराग/अमूल का प्लाण्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
मुरादाबाद मण्डल में रोडवेज बसों के कुशल संचालन हेतु नयी भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	105
जनपद-गौतमबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र नोएडा में 4 नए राजकीय इण्टर कालेजों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105-106
जनपद-हमीरपुर के अन्तर्गत सिसोलर को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में महिला राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पशु अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद-बाँदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी के अन्तर्गत राजमार्ग सं0-71 हेतु कस्बा अतर्रा से बाहर बाइपास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद-मुजफ्फरनगर के वि0ख0 बघरा के ग्राम-पिन्ना में निर्माणाधीन पानी की टंकी का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107-108
जनपद-मऊ के नगर पंचायत अमिला में ग्राम पंचायत सोनाडीह को जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद-लखनऊ में पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के पूर्व आवंटित आवास को संग्रहालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108
श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा, कानपुर नगर व अन्य के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन व सदन की अवमानना के दोषी कार्मिकों को दण्डित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव (स्वीकृत)	108-110
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान (जारी)	111
अनुदान सं0-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथ चिकित्सा) को कार्य-सूची में जोड़ते हुए उस पर चर्चा एवं मतदान कराने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	111-112
मदवार अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान हेतु समय-सीमा का निर्धारण ...	112
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर मतदान...	112-113
अनुदान सं0-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान सं0-93-नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, अनुदान सं0-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) तथा अनुदान सं0-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)...	114-156
अनुदान सं0-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान सं0-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथ चिकित्सा)... ...	156-197
याचिकाओं का उपस्थापन	197

विषय	पृष्ठ संख्या
इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	197-198
श्री सचिन यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद-फिरोजाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	198
डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा की जनपद-अयोध्या से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	199
डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	199-200
डा0 मंजू शिवाच, सदस्य विधान सभा की जनपद-गाजियाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	200
डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद-फिरोजाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	200-201
डा0 रागिनी, सदस्य विधान सभा की जनपद-जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	201-202
श्री विरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद-गाजीपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	202
डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	203
डॉ0 एम0पी0 आर्य, सदस्य विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	203-204
श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य विधान सभा की जनपद-बांदा से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ तथा जनपद-कानपुर नगर से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	204-205
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य विधान सभा की जनपद-मुरादाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	205
श्री अजय सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	205-206
श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा की जनपद-सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (व्यपगत)	206

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री अनिल कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	206
श्री अनिल प्रधान, सदस्य विधान सभा की जनपद-चित्रकूट से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	207
श्री अनिल कुमार सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (व्यपगत)	207
श्री अमरेश कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	208
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य विधान सभा की जनपद-कानपुर नगर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	208
श्री अरमान खान, सदस्य विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (व्यपगत)	208-209
श्री अशोक कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद-रायबरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	209
श्री आकाश सक्सैना (हनी), सदस्य विधान सभा की जनपद-रामपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	209-210
श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित 01 तथा जनपद-हरदोई से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	210-211
श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद-बस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	211
श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (व्यपगत)	211-212
श्री गौरव कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद-बाराबंकी से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	212
श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	212-213
श्री चन्दन चौहान, सदस्य विधान सभा की जनपद-मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	213-214

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), सदस्य विधान सभा की जनपद-फतेहपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	214
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	214-215
श्री चेतराम, सदस्य विधान सभा की जनपद-शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ तथा जनपद-लखीमपुर से सम्बन्धित 01 याचिका (व्यपगत)	215
श्री बाबूलाल, सदस्य विधान सभा की जनपद-आगरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	215-216
श्री छोटेलाल वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद-आगरा से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (व्यपगत)...	216-217
श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य विधान सभा की जनपद-बलिया एवं जनपद-मऊ से सम्बन्धित 02-02 याचिकाएँ (व्यपगत)	217-218
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद-झांसी से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	218
श्री तसलीम अहमद, सदस्य विधान सभा की जनपद-बिजनौर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	219
श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य विधान सभा की जनपद-अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	219-220
श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य विधान सभा की जनपद-सहारनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	220-221
श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-कासगंज से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	221
श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	221
श्री निर्मल वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	222
श्री पंकज गुप्ता, सदस्य विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ, जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ तथा जनपद-मुरादाबाद से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	222-223

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री पंकज सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	223
श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	223-224
श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य विधान सभा की जनपद-प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	224
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	225
श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-हाथरस से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	225
श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद-शामली से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	226
प्रो0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	226-227
श्री बम्बा लाल, सदस्य विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	227
श्री बाबूराम, सदस्य विधान सभा की जनपद-पीलीभीत से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	228
श्री बृजेश कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	228
श्री बेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद-गाजीपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	228-229
श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद-महोबा से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	229
श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की जनपद-आगरा से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ तथा जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	229-230
श्री मनीष रावत, सदस्य विधान सभा की जनपद-सीतापुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	230

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद-रायबरेली से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ तथा जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका (व्यपगत)	230-231
श्री महबूब अली, सदस्य विधान सभा की जनपद-अमरोहा से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	231
श्री महेन्द्र, सदस्य विधान सभा की जनपद-अमरोहा से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (व्यपगत)	232
श्री मुकेश चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद-सहारनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	232
श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	233
श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य विधान सभा की जनपद-कानपुर नगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (व्यपगत)	233-234
श्री योगेश शुक्ला, सदस्य विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	234
श्री रमेश जायसवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद-चन्दौली से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	234
श्री रमेश, सदस्य विधान सभा की जनपद-जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	235
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	235
श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य विधान सभा की जनपद-महोबा से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	236
श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-इटावा से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	236
श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य विधान सभा की जनपद-सुल्तानपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	236-237
श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य विधान सभा की जनपद-मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं.).....	237-238

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री राजमणि, सदस्य विधान सभा की जनपद-प्रयागराज से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	238
श्री राजीव कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद-अमरोहा से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	238-239
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद-प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	239
श्री राजेश चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद-मथुरा से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	239-240
श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की जनपद-अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	240
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद-श्रावस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	241
श्री राम दुलार, सदस्य विधान सभा की जनपद-सोनभद्र से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	241-242
श्री राम रतन कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की जनपद-ललितपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	242
श्री राम अवतार सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-बिजनौर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	242-243
श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	243-244
श्री लालजी वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद-अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	244
श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-खीरी से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	244-245
श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	245
श्री विपुल दुबे, सदस्य विधान सभा की जनपद-भदोही से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (व्यपगत)	246

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद-कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	246-247
श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद-सीतापुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (व्यपगत)	247
श्री संग्राम सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद-बलिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	247-248
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य विधान सभा की जनपद-कानपुर नगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	248
श्री हरिओम, सदस्य विधान सभा की जनपद-कासगंज से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	248-249
श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	249
श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य विधान सभा की जनपद-प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	250
श्रीमती अंजुला सिंह माहौर, सदस्य विधान सभा की जनपद-हाथरस से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	250-251
श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य विधान सभा की जनपद-श्रावस्ती से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (व्यपगत)	251
श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद-बांदा से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	251-252
श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य विधान सभा की जनपद-प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	252
श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य विधान सभा की जनपद-इटावा से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	253
श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (व्यपगत)	253-254
श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य विधान सभा की जनपद-मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	254

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	255-256
उ0प्र0 की चीनी मिलों में मजदूरों को न्यूनतम वेतन व मजदूरों पर हो रहे अत्याचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री का वक्तव्य	256-258
जनपद-रायबरेली के ऊँचाहार के जगतपुर, दीनशाह गौरा, डलमऊ में जाने वाले इसौर ड्रेन की सफाई व पुल-पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य	258-259
मेसर्स जे0पी0एस0 इम्पोरियम तथा देव इन्फा अयोध्या द्वारा उ0प्र0 ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के काम में हो रही अनियमितता के बावजूद टेण्डर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य... ...	259-267
जनपद अमेठी में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत बनी कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर औद्योगिक विकास मंत्री का वक्तव्य ...	268-274
जनपद-जौनपुर के उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) का वक्तव्य	274-276
जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद में मंगलपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूनम शंखवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	276-277
जनपद रायबरेली के हरचन्दपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के निर्वाचित ग्राम प्रधानों के अधिकारों का हनन एवं कार्यों में अवरोध उत्पन्न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	277-279
नत्थियाँ	280-290

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 02 मार्च, 2023 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-367

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अजय, श्री — गोण्डा
5. अजय कुमार, श्री — बागपत
6. अजय सिंह, श्री — बस्ती
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
9. अताउर रहमान, श्री — बरेली
10. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
11. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
14. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
15. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
16. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
17. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
18. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
19. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
20. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
21. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
22. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
23. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
24. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
25. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
26. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
27. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
28. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
29. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
30. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
31. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
32. अरमान खान, श्री — लखनऊ
33. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
34. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
35. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
36. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
37. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
38. अशरफ अली खान, श्री — शामली
39. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
40. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
41. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
42. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
43. आकाश सक्सैना (हनी), श्री — रामपुर
44. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
45. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
46. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
47. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
48. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर

49. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री, हरदोई
50. आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्री लखनऊ
51. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
52. आशु मलिक, श्री सहारनपुर
53. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
54. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
55. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
56. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
57. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
58. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
59. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
60. ओमकुमार, श्री बिजनौर
61. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
62. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
63. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
64. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
65. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
66. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
67. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
68. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
69. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
70. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
71. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
72. कैलाश, श्री चन्दौली
73. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
74. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
75. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
76. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
77. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
78. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
79. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
80. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
81. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
82. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
83. चंदन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
84. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
85. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
86. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
87. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
88. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
89. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
90. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
91. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
92. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
93. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
94. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
95. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
96. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
97. जाहीद, श्री भदोही
98. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
99. जियाऊर्रहमान, श्री मुरादाबाद
100. जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
101. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
102. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
103. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
104. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
105. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
106. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
107. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
108. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
109. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर

110. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
111. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
112. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
113. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
114. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
115. दुधराम, श्री बस्ती
116. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
117. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
118. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
119. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
120. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
121. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
122. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
123. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
124. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
125. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
126. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री प्रयागराज
127. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
128. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
129. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
130. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
131. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
132. नाहिद हसन, श्री शामली
133. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
134. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
135. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
136. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
137. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
138. पंकज, श्री जौनपुर
139. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
140. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
141. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
142. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
143. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
144. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
145. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
146. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
147. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
148. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
149. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
150. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
151. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
152. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
153. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
154. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
155. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
156. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
157. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
158. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
159. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
160. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
161. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
162. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
163. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
164. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
165. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
166. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
167. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
168. बाबूराम, श्री पीलीभीत
169. बाबूलाल, श्री आगरा
170. बावन सिंह, श्री गोण्डा

171. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
172. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
173. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
174. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
175. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
176. बेदी, श्री गाजीपुर
177. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
178. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
179. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
180. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
181. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
182. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
183. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
184. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
185. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
186. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
187. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
188. मनीष रावत, श्री सीतापुर
189. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
190. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
191. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
192. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
193. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
194. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
195. महबूब अली, श्री अमरोहा
196. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
197. महेन्द्र, श्री अमरोहा
198. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
199. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
200. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
201. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
202. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
203. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
204. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
205. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
206. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
207. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
208. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
209. मेघश्याम, श्री मथुरा
210. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
211. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
212. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
213. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
214. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
215. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
216. योगेश धामा, श्री बागपत
217. योगेश वर्मा, श्री खीरी
218. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
219. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
220. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
221. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
222. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
223. रमेश, श्री जौनपुर
224. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
225. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
226. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
227. रवि शर्मा, श्री झांसी
228. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
229. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
230. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
231. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
232. आर0के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़

233. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
234. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
235. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
236. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
237. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
238. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
239. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
240. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
241. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
242. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
243. राजमणि, श्री प्रयागराज
244. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
245. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
246. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
247. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
248. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
249. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
250. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
251. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
252. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
253. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
254. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
255. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
256. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
257. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
258. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
259. रामकेश निषाद, श्री बांदा
260. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
261. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
262. रामदुलार, श्री सोनभद्र
263. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
264. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
265. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
266. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
267. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
268. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
269. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
270. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
271. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
272. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
273. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
274. लकी यादव, श्री जौनपुर
275. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
276. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
277. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
278. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
279. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
280. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
281. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
282. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
283. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
284. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
285. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
286. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
287. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
288. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
289. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
290. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
291. विपुल दुबे, श्री भदोही
292. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
293. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर

294. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
295. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
296. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
297. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
298. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
299. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
300. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
301. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
302. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
303. शशांक वर्मा, श्री खीरी
304. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
305. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
306. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
307. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
308. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
309. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
310. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
311. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
312. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
313. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
314. संग्राम सिंह, श्री बलिया
315. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
316. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
317. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
318. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
319. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
320. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
321. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
322. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
323. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
324. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
325. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
326. सभाकुंवर, श्री देवरिया
327. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
328. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
329. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
330. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
331. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
332. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
333. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
334. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
335. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
336. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
337. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
338. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
339. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
340. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
341. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
342. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री देवरिया
343. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
344. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
345. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
346. सुरेश राही, श्री सीतापुर
347. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
348. सुशांत सिंह, कुँवर बिजनौर
349. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
350. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
351. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री गाजीपुर
352. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
353. सैय्यदा खातून, श्रीमती सिद्धार्थनगर
354. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 मेरठ
355. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
356. सौरभ सिंह सोनू, श्री खीरी
357. स्वामी ओउ्मवेश, श्री बिजनौर

358. हंसु राम, श्री बलिया
359. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
360. हरिओम, श्री कासगंज
361. हरिप्रकाश वर्मा, श्री शाहजहांपुर
362. हरीश चन्द्र, श्री बदायूं
363. हरेन्द्र सिंह, श्री हापुड़
364. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री प्रयागराज
365. हाकिम लाल बिन्द, श्री प्रयागराज
366. हिमान्शु यादव, श्री बदायूं
367. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री आजमगढ़

नोट :-जल शक्ति मंत्री एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह), नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप), आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र ''दयालु'') तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में रबी सीजन 2022 में किसानों की मांग के अनुरूप फास्फेटिक खाद की आपूर्ति नहीं होने के सम्बन्ध में

*1-**श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रबी सीजन 2022 में किसानों को मांग के अनुरूप फास्फेटिक खाद की आपूर्ति नहीं होने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या फास्फेटिक खाद की आपूर्ति कम होने के प्रमुख कारण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

प्रदेश के कृषकों को फसलों की बुवाई हेतु आवश्यकता के अनुरूप समय से फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार कृतसंकल्पित है।

प्रदेश में रबी 2022-23 सीजन हेतु भारत सरकार के द्वारा फास्फेटिक उर्वरकों यथा- डी0ए0पी0 17.08 लाख मी0 टन, एन0पी0के0 4.00 लाख मी0 टन एवं सिंगल सुपर फास्फेट (एस0एस0पी0) 3.50 लाख मी0 टन आपूर्ति के लक्ष्य प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। प्रदेश में रबी 2022-23 हेतु फास्फेटिक उर्वरक कृषकों की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। रबी सीजन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक फास्फेटिक उर्वरकों की प्रदेश में उपलब्धता निम्नवत् है :-

(मात्रा लाख मी0 टन में)

क्र0-सं0	उर्वरक	रबी 2022-23		
		लक्ष्य		
		रबी 2022-23	माह फरवरी, 2023	दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक उपलब्धता
1	2	3	4	5
1	डी0ए0पी0	17.08	15.13	17.40
2	एन0पी0के0	4.00	3.50	4.62
3	एस0एस0पी0	3.50	2.80	4.05
	योग :	**24.58**	**21.43**	**26.07**

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न देश, प्रदेश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ कहे जाने वाले कृषक वर्ग से सम्बन्धित था। मा0 मंत्री जी द्वारा दिया गया मेरे प्रश्न का उत्तर भ्रामक और वास्तविकता के विपरीत है। चाहे रबी की फसल हो या खरीफ की फसल, सरकार किसानों को उनकी माँग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराने में नाकाम रही है, जिससे किसान रबी की फसल समय से पैदा करने में असमर्थ रहा है। अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति उर्वरक बनाने वाली कम्पनियों और उर्वरक व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसानों का आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से जानबूझ कर पैदा की जाती है। यहाँ यह तथ्य भी गौरतलब है कि रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूँ की बुवाई दिसम्बर माह में खत्म हो जाती है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रश्न है कि भाषण ?

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ।

(कुछ सदस्यों के बीच में टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

यदि सब लोगों को संचालन करना है तो मैं थोड़ा देर आराम कर आऊँ। मा0 सदस्य आप बोलिए।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

परन्तु मेरे सवाल के उत्तर में माँग और आपूर्ति के आंकड़े फरवरी तक के उपलब्ध कराकर मंत्री जी ने सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने का नाकाम प्रयास किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न क्या है, अब प्रश्न करिए।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं इस बिन्दु पर मा0 मंत्री जी से पहले अनुपूरक प्रश्न के रूप में यह पूछना चाहूँगा कि आखिरकार सरकार रबी सीजन में प्रतिवर्ष और इस वर्ष भी फास्फेटिक उर्वरक के सर्वविदित तथ्यों को स्वीकार नहीं करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न थोड़े न है।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मैं पूछना चाहूँगा कि आखिरकार रबी सीजन में फास्फेटिक उर्वरक की कमी पड़ने के मुख्य कारण क्या हैं और मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार फास्फेटिक उर्वरक की कमी के कारण को छुपाकर इस कमी को लगातार बरकरार रखना चाहती है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आयी है तबसे प्रदेश में किसी भी प्रकार की फास्फेटिक हो या यूरिया हो, किसी भी प्रकार की उर्वरक की कमी उत्तर प्रदेश के अन्दर कभी भी नहीं रही है और हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि किसानों को समय से उर्वरक उपलब्ध हो और इस सन्दर्भ में जो उन्होंने पूछा मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वर्ष 2014-15 में 81 लाख 72 हजार मीट्रिक टन उर्वरक की आपूर्ति होती थी, तब सत्ता इन्हीं की थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 27 फरवरी तक हम लोगों ने 104 लाख 67 हजार मीट्रिक टन फर्टिलाइजर की आपूर्ति की है, उस समय की तुलना में लगभग 27 लाख मीट्रिक टन ज्यादा उर्वरक की हमने आपूर्ति बनाकर रखी है और आज की तारीख में भी किसी जनपद के भीतर किसी प्रकार की कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ और पूछेंगे, मा0 सदस्य इरफान जी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

नहीं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद।

***2-श्री पंकज-**

[03-बुधवार के ताराकित प्रश्न सं0-03 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में दिव्यांगजनों के रोजगार एवं जीवकोपार्जन के लिए संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

3-श्री बेचई सरोज (अनुपस्थित)-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांगजनों के रोजगार एवं जीवकोपार्जन के लिए कोई योजना संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दिव्यांगों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो विगत 5 वर्ष में कितने दिव्यांगों को वित्तीय अनुदान दिया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण की जनपदवार सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप)-

जी हां।

दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत दुकान निर्माण के लिये पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रु0 20000/- जिसमें से रु0 15000/- की धनराशि 04 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रु0 5000/- की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है।

दुकान संचालन के लिये पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रु0 10000/- जिसमें से रु0 7500/-की धनराशि 04 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रु0 2500/- की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है।

प्रदेश के ऐसे दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, जिनकी या जिनके परिवार की (आश्रित की दशा में) समस्त स्रोतों से वार्षिक आय गरीबी की रेखा के लिये निर्धारित सीमा से अधिक न हो, को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत रु0 10000/- तक के (वित्तीय अनुदान की सीमा तक) विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं।

विगत 05 वर्षों में कुल 2,30,181 दिव्यांगजन को विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण से लाभान्वित किया गया है।

जी हां। जनपदवार विवरण संलग्न†।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फसलों की बढ़ती लागत व महंगाई के दृष्टिगत डीएपी खाद की दरों पर राज्य स्तर पर किसानों को सब्सिडी देने के सम्बन्ध में

***4-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की फसलों की बढ़ती लागत व महंगाई के दृष्टिगत केंद्र सरकार तथा कंपनियों द्वारा निर्धारित डीएपी खाद की दरों को राज्य स्तर पर कम कर किसानों को सब्सिडी देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-† देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या-280-283 पर।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

उर्वरकों की आपूर्ति पूर्णतया भारत सरकार के नियंत्रण में है। भारत सरकार द्वारा ही उर्वरकों पर अनुदान निर्धारित कर सीधे उर्वरक कम्पनियों को दिया जाता है। डी0ए0पी0 उर्वरक की दरें उर्वरक कम्पनियों द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती हैं। उर्वरकों के मूल्य निर्धारण एवं अनुदान दिये जाने में प्रदेश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में डी0ए0पी0 की कीमत रु0 3771.65 प्रति 50 कि0ग्रा0 बोरी पर रु0 2421.65 अनुदान देते हुए डी0ए0पी0 उर्वरक की कीमत को कृषक हित में बढ़ने नहीं दिया गया। वर्ष 2020-21 में डी0ए0पी0 पर रु0 512/-बोरी का अनुदान था, मई, 2021 में बढ़ाकर रु0 1212/- बोरी का अनुदान, माह अक्टूबर, 2021 में बढ़ाकर रु0 1650/-बोरी का अनुदान एवं माह अक्टूबर, 2022 में बढ़ाकर रु0 2421.65 प्रति बोरी का अनुदान दिया गया है।

प्रदेश में डी0ए0पी0 उर्वरक रु0 1350/- प्रति बोरी की दर पर कृषकों के क्रय हेतु उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

डा0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, ये उर्फ काहे लगाते हैं।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, जिस तरीके से बड़ा नाम लेने में आपको परेशानी होती है, उसी तरीके से जनता को सुविधा मुहैया कराने के लिए नाम को शार्ट किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

मुझे कोई परेशानी नहीं होती है।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह प्रश्न किसानों से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है कि क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के फसलों की बढ़ती हुई लागत व महंगाई के दृष्टिगत केन्द्र सरकार तथा कम्पनियों द्वारा निर्धारित डी0ए0पी0 खाद की दरों को राज्य स्तर से कम कर किसानों को सब्सिडी देने पर सरकार विचार करेगी। मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी का जो जवाब आया है, वह जवाब हमारे प्रश्न में ही निहित है कि उर्वरक खास तौर से डी0ए0पी0 के दाम का निर्धारण कम्पनियाँ करती हैं और केन्द्र सरकार उनके अनुसार सब्सिडी देने का काम करती है। मेरा प्रश्न है कि बढ़ती हुई महंगाई के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार क्या किसानों को सब्सिडी मुहैया करा करके डी0ए0पी0 खाद के दामों को कम करने का काम

करेगी। लेकिन जो जवाब आया है, वह निराशाजनक है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि देश की पहचान कृषि और किसान है लेकिन सबसे ज्यादा बदहाल भी किसान है।

बेमौसम बारिश से, बेमौसम ओले पड़ने से किसानों की फसल जब बार्बाद हो जाती है, तो किसानों के सपने ही नहीं बल्कि उसके खेत में दफन होते उसके बच्चों का भविष्य, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवाई के सपने भी खेत में बर्बाद हो जाते हैं। मान्यवर, आज महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, मेरा सवाल इसीलिए उस पर है कि आज रसोई गैस की कीमत पिछले 05-06 वर्षों में देखें तो 03 गुना ज्यादा बढ़ गयी है, लेकिन किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य वहीं का वहीं रह गया, मुश्किल से 10 परसेन्ट बढ़ा होगा। मान्यवर, इसलिए पहला प्रश्न माननीय मंत्री जी से मेरा है कि हमारा वर्ष 2023 में जो बजट आया, उसमें न तो बीजों के दाम कम किये गये, न किसानों के पम्पिंग सेट के बिजली के बिल को कम करने की कोई बात की गयी, न पेस्टीसाइड, न उर्वरक के दाम को कम करने की बात की गयी, किसानों की आमदनी को दोगुना करने का जो वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, उसको निभाने का काम वह कैसे करेगी। पहला सवाल हमारा यही है कि क्या सरकार राज्य स्तर से किसानों को सब्सिडी दे करके डी0ए0पी0 की खाद की कीमत को कम करने का काम करेगी ? दूसरा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उद्योगपतियों के सामान की कीमतें तीन गुना हो गयी हैं, तो क्या किसानों के फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार दो गुना करके किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम करेगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, उर्वरक जो है, वह भारत सरकार के कार्य क्षेत्र के भीतर आता है। डी0ए0पी0 का लगभग 07 परसेंट रॉ-मटेरियल इम्पोर्ट हो करके आता है और 40 परसेंट के करीब यूरिया भी इम्पोर्ट हो करके आता है, इसलिए भारत सरकार ने फर्टीलाइजर की एम0आर0पी0 (मैक्सिमम रिटेल प्राइज) रु0 1350 को विगत कई वर्षों से स्थिर करके रखा है। किसानों को कीमतें ज्यादा न देनी पड़ें इसलिए भारत सरकार किसानों के हित में लगातार सब्सिडी को बढ़ा करके उसके रेट को मेनटेन करके रखे हुए है जिसके लिए मैं मा0 प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। जो जिज्ञासा माननीय सदस्य डा0 आर0 के0 वर्मा जी ने रखी है, 2014-15 में डी0ए0पी0 पर रु0 1617.50 का अनुदान प्रति बैग दिया जा रहा था, तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा।

श्री लालजी वर्मा-

उस समय डी0ए0पी0 की कीमत क्या थी, यह भी तो बता दीजिये ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

बता देता हूं कीमत, टोकिये मत, सुनने का धैर्य तो रखिये। आज की तारीख में डी0ए0पी0 पर भारत सरकार रु0 2421.65 प्रति बैग अनुदान दे करके किसानों को सस्ते दर पर, रु0 1350 से नीचे की दर पर बिक्री किये जाने के लिए कम्पनियों की एम0आर0पी0 को फिक्स किया है, इससे ज्यादा में वह बेच नहीं सकते। उससमय रु0 617.50 का अनुदान मिलता था, लगभग 04 गुना अनुदान भारत सरकार ने किसानों के हित में बढ़ाया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। एन0पी0के0 (N.P.K.) खाद के ऊपर ये अनुदान उस समय रु0 548 था जो आज की तारीख में रु0 1828 अनुदान दिया जा रहा है।

आपने फर्टीलाइजर की कीमतों की एक बात कही तो फर्टीलाइजर की कीमतों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के हित में उसको स्थिर बना करके रखा है और राज्य के भीतर जो कृषि बीज गोदामों से, हमारे कृषि विज्ञान केन्द्रों से, हमारे विश्वविद्यालयों से और सहकारी समिति की सोसाइटियों से जो किसान खरीदता है, हम लोग किसानों को 50 परसेण्ट अनुदान पर बीज उपलब्ध कराते हैं। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय वर्मा जी ने जो पूछा है, मैं यूरिया का दाम बता देता हूँ कि आपके कार्यकाल में, आपके जमाने में तब आप नहीं थे, बसपा की सरकार में थे। लेकिन 335 रुपये में यूरिया आप सब बेचते थे और क्यों 335 ? दो ही राज्य थे, जहाँ पर एक जजिया कर लगाया जाता था, उसमें से एक उ0प्र0 और उस समय धरती पुत्र जो हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, यूरिया का रॉ-मैटीरियल जो बाहर से आता था, उस पर 5 परसेण्ट ए0सी0टी0एन0 टैक्स लगा करके रखते थे, परिणामस्वरूप यूरिया 335 से ले करके 336 रुपये की 50 के0जी0 मिलती थी। मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने जब मैंने यह बात रखी तो 2018 में उन्होंने कैबिनेट से यह फैसला करा दिया कि ए0सी0टी0एन0 टैक्स उत्तर प्रदेश से समाप्त कर दिया जायेगा और हमने ए0सी0टी0एन0 टैक्स कम किया तो 335 रुपये की यूरिया 299 रुपये 50 पैसे में मिलने लगी और आज भी मिल रही है। अब 45 के0जी0 की बोरी हो गई है और 266 रुपये 50 पैसे में है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किसान को 2014-15 में डी0ए0पी0 कितने रुपये में मिलती थी ?

श्री अध्यक्ष-

यह उन्होंने बताया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उन्होंने यह नहीं बताया, इन्होंने कहा कि 600 रुपये अनुदान था लेकिन यह नहीं बताया कि कितने में मिलती थी।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने बताया कि लगभग 335 रुपये में मिलती थी अब लगभग 266 रुपये में मिलती है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उन्होंने यूरिया का बताया है। हमारा डी0ए0पी0 के लिए प्रश्न है, उसका दाम बता दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर 1450 रुपये प्रति बैग उस समय उसकी कीमत थी, लेकिन राज्य के भीतर बड़े पैमाने पर उसका ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा था। किसानों को महीनों-महीनों लाइन लगाना पड़ता था और यहाँ तक कि रैक और गोदाम लूट लिये जाते थे।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

पूरी बात सुन लीजिए, आप जब बोलते हैं, तो मैं बहुत धैर्य से सुनता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

सब लोग मत बोलिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, जो मैंने कहा, मोदी जी की सरकार में पिछले वर्ष तक, 2022 के अक्टूबर तक 1250 रुपये डी0ए0पी0 की एम0आर0पी0 रही। जब 2021 के भीतर प्रति बैग की कीमत जो 3771 रुपये 65 पैसे इम्पोर्ट होने के बाद आ रही थी, तो मा0 प्रधानमंत्री जी ने उस पर 2421 रुपये 65 पैसे का अनुदान किसान को उपलब्ध करवाया। 2022 में जब कीमतें और बढ़ गई तो 2421 रुपये 65 पैसे का अनुदान बढ़ाया और इस समय मात्र 100 रुपये डी0ए0पी0 की कीमत बढ़ाई गई है, इससे ज्यादा कोई कीमत नहीं बढ़ी। कई कम्पनियाँ, टिस्को जैसी कम्पनियाँ इसे 25 रुपये कम पर बेचती हैं।

***5-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

[प्रश्न के वर्ग में परिवर्तन के कारण हटाया गया।]

श्री अध्यक्ष-

श्री महेन्द्र नाथ यादव अनुपस्थित हैं।

प्रदेश में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों के अनुरक्षण के सम्बन्ध में

***6-श्री महेंद्र नाथ यादव (अनुपस्थित)-**

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मंडी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों के अनुरक्षण हेतु कोई व्यवस्था ना होने से अधिकांश सड़कें जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार मंडी परिषद् द्वारा बनायी गयी सड़कों के अनुरक्षण हेतु कोई ठोस नीति बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश प्रताप सिंह)-

जी नहीं।

प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों के नियमित अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 2392/23-1-2013-72 सा0/12 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 द्वारा निर्धारित की गई 'उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013' को मण्डी परिषद् द्वारा अंगीकार किया गया है।

मण्डी परिषद् के स्वामित्व के सम्पर्क मार्गों में से मरम्मत योग्य सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/नवीनीकरण के कार्य, मण्डी की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति-2013'' के अनुसार कराये जाते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती पिंकी सिंह यादव भी अनुपस्थित हैं। पिंकी जी के रोज प्रश्न होते हैं, लेकिन अनुपस्थित रहती हैं।

प्रदेश में अमोनिया व मीथेन के उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती व कम्प्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में

***7-श्रीमती पिंकी सिंह यादव (अनुपस्थित)-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अमोनिया व मीथेन के उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती व कम्प्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किये गये प्रयासों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से वित्तीय वर्ष 2022-23 से आगामी 05 वर्षों तक बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों के समस्त 47 विकास खण्डों में 23500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धनराशि रु0 68.83 करोड़ की लागत से गौ आधारित प्राकृतिक खेती योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से किया जा रहा है।

इसी प्रकार केन्द्र पोषित नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु 85710 हेक्टेयर क्षेत्रफल की कार्य योजना धनराशि रु0 251.00 करोड़ लागत की स्वीकृत की गयी है, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2022-23 से प्रारम्भ किया गया। स्वीकृत क्षेत्रफल में 62200 हेक्टेयर क्षेत्रफल गंगा नदी के तट से 05 किलोमीटर क्षेत्रफल की सीमा तक प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु सम्मिलित है।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जैव ऊर्जा नीति, 2022 द्वारा कम्प्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में नाबालिग बच्चों एवं युवा छात्रों में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के सम्बन्ध में

***8-श्री प्रसन्न कुमार तथा श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या मद्य निषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नाबालिग बच्चे एवं युवा छात्रों में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल) -

जी हाँ, प्रदेश में नाबालिक बच्चे एवं युवा छात्रों में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0 द्वारा विभिन्न शिक्षात्मक माध्यमों यथा-चलचित्र प्रदर्शन, भाषण/निबन्ध/पोस्टर/खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार वितरण, प्रदर्शन कक्षों, गोष्ठियों, रैलियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के माध्यमों से उन्हें जागरूक करने के लिए नशे के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों का प्रचार-प्रसार कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रसन्न कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने प्रश्न पूछने का समय दिया। आज मेरा जो प्रश्न है, वह मद्य निषेध मंत्री जी से है कि नाबालिग बच्चों एवं युवा छात्रों में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? आज का युवा कल का भविष्य है। समाज, प्रदेश और देश की धरोहर है। कितना दुख होता है, जब किसी बहन का लाडला भाई या किसी माता का एकलौता बेटा नशेड़ी बनकर एक्सीडेंट में मारा जाता है या खुदखुशी कर लेता है। कितना नुकसान एक परिवार का, समाज का और प्रदेश का होता

है लेकिन सरकार मस्त है रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती। रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए जगह-जगह, गली-गली, गाँव-गाँव में दारू के ठेके खुलवाये जाते हैं लेकिन नशे की रोकथाम के लिए कोई भी केन्द्र सरकार स्थापित नहीं कराती। मेरा जो आज का सवाल है, वह माननीय मंत्री जी से यही है कि आपने नशे की रोकथाम के लिए क्या-क्या उपाय किये हैं। मैं इसमें अपना पूरक भी पूछ लेता हूँ। माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है। उसमें यह कहा है कि हम तो रोकथाम के लिए खेलकूद की प्रतियोगिताएँ कराते हैं, इनाम देते हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो ये खेलकूद की प्रतियोगिताएं हुई हैं। इसमें कितनी प्रतियोगिताएं जिले में एक साथ हुई हैं और कितनों को आपने इनाम दिया है, जिससे की नशे की रोकथाम हुई है। दूसरा पिछले साल जो मद्य निषेध का जो बजट था, वह कितना था ? उसमें से कितना खर्च हुआ है। यह माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष-

दूसरे माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार पारस जी हैं ? नहीं हैं। माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे दीजिये।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, नशा मुक्ति का जो अभियान है, वह सरकार की सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। हम लोग लगातार पूरे वर्ष इस अभियान को चलाते रहते हैं। जैसे कि माननीय सदस्य ने पूछा कि आप कितने नशा मुक्ति केन्द्रों पर यह कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नशा मुक्ति केन्द्र है, वह पूरे प्रदेश में 21 नशा मुक्ति केन्द्र संचालित हैं। इन 21 नशा मुक्ति केन्द्रों पर लगातार जब लोग अपने आपको रजिस्टर्ड करते हैं या तो वह ओ0पी0डी0 में आयेगा और सलाह लेगा जो दवाईयाँ वहाँ पर 15 या 20 दिन एक बार अपना उपचार करायेगा उसके बाद वहाँ से उसको डिस्चार्ज किया जायेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी 21 नशा मुक्ति केन्द्रों में जो नॉन एडमिटेड पेशेंट हैं, जिन्होंने केवल ओ0पी0डी0 पर आकर सलाह लेकर अपने आपको नशा मुक्ति से बाहर किया है। वह करीब 2,874 ऐसे लोग हैं जो नॉन एडमिटेड हैं और जिन्होंने हमारी कंसल्टेशन ली। अगर एडमिटेड की बात करूँ, जो एडमिट हुये और जिन्होंने वहाँ रह कर अपना उपचार कराया। उन पेशेन्ट की संख्या 3,249 है जिन्होंने एडमिट हो कर अपना उपचार कराया है। जहाँ तक अभियानों की बात करूँ। आपने कहा क्या अभियान चल रहा है, क्या उसमें प्रतियोगिताएं हो रही हैं। मै आपको बताना चहाता हूँ कि अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक कुल 396 मद्य निषेध डाक्यूमेंट्री चलचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोगों ने उसका प्रचार प्रसार किया है क्योंकि यही एक बहुत बड़ा माध्यम है।

हम बच्चों को स्कूल के समय में ही बतायें कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं ? हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ऐसे ही करीब 1062 मद्य निषेध शिक्षात्मक खेल कूद प्रतियोगिताओं का

आयोजन करा कर 4248 विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित कर नशे से दूर करने हेतु प्रेरित किया गया है। 10260 नशा विरोधी स्लोगनों की वॉलपेटिंग करायी गयी है। 21 होर्डिंग की स्थापना करा कर नशे के दुष्परिणामों का प्रचार कराया गया है, 2021 नशा विरोधी रैलियों का आयोजन करा कर नशे के दुष्परिणामों का प्रचार प्रसार कराया गया है, 1416 गोष्ठियों का आयोजन करा कर उपस्थित जन समुदाय को नशे से दूर रहने की अपील की गयी है, 2090 मद्य निषेध प्रदर्शनियों के आयोजन करा कर चित्रों और स्लोगनों के माध्यम से नशे से दुष्परिणामों का प्रचार किया गया है। 208 सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मद्य निषेध का प्रचार किया गया है। 27 प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों से जन सामान्य को जागरूक किया गया है और 2545 व्यसनियों को नशा छोड़ने, उपचार हेतु प्रेरित किया गया है। इसी के साथ-साथ आपने बजट की बात की है हमारे विभाग की। हमारे विभाग का बजट उत्तर प्रदेश में करीब साढ़े 45 करोड़ का बजट है और इसका हमने करीब-करीब 90 प्रतिशत खर्च कर लिया है। अभी इसमें 2 महीने का समय शेष है और अभी कार्यक्रम चल रहे हैं बाकी बचे हुए बजट को भी हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे और जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी है सरकार की, उसको सरकार कर रही है और सरकार करती रहेगी।

श्री प्रसन्न कुमार-

मान्यवर, शामली जनपद हरियाणा से लगा हुआ है, वहां पर सूखे नशे के खेत जिसमें चरस हो सकता है, गांजा हो सकता है, डोढा हो सकता है बहुत अधिक मात्रा में 4-5 जिलों से आती है। क्या उसे रोकने की सरकार ने कोई योजना बनायी है ? वह नशा शराब के नशे से भी कई गुना खतरनाक नशा है और जिस कदर धुंआ फैलता है वह नशा इस कदर बढ़ता चला जा रहा है। क्या हमारे जिले में उसे रोकने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है ?

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, इन्होंने शामली जनपद की बात की है।

श्री प्रसन्न कुमार-

नहीं मान्यवर, मैने यह कहा है कि 4-5 जनपद जो हरियाणा से लगे हुए हैं। उनमें शामली है, बागपत है इन जनपदों में खासकर प्रॉब्लम है कि वहाँ से खेप आती है गांजे की, डोढे की और इसकी वहीं पर सबसे बड़ी मार्केट है।

श्री नितिन अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य जो पूर्व में बसपा व समाजवादी सरकार रही है उनका कार्यकाल याद आ रहा है। हमारी सरकार पूरी तरीके से चुस्त है, दुरूस्त है और हमारी सरकार अवैध करोबारियों के खिलाफ कार्यवाही करती आ रही है।

जनपद चित्रकूट सहित प्रदेश में निवासित आदिवासियों को अन्य राज्यों की भांति अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के सम्बन्ध में

***9-श्री अनिल प्रधान**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट सहित प्रदेश में निवासित आदिवासियों को मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा सरकार दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जति एवं जनजाति कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री असीम अरुण)-

भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) एक्ट 1967 तथा भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) एक्ट 2002 में उ0प्र0 के लिए जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में 15 जनजातियां सूचीबद्ध हैं। जनपद चित्रकूट सहित प्रदेश में निवासित आदिवासियों को मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने हेतु निर्धारित विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री अनिल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी, यह आदिवासी समाज के भविष्य को सवारनें का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्जापुर, चन्दौली, चित्रकूट, बाँदा और प्रयागराज जनपदों में करीब साढ़े 7 लाख आबादी कोल अदिवासी समाज की है। यह आदिवासी समाज आज तक अनुसूचित जनजाति समाज में सम्मिलत नहीं हो पाया है, जबकि इस जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए वर्ष 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में जनजाति कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार को अपनी संस्तुति भेजी गयी थी, इसके पूर्व बकायदा अनुसूचित जाति, जनजाति शोध शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा इस जाति का सजातीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पूरे उत्तर प्रदेश में कराया गया और यह पाया गया कि यह जाति अनुसूचित जनजाति में आने के लिए योग्य है। इस जनजाति की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, बहुतायत में आज भी यह समाज जंगल से लकड़ी बेच कर या छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता है। वही उनका मुख्य पेशा है।

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि सरकार कोल आदिवासी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब देगी ? मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में उनको एस0टी0 अर्थात् अनुसूचित

जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। इस पर मा0 मंत्री जी का जवाब आया है कि अभी इस पर विधिक प्रक्रिया चल रही है। मेरा पहला सवाल है कि इस समय केंद्र व राज्य में दोनों जगहों पर डबल इंजन की सरकार है। मा0 मंत्री जी बताएं कि इस परिस्थिति में सरकार कोल आदिवासी समाज को अनुसूचित जनजाति में कब शामिल करेगी ? दूसरा, कोल आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इनसे पहले 75 वर्ष पूर्ण का प्रमाण-पत्र माँगा जा रहा है और इसे पुश्तैनी वन भूमि से बेदखल किया जा रहा है, अर्थात चित्रकूट, प्रयागराज, चन्दौली, सोनभद्र और मिर्जापुर में इनको बेदखल किया जा रहा है। इसलिए मा0 मंत्री बताएं कि कोल आदिवासियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 का लाभ कैसे मिलेगा ? मान्यवर, चूँकि जो कोल आदिवासी, जंगल से जुड़े व्यक्ति हैं, वहाँ पर जो जमीनें थीं या जंगल थे वहाँ असमतल जमीनें थी, उनको समतल जमीन करके रहने लायक बना दिया है। आज वन विभाग और अन्य विभाग उनको बाहर करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, एक प्रश्न और है कि इनके लिए सरकार विकास और रोजगार के लिए क्या काम कर रही है ? चौथा और आखिरी प्रश्न है। वह मेरा अनुपूरक मा0 वित्त मंत्री जी और सरकार से है।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप उन्हीं से पूछिए, सरकार से बाद में पूछियेगा। पहला, तीसरा प्रश्न पूछने के बाद अब चौथा आखिरी प्रश्न कर रहे हैं।

श्री अनिल प्रधान-

मान्यवर, मेरा प्रश्न उसी विषय पर है। इसी सदन में वन ट्रिलियन की इकॉनमी।

श्री अध्यक्ष-

यह इससे संबंधित नहीं है।

श्री अनिल प्रधान-

मान्यवर, कोल आदिवासियों से संबंधित है कि इतना बड़ा बजट सदन में पेश किया गया। मेरा मा0 मंत्री जी से, सरकार से निवेदन है कि हमारे जनपद चित्रकूट में एक बड़गर ग्लास फैक्ट्री थी, वह काफी समय से बन्द है।

श्री अध्यक्ष-

उससे क्या मतलब है ? जो मंत्री जी से संबंधित है, उसको पूछिए।

श्री अनिल प्रधान-

मान्यवर, उसी से सम्बन्धित प्रश्न है, क्योंकि कोल आदिवासियों का जो जीवन स्तर है, आज भी जंगल से जुड़ा हुआ है। अगर वो आज यहां पर काम नही कर पाते हैं, तो मजबूरी में उनको दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। अगर बड़गर ग्लास फैक्ट्री चालू कर दी जायेगी, तो

उससे चित्रकूट, प्रयागराज तथा कई अन्य जिलों के लोगों को रोजगार मिलेगा और उनका पलायन रुकेगा।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। मा0 मंत्री जी।

श्री असीम अरूण-

मान्यवर, किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में परिभाषित करने का अधिकार केन्द्र सरकार का है, पार्लियामेंट का है और मा0 राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के उपरान्त यह निर्णय होता है, यह कार्यवाही होती है। मा0 सदस्य किस विशिष्ट जनजाति या जाति का प्रश्न रख रहे हैं, ये नहीं पूछा था, लेकिन मैं एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे कि गोंड समुदाय अनुसूचित जाति में आता था और चार जनपदों में माँग थी कि वह अनुसूचित जनजाति में आए। कुशीनगर, सन्तकबीरनगर, भदोही और चन्दौली में तो इसकी प्रक्रिया पूरी की गयी और मुझे बताते हुए हर्ष है कि अभी तीन-चार दिन पूर्व ही इसका शासनादेश प्रदेश स्तर से जारी हो गया है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री अध्यक्ष-

बहुत अच्छा।

(सदस्य श्री अनिल प्रधान जी के कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, मा0 मंत्री जी का पूरा उत्तर आ जाने दीजिए। आप तो एक मिनट में खड़े हो रहे हैं।

श्री असीम अरूण-

मा0 अध्यक्ष जी, इसी प्रकार ऐसे कई विषय हैं, कई माँग है और कोल जाति की बात करें, तो अन्य कई प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित हैं और उत्तर प्रदेश में अनसूचित जाति के रूप में परिभाषित है। यद्यपि अनुसूचित जाति के रूप में जितनी भी योजनाएं है, सेवाएं है, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अच्छे परिणाम मिल रहे है। रही बात अनुसूचित जनजाति में परिभाषित करने की, तो ये केंद्र सरकार का, पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र है। क्योंकि इसमें विशिष्ट रूप से कोल जाति का नहीं पूछा गया था। मैं इसकी वस्तुस्थिति पता करके मा0 सदस्य को अवगत करा दूँगा।

श्री अनिल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने अभी जवाब दिया कि गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल रहा है। चूँकि है वही वर्ग, कई जगहों पर अलग-अलग नाम से उनको

जाना जाता है। हमारे इलाहाबाद और चित्रकूट में कोल आदिवासियों की एक बड़ी तादाद है। इस कोल जाति को आदिवासी, कोल, गोंड आदि कई नामों से जरूर जाना जाता है। जैसा आपने कहा कि मा0 महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अनुमोदन के पश्चात् सम्मिलित होता है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी उसी समाज से हैं। मेरा सवाल है कि जब छः वर्षों से डबल इंजन की सरकार है और वर्ष 2013 में मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार में इस प्रस्ताव को सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा गया था। वर्ष 2014 से भाजपा की सरकार है और इस समय दोनों जगहों पर डबल इंजन की सरकार है, तो आप कब तक उस वर्ग को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिला पाने में सफल होंगे, इस बात को आप सदन में बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य इसका उत्तर आ चुका है। दूसरा आपने जो एक नई जाति के बारे में बताया है, मा0 मंत्री जी ने कहा है कि उसके बारे में जानकारी करके बता देंगे, क्योंकि दो दिन पहले ही शासनादेश जारी हुआ है।

प्रदेश में राजकीय कालेजों में कौशल विकास मिशन योजना के अन्तर्गत रोजगार प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके छात्रों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में

***10-श्री सचिन यादव-**

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय कालेजों में कौशल विकास मिशन योजना के अन्तर्गत रोजगार प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके छात्रों को रोजगार दिलाने की क्या सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कपिल देव अग्रवाल)-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के परिप्रेक्ष्य में समग्र शिक्षा (होलिस्टिक एजूकेशन) की अवधारणा के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं तथा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं को नियमित कक्षाओं के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 20582 विद्यार्थियों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् 3450 छात्राओं को उनको नियमित कक्षाओं के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। इस पहल में छात्रों के अध्ययनरत् होने के कारण उन्हें रोजगार दिलाने का बिन्दु सम्मिलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार

प्रश्न नही उठता।

श्री सचिन यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कौशल विकास मिशन योजना पर तारांकित प्रश्न पूछने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नौजवानों की जो संख्या है, वह महान देश भारत के उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद भी इतनी बेरोजगारी है, जो नौजवानों के लिए बड़ा मुद्दा है। लगता है यह सरकार के लिए मुद्दा नहीं है। सरकार मैनुपुलेटेड आंकड़ों को बार-बार सदन में रख देती है कि हमारी 4.4 प्रतिशत बेरोजगारी दर है, जो कि मैनुपुलेटेड लगता है, क्योंकि मनरेगा वर्कर्स, डेली वर्कर्स को भी शामिल करके उस बेरोजगारी दर को बना लिया जाता है। अगर अशिक्षित नौजवानों में, स्किल्ड वर्कर्स में बेरोजगारी की बात करेंगे तो वह 70 प्रतिशत से ज्यादा है।

मैं कौशल विकास योजना की बात करता हूँ, जो मेरे मूल प्रश्न में है। मैने जब साइट पर जाकर देखा तो लगभग-लगभग साढ़े छः लाख लोग स्किल्ड मैनेजमेंट कौशल विकास योजना में ट्रेन्ड किये गये, लेकिन जब उनके प्लेसमेन्ट की बात आयी तो 4400 लोगों का ही प्लेसमेन्ट हो पाया, जबकि जिन लोगों को शिक्षित किया जाता है, उनके लिए पैसा सरकार की ओर से भी फन्डिंग होता है। अगर 4400, साढ़े छः लाख में अनुपात निकालेंगे तो 0.68 प्रतिशत का आता है। इसका मतलब है कि 99 प्रतिशत वह वर्कर्स जो वहां से स्किल्ड होकर गयी थी, वह बेरोजगार है या अन्डर एम्प्लॉयड है। अगर इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया जाता है तो सिर्फ 60 प्रतिशत प्रति डिस्ट्रिक्ट का रेशियो आता है जो कि हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही कम है। 60 प्रतिशत लोग उसमें हो पा रहे है। 40 स्किल्स में लोगों को ट्रेन्ड किया गया और उसमें खासकर हमारा फिरोजाबाद 37 नम्बर पर है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ है, जो स्किल डेवलपमेन्ट को लेकर सरकार से पैसा ले रही हैं। माँ दौलती 0 प्रतिशत प्लेसमेन्ट, ए0आई0सी0ई0सी0टी0 0 प्रतिशत प्लेसमेन्ट, रोमन टेक्नोलॉजी 0 प्रतिशत प्लेसमेन्ट ऐसी बहुत सी संस्थाएं है, जिसकी लिस्ट मेरे पास है, यह सारी संस्थाएँ सरकार से स्किल डेवलपमेन्ट करने का पैसा तो ले लेती हैं, लेकिन प्लेसमेन्ट पर ध्यान नहीं देती हैं। मैं डी0एम0 फिरोजाबाद की रिपोर्ट को पढ़ रहा था, 12 लाख से ज्यादा लोग वहां पर स्किल डेवलपमेन्ट के वर्कफोर्स में हैं। उसमें से अगर प्लेसमेन्ट की बात करें तो नेहरू युवा केन्द्र का 0 प्रतिशत प्लेसमेन्ट, एवॉन फैसिलिटी का 0 प्रतिशत प्लेसमेन्ट, डूडा फिरोजाबाद का 0 प्रतिशत प्लेसमेन्ट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड का 0 प्रतिशत प्लेसमेन्ट, गवर्नमेन्ट पॉलीटेक्निक फिरोजाबाद का 0 प्रतिशत प्लेसमेन्ट, गवर्नमेन्ट पॉलीटेक्निक टूंडला का 0 प्रतिशत प्लेसमेन्ट है। हम स्किल डेवलपमेन्ट की बात कर रहे हैं। सरकार की ओर से संस्थाओं को पार्टनर्स भी बना रहे हैं, उनको स्किल डेवलप कराने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन उनके प्लेसमेन्ट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका अर्थ तो यह है कि या तो इनकी स्किल डेवलपमेन्ट प्रापर हो नहीं पा रहा है, जिससे उनका प्लेसमेन्ट नहीं हो पा रहा है या सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार हमारे प्रदेश की बेरोजगारी दर को देखते हुए ग्रेजुएट लोगों का या जो शिक्षित लोग

हैं या स्किल्ड लोग हैं, उनका सर्वे कराकर जो बेरोजगारी दर है, वह सदन के पटल पर रखेगी ? क्या जो नौजवान हैं, जिन पर अपने घर की जिम्मेदारी है, बूढ़े माँ-बाप की जिम्मेदारी है और जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, वह छोटे-छोटे काम करने के लिए मजबूर हो गये हैं, क्या सरकार उनका डेटा बेस तैयार करेगी ? क्या उनका डेटा बेस डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्तर तक तैयार किया जायेगा ? क्या वहाँ पर एक परमानेन्ट पी0सी0एस0 और आई0ए0एस0 रैंक के ऑफिसर को जिम्मेदारी दी जाएगी ? जिससे वह उस डेटा बेस को यूज करके उनके प्लेसमेन्ट के लिए भी कोई प्राविधान या कोई कोशिश कर सके।

श्री कपिल देव अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे सम्मानित सदस्य ने प्रश्न पूछा, उनका मूल प्रश्न है कि कौशल विकास मिशन योजना के अन्तर्गत रोजगार प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके छात्रों को रोजगार दिलवाने की क्या योजना है ? राजकीय इण्टर कॉलेजों के लिए उन्होंने पूछा है, उसका जवाब इसमें आया है, उसमें हमने विशेष रूप से जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयी है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की। उसमें विशेष रूप कि इण्टरमीडिएट कॉलेजों में भी कौशल विकास के लिए युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ उनका प्रशिक्षण हो सके यह हमने अभी शुरू किया है। जब पढ़ाई के साथ-साथ उनका प्रशिक्षण होगा तो वहीं पर वह कोई न कोई स्किल भी सीख सकेंगे और सीखने के साथ- साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकेंगे। अगर वह पढ़ाई में कहीं आगे निकल जायें तो बहुत अच्छी बात है, वरना कहीं न कहीं स्किल्ड के आधार पर वह अपना रोजगार तलाश भी कर सकते है, नौकरी भी कर सकते हैं, अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। यह जो मूल प्रश्न है उसका जवाब था।

लेकिन माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा जाहिर की है कि ग्रेजुएट का सर्वे करा करके, तो हम सबको यह मालूम है कि हर जनपद में इम्प्लॉयमेंट ऑफिस हैं, जहाँ पर युवा जब नौकरी की तलाश करते हैं तो इम्प्लॉयमेंट ऑफिस में उनका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद पोर्टल पर वैकेन्सियाँ निकलती हैं और उसके बाद वह एप्लायी करते हैं। तो वह ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और एक बॉडी उस काम को लगातार करती है। उसका जवाब उसके रूप में है। जो दूसरा प्रश्न, आपने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं के लिए अभ्युदय योजना शुरू की। प्रत्येक जनपद में युवाओं के प्रशिक्षण, पढ़ाई व तैयारी के लिए अभ्युदय योजना के अन्तर्गत युवाओं की तैयारी करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने चर्चा भी की थी कि हमारे 56 युवक इस बार यू0पी0एस0सी0 में सेलेक्ट हुए हैं, उसके कारण से युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चला करके रोजगार से जोड़ने का काम लगातार चल रहा है। मैं माननीय सदन को बताना चाहूँगा कि प्रत्येक जनपद के अन्दर हमारी एजेंसियाँ जो हमारी ट्रेनिंग पार्टनर्स होती हैं वो काम कर रही हैं और जहाँ-जहाँ जैसी जिसकी आवश्यकता होती है, जिस जनपद में जैसी मैन पॉवर की

आवश्यकता होती है उसमें वहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिलवाने का काम होता है। अभी जो इतनी बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई है उसके अन्तर्गत बहुत सारी इण्डस्ट्रियां आयेगी तो स्वभाविक रूप से जो इण्डस्ट्रियां आ रही हैं, वह यहीं के बेरोजगारों को सेवायोजित करने का काम करेंगी। हमारा विभाग उन सबके लिए स्किल मैपिंग कराकर, यानि किसकी कैसी रिक्वायरमेन्ट है, कैसी उसकी आवश्यकता पड़ेगी, वैसा हम काम करेंगे। जैसाकि माननीय सदस्य ने लिस्ट की बात की, प्रत्येक जनपद में हमने कितने युवाओं को इनरोल्ड किया, कितने युवाओं को हमने प्रशिक्षित करने का काम किया तथा कितने युवाओं को हमने सेवायोजित करने का काम किया। थोड़ी सी चर्चा और करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल 5 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने का काम हुआ, जबकि हमारा पिछले वर्ष का डाटा 12 लाख 50 हजार का है।

एक और प्रसन्नता का विषय है, वह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता सदन क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे। क्रेडिबिलिटी पहले नहीं थी, टाटा पहले भी थी, टाटा कोई आज की कम्पनी नहीं है एक इण्टरनेशनल कम्पनी है और हिन्दुस्तान की एक जानी-मानी बड़ी संस्था है। उसने हमारे विभाग को 5400 करोड़ रुपये दे करके आई0टी0आई0 को डेवलप करने का काम किया है। हर जनपद के अन्दर दो आई0टी0आई0 कुल 150 आई0टी0आई0 को लेटेस्ट टेक्नॉलोजी के साथ बढ़ाकर के उनको सेवित कर रहे हैं और बहुत जल्दी 6 महीने से 01 साल के अन्दर यह काम शुरू हो जायेगा। 35 हजार युवाओं को प्रतिवर्ष उसमें प्रशिक्षित करने का काम करेंगे।

श्री सचिन यादव-

आदरणीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसको फिर से घुमा दिया। मंत्री जी ने अपने प्रश्न में कहा है कि- 'इस पहल में छात्रों के अध्ययनरत् होने के कारण उन्हें रोजगार दिलाने का बिन्दु सम्मिलित नहीं है'। रोजगार दिलाने में इनका उतना ध्यान नहीं है। प्लेसमेंट की बात आयी, आपने फिर बात की कि उनको ट्रेंड किया जा रहा है और उसके लिए सरकार पैसा भी खर्च कर रही है और उस पैसे का इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं रहा है वह एक चिंता का विषय है। क्योंकि सही नहीं हो रहा है वह इस बात से प्रूव होता है कि जो पर-डिस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट है, वह बहुत कम है। 60 का एवरेज है। इतना बड़ा हमारा प्रदेश है स्किल मैपिंग की बात कर रहे हैं। आदरणीय नेता सदन और मा0 मंत्री जी ने भी बात रखी कि स्किल मैपिंग हम करा रहे हैं लेकिन वह डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर नहीं हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर कोई डेटा बेस नहीं बना है जिनका प्रशिक्षण हो रहा है, ज्यादातर किताबों की बातें है, पर रजिस्टर में नाम नोट हो जाता है।

मान्यवर, उनका सही में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है कि नही हो रहा है, यह पता नही लग रहा है और उसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि उनका प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो मा0 मंत्री जी ने बताया है कि उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइस कितने बच्चों को ट्रेनिंग मिली है ? कितने लोगों को रोजगार मिला है ? तो उनके पास डिस्ट्रिक्ट वाइस है।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, इसमें 60 का रेशियो है।

श्री अध्यक्ष-

जो मा0 मंत्री जी के पास उपलब्ध है, उन्होंने बताया है। उसमें सब उपलब्ध है।

प्रदेश के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में

***11-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-**

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के छात्रध छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देने पर सरकार विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

जी हाँ।

प्रदेश के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पात्रता के आधार पर उपलब्ध बजट की सीमा तक उसी वित्तीय वर्ष में छात्रवृति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। यह पिछड़े समाज के उन साठ लाख बच्चों से जुड़ा सवाल है। जो उच्च शिक्षण संस्थानों में अपनी पढ़ाई करते हैं। उसी में से मैंने प्रश्न किया था कि पिछड़े समाज में जो नर्सिंग कॉलेजों में, जो पैरामेडिकल कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, उनको क्या सरकार फीस की प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप देगी ? तो सरकार की तरफ से कहा गया, मा0 मंत्री जी का उत्तर आया है कि इसमें बजट के आधार पर हम देखते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार यह पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्सेज में अधिकतम् 80 प्रतिशत बच्चे लड़कियों के रूप में पढ़ते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि पहले की सरकार थी, जो भी अर्थिक आधार तय था जितने बच्चे अर्थिक आधार पर अपना प्रतिपूर्ति स्कॉलरशिप आवेदन करते थे सबको मिलता था और समाजवादी पार्टी की

सरकार में मैंने लगातार देखा है कि इसको पहले की सरकार में लगातार मिलता रहा है। आज यह सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है कि पिछड़े समाज में जो वर्ग जिसकी आय नीचे है जो गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं उनमें भी जो हाई मेरिट वाले लोग हैं उनको ही देंगे सबको नही देंगे तो कहीं न कहीं यह शिक्षा से वंचित करने की साजिश है।

मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा जो सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी आप दे रहे हैं लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि जो सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को देने की बात कर रहे है उसमें सिर्फ लो इनकम मेरिट की बात नही कही जा रही है हाई मेरिट की बात नहीं की जा रही है लेकिन पिछड़े समाज के बच्चों के लिए हाई मेरिट के साथ साथ लो इनकम दोनो ही जोड़ा जा रहा है। इसलिए कहीं न कहीं जो बच्चे पढ़ते है, उनमें बड़ी संख्या में छूट जाते है, उनको प्रतिपूर्ति स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है।

दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में लगभग तीन लाख चौरानबे हजार बच्चे पैरामेडिक और नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ते है, इसमें से लगभग 50 प्रतिशत से ऊपर जो जुड़े हैं वह पिछड़े समाज के हैं। उनके साथ यह मुश्किलें है और साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों का आपने चयन भी कर लिया कि चलो यह लो मेरिट पर है, हाई मेरिट पर है, लो इनकम पर भी है, उसमें अगर किसी का बहत्तर हजार देना है तो पता चलता है कि आप बत्तीस हजार दे रहे हैं। किसी को 54 हजार देना है तो बाईस हजार चार सौ दे रहे हैं। किसी का छत्तीस हजार देना है तो उन्नीस हजार दे रहे हैं, जो जिसके आधार पर भी आता है। उनको भी आप पूरा नही दे रहे हैं। कहीं न कहीं यह बच्चों के साथ शिक्षा को वंचित करने की साजिश है और पिछड़े समाज को खासकर इनको शिक्षा से वंचित करने की पूरी की पूरी व्यवस्था हो रही है। तो इस पर मैं मा0 मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि यह क्या सभी बच्चों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से पिछड़े समाज के बच्चों को दिया जाता था, क्या सरकार ऐसे पिछड़े बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थानों में देने के लिए व्यवस्था करेगी ? मेरा तीन छोटा-छोटा प्रश्न है कि क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हाई मेरिट लो इनकम का फार्मूला समाप्त करके केवल लो इनकम का फार्मूला रखने का कोई आदेश देंगे ? यह पहला सवाल है। दूसरा प्रश्न है क्या मा0 मंत्री जी निर्धारित जो पूर्ण फीस उसकी सम्पूर्ण वापसी और छात्रवृत्ति दिलाने का काम करेंगे ? तीसरा प्रश्न यह है कि एक समस्या आ रही है कि जो इनका अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय है, पता क्या चलता है कि वो परीक्षा लेट कराते हैं। टेस्ट कराके एडमिशन लेट करते हैं और हमारे समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण की जो फॉर्म भरने की तिथि होती है, वह खत्म हो जाती है। उसके बाद एडमिशन होते हैं तो पता यह चलता है कि बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं तो मेरा यह प्रश्न है कि पूरे सत्र को माना जाए अगर प्रवेश नवम्बर में हो रहा है, दिसम्बर में हो रहा है, जनवरी में हो रहा है, मार्च तक हो रहा है, तो उसको उस सत्र में माना जाए। मेरा प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय जो मूल रूप से सारे मेडिकल और

पैरामेडिकल के बच्चों का टेस्ट कराके एडमिशन कराती है। अगर विलम्ब के कारण जब प्रवेश हो रहा है तो क्या परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि न मान करके पूरे सत्र को माना जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, अब आप उत्तर दें।

श्री नरेन्द्र कश्यप-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी जी ने जो प्रश्न पूछा था, उन्होंने उसके अन्यत्र बहुत सारे सवाल खड़े किये हैं फिर भी मै उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आपने कहा कि पिछड़े वर्गों के बच्चों की स्कॉलरशिप कुछ बच्चों को मिल पाती है, कुछ को नहीं मिल पाती है, और आपने कुछ स्कूल-कॉलेज का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य और मा0 सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि मा0 सदस्य इसी वर्ष के बजट का थोड़ा सा भी संज्ञान ले लें तो उनको यह बात समझ में आ जायेगी कि मा0 योगी जी की सरकार पिछड़े वर्गों के बच्चों की स्कॉलरशिप के लिये कितनी संवेदनशील है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष के बजट में हमारी सरकार ने स्कॉलरशिप की मद में 435 करोड़ रुपये की वृद्धि की है और यदि मैं कुल बजट के सापेक्ष मा0 सदस्य को जानकारी देना चाहूँ तो इस बजट में पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिये हमारी सरकार ने 527 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। आप कहते हैं कि आपकी सरकार में पिछड़ों का विकास हुआ, लेकिन हमारी सरकार में पहली बार पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास के सन्दर्भ में इतनी अच्छी स्थिति है। दूसरी बात, आपने बहुत सारे प्रश्न खड़े किये है। आपकी सरकार का ब्यौरा भी मेरे पास उपलब्ध है। यदि मैं वर्ष 2012 से 2017 के मध्य आपकी सरकार के द्वारा पिछड़े वर्ग के कल्याण में खर्च किये गये बजट की बात करूँ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो मूल प्रश्न है, मा0 मंत्री जी उसका उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, जो प्रश्न है आप उसका उत्तर दे दें।

श्री नरेन्द्र कश्यप-

मान्यवर, मै मा0 सदस्य के प्रश्न के अलावा किसी और बात को कहकर सदन का समय खराब नहीं करूंगा। आपके प्रश्न का जो मैं उत्तर दे रहा हूँ, वह आपको सुनना है। वर्ष 2012-2013 से 2016-2017 में व्यय की गयी धनराशि क्या है, अगर मैं पाँच वर्ष का विवरण प्रस्तुत करूँ तो आपकी सरकार में .....।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी प्रश्न को घुमा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कश्यप-

मा0 सदस्य, आप सुन तो लीजिये। आपको सुनना पड़ेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब मा0 सदस्य बोल रहे थे तो किसी ने व्यवधान उत्पन्न नहीं किया, इसलिये अब इनको उत्तर सुनना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप मेरी एक बात सुन लीजिये कि बहुत सारे अवसरों पर आप इस बात को कहते हैं कि पहले यह था, अब यह नहीं हो रहा है। आप स्वयं इस बात की चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कभी चर्चा करते थे। इधर से जो भी मा0 प्रश्नकर्ता हैं, वह कई अवसरों पर इस बात को कहते हैं कि हमने यह किया था, आपने यह किया था तो आप थोड़ा इधर भी सुन लीजिये। जब आपने प्रश्न पूछा तो मा0 मंत्री जी बीच में नहीं बोले इसलिये अब वह उत्तर दे रहे हैं तो अगर आपको उस पर कोई अनुपूरक पूछना होगा तो मैं आपको एक अवसर और दूँगा। मा0 मंत्री जी, आप बोलिये।

श्री नरेन्द्र कश्यप-

मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 2012 से 2013 और 2016 से 2017 तक का पाँच वर्षों का जो आपका रिकॉर्ड है, आप पिछड़ों की दुहाई देने की बात करते हैं, उसमें कुल धनराशि 06 हजार 928 करोड़ थी, हमारी पाँच साल की सरकार में आदरणीय योगी जी ने उस धनराशि को बढ़ाकर 08 हजार 121 करोड़ की है यानी आपकी सरकार से 1193 करोड़ रुपये अधिक धनराशि हमारी सरकार ने खर्च करके पिछड़ों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। मान्यवर, मा0 सदस्य के एक-दो सवाल और भी थे यदि आपकी आज्ञा हो तो उनका भी जवाब दे दूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, जवाब तो सभी का दीजिये।

श्री नरेन्द्र कश्यप-

मान्यवर, दो तरह की छात्रवृत्तियाँ है। एक तो पूर्वदशम् है और दूसरी दशमोत्तर छात्रवृत्ति है। सदन के संज्ञान में भी होगा और प्रदेश भी समझ पायेगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु संचालित पूर्वदशम् तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत व उत्तर प्रदेश में निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को, जिनके

माता-पिता एवं अभिवावक की समस्त स्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय 02 लाख रुपये तक है, को प्रचलित नियमावली के अनुसार उसी वित्तीय वर्ष में छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में ऑनलाईन भुगतान किये जाने की व्यवस्था प्रचलित है।

महोदय, पूर्व दशम छात्र योजना में कक्षा-9 एवं 10 के छात्र-छात्राओं को 150 रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 10 माह हेतु 750 तदर्थ अनुदान के रूप में एकमुश्त कुल 2250 रुपये दिए जाने की व्यवस्था है। अगला, दशमोत्तर छात्रवृत्ति जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर सम्मिलित है, मैं आपके मध्य बता रहा हूँ कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में पाठ्यक्रमों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। समूह एक, इस समूह में डिग्री व मास्टर डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम, एमफिल, पी0एच0डी0 समस्त चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट्स, सी0ए0 आदि के कोर्स सम्मिलित हैं। इस समूह के डे स्कॉलर को रुपये 550 प्रति माह तथा छात्रावासीय छात्रों को 1200 रुपये प्रति माह की दर से शिक्षण सत्र की अवधि के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। इन छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम 50 हजार रुपये की धनराशि दिए जाने का प्राविधान है। समूह दो, इस समूह में स्नातक, परास्नातक स्तरीय, डिग्री कॉलेज के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम यथा फार्मेसी, नर्सिंग परामेडिकल कोर्स तथा पुनर्वास निदान आदि। एल0एल0बी0, होटल मैनेजमेंट, बीएड तथा परास्नातक पाठ्यक्रम जो समूह एक में सम्मिलत नहीं है यथा एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0काम, एम0एड0 एवं एम0 फॉर्मा आदि कोर्स सम्मिलित हैं। इस समूह के छात्रों को 530 रुपये प्रति माह दिया जाता है।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

जी, आपको सबके प्रश्न में कुछ पूछना होता है, कुछ मैनडेटरी है क्या ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह विषय महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

कौन सा विषय महत्वपूर्ण नहीं है। आप बैठ जाओ। मूल प्रश्नकर्ता को प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यह बजट 6 हजार 928 करोड़ था। भारतीय जनता पार्टी की राज में यह बजट 8 हजार 121 करोड़ हो गया। ठीक है हम मानते हैं कि आपने बजट बढ़ाया है लेकिन उसी 6 हजार 928 करोड़ के बजट में हमने सभी पिछड़े समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति दी थी, उस समय कोई हाई मेरिट लो इनकम की बात नहीं थी। अगर आपने बजट बढ़ाया है तो आप उत्तर में

क्यों कह रहे हैं कि बजट होने पर बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे। आप सीधे-सीधे क्यों नहीं कह रहे हैं कि पिछड़े समाज के सभी बच्चों को हम देंगे जो उस क्राइटेरिया में आते हैं। आप बजट बढ़ाने की बात कर रहे हैं और फिर कह रहे है कि बजट होने पर देंगे, यह दोनों बातें विरोधाभाषी है। मैने आपसे पूछा था कि क्या आप लो इनकम और हाई मेरिट की प्रथा को समाप्त करके सिर्फ लो इनकम की बात करेंगे ? इस पर आपका कोई उत्तर नहीं आया है। दूसरी बात मैने पूछी थी कि निर्धारित फीस और प्रतिपूर्ति जो है, क्या उसको पूरा देंगे या आधा देंगे ? तीसरा प्रश्न मैने पूछा है कि फॉर्म भरने की समय सीमा यदि नवम्बर है, जब परीक्षा लेट होती है, यूनिवर्सिटीज लेट होती हैं तो क्या आप पूरे सत्र को मानेंगे ? मान्यवर, सीधा-सीधा उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी जो प्रश्न पूछा गया है, उसका शार्ट उत्तर दे दीजिए। क्योंकि अब हम अगला प्रश्न लेंगे इस प्रश्न पर 15-20 मिनट हो गये हैं।

श्री नरेन्द्र कश्यप-

मान्यवर, खासतौर से पूर्व दशम की कक्षाओं के फॉर्म भरने का समय बीच-बीच में छात्रों के आंकड़े पर बढ़ाया जाता रहा है ताकि कोई बच्चा आच्छादित होने से न रहे, इसलिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में थोड़ा समय लगता है।

प्रदेश में संचालित स्टेडियमों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रशिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

***12-श्री महबूब अली-**

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिलों मे स्टेडियम पूर्ण रूप से संचालित है तथा उनमें कुल कितने कोच के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने कोच नियुक्त है ? क्या सरकार सभी स्टेडियम मे समय सीमा निर्धारित कर कोच की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री गिरीश चन्द्र यादव)-

जी हां,

प्रदेश में 70 जनपदों में 82 स्टेडियम निर्मित एवं संचालित हैं। क्रीड़ाधिकारी के 59 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 45, उपक्रीड़ाधिकारी के 102 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 68, सहायक प्रशिक्षक के 48 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 04 प्रशिक्षक नियुक्ति हैं। इस प्रकार उक्त स्टेडियमों में प्रशिक्षण हेतु कुल स्वीकृत 209 पदों के सापेक्ष 117 स्थायी कोच नियुक्त हैं। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में 201 अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक भी तैनात हैं। इस प्रकार वर्तमान में कुल 318 प्रशिक्षक नियुक्त हैं।

स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री महबूब अली-

माननीय अध्यक्ष जी, शुक्रिया आपका पहले शिष्टाचार भेंट हो जाये मंत्री जी कौन से है ?

श्री अध्यक्ष-

जब आप प्रश्न पूछेंगे, वह अपने आप खड़े हो जायेंगे।

श्री महबूब अली-

माननीय अध्यक्ष जी, इसी बहाने परिचय हो जाये तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष-

अभी परिचय होगा, आप प्रश्न पूछिये तो।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, खेलो इण्डिया माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से और माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से लगातार कहा जाता है कि नौजवान पढ़ाई के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में भी आगे प्रशिक्षित हो। मेरा सीधा सवाल है कि कितने कोच आज उत्तर प्रदेश में हैं ? मैंने कोच की बात की थी, सहायक कोच की बात की थी और दूसरी कोई बात नहीं की थी। माननीय मंत्री जी का जवाब पता नहीं क्या आया ? इसीलिए मैंने खैरियत पूछी क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि सही स्वास्थ्य वाला इस तरह का जवाब नहीं दे सकता। जहां तक व्यवहारिकता देखें तो ज्यादातर स्टेडियम में बहुत सारे खेल तथा उनके कोच नियुक्त नहीं है। 75 जिलों में से स्वीमिंग पूल सिर्फ 37 में उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय स्वीमिंग पूल सैफई में बना है आप जाकर देखियेगा किसी दिन। इकाना स्टेडियम किसी दिन होकर आईयेगा और उसे देखकर आईयेगा। क्रीड़ाधिकारी अमूमन प्रशासनिक कार्य में जिला क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी का कार्य समय-समय पर देख रहे है। यही कोच है। वह आज कल बोर्ड की परीक्षा में लगे है। शायद वह अब भी नहीं देख पा रहें। माननीय मंत्री जी मैं चाहूंगा कि इन क्रीड़ाधिकारियों द्वारा दिये गये पिछले 10 साल के नहीं एक साल के प्रशिक्षण के बारे में मुझे बता दें या पटल पर रख दें। पूरा सदन सुन लेगा कि क्या हो रहा है ? माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि 209 के सापेक्ष 117 स्थायी कोच नियुक्त हुए।

मैंने जानना चाहा था कि स्टेडियम में कितने कोच हैं जिनका कार्य शुद्ध प्रशिक्षण देना है। 1972 में गठित खेल विभाग में स्वीकृत 48 सहायक कोचों के पदों के सापेक्ष सिर्फ 4 सहायक कोच हीं नियुक्त हैं। स्थायी कोच तो प्रदेश में एक भी नहीं है। सहायक कोचों की पदोन्नति करके उप क्रीड़ाधिकारी के पद पर भेज दिया जाता है। उनसे कोच का काम कतई नहीं लिया जाता। भारतीय खेल प्राधिकरण में भी सहायक कोच से कोच के लिए पदोन्नति करने

को कहा गया है। उससे खेल का काम नहीं लिया जा रहा है। उससे उपकीड़ाधिकारी और जिला कीड़ाधिकारी का काम लिया जा रहा है। कोरोना काल में जब प्रदेश सरकार और सभी लोग व्यक्तिगत रूप से जरूरत मंदों के लिए लगे थे। पहले से प्रशिक्षित लोगों की भारी कमी होने के कारण उस काल में खेल विभाग ने अपने प्रदेश के 377 प्रशिक्षित कोच जो अंशकालीन मानदेय पर थे, उनको हटा दिया। यानी जो टैम्पेरेरी रखे थे, उन 377 प्रशिक्षक को भी कोरोना काल के वक्त हटा दिया। वे कोर्ट चले गये। कोर्ट जाने के बाद 9 लोगों को राहत मिली। मैं बल देकर कह रहा हूं कि एक भी कोच आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टेडियम में नहीं है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि मा0 मंत्री जी सभी अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग से रखा जा रहा है और अंशकालिक से रखना खत्म कर दिया है। अंशकालिक प्रशिक्षकों को विभाग द्वारा रख कर 2250 स्थायी कोच के पदों पर स्वीकृति करने की आज जरूरत है। मेरे अमरोहा में बन स्टेडियम के हालात देख लीजिए कि स्टेडियम की बनी दीवार गिर गयी है और आपने बनाया है और आपने जिस ठेकेदार से बनवाया है, उसकी जाँच तक नहीं की गयी है। मौहम्मद शमी क्रिकेटर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा है और निर्भय सिंह हैमर थ्रो का खिलाड़ी भी मेरे ही क्षेत्र का है।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता है यह लोग कौन से खेल खेलते है मैं यह नहीं जानता हूँ और इनके जमाने में खेल मंत्री कौन थे, मैं यह भी नहीं जानता हूँ लेकिन मैं निश्चित रूप से यह बताना चाहता हूँ कि जो हमारे क्रीड़ा अधिकारी होते है किसी न किसी खेल के वह एक स्पेशलिस्ट होते हैं, चाहे जितने भी खेल हो। इसी तरह से हमारे उप क्रीड़ा अधिकारी जो तैनात होते है, वह भी किसी न किसी खेल के स्पेशलिस्ट होते है। हमारे जो सहायक प्रशिक्षक होते है, उनकी भी गतिविधि यही रहती है, किसी न किसी खेल के प्रशिक्षक होते है। मा0 सदस्य ने जो पूछा था कि कुल कितने कोचों की नियुक्ति आप ने की है तो हमने पूरा टोटल बताया है कि हमने 117 कोचों की तैनाती की है और जहाँ तक सवाल अंशकालिक प्रशिक्षक का है तो मैं जिक्र करना चाहूँगा कि अंशकालिक प्रशिक्षक की प्रक्रिया वर्ष 1996 से प्रारम्भ हुई है। उस समय 250 अंशकालिक प्रशिक्षक रखने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी और वर्ष 2006 में 250 से बढ़ाकर 100 जोड़ दिया 350 हुआ और वर्ष 2015 में 100 और बढ़ गया 450 हुआ। 450 प्रशिक्षक रखने की शासन की अनुमति थी। जिस समय हम लोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहे थे, उसी समय भारत सरकार की गाइडलाइन आयी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम करेंगे। उसके बाद आउट सोर्सिंग के माध्यम से हमने उसकी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी और मान्यवर, जो आप बात कह रहे हैं, मैं उसकी आपके बीच इस बात की। 9-10 मार्च को 450 कोचों की नियुक्ति में हमने

64 अंशकालिक प्रशिक्षक और नियुक्त किये और 1 जुलाई, 2021 को हमने इनकी तैनाती कर दी और अगर आपको सूची भी चाहिए तो हम उसकी सूची भी उपलब्ध करा देंगे कि कहां-कहां तैनात है और किस-किस खेल के है और दूसरे चरण में हमने 15-16 अक्टूबर, 2021 को ट्रायल करवाया और उसमें 115 अंशकालिक प्रशिक्षक नियुक्त किये और 1 नवम्बर, 2021 को उनकी तैनाती कर दी गयी। अगर इसकी सूची भी चाहिए तो हम उपलब्ध करा देंगे कि वह किस-किस जिलों में तैनात है और तीसरे चरण जब हमने शुरू किया तो 6 जनवरी, 2022 को ट्रायल लिया तो उसमें 58 अंशकालिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति हुई और इसके बाद मा0 उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत हुई। जो मा0 सदस्य कह रहे है, मैं उसके संदर्भ में भी बताना चाहता हूँ और मा0 उच्च न्यायालय में जो याचिका प्रस्तुत हुई थी, उसमें स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था।

(श्री महबूब अली, सदस्य द्वारा अनुपूरक पूछने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय महबूब अली जी, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं। मैंने आपको प्रश्न पूछने के लिए आठ मिनट का समय दिया है। मैंने इससे पहले कभी किसी माननीय सदस्य को इतना समय अनुपूरक पूछने के लिए नहीं दिया होगा।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको संरक्षण दिया लेकिन आप आठ मिनट में भी प्रश्न नहीं पूछे पाये।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में एक कोच भी हो तो माननीय मंत्री जी उसका नाम बता दें।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारी योगी सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। दिनांक 27 अगस्त, 2021 को हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 266 पदों को स्वीकृत करने की घोषणा की है जिसमें 16 पद कीड़ाधिकारी, 100 पद उप कीड़ाधिकारी, 150 पद सहायक प्रशिक्षक के है। इसी के साथ-साथ हमारी सरकार ने 50 पदों पर अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है जिसके बाद हमने 10 प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है।

प्रदेश में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा रोजगार सृजन हेतु उपलब्ध कराए गये ऋण के सम्बन्ध में

***13-श्री राजेन्द्र कुमार-**

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वरोजगार योजना के आरम्भ से वर्तमान तक कुल कितने लाभार्थियों को रोजगार सृजन हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया है उसमें से कितने लोगों ने रोजगार प्रारम्भ कर दिया है तथा ऋण प्राप्त करने वालों में से कितने लोगों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जा चुकी है ? क्या सरकार जिन लोगों को विभाग द्वारा सब्सिडी नहीं दी गयी और बैंक ने आर0सी0 काट दी है ऐसे लाभार्थियों के ऋण भुगतान की कार्यवाही विभाग से करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री (श्री राकेश सचान)-

स्वरोजगार योजना (मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना) के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 से वर्तमान तक अर्थात् दिनांक 14 फरवरी, 2023 तक 54112 पात्र इकाइयों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 46536 इकाइयों ने रोजगार प्रारम्भ कर दिया है। योजनान्तर्गत 45454 पात्र इकाइयों को सब्सिडी (ब्याज उपादान) उपलब्ध करायी गई है।

जी नहीं।

लाभार्थी को बैंक से प्राप्त पूँजीगत ऋण पर विभाग द्वारा ब्याज उपादान का लाभ दिया जाता है। लाभार्थियों को ऋण देने का कार्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से निर्धारित बैंकिंग नियमों के अनुसार किया जाता है। बैंक द्वारा ऋण वसूली हेतु आर0 सी0 काटने के मामले में ऋण के भुगतान का कोई प्राविधान योजना में नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से चलाये जाने वाले खादी ग्रामोद्योग विभाग पर मुझे अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पहली बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि खादी ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारी इतने संवेदनहीन हैं कि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं भेजा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न का उत्तर सबकी डिवाइस पर उपलब्ध है।

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, मेरे पास उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

पूरे सदन के पास यह उत्तर है। यहां पर कोई भी ऐसा माननीय सदस्य नहीं है जिसकी डिवाइस पर उत्तर उपलब्ध न हो। आप चाहें तो अभी देख सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सरकार से पूछा था कि खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अन्दर स्वरोजगार योजना के तहत अब तक कितने लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है और कितने लोगों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। मैं आपके माध्यम से अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

जब आप सरकार द्वारा दिया गया उत्तर ही नहीं देख पा रहे हैं तो अनुपूरक प्रश्न किस प्रकार से करेंगे। आपको सदन में बैठे हुए एक घण्टा दस मिनट का समय हो गया है और आपको अपनी डिवाइस पर देख लेना चाहिये था। यदि आप वहां न देख पाते तो आपको अपने बगल के माननीय सदस्य से जानकारी कर लेनी चाहिये थी। आप हमें बताते तो हम आपके सहयोग के लिए स्टाफ से कह देते।

श्री राजेन्द्र कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि विभाग द्वारा जिन लोगों को सब्सिडी नहीं दी गई है और बैंक ने आर0सी0 काट दी है तो क्या ऐसे लाभार्थियों का ऋण भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने इसमें उत्तर दिया है कि जी नहीं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश जी जब माननीय सदस्य के पास उत्तर ही नहीं है, तो वह अनुपूरक कहाँ से पूछेंगे। आप बहुत वरिष्ठ हैं और सात-आठ बार के विधायक हैं, आप ही इनकी मदद कर दीजिये। जिस बिन्दु पर उत्तर दे दिया गया है उस बिन्दु को अनुपूरक नहीं बनाया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, जिन मामलों में लाभार्थी की कोई गलती नहीं है और विभाग ने उनको सब्सिडी नहीं दी है, उसमें लाभार्थी से वसूली नहीं होनी चाहिये। विभाग का चक्कर लगाते-लगाते लाभार्थी की चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन विभाग उसकी सुनवाई नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष-

कोई ऐसा स्पेसिफिक मामला हो तो आप बता दीजियेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे मामलों में विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इस पर उत्तर दे दीजिये।

श्री राकेश सचान-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के प्रश्न का पूरा उत्तर दिया जा चुका है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जिन लोगों को विभाग द्वारा सब्सिडी नहीं दी गई है और बैंक ने आर0सी0 काट दी है, तो क्या विभाग द्वारा ऐसे लाभार्थियों के ऋण भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे विभाग की इस योजना में हम लोगों को ऋण में ब्याज का उपादान देते हैं और जिन लोगों ने ऋण ले लिया और नियमानुसार इकाई नहीं लगाई तो बैंक आर0सी0 काट देगी और उसमें विभाग के पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम उसकी भरपाई करें।

श्री अध्यक्ष-

अगर उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो भरपाई नहीं करते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, मेरा सवाल है कि उनके द्वारा लगाने के बाद भी सब्सिडी नहीं दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

जिन्होंने शर्ते पूरी की हैं, उन्हें सब्सिडी दी जायेगी और यदि ऐसे कोई व्यक्ति हों तो आप मा0 मंत्री जी को बता दीजियेगा तो उनको भी मा0 मंत्री जी सब्सिडी उपलब्ध करायेंगे।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के सम्बन्ध में

***14-डॉ0 रागिनी-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

दिनांक 12-01-2014 से दिनांक 27-02-2023 तक कुल 3,34,53,402 किसान पोर्टल पर पंजीकृत हैं। पंजीकरण के सापेक्ष दिनांक 05-10-2015 से दिनांक 16-02-2023 तक लाभान्वित कृषकों का मदवार विवरण निम्नवत् है :-

मद	लाभार्थियों की संख्या
सामान्य बीज	66,17,779
संकर बीज	18,08,598
कृषि यंत्र	2,26,277
कृषि रक्षा उपकरण	2,70,356
अन्य	26,11,182
कृषि रक्षा रसायन	12,32,058
खेत तालाब	30,771
बखारी	54,528
योग	1,28,51,549

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया है, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ।

मेरा सवाल मा0 समाज कल्याण मंत्री जी से है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएं हैं और क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं ? इसका जो जवाब आया है, वह इस प्रकार है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसमें से ज्यादातर योजनाएँ भारत सरकार की हैं। इसमें प्रदेश की सरकार क्या कर रही है और हमारे मा0 सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि बीरबल ने अकबर के लिए एक हवा में महल बनवा दिया था और उसकी तारीफें तोता-मैना कर रहे थे, तो यह योजनाएं भी बिल्कुल इसी तरह से लग रही हैं। देश की आधी आबादी हमारी महिलाओं की है और उसमें भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सशक्त करने

के लिए आपके पास कोई ठोस योजनाएँ नहीं हैं। यह अपने में ही एक बड़ा गम्भीर विषय है। जिन योजनाओं का जिक्र मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में किया है, उसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इन्हें महिलाओं के लिए किया जा रहा है या फिर इसे ओवर ऑल तरीके से किया जा रहा है।

मेरा सवाल मा0 मंत्री जी से यह है कि आपको फाइलों एवं किताबों में जो योजनाएँ हैं, उनको सरकार द्वारा जनमानस तक पहुँचाने के लिए क्या-क्या योजनाएँ बनाकर उसे प्रसारित किया गया है और उससे कितनी संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को नौकरी एवं रोजगार या फिर व्यापार मिला है। साथ-ही-साथ मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि इन्होंने अपने उत्तर में बहुत सारे राजकीय विश्वविद्यालय का जिक्र किया है, तो इसमें से ऐसे कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं, जो आपके द्वारा स्थापित किए गये हैं, वहां पर कितनी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा बोला गया था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बच्चियाँ अगर 12वीं के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाती हैं तो उनके लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। आप उसका एक विवरण सदन में प्रस्तुत कर दें। क्या सरकार छात्रवृत्ति को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? आपकी योजनाओं में स्किल डेवलपमेंट की बात कहीं पर भी नहीं कही गयी है। इसलिए मैं पूछना चाहूँगी कि महिलाओं को इन्करेज करने के लिए क्या आपकी तरफ से स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम किए गये हैं जिसमें महिलाएं सशक्त हुई है ? साथ-ही-साथ हेल्थ का कोई भी ब्यौरा नहीं मिला है, क्योंकि मैं जिस समाज की महिलाओं की बात कर रही हूँ, उसमें से ज्यादातर महिलाएँ अशिक्षित हैं और वह बिलो पॉवरटी लाइन है। तो क्या उनको माल न्यूट्रिशन के लिए, सेनेटरी नैपकिन के लिए कोई भी अवेयरनेस स्कीम बनाई गयी है ?

श्री असीम अरुण-

मान्यवर, मा0 सदस्या ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इसका बहुत विस्तृत जवाब है किन्तु मैं सूक्ष्म में उत्तर देने का प्रयास करता हूँ और जो अन्तिम विषय मा0 सदस्या डॉ0 रागिनी जी ने रखा है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जनजातीय कल्याण एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि लखनऊ के के0जी0एम0यू0 का एक मेडिकल दल थारू जाति के समाज के लिए चिंतित है और एक दल बलरामपुर एवं एक दल लखीमपुर के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इन दोनों दलों में चिकित्सक यानी प्रशिक्षिक एवं स्टूडेंट भी हैं और जो जनजातीय कल्याण विभाग है और दोनों क्षेत्रों में थारू विकास परियोजना के जो अधिकारी हैं, वह उनको लोकल सपोर्ट दे रहे हैं और काम चल रहा है।

यह एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसी बहुत सारी योजनाएँ हैं और हमने यहाँ जो जवाब प्रस्तुत किया है उसमें 11 ऐसी योजनाएं अनुसूचित जाति कल्याण की हैं, जिसमें महिलाएँ कुछ में विशिष्ट रूप से एवं कुछ में सामान्य रूप से शामिल हैं। इसी प्रकार, 11 योजनाएँ प्रस्तुत की

गयी है जो जनजाति कल्याण की हैं लेकिन सबसे बड़ी जो माननीय सदस्य ने पूछी है, कि जो विशेष घटक योजनाएं हैं, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान है, उसके तहत लगभग सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक अंश निर्धारित किया गया है एवं आरक्षित किया गया है और उसके तहत कार्य किया जाता है। समाज कल्याण विभाग में एक कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ बनाया गया है। जो इसका निकटता से पर्यवेक्षण करता है।

विशिष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि जैसे मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना है, मा0 सदस्य ने जानना चाहा कि हमने कोचिंग के लिए बोला था, बिल्कुल कोचिंग के लिए वायदा किया गया था। मा0 मुख्य मंत्री जी ने जिस समय कोविड चल रहा था, सारी कोचिंग बन्द कर दी गयी थीं तो उसे ऑनलाइन किया और अब ऑनलाइन/ऑफलाइन यानी हाईब्रिड मोड में मुख्य मंत्री अभ्युदय कोचिंग चल रही है। आपको बताते हुए और इस सदन को बताते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष है कि अभी जो पी0सी0एस0 का रिजल्ट आया उसमें 09 छात्र एस0डी0एम0 डायरेक्ट बने, 04 डी0एस0पी0 बने और कुल 43 बच्चों का सलेक्शन इस प्रकार हुआ.....

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

सबसे अच्छी बात यह है कि बाबा साहब ने जो अवसर की समानता की बात कही है, यह योजना उसका सबसे बड़ा प्रतिरूप है, क्योंकि यह सभी वर्गों के लिए है और सभी वर्गों के लिए फी है। जो टैब नहीं अफोर्ड कर सकता, उनको हम टैब देते हैं, बाकी सबके लिए समान रूप से फ्री है।

डा0 रागिनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो भी जवाब दिया उसमें कुछ चिन्हित शहर जैसे लखनऊ और उसके आस-पास की जो जगहें हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है तो उस पर मैं बोलना चाहूँगी और साथ ही साथ यह भी पूछना चाहूँगी कि भारत सरकार के द्वारा जो सरकारी खरीद है, उसमें 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण दिया गया है कि उनसे लिया जाएगा। उन्हीं पदचिन्हों पर चलकर क्या उत्तर प्रदेश सरकार वह भी आपकी जितनी भी सरकारी खरीद है, उसमें पांच प्रतिशत का आरक्षण देगी ? और साथ ही जितनी भी योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं में जो कॉम्प्लीकेशन्स हैं, वह इस वजह से है, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति में हमारे क्या नम्बर्स हैं, कितने लोग है इसमें ? मैं आज पूरे सदन से, मा0 वित्त मंत्री जी से, सारे आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, आप सबसे यह पूछना चाहती हूँ कि हमारी जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएँ हैं उनकी नम्बरिंग एवं जाति जनगणना का जो विषय है, क्या जातीय जनगणना करायी जाएगी और उनका हक उन्हें दिया जाएगा ?

श्रीमती पूजा-

मान्यवर, आपने इस विषय पर मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल जानना चाहूंगी क्या डबल इंजन की सरकार एस0सी0/एस0टी0 की महिलाओं को, महिला वर्ग के अन्तर्गत शिक्षा व नौकरियों में अवसर की समानता देगी ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? और ये स्पेशली यूपीपीसीएस के संदर्भ में है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा हम लोगों को जो आरक्षण प्रदान है, वह दो सिद्धान्तों के माध्यम से है, एक है क्षतिपूर्ति का न्याय सिद्धान्त, एक है वितरण का सिद्धान्त। क्षतिपूर्ति के न्याय सिद्धान्त के एकार्डिंग है कि इन जातियों की क्षति हुई है और आरक्षण मिलना चाहिए, इसके एकार्डिंग तो आरक्षण मिला है, लेकिन वितरण के सिद्धान्त पर आरक्षण नहीं मिला है। वितरण के सिद्धान्त में वे पीछे रह जाती हैं, जो डॉमिनेटिंग कास्ट की महिलाएँ हैं वे ही इस आरक्षण का फायदा उठा पाती हैं। तो मेरा बस इतना-सा सवाल है कि एस0सी0/एस0टी0 की महिलाओं को महिला वर्ग के अन्तर्गत शिक्षा एवं नौकरियों की समानता क्या सरकार देगी ? और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार अपने पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर जैसे बिहार, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में जहाँ पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण है, वहीं उत्तर प्रदेश में 33 प्रतिशत का आरक्षण क्यों है ?

श्री अध्यक्ष-

आप दोनों का उत्तर एक साथ दे दीजिए।

श्री असीम अरुण-

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसमें गार्ड का डिब्बा भी है, यह देखने के लिए कि कोई पीछे न छूट जाए, क्योंकि सबका साथ है, सबका विकास है। पहले साथ है, फिर विकास है।

मान्यवर, मुझे यह भी बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एक सत्र विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री योगी जी के निर्देश पर रखा गया था, जो इस बात पर था कि किस प्रकार निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ, कारपोरेशन, पीएसयू, स्वयं कानून से आगे बढ़कर एफरमेटिव एक्शन के नाम से योजनाएँ संचालित कर रही हैं और अच्छे-अच्छे विचार इसमें आए। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया, वह मैं अलग से कभी इसको डिटेल में रखूँगा। जो विषय विशेष रूप से अभी आए, एक ही उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा। आश्रम पद्धति विद्यालय, जिन्हें हम सर्वोदय विद्यालय बोलते हैं। ऐसे कुल 94 विद्यालय अनुसूचित जाति के बजट से संचालित किए जा रहे हैं और 09 ऐसे विद्यालय हैं, जो अनुसूचित जनजाति के बजट से हैं, 02 एकलव्य विद्यालय हैं, इनमें हमारी बच्चियों के लिए भी विशेष प्रबन्ध किए गए हैं और हमारी बच्चियाँ यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं, 12वीं के बाद

वह आगे बढ़ रही हैं। मान्यवर, अभी एक तात्कालिक पहल की गयी है, जिसमें प्रत्येक ऐसे विद्यालय, कुल 104 होते हैं, जो मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, चर्चा की थी, प्रत्येक ऐसे विद्यालय को मुख्य मंत्री अभ्युदय की कोचिंग के रूप में भी बना दिया गया है, ताकि जो बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, अब आगे ऊँची उड़ान भर पायें।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

डा0 रागिनी-

मान्यवर, मैंने उनकी जातीय जनगणना के बारे में पूछा था, उसका उत्तर आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

वह उनका विभाग नहीं है, उन्हें जातीय जनगणना नहीं बतानी है, आप बैठिए। माननीय अवधेश जी, आप भी बैठिए। प्रश्नों का समय समाप्त।†

प्रदेश के किसानों को खाद तथा बीज क्रय करने में दी जा रही छूट की सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में

***15-श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को खाद तथा बीज क्रय करने में दी जा रही छूट की सीमा बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में कृषकों को उर्वरकों की आपूर्ति प्रदेश की आवश्यकतानुसार भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा उर्वरकों पर अनुदान भारत सरकार के स्तर पर निर्धारित किया जाता है। वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोत्तरी होने के कारण माह अक्टूबर, 2022 में भारत सरकार द्वारा डी0ए0पी0 उर्वरक के प्रति 50 किग्रा0 बैग पर दिये जा रहे अनुदान को रु0 2421.65 एवं एन0पी0के0 (12:32:16) के 50 किग्रा0 बैग पर अनुदान रु0 1848.25, इसके अतिरिक्त एम0ओ0पी0 पर प्रति 50 किग्रा0 बैग पर अनुदान रु0 709.40 दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा खेती की लागत को कम किये जाने हेतु कृषकों को उर्वरकों पर अनुदान दिया जा रहा है।

इसी प्रकार वर्तमान में विभिन्न फसलों के बीजों पर केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य सरकार से देय विशेष अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक कृषकों को अनुमन्य किया गया है।

केन्द्र पोषित योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य से अधिक बीज वितरण पर अथवा केन्द्रीय योजनाओं से अनाच्छादित जनपदों में वितरित बीज पर भी राज्य सरकार से बीज मूल्य के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान अनुमन्य किया गया है।

---

† नोट :-नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न सं0-14 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

बीज ग्राम योजना अन्तर्गत गेहूँ एवं धान के बीज पर अन्य केन्द्रीय योजनाओं के समतुल्य अनुदान की धनराशि दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान अनुमन्य किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

***16-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में जहरीली शराब के उत्पादन, बिक्री एवं तस्करी की प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में

***17-श्री जगदीश नारायण तथा श्री तुफानी सरोज-**

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जहरीली शराब पीने के कारण जनवरी, 2020 से अगस्त, 2022 तक नागरिकों की आकस्मिक मृत्यु की घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या सरकार ने प्रदेश में जहरीली शराब के उत्पादन बिक्री एव तस्करी की प्रभावी रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जी हाँ।

प्रदेश के जनपदों से प्राप्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2020 में 18 व्यक्तियों की अवैध शराब पीने से मृत्यु हुई है, वर्ष 2021 में 95 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, माह जनवरी व फरवरी, 2022 में 09 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, इस प्रकार वर्ष 2020 से अगस्त, 2022 तक कुल 122 व्यक्तियों की मृत्यु की घटना संज्ञान में आई है। माह मार्च, 2022 से अद्यतन तक अवैध शराब पीने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की घटना संज्ञान में नहीं आई है।

जी हाँ।

अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोक-थाम के लिए आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों के अपराध निरोधक क्षेत्रों में तैनात आबकारी स्टाफ द्वारा निरन्तर प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रभार स्तर पर कार्यरत आबकारी की प्रवर्तन इकाइयों द्वारा उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के निर्देश पर पृथक-पृथक तथा जनपदों के सहयोगार्थ अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के उन्मूलन के लिये कार्य किया जाता है। अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिये समय-समय पर विभाग द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाता है। प्रवर्तन अभियान को प्रभावी बनाये जाने हेतु प्रशासन, पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीमें गठित कर अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2022-23 में अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु प्रशासन, पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीमें गठित कर अब तक छः विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये गये।

प्रथम विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 21-04-2022 से 05-05-2022 तक चलाया गया, जिसमें 4,319 अभियोग पंजीकृत कर 1,25,608 ली0 कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

द्वितीय विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 21-06-2022 से 05-07-2022 तक चलाया गया है, जिसमें 4,278 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 1,17,771 ली0 कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

तृतीय विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 16-08-2022 से 30-08-2022 तक चलाया गया जिसमें 4,627 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 1,26,233 ली0 कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

चतुर्थ विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 01-10-2022 से 10-10-2022 तक चलाया गया जिसमें 2,481 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 62,601 ली0 कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

पंचम विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 21-10-2022 से 30-10-2022 तक चलाया गया जिसमें 2,506 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 62,084 ली0 कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी तथा

षष्ठम विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 21-12-2022 से 05-01-2023 तक चलाया गया, जिसमें 4,173 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 1,05,628 ली0 कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

उक्त के अतिरिक्त आम-जनमानस को अवैध शराब के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जनपदों में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पैम्पलेट वितरित कर तथा विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से भी जन जागरूक किया जाता है। जन सामान्य से अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु आबकारी मुख्यालय, प्रयागराज में टोल फ्री नम्बर 14405 एवं व्हाट्सएप नम्बर-9454466019, 24x7 क्रियाशील है। उक्त टोल फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त टोल-फ्री नम्बर को मदिरा की दुकानों पर अंकित/चस्पा कराया गया। इन पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं के आधार पर भी कार्यवाही की जाती है। अवैध शराब से होने वाली जनहानि एवं राजस्व की क्षति पर कड़ाई से नियंत्रण करने के लिए संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा संशोधित, 2018) के दण्डक प्राविधानों को और कड़ा करते हुये जुर्माने की धनराशि में कई गुना वृद्धि की गयी है

तथा अधिनियम में नई धारा-60(क) जोड़ते हुए अवैध शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाओं के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास/मृत्युदण्ड तक का प्राविधान किया गया।

आबकारी विभाग द्वारा मदिरा की गुणवत्ता के दृष्टिगत ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत शराब की बोतलों आदि पर बार कोड चस्पा कर वैध मदिरा की पहचान उपभोक्ताओं के लिए आसान कर दिया गया है, जिससे कि दुकानों से अवैध मदिरा की बिक्री न हो सके।

इसी क्रम में मिथाइल अल्कोहल के उपभोग से होने वाली दुःखद घटनाओं की रोकथाम के लिए प्वायजन्स एक्ट, 1991 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली, 1994 यथा संशोधित 2014 के अन्तर्गत मिथाइल अल्कोहल को कब्जे में रखने व विक्रय करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल तथा आगरा एक्सप्रेस-वे पर प्राइवेट वाहनों से टोल टैक्स को समाप्त करने के सम्बन्ध में

***18 डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट वाहन क्रय करने पर वाहन रजिस्ट्रेशन के समय रोड टैक्स जमा कराया जाता है तथा प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर भी रोड टैक्स लिया जाता है किन्तु वाहनों से पूर्वांचल तथा आगरा एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स की भी वसूली की जाती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त एक्सप्रेस-वे पर प्राइवेट वाहनों से टोल टैक्स को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0 तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी")-

जी हाँ।

जी नहीं। पूर्वांचल तथा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का निर्माण इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अनुसार शासकीय अनुदान एवं बैंकों से स्वीकृत ऋण के आधार पर किया गया है। यूपीडा को बैंकों/हडको से उनकी शर्तों के अधीन ऋण लेने हेतु शासन द्वारा बैंक गारण्टी दी गयी है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे (पथकर उहग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-3 के उपनियम (1) में दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत वर्ष 2017-18 के लिए अधिसूचना संख्या-02/2018/235/77-3-2018-37एम/12, दिनांक 15-01-2018 द्वारा फीस की आधार दर नियत करके पथकर (टोल) की वसूली की व्यवस्था की गयी है। निर्धारित टोल की आधार दरों के अनुसार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे एवं पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हेतु विभिन्न वाहनों के लिए आगणित टोल दरों पर टोलिंग

प्रारम्भ करने के दिनांक से 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। उक्त अधिसूचना दिनांक 15-01-2018 में टोल दरों में उपरोक्त 2017-18 आधार दरों (दिसम्बर, 2016 की डब्ल्यू0पी0आई0 343.32 पर आधारित) पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के बोर्ड को अधिकृत किया गया है, जिसके आधार पर वर्षानुवर्ष यूपीडा द्वारा टोल टैक्स निर्धारित की जाती है। अतः बैंकों से लिए गये ऋण पर देय ब्याज के कारण प्राइवेट वाहनों से टोल टैक्स को समाप्त किये जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु सभी विभागों में खिलाड़ियों का निश्चित कोटा आरक्षित करने के सम्बन्ध में

***19-डॉ0 अजय कुमार**

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु सभी विभागों में खिलाड़ियों का निधित कोटा आरक्षित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हां

प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु सभी विभागों में खिलाड़ियों का निश्चित कोटा/आरक्षण आदि की व्यवस्था निम्नानुसार की गयी है:-

1-कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा (उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2014 द्वारा विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल, राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को अंक दिया जाना।

2-कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा उ0प्र0 सरकारी विभाग उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली, 2022 द्वारा 02 प्रतिशत रिक्तियां, राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में समूह 'ग' के पदों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के माध्यम से भरे जाने हेतु आरक्षित किये जाने की व्यवस्था है।

3-कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा उ0प्र0 सरकारी विभाग उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बिना पारी की पदोन्नति नियमावली, 2022 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में समूह ख, ग एवं घ के पदों पर खेल उपलब्धि के आधार पर बिना पारी की पदोन्नति की व्यवस्था की गयी है।

4-खेल अनुभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों हेतु ''उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022'' प्रख्यापित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

***20-श्री रविदास मेहरोत्रा-**

[03-मंगलवार के तारांकित प्र0 सं0-02 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद कुशीनगर के पडरौना अन्तर्गत जिला मुख्यालय रविन्द्रनगर धूस में मण्डी समिति द्वारा दुकान एवं गोदाम निर्माण विषयक

1-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत जिला मुख्यालय रविन्द्र नगर धूस में मण्डी समिति के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया है किन्तु मण्डी समिति में व्यापारियों के लिए दुकान एवं गोदाम नहीं बना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डी समिति में दुकान एवं गोदाम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

प्रथम चरण में नवीन मण्डी स्थल पड़रौना की चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग गोरखपुर के पत्रांक- 1541 1सी/रा0मा0-727/22, दिनांक 05-12-2022 के माध्यम से सूचित किया गया है कि नवीन मण्डी स्थल पड़रौना की फ्रंट बाउण्ड्रीवाल से होकर बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है परन्तु अभी तक फाइनल ले-आउट उपलब्ध नहीं कराया गया है।

लोक निर्माण विभाग से प्रस्तावित बाईपास का फाइनल ले-आउट प्राप्त होने के पश्चात् वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत नवीन मण्डी स्थल का ले-आउट एवं निर्माण सम्बन्धी अग्रतर निर्णय लिया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में ''पारदर्शी किसान सेवा योजना'' के सम्बन्ध में

2-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान सेवा योजना प्रचलन में है ? यदि हाँ, तो वर्तमान में कितने पंजीकरण हुए है तथा पंजीकरण के सापेक्ष कितने किसानों

को किस-किस मद में लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

दिनांक 12-01-2014 से दिनांक 27-02-2023 तक कुल 3,34,53,402 किसान पोर्टल पर पंजीकृत हैं। पंजीकरण के सापेक्ष दिनांक 05-10-2015 से दिनांक 16-02-2023 तक लाभान्वित कृषकों का मदवार विवरण निम्नवत है :-

लाभार्थियों की संख्या	**मद**
सामान्य बीज	66,17,779
संकर बीज	18,08,598
कृषि यंत्र	2,26,277
कृषि रक्षा उपकरण	2,70,356
अन्य	26,11,182
कृषि रक्षा रसायन	12,32,058
खेत तालाब	30,771
बखारी	54,528
योग :	**1,28,51,549**

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में ''यू0पी0 कौशल विकास मिशन'' योजनान्तर्गत पंजीकृत युवाओं को रोजगार देने के सम्बन्ध में

3-डा0 पल्लवी पटेल-

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 'यूपी कौशल विकास मिशन' योजना प्रचलन में है ? यदि हाँ, तो वर्तमान में इस योजना के सापेक्ष कितने युवाओं ने पंजीकरण कराया है तथा पंजीकरण के सापेक्ष कितने युवाओं को रोजगार मिला है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

यू0पी0 कौशल विकास मिशन किसी योजना का नाम नहीं है अपितु यह उ0प्र0 कौशल विकास नीति, 2013 की संकल्पना के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा गठित एक पंजीकृत समिति है, जिसके द्वारा प्रदेश के 14-35 आयु वर्ग के ऐसे युवक/युवतियों, जो 10 कक्षा के पूर्व अथवा उक्त के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, को अल्पकालीन प्रशिक्षण देकर किसी कौशल में दक्ष बनाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जोड़कर प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने के उद्देश्य से रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का संचालन/क्रियान्वयन किया जा रहा है :-

1	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना।
2	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-राज्य घटक।
3	स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शिड्यूल्ड कॉस्ट सब प्लान
4	स्टेट स्किल डेवलपमेंट फण्ड

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 13-2-2023 तक 2,51,353 युवाओं द्वारा इनरोलमेंट कराया गया है, जिनमें 1,69,738 अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 43,333 युवाओं को सेवायोजित कराया गया है।

जी हाँ। जनपदवार प्रशिक्षण प्राप्त/प्रशिक्षाधीन युवाओं का तथा सेवायोजित युवाओं का विवरण संलग्न है। (संलग्नक-1)[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के लाला लाजपत राय वार्ड अन्तर्गत अलीगंज सेक्टर-डी स्थित सचिवालय कालोनी की बाउण्ड्री को ऊँचा कराकर नये गेट लगवाने के सम्बन्ध में

4-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लाला लाजपत राय वार्ड अन्तर्गत अलीगंज सेक्टर-डी स्थित सचिवालय कालोनी के भवनों के चारों तरफ स्थित बाउण्ड्री व प्रवेश द्वारों पर लगे गेट जर्जर हो गये है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कालोनी की बाउण्ड्री को ऊँचा कराकर नये गेट लगवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ संख्या-284-287 पर।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं। जनपद लखनऊ के लाला लाजपत राय वार्ड अन्तर्गत अलीगंज सेक्टर-डी स्थित सचिवालय कॉलोनी में टाईप-2, टाईप-3 एवं टाईप-4 के आवास स्थित हैं, जिनमें से टाईप-2 एवं टाईप-3 के आवासों के गेटों की दशा सन्तोषजनक है तथा टाईप-4 के कुल 08 गेटों में से 02 गेट की मरम्मत तथा टाईप-2 एवं टाईप-4 के आवासों की बाउण्ड्रीवॉल को ऊँचा करने हेतु सिविल अनुरक्षण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आगणन लागत धनराशि रु0 8.97 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-आ-224/2023/32-4/001-3-2023, दिनांक 24 फरवरी, 2023 द्वारा धनराशि रु0 8.97 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के लाला लाजपत राय वार्ड अन्तर्गत अलीगंज सेक्टर-डी स्थित सचिवालय कालोनी के भवन संख्या-4/1 व 4/4 के सामने सड़क को ऊँचा करके इण्टरलॉकिंग कराए जाने के सम्बन्ध में

5-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लाला लाजपत राय वार्ड अन्तर्गत अलीगंज सेक्टर-डी स्थित सचिवालय कालोनी के भवन संख्या-4/1 व 4/4 के सामने बरसात के दिनों में पानी भर जाने के कारण भवन में रह रहे अध्यासियों को असुविधा होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवनों के सामने स्थान को ऊँचा करके इण्टरलॉकिंग करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। जनपद लखनऊ के लाला लाजपत राय वार्ड के अन्तर्गत अलीगंज सेक्टर-डी स्थित सचिवालय कोलोनी के भवन संख्या-4/1 व 4/4 के सामने लखनऊ-दिल्ली राजमार्ग के उच्चीकरण के फलस्वरूप कॉलोनी का सामान्य तल नीचा हो गया है। परिसर में जल भराव न हो, इसके लिए कॉलोनी की बाउण्ड्रीवॉल से राजमार्ग के किनारे बने नाले तक नाली बनाकर बरसात के दिनों में जल निकासी सुनिश्चित की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के युवा कल्याण अधिकारी के द्वारा किये गये व्यापक भ्रष्टाचार की जाँच के सम्बन्ध में

6-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के युवा पत्र दि0 06-07-2021 कल्याण अधिकारी के द्वारा किये गये व्यापक भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता का आई0जी0आर0एस0 सं0-18150210029245, दिनाँक 19-07-2021 को महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

महानिदेशालय के आदेश संख्या-1569/एक-85/प्रा0वि0द0/2012, दिनांक 29 जुलाई, 2021 के द्वारा मण्डलीय उप निदेशक, युवा कल्याण बरेली मण्डल बरेली तथा मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा नामित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता विभाग की गठित जाँच समिति द्वारा जाँच करायी गयी। जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या दिनांक 10 जून, 2022 में शिकायत निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अवैध नशे के कारोबारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में

7-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवैध नशे के कारोबारियों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्य योजना प्रचलित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि विगत माह अवैध नशे के कितने कारोबारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जी हाँ।

आबकारी विभाग द्वारा प्रशासन, पुलिस विभाग व अन्य विभागों के साथ अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए अवैध रूप से मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वालों के विरुद्ध सदैव कठोर निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है। आबकारी विभाग द्वारा नशीले पदार्थों की बिक्री की रोकथाम हेतु समय-समय पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाते हैं। विशेष प्रवर्तन अभियान को प्रभावी बनाये जाने हेतु प्रशासन, पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीमें गठित कर अवैध शराब/नशीले पदार्थ के निर्माण एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाती है।

जन सामान्य से अवैध शराब/नशीले पदार्थ के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु आबकारी मुख्यालय, प्रयागराज में टोल-फ्री नम्बर 14405 एवं व्हाट्सएप नम्बर 9454466019, 24x7 क्रियाशील है। उक्त टोल फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त टोल-फ्री नम्बर को मदिरा की दुकानों पर अंकित/चस्पा कराया गया। इन पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं के आधार पर भी त्वरित कार्यवाही की जाती है।

साथ ही आम जन को नशीले पदार्थों का सेवन न करने हेतु जागरूक करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। 26 जून, 2022 को ''नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय दिवस'' के रूप में मनाया गया।

प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा दिनांक 11-08-2022 को सभी कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं में होने वाली प्रार्थना सभाओं में ''जीवन को हॉ, ड्रग्स को ना'' ''से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स'' सम्बन्धी प्रतिज्ञा दिलाते हुए नारकोटिक्स पदार्थों एवं ड्रग्स के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूक किया गया।

पुनः दिनांक 02-10-2022 को गाँधी जयन्ती के अवसर पर सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं/तकनीकी संस्थाओं/माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को ''जीवन को हॉ, ड्रग्स को ना'' का शपथ दिलाया गया। उक्त कार्यक्रमों में अधिसंख्य लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

विगत् माह जनवरी, 2023 में अवैध नशे/शराब के कारोबारियों के विरुद्ध 6,720 अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। विगत माह में कुल 1,74,837 ली0 अवैध/कच्ची शराब बरामद की गयी तथा 2,232 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध मदिरा की तस्करी में संलिप्त 35 वाहन जब्त किये गये।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माह मार्च, 2022 से दिनांक 31-12-2022 तक अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई का विवरण

8-डा0 पल्लवी पटेल

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह मार्च, 2022 से दिनांक 31-12-2022 तक अवैध शराब के कितने कारोबारियों के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार बताएगी कि उक्त कार्यवाही में कितने लोग वांछित थे तथा वांछित में से

कितनों की गिरफ्तारी होनी शेष है ? क्या सरकार उक्त कुल का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जी हाँ।

प्रदेश में माह मार्च, 2022 से दिनांक 31-12-2022 तक आबकारी विभाग द्वारा अन्तर्विभागीय सहयोग के साथ अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध 67,342 अभियोग आबकारी अधिनियम एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये हैं। अवैध शराब के 199 कारोबारियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी, 417 व्यक्तियों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी एवं 15 व्यक्तियों के विरुद्ध रा0सु0का0 लगाया गया। अवैध शराब की तस्करी में लिप्त 13 व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी। अवैध शराब के कारोबार से अर्जित रु0 11,73,62,240/- (रुपये ग्यारह करोड़ तिहत्तर लाख बासठ हजार दो सौ चालीस मात्र) की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14 (1) के अन्तर्गत जब्त की गयी। आलोच्य अवधि में अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 67,342 लोग वांछित थे, जिसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी होनी शेष है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में कृषि भूमि प्राईवेट/निजी कोलोनाइजर्स को औद्योगिक प्लाटिंग किये जाने सम्बन्ध में

9-श्री योगेश धामा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में कृषि भूमि प्राइवेट/निजी कोलोनाइजर्स को 200 गज, 400 गज, 500 गज, 1000 गज अथवा उससे अधिक की औद्योगिक प्लाटिंग किये जाने की कोई योजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''

औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जनपद बागपत में औद्योगिक क्षेत्र बागपत विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी भी प्राईवेट/निजी कोलोनाइजर्स को भूमि प्लाटिंग हेतु नहीं दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार

जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के ग्राम अठकौहा में स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में

10-श्री बृजभूषण राजपूत-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के ग्राम अठकौहा में 18.055 हे0 भूमि स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना हेतु भूमि आरक्षित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर स्पोर्ट्स कालेज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव -

जी हाँ।

जनपद महोबा में स्पोर्ट्स कालेज का निर्माण वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

11-श्री जय प्रकाश अंचल-

[03-बुधवार के अतारांकित प्र0 सं0-204 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जस्टिस राघवेन्द्र की अगुवाई में गठित पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में

12-श्री मनोज कुमार पारस -

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जस्टिस राघवेंद्र की अगुवाई में गठित पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सरकार को वर्ष 2019 में प्राप्त हो चुकी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

जी हाँ। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

रिपोर्ट पर सम्यक् विचार करने हेतु समिति गठित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

आई0टी0आई0 कालेज तिलहर के नवनिर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार की जाँच के सम्बन्ध में

13-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता में का पत्र दि0 25-11-22 जो आई0टी0आई0 कालेज तिलहर के नवनिर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार

की जाँच के सम्बन्ध में था प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जी हाँ।

प्राप्त पत्र के क्रम में निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2022 एवं पत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 द्वारा जाँच हेतु जिलाधिकारी शाहजहाँपुर से अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 27-09-2022 द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 12-10-2022 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तिलहर शाहजहाँपुर के भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 17-02-2023 को पुनः उक्त संस्थान का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जिलास्तरीय कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट अतिशीघ्र प्राप्त की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के तहसील मुख्यालय रसड़ा स्थित बन्द सहकारी कताई मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में

14-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के तहसील मुख्यालय रसड़ा स्थित सहकारी कताई मिल बन्द होने के कारण जनपद का युवा वर्ग देश के अन्य प्रदेशों सहित विदेशों में रोजगार के लिए जाने में विवश है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कताई मिल को चालू करायेगी या दूसरा उद्योग पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नंदी''-

यू0पी0 स्टेट यार्न कम्पनी लि0, कानपुर की रसड़ा (बलिया) स्थित इकाई उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्राविधानों के अनुरूप दिनांक 16-10-2000 से विधिक रूप से बन्द है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में पावरलूम उद्योग के लिए फिक्स रेट पर विद्युत मूल्य के सम्बन्ध में

15-श्री राम अवतार सिंह सैनी-

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-1969/24-पी-372006 दि0 14-06-2006 द्वारा प्रदेश में पावर लूम उद्योग के लिए फिक्स रेट पर विद्युत मूल्य भुगतान का प्राविधान को शासनादेश सं0-1403/63030 2019-60 (एच0)/2016, दिनांक 04-12-2019 को समाप्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह

सही है कि शासन के पत्र सं0-1456/63-व0उ0-2020-21-60(एच0)टी0सी0-11, दि0 11-12-2021 द्वारा प्रबन्ध निर्देशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को मन्त्री-परिषद् द्वारा निर्णय न लिये जाने तक विद्युत देयों की वसूली व विद्युत कनेक्शन विच्छेदन न करने के आदेश किये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः फिक्स रेट पर पावरलूमों को विद्युत मूल्य भुगतान करने का आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

शासनादेश संख्या-1403/63-व0उ0-2019-60 (एच0)/2016, दिनांक 04-12-2019 द्वारा शासनादेश संख्या-1969/24-पी-3-2006, दिनांक 14-06-2006 को अवक्रमित करते हुए पावरलूम बुनकरों के विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के नए दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

जी नहीं।

शासनादेश सं0-1456/63-व0उ0-2020-21-60 (एच0) टी0सी-11, दिनांक 11-12-2021 द्वारा शासनादेश संख्या-1450/63-व0उ0-2020-21-60(एच0)टी0सी-11, दिनांक 10-12-2021 को निरस्त किया गया।

इस सम्बन्ध में नई गाइडलाईन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

16-श्री राम अवतार सिंह सैनी-

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में अनुसूचित जाति के विकास के लिए हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग द्वारा पावरलूम बुनकरों के लिए विशेष योजना चलाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में अंसारी जाति के पावरलूम बुनकरों को इस योजना में शामिल करेगी, यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हाँ।

पावरलूम उद्योग का विकास योजना (एस0सी0पी0) संचालित है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पावरलूम बुनकरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पावरलूम की स्थापना के लिए कार्यशाला के निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है।

इस सम्बन्ध में सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बुन्देलखण्ड पैकेज से जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में निर्मित गल्ला मण्डियों का उपयोग अन्य कार्यों में करने के सम्बन्ध में

17-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बुन्देलखण्ड पैकेज से झांसी जनपद की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में निर्मित गल्ला मण्डियों का निर्माण उपरान्त उनका उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवनों/सरकारी सम्पत्ति का उपयोग अन्य कार्यों में करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जनपद झाँसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के आसपास के किसानों को उनकी उपज का उचित लाभकारी एवं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने तथा कृषकों को अपने कृषि उत्पाद सरकारी एजेन्सियों/व्यापारियों एवं आढ़तियों के पास बिक्री हेतु ले जाने के लिये अधिक दूरी तय न करनी पड़े इस हेतु बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत मण्डी समितियों में बने रिन/दुकान की स्थिति निम्नानुसार है :-

मण्डी समिति का नाम	रिन का नाम	निर्मित दुकानों की संख्या	आवंटित दुकानों की संख्या	निर्मित गोदाम	आवंटित गोदाम
मोठ	पूछ	04	03	01	आवंटित नहीं
चिरगांव	सेमरी	04	04	निर्मित नहीं	
गुरसराय	सिमरधा	04	04	निर्मित नहीं	
	ककरबई	04	04	01	आवंटित नहीं
	कुरैठा	04	04	01	आवंटित नहीं
	बामौर	04	03	01	खाद्य विभाग को आवंटित है।
	योग	**24**	**22**	**04**	**01**

आवंटित 22 दुकानों का उपयोग सम्बन्धित व्यापारियों / फर्मों द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र सेमरी तथा बामौर में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खरीद हेतु क्रय केन्द्र संचालित होता है।

02 नग रिक्त दुकानों एवं 03 नग रिक्त गोदाम आवंटन कार्यवाही की प्रक्रिया गतिमान है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में धान की पैदावार के दृष्टिगत क्षेत्र में एक राइस मिल की स्थापना के सम्बन्ध में

18-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में धान की पैदावार के दृष्टिगत क्षेत्र में एक राइस मिल की स्थापना करने पर सरकार विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री राकेश सचान-

जी नहीं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग स्थापना हेतु उद्यमियों को सहायता प्रदान की जाती है, विभाग द्वारा स्वयं उद्योग की स्थापना नहीं की जाती है।

विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 में नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयों की स्थापना पर स्टाम्प शुल्क में अधिकतम 100 प्रतिशत छूट, पात्र पूंजी निवेश पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक पूंजी उपादान प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। सूक्ष्म उद्यमों हेतु पूंजी उपादान के साथ-साथ अधिकतम रु0 25 लाख तक ब्याज उपादान की व्यवस्था की गयी है।

विभाग की संचालित योजनाओं के माध्यम से राइस मिलों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

19-श्री मनोज कुमार पारस-

[04-बुधवार के अतारांकित प्र0 सं0-201 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में नकली खाद की बिक्री रोकने के सम्बन्ध में

20-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नकली खाद की बिक्री रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए है ? क्या सरकार बताएगी की प्रदेश में वर्ष 2020-21 2021-22 तथा वर्ष 2022 में जनवरी, 31 तक नकली खाद विक्रय के कितने प्रकरण प्रकाश में आए तथा

कितने प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्राविधानान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा नकली खाद की बिक्री पर रोक लगाने हेतु वर्ष 2022-23 में माह जनवरी, 2023 तक प्रदेश भर में कुल 40054 उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर छापे डाल कर वार्षिक लक्ष्य 12000 के सापेक्ष कुल 10642 उर्वरक नमूने गृहित किए गए।

उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2020-21 में 698 उर्वरक नमूने अमानक पाए गए। वर्ष 2020-21 में 1653 लाइसेन्स निलंबित, 973 लाइसेन्स निरस्त, 59 दुकानें सील तथा 335 एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए 56 व्यापारी जेल भेजे गए।

वर्ष 2021-22 में 760 उर्वरक नमूने अमानक पाए गए। वर्ष 2021-22 में 546 लाइसेन्स निलम्बित, 646 लाइसेन्स निरस्त, 63 दुकानें सील तथा 122 एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए 06 व्यापारी जेल भेजे गए।

वर्ष 2022-23 में जनवरी, 2023 तक 417 उर्वरक नमूने अमानक पाए गए व 752 लाइसेन्स निलम्बित, 274 लाईसेन्स निरस्त, 68 दुकानें सील तथा 104 एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए 13 व्यापारी जेल भेजे गए।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों के क्रेडिट कार्ड की अवधि एक वर्ष को बढ़ाकर तीन वर्ष करने के सम्बन्ध में

21-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के क्रेडिट कार्ड की अवधि एक वर्ष को बढ़ाकर तीन वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही -

किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि पूर्व से ही पांच वर्ष निर्धारित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में बन्द मण्डी परिषद् समितियों को संचालित करने के सम्बन्ध में

22-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी मण्डी परिषद् समिति हैं तथा उक्त में से कितनी संचालित हैं, कितनी बन्द हैं ? क्या सरकार ने बन्द मण्डी परिषद् समितियों को संचालित करने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

प्रदेश में कुल 251 मण्डी समितियाँ घोषित हैं और सभी संचालित हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर के अधीन संचालित हास्टल में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या, दी गई छात्रवृत्ति की जानकारी के सम्बन्ध में

23-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर के अन्तर्गत कितने हास्टल बालक/बालिकाओं के कहाँ-कहाँ जनपद में संचालित हैं तथा उनमें कौन-कौन बालक/बालिका किस किस कक्षा में किन-किन वर्षों से पढ़ रहे तथा उन्हें कितनी कितनी छात्रवृत्ति किन-किन वर्षों में दी गई तथा उनके रहन-सहन, खाना आदि में किस-किस छात्रावास में 01-04-20 से 30-01-23 तक कितनी कितनी धनराशि कब-कब शासन से प्राप्त हुई तथा कब-कब कहाँ-कहाँ व्यय हुई ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त छात्रावासों में रह रहे बालक/बालिकाओं को सरकार से क्या-क्या सुविधा कब-कब दी जाती है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद शाहजहाँपुर में 07 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें से 05 बालक छात्रावास एवं 02 बालिका छात्रावास संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

छात्रावासों का नाम व स्थान	अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की कक्षाओं का नाम व संख्या एवं अध्ययन का वर्ष			छात्र/छात्राओं को दी गई छात्रवृत्ति का वर्ष व धनराशि		जनपद में संचालित छात्रावासों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 30-01-2023 तक प्राप्त/व्यय का विवरण		
	कक्षा का नाम	संस्था	वर्ष	वर्ष	धनराशि	वित्तीय वर्ष	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि
राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, गन्ना किसान डिग्री कालेज, पुवायां	बी0ए0	05	2020-21	--	--	2020-21	19142	19142
	बी0एस0सी0	04	2020-21	--	--			
	जी0टी0आई0	25	2020-21	--	--	2021-22	1259931	1259931
	आई0टी0आई0	06	2022-23	--	--	2022-23	199000	199000
कुल योग		**40**		**--**	**--**	**--**	**1478073**	**1478073**

राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, मिश्रीपुर प्रथम	बी0ए0	10	2020-21	--	--	2020-21	1256262	1256262
	बी0एस0सी0	12	2020-21	--	--			
	एल0एल0बी0	04	2020-21	--	--			
	एम0ए0	08	2021-22	--	--	2021-22	3913775	3913775
	एम0एस0सी0	02	2021-22	--	--			
	जी0टी0आई0	06	2021-22	--	--			
	आई0टी0आई0	06	2022-23	--	--	2022-23	199000	199000
कुल योग :		**48**					**5369037**	**5369037**
राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, मिश्रीपुर द्वितीय	बी0ए0	12	2020-21	--	--	2020-21	26577	26577
	बी0एस0सी0	14	2020-21	--	--			
	एल0एल0बी0	06	2020-21	--	--			
	एम0ए0	08	2021-22	--	--	2021-22	2341764	2341764
	जी0टी0आई0	04	2021-22	--	--			
	एम0एस0सी0	04	2021-22	--	--			
				--	--	2022-23	199000	199000
कुल योग :		**48**					**2567341**	**2567341**
राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, जलालाबाद	--	--	--	--	--	2020-21	19142	19142
	इण्टरमीडिएट	11	2020-21	--	--			
	बी0ए0	15	2020-21	--	--	2021-22	3067995	3067995
	आई0टी0आई0	10	2021-22	--	--			
	--	--	--	--	--	2022-23	199000	199000
कुल योग :		**36**					**3286137**	**3286137**
राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, अल्हागंज	--	--	--	--	--	2020-21	10142	10142
	इण्टरमीडिएट	10	2020-21	--	--		68000	68000
	बी0ए0	15	2020-21	--	--	2021-22		
	बी0काम0	10	2021-22	--	--			
	--	--	--	--	--	2022-23	149000	149000
कुल योग :		**35**					**227141**	**227142**

राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, खिरनीबाग	बी0ए0	30	2020-21	--	--	2020-21	224593	224593
	बी0एस0सी0	10	2020-21	--	--			
				--	--	2021-22	3767396	3767396
	आई0टी0आई0	08	2022-23			2022-23	249000	249000
कुल योग :		**48**	--	--	--	--	**4240989**	**4240989**
राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, एस0एस0 कालेज	बी0ए0	10	2020-21	--	--	2020-21	28142	28142
	बी0एस0सी0	06	2020-21	--	--			
	एम0ए0	10	2021-21	--	--	2021-22	1417139	1417139
	बी0एड0	02	2021-22	--	--	--	--	--
	एल0एल0बी0	08	2022-23	--	--	2022-23	199000	199000
	जी0आई0टी0	07	2022-23	--	--			
कुल योग :		**43**					**1644281**	**1644281**

छात्रावासों में निवासरत छात्र/छात्राओं को अलग से छात्रवृत्ति नहीं प्रदान की जाती है। शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत जो छात्र/छात्रा छात्रवृति के आनलाइन आवेदन करते हैं उसी के आधार पर छात्रवृति प्राप्त होती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में विद्युत मद में धनराशि रु0 14660000/- प्राप्त हुयी थी, जिसको विद्युत बकाया एवं गृह कर में जमा करा दिया गया था।

छात्रावासों में निवासरत छात्र/छात्राओं के लिये रहन-सहन, खाना आदि के लिये अलग से बजट प्राप्त नहीं होता है।

छात्रावास अधीक्षक एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते इत्यादि का आवंटन एवं व्यय उक्त में सम्मिलित नहीं है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रह रहे बालक/बालिकाओं को तखत, कुर्सी एवं मेज निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं तथा इसके अतिरिक्त भोजन खाने सम्बन्धी बर्तन भी निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।

जी हां।

प्रश्न के उत्तर में समस्त सूचना अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

वृद्धा आश्रम वीसलपुर, जनपद पीलीभीत में व्यापक भ्रष्टाचार की जाँच के सम्बन्ध में

24-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 02-09-22 जो वृद्धाआश्रम वीसलपुर जनपद पीलीभीत में व्यापक भ्रष्टाचार की जाँच के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

उप निदेशक, समाज कल्याण बरेली मण्डल, बरेली द्वारा उपलब्ध कराई गई जाँच आख्या में शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को कीटनाशक दवाओं पर अनुदान के सम्बन्ध में

25-श्री जगदीश नारायण-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को कीटनाशक दवाओं पर सब्सिडी दी जाती है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

फसलों पर सामयिक कीट/रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को विभिन्न कीटनाशकों पर 50 प्रतिशत का अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे कृषकों के खाते में हस्तान्तरित किया जाता है। इसी प्रकार जैविक कीटनाशकों पर समस्त कृषकों को 75 प्रतिशत का अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे कृषकों के खाते में हस्तान्तरित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किये गये भुगतान के सम्बन्ध में

26-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कितनी धनराशि अनुमन्य है ? क्या सरकार बताएगी कि वर्ष 2021-2022, 2022-2023 में कितने किसानों को फसल बीमा का भुगतान कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वास्तविक प्रीमियम दर पर लागू है। प्रीमियम के रूप में कृषकों द्वारा खरीफ मौसम में बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत तथा रबी मौसम में 1.5 प्रतिशत और औद्यानिक एवं वार्षिक नगदी फसलों के लिए 5 प्रतिशत अदा करना होता है। प्रीमियम की शेष धनराशि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर बीमा कम्पनी को दी जाती है।

मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसल की उपज का आंकलन कर योजना के प्राविधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

वर्ष 2021-22 व 2022-23 मे लाभार्थी कृषकों की संख्या व वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण निम्नवत है :-

क्र0-सं0	वर्ष	लाभार्थी कृषकों की संख्या (लाख में)	वितरित क्षतिपूर्ति (करोड़ रु0 में)
	2021-22	10.12	938.59
	2022-23	2.18#	134.25#

खरीफ 2022 मौसम में असफल बुवाई/मध्यावस्था/स्थानिक आपदा के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वितरित की गयी है। फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर क्षतिपूर्ति का आंकलन/वितरण प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फिरोजाबाद की तहसील सिरसागंज में निर्माणाधीन नवीन आई0टी0आई0 प्रशिक्षण केन्द्र को पूर्ण कराकर प्रशिक्षण कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में

27-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या व्यवसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील सिरसागंज में निर्माणधीन नवीन आई0टी0आई0 प्रशिक्षण केन्द्र को निर्धारित समयवधि में पूर्ण कराकर प्रशिक्षण कार्य सरकार शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जनपद फिरोजाबाद की तहसील सिरसागंज में निर्माणाधीन नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ हुआ। वित्तीय वर्ष 2020-21

एवं 2021-22 में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण एवं मूल लागत को पुनरीक्षित किये जाने के कारण निर्माण कार्य की प्रगति धीमी रही। उक्त निर्माणाधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु सम्पूर्ण धनराशि रु0 738.94 लाख कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को अवमुक्त किया जा चुका है। निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। कार्यदायी संस्था द्वारा भवन हस्तगत किये जाने के उपरान्त प्रशिक्षण संचालन सम्बन्धी कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद भदोही में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना के 40 वर्ष उपरान्त भी मास्टर प्लान जमा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में

28-श्री जाहीद-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही में औद्योगिक प्राधिकरण स्थापना के 40 वर्ष उपरान्त भी मास्टर प्लान जमा नहीं किया गया है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि नगर पालिका परिषद् द्वारा नक्शा पास करने हेतु मनमाने ढंग से धनराशि की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण को नगर पालिका परिषद् में नक्शा पास कराने का अधिकार है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण की महायोजना हेतु बेस मैप रिमोटसेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ से तैयार करा लिया गया है तथा महायोजना तैयार करने हेतु रिमोटसेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ को कार्यादेश सं0-9630, दिनांक 30-12-2021 निर्गत किया गया है। रिमोटसेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ द्वारा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण की महायोजना तैयार की जा रही है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 की अधिसूचना सं0-1558/18-4-2014-3 (बीडा)-01, दिनांक 23-09-2014 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भदोही औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2014 स्वीकृत की गयी है। मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित भवन मानचित्र विकास शुल्क सहित अन्य शुल्क लिये जा रहे हैं।

भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन अधिसूचना सं0-2673/18-निर्यात-12 (24)-81, दिनांक 25 अगस्त, 1981 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निम्नवत् किया गया है :-

''उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-6 सन् 1976) की धारा-2 के खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल

घोषणा करते हैं कि कस्बा भदोही और उसके आठ किलोमीटर के अर्द्धव्यास के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र 'औद्योगिक विकास क्षेत्र' होगा और उसे 'भदोही औद्योगिक विकास क्षेत्र' कहा जायेगा।''

मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नगर विकास अनुभाग-6 द्वारा अपने शासनादेश सं0-2412/9-6- 2021, दिनांक 06-12-2021 (छायाप्रति संलग्न) में यह कहा गया है कि सभी नगरीय क्षेत्रों में जहां-जहां पर विकास प्राधिकरण है, उन स्थानों पर मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार विकास प्राधिकरणों को दिया गया है, ऐसी स्थिति में नगर पालिका परिषद्, भदोही जनपद-भदोही द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद भदोही में कारपेट एक्सपो मार्ट टेण्डर पूर्ण होने के बाद भी सी0ई0पी0सी0 को स्थानान्तरित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में

29-श्री जाहीद-

क्या सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही में कारपेट एक्सपो मार्ट टेण्डर पूर्ण होने के बाद भी सी0ई0पी0सी0 को स्थानान्तरित नही हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सी0ई0पी0सी0 द्वारा कितने का किराया सरकार को दिया गया है ? क्या सरकार उक्त विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

भदोही कारपेट एक्सपो मार्ट को सी0ई0पी0सी0 को दिनांक 03-02-2020 को स्थानान्तरित किया जा चुका है। अभिलेखीय औपचारिकतायें भी दिनांक 22-02-2023 को पूर्ण करा ली गयी हैं।

किराये के रूप में सी0ई0पी0सी0 से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के बेरोजगारों को रोजगार सृजन करने के लिए कल-कारखाना अथवा औद्योगिक क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में

30-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बेरोजगारों को रोजगार सृजन करने के लिए कोई कल-कारखाना अथवा औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

औद्योगिक विकास विभाग द्वारा स्वयं कोई कल-कारखाना स्थापित नहीं किया जाता है, बल्कि कारखानों/उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश के समस्त जनपदों के साथ-साथ जनपद बलिया में बेरोजगारों को उद्यम स्थापित कर रोजगार सृजन हेतु एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित हैं।

जनपद बलिया में तीन औद्योगिक आस्थान यथा-औद्योगिक आस्थान, माधवपुर रसड़ा, मिनी औद्योगिक आस्थान, बनरही तथा मिनी औद्योगिक आस्थान, जिगनीखास स्थापित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित आवासों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

31-श्री बेचई सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित आवासों की मरम्मत कराये जाने विषयक पत्र संख्या-ख-7 नं0 226506, दिनांक 31-01-2023 को राज्य सम्पत्ति अधिकारी उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

उक्त पत्र के सन्दर्भ में सम्बन्धित अनुरक्षण खण्ड (सिविल/विद्युत), लोक निर्माण विभाग एवं व्यवस्थाधिकारी से आख्या प्राप्त की गई। अनुरक्षण खण्ड-2 सिविल के पत्र दिनांक 15-02-2023 द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन विधायक निवास-1, दारुलशफा आवास संख्या-112 बी में एक बाथरूम के पूर्ण नवीनीकरण करने, छत से आ रही सीलन को रोकने हेतु वाटर प्रूफिंग करने आदि कार्यों हेतु शासन के आदेश दिनांक 26-09-2022 द्वारा रुपए 2.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई। स्वीकृति के सापेक्ष समस्त कार्य पूर्ण कराए जा चुके हैं एवं आवास में रंगाई-पुताई का कार्य भी पूर्ण है। गैराज में भी रंगाई पुताई का कार्य करा दिया गया है। गैराज के गेट में आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण करा दिए गए हैं। गेट को बदलने का औचित्य नहीं पाया गया। वर्तमान में आवास/किचन/गैराज उपयोग किए जाने योग्य है।

व्यवस्थाधिकारी विधायक निवास-1, दारुलशफा के पत्र दिनांक 15-02-2023 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार आवास संख्या-112 बी में नया पर्दा उपलब्ध करा दिया गया है। इसी प्रकार

विद्युत अनुरक्षण खण्ड-1 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 15-02-2023 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार आवास में नया फ्रिज लगा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में धनगर/पाल/बघेल समाज के लोगों को अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

32-श्री सचिन यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में धनगर /पाल/ बघेल समाज के लोगों को अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किये गये हैं ? यदि हाँ, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त जातियों को अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र जारी करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 की अनुसूची-एक क्रमांक-19 पर गड़ेरिया, पाल, बघेल को सूचीबद्ध किया गया है।

भारत का राजपत्र अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में क्रमांक-27 पर धंगड़ को सूचीबद्ध किया गया है।

शासनादेश संख्या-1654/26-3-2013, दिनांक 24 अक्टूबर 2013, शासनादेश संख्या-453(1)/26-3-2018, दिनांक 07-02-2018 तथा शासनादेश संख्या-207 सी0एम0/26-03-2018, दिनांक 24 जनवरी, 2019 मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित जनहित रिट याचिका संख्या-400/2019 बलबीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया 04 अन्य तथा जनहित रिट याचिका संख्या-645/2019 राम प्रकाश बनाम यूनियन आफ इण्डिया व 04 अन्य में पारित आदेश दिनांक 19-04-2019 द्वारा स्टे कर दिया है तथा जनहित रिट याचिका संख्या-645/2019, राम प्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व 04 अन्य में दिनांक 12-04-2021 को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लघु शपथ-पत्र दाखिल कर दिया गया है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों के सम्बन्ध में

33-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश किस जिले से कितने ग्रामों का चयन प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना में किया गया है तथा चयनित ग्रामों में कौन-कौन से

विशेष कार्य कराए गये हैं ? क्या सरकार उक्त योजना में चयन हेतु पात्रता की शर्तों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों में कुल 10,384 ग्रामों का चयन किया गया है। (सूची संलग्न) उक्त चयनित ग्रामों में पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण मार्ग एवं आवास, बिजली एवं स्वच्छ ईधन, कृषि पद्धतियां आदि, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण (Digitalization), तथा आजीविका एवं कौशल विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य कराये गये हैं।

जी हाँ। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले ग्रामों तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले ग्रामों को आदर्श ग्राम हेतु चयनित किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना से लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में

34-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना से प्रदेश के कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2018-19 से संचालित है। योजनान्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार प्रगति प्राप्त की गयी है :-

वर्ष	वितरण की संख्या (लाभान्वित व्यक्ति)
2018-19	3362
2019-20	2869
2020-21	4852
2021-22	4191
2022-23 (दिनांक 14-02-2023 तक)	3457
कुल योग	**18731**

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेलों के प्रति युवाओं को जागरूक करने हेतु खेल मैदान बनाने एवं निर्मित खेल मैदानों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

35-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेलो के प्रति युवाओं को जागरूक करने हेतु विगत 2 वर्षों में कितने खेल मैदान बनाये गये हैं एवं निर्मित खेल मैदानों में कितने प्रशिक्षणार्थियों कि नियुक्ति की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

खेल विभाग द्वारा विगत 02 वर्षों में जनपद कासगंज, अमरोहा, मिर्जापुर, जनपद एटा की तहसील अलीगंज एवं जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड जंगल कौड़िया में स्टेडियम/मल्टीपरपज हाल का निर्माण कराया गया है।

क्र0-सं0	जनपद का नाम	विभागीय/अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	खेलो इण्डिया सेन्टर के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	गोरखपुर	313	30
2	मिर्जापुर	80	30
3	एटा	80	30
4	अमरोहा	113	30
5	कासगंज	--	30

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में

36-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देने पर सरकार विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

जी हाँ।

प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृति योजनान्तर्गत पात्रता के आधार पर उपलब्ध बजट की सीमा तक उसी वित्तीय वर्ष में छात्रवृति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेल व खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में स्टेडियम का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

37-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेल व खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में स्टेडियम का निर्माण कराने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

खेल विभाग द्वारा विकास खण्डों में स्टेडियम का निर्माण कराने हेतु कोई कार्य योजना नहीं है, परन्तु खेल विभाग द्वारा प्रदेश के 70 जनपदों में कुल 82 स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है, जहाँ पर खिलाड़ियों को खेल का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार

प्रदेश में उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान द्वारा गेहूँ के बीज में मिश्रित प्रजातियों के बीज की मिलावट के सम्बन्ध में

38-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान द्वारा गेहूँ के बीज में मिश्रित प्रजातियों के बीज की मिलावट कर किसानों को विक्रय किये जाने से गेहूँ के उत्पादन तथा गुणवत्ता में कमी आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किसी भी फसल का बीज किसानों को विक्रय नहीं किया जाता है।

प्रदेश में मिश्रित प्रजातियों के बीज की मिलावट कर किसानों को विक्रय पर रोक लगाने हेतु बीज निरीक्षकों द्वारा बीज विक्रेताओं के विरुद्ध बीज अधिनियम, 1966 (1966 का सं0 54), बीज नियम-1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के सुसंगत नियमों के अधीन प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

कृषि विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रत्येक जनपद में बीज निरीक्षकों द्वारा बीज विक्रय प्रतिष्ठानों से बीज के नमूने ग्रहित किए जाते हैं, नमूनों का विश्लेषण करवाते हुए बीज के अधोमानक पाये जाने पर बीज विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार विक्रय पर रोक लगाने, अनुज्ञप्ति निलम्बन, निरस्तीकरण आदि की कार्यवाही की जाती है।

समय-समय पर बीज निरीक्षकों द्वारा जनपद स्तर पर आकस्मिक छापे आयोजित करके अधोमानक बीज विक्री करने वाले बीज विक्रेताओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में वर्ष 2021-22 व 2022-23 में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों के सम्बन्ध में

39-श्री अतुल प्रधान-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में वर्ष 2021-22 व 2022-23 में कौन-कौन सी सड़कें मण्डी परिषद् द्वारा पिच कराने व गड्ढामुक्त कराने हेतु प्रस्तावित हुईं ? क्या सरकार उक्त सड़कों के डामरीकरण एवं गड्ढामुक्त कराने हेतु विधायकों से भी प्रस्ताव लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

विधान सभा क्षेत्र सरधना में कोई भी मार्ग उ0प्र0 ग्रामीण सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति-2013 से आच्छादित न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की गड्ढामुक्तिकरण/मरम्मत के कार्य हेतु कार्य योजना में नहीं लिया गया है।

मा0 विधायकगण एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर उ0प्र0 ग्रामीण सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति-2013 के अनुसार मण्डी की वित्तीय स्थिति, स्थानीय आवश्यकता एवं कार्य योजना की स्वीकृति के उपरान्त मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के सम्बन्ध में

40-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 5 वर्ष में दो करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि हाँ, उक्त हेतु वर्तमान वर्ष में कितने विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने हेतु कितने बजट की व्यवस्था की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''-

जी हाँ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत कुल रु0 180000.00 लाख का बजट प्रावधान है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 2,40,550 टैबलेट पीसी एवं 5,32,467 स्मार्टफोन की आपूर्ति जनपदों को की जा चुकी है। इसे सम्मिलित कर योजना प्रारम्भ से अद्यतन 20.05 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन की आपूर्ति जनपदों को की जा चुकी है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रथम इन्वेस्टर्स समिट से बेरोजगारों को प्राप्त रोजगार के सम्बन्ध में

41-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रथम इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश के कितने बेरोजगारों को किस-किस इकाई/संस्था द्वारा रोजगार प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार कम्पनी इकाईवार दिये गये रोजगार का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 2018 में ''इन्वेस्टर्स समिट-2018'' का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल रु0 4.28 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उक्त इन्वेस्टर्स समिट के उपरान्त अब तक 03 ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी क्रमशः दिनांक 29 जुलाई, 2018, दिनांक 28 जुलाई, 2019 तथा दिनांक 03 जून, 2022 को आयोजित की गयी थीं, जिसमें सम्मिलित इकाई/संस्था द्वारा कुल 1,59,713 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0टी0आई0 कालेज, तिलहर के नव निर्माण में भ्रष्टाचार की जाँच विषयक

42-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या व्यवसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 25-11-22 आई0टी0आई0 कालेज तिलहर के नव निर्माण में भ्रष्टाचार की जाँच विषयक है, उन्हे प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जी हाँ।

प्राप्त पत्र के क्रम में निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2022 एवं पत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 द्वारा जाँच हेतु जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर से अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 27-09-2022 द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने दिनांक 12-10-2022 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तिलहर शाहजहाँपुर के भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 17-02-2023 को पुनः उक्त संस्थान का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जिलास्तरीय कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट अतिशीघ्र प्राप्त की जा रही है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पड़रौना में स्थापित मण्डी समिति मुख्यालय में पक्की दुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में

43-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पड़रौना में स्थापित मण्डी समिति मुख्यालय में पक्की दुकानों का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

प्रथम चरण में नवीन मण्डी स्थल पड़रौना की चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग गोरखपुर के पत्रांक-1541/1सी/रा0मा0-727/22, दिनांक 05-12-2022 के माध्यम से सूचित किया गया है कि नवीन मण्डी स्थल पड़रौना की फ्रंट बाउण्ड्रीवाल से होकर बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है, परन्तु अभी तक फाइनल ले-आउट उपलब्ध नहीं कराया गया है।

लोक निर्माण विभाग से प्रस्तावित बाईपास का फाइनल ले-आउट प्राप्त होने के पश्चात् वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत नवीन मण्डी स्थल का ले-आउट एवं निर्माण सम्बन्धी अग्रतर निर्णय लिया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में किसानों को कृषि उपकरणों पर अनुदान के सम्बन्ध में

44-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में कितने किसानों को कृषि उपकरणों पर अनुदान वर्तमान में दिया जा रहा है ? क्या सराकर

किसानों की अनुदान सूची का विकास खण्डवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका, जसराना तथा खैरगढ़ में कृषि यंत्रीकरण एवं इन-सीटू आदि योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में क्रमशः 10, 08 एवं 03 कुल 21 किसानों को अनुदान पर यंत्र वितरण किया जा रहा है।

विकास खण्डवार एवं कृषि यंत्रवार विवरण कृषि विभाग के पोर्टल www.upagriculture.com पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

45-श्री दिनेश रावत-

[03-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-203 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-मीरजापुर के चुनार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम भेडिया में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम में दर्शकों के बैठने हेतु स्टैण्ड तथा पैदल पथ आदि सुविधाएं प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

46-श्री अनुराग सिंह-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 का पत्र जो जनपद-मीरजापुर के चुनार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम भेडिया में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम में दर्शकों के बैठने हेतु स्टैण्ड तथा पैदल पथ आदि सुविधाएं प्रदान किये जाने विषयक प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 खेल विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र संख्या-31043, दिनांक 18-01-2023 खेल विभाग में प्राप्त हुआ है। जो जनपद मीरजापुर के चुनार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम भेड़िया में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम में दर्शकों के बैठने हेतु स्टैण्ड तथा पैदल पथ आदि सुविधाएं प्रदान किये जाने विषयक है।

प्रकरण युवा कल्याण विभाग से सम्बन्धित होने के कारण कार्यवाही हेतु युवा कल्याण विभाग को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत लाभान्वितों से सम्बन्धित विवरण

47-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के जिला समाज कल्याण कार्यालय में 01-04-2020 से 30-01-2023 तक कितनी शादियां कब-कब तिथियों को किस-किस स्थान पर कराई गईं ? उपरोक्त शादियों के खाना का ठेका किस-किस व्यक्तियों को दिया गया तथा कितनी-कितनी धनराशि खाना पकाने में कब-कब कितना-कितना खर्च, खाना बनाने का सामान किन-किन दुकानों से खरीदा गया तथा उसमें कितनी-कितनी जी0एस0टी0 का भुगतान कब-कब सरकार द्वारा व्यय किया गया ? यदि खाना में पैक बन्द खाना लिया गया तो कितने पैकेट खाना कब-कब किस-किस फर्म से लिए गये ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहाँपुर के पत्रांक-2165-67, दिनांक 27-02-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत दिनांक 01-04-2020 से 30-01-2023 तक कुल 1498 जोड़ों की शादियाँ करायी गयीं, जिनमें कुल जोड़ों सहित 22470 आगन्तुक व्यक्ति शामिल हुये जिनके खान-पान की व्यवस्था हेतु धनराशि रु0 3639750.00 व्यय की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	शादियों की कुल संख्या	कराई गई कुल शादियों का स्थान व दिनांक		शादियों में खाना बनाने हेतु ठेका लेने वाले व्यक्ति का नाम	खाना पकाने हेतु व्यय की गई धनराशि व दिनांक		दुकानों का नाम, जिनसे खाना बनाने का सामान खरीदा गया	खाना बनाने के सामान पर व्यय की गई जी0एस0टी0 की धनराशि (रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		स्थान का नाम	दिनांक		धनराशि (रु0 में)	दिनांक		
2020-21	63	ओ0सी0एफ0 रामलीला मैदान	28-11-2020	मेसर्स महातापेश इण्टरप्राइज	993600.00	21-11-2020	खाना बनाने का सामान सम्बन्धित फर्म द्वारा खरीदा गया।	49680.00
	97	ओ0सी0एफ0 रामलीला मैदान	14-01-2021			01-01-2021		
	5	विकास खण्ड पुवायां	18-01-2021			01-01-2021		
	59	विकास खण्ड भवलखेड़ा	16-02-2021			02-05-2021		
		विकास खण्ड जेतीपुर				02-05-2021		
	151	ओ0सी0एफ0 रामलीला मैदान	03-09-2021			03-03-2021		
	39	विकास खण्ड तिलहर	20-03-2021			18-03-2021		
		विकास खण्ड जलालाबाद	20-03-2021			18-03-2021		
कुल योगः	**414**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021-22	100	रामलीला मैदान खिरनीबाग	19-06-2021	मेसर्स महातापेश इण्टरप्राइेज	1888800.00	06-10-2021		94440.00
	110	रामलीला मैदान खिरनीबाग	16-07-2021			07-10-2021		
	15	विकास खण्ड भवलखेड़ा	30-07-2021			07-07-2021		
	562	ओ0सी0एफ0 रामलीला मैदान	12-11-2021			15-12-2021		
कुल योग	**787**							
2022-23	297	रौजा मण्डी समिति	15-06-2022	मेसर्स महातापेश इण्टरप्राइेज	757350.00	19-07-2022		37868.00
कुल योग	**297**							
महायोग	**1498**				**3639750.00**			**181988.00**

1-वितीय वर्ष 2020-21 में जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा भोजन/नाश्ता हेतु प्रति व्यक्ति प्रति प्लेट रु0 160/- निर्धारित की गयी थी, उसी दर पर मेसर्स महातापेश इन्टरप्राइजेज, शाहजहाँपुर द्वारा 6210 व्यक्तियों को भोजन/नाश्ता शादी की उपरोक्त तिथियों में आपूर्ति किया गया।

2-वितीय वर्ष 2021-22 में जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा भोजन/नाश्ता हेतु प्रतिव्यक्ति प्रति प्लेट रु0 160/- निर्धारित की गयी थी, उसी दर पर मेसर्स महातापेश इन्टरप्राइजेज, शाहजहाँपुर द्वारा 11805 व्यक्तियों को भोजन /नाश्ता शादी की उपरोक्त तिथियों में आपूर्ति किया गया।

3-वितीय वर्ष 2022-23 में जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा भोजन/नाश्ता हेतु प्रति व्यक्ति प्रति प्लेट रु0 170/-निर्धारित की गयी थी, उसी दर पर मेसर्स महातापेश इन्टरप्राइजेज, शाहजहाँपुर द्वारा 4455 व्यक्तियों को भोजन/नाश्ता शादी की उपरोक्त तिथियों में आपूर्ति किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तथा 2022-23 में विवाहित जोड़ों को दी जाने वाली सामग्री का विवरण

48-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय द्वारा वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 तथा 31 जनवरी 2023 तक शादी में विवाहित जोड़ो को देने में क्या सामान जैसे प्रेशर कूकर, अटैची, पायल, आदि किस-किस फर्म से कितनी-कितनी धनराशि में कितना-कितना सामान उपरोक्त किन-किन वर्षों में क्रय किया, सामान क्रय करने में यदि टेन्डर पड़े तो किस-किस फर्म के टेन्डर पड़े तथा खरीदे गये सामान में जी0एस0टी0 कितना-कितना कब-कब काटा गया तथा टेन्ट हाउस पर

व्यय उपरोक्त वर्षों में कितनी-कितना धनराशि का हुआ तथा कितने-कितने टेन्डर किस-किस फर्म से प्राप्त हुए ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहाँपुर के पत्रांक-2168-70, दिनांक 27-02-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तथा 2022-23 में विवाहित जोड़ों को दी जाने वाली सामग्री यथा कपड़े की किट, डिनर सेट, प्रेशर कूकर, ट्राली बैग, चाँदी की पायल-01 जोड़ी, चाँदी की बिछिया 02 जोड़ी एवं सीलिंग फैन को क्रय किये जाने का विवरण तालिका में निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	वैवाहिक सामग्री का नाम	फर्म का नाम	वैवाहिक सामग्री क्रय करने की व्यय की गई धनराशि (रु0 में)	वैवाहिक सामग्री क्रय करने में पड़ने वाले टेण्डर की फर्म का नाम	सामग्री क्रय करने हेतु प्राप्त हुए टेण्डर की फर्म का नाम	क्रय की गई सामग्री पर की गई जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि दिनांक		टेन्ट हाउस पर व्यय की गई धनराशि/ प्राप्त होने वाले टेण्डर की संख्या व फर्म का नाम		
						धनराशि (रु0 में)	दिनांक	धनराशि (रु0 में)	टेण्डर की संख्या	फर्म का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2020-21	कपड़े की किट	यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कोपरेटिव एसोशिएशन लि0 लखनऊ	1270980.00	यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कोपरेटिव एसोशिएशन लि0 लखनऊ	यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कोपरेटिव एसोशिएशन लि0 लखनऊ	63549.00		414000.00	जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दरों पर	विशाल टेन्ट हाउस शाहजहांपुर
	डिनर सेट	मेसर्स महातापेश इण्टरप्राइजेज	529920.00	मेसर्स महातापेश इण्टरप्राइजेज	मेसर्स महातापेश इण्टरप्राइजेज	63590.00				
	प्रेशर कुकर 03 लीटर		442980.00			53157.00				
	ट्राली बैग		786600.00			141588.00				
	चांदी का पायल 01 जोड़ी	मेसर्स बनवारी लाल ज्वैलर्स सदर बाजार शाहजहांपुर	1109520.00	मेसर्स बनवारी लाल ज्वैलर्स सदर बाजार शाहजहांपुर	मेसर्स बनवारी लाल ज्वैलर्स सदर बाजार शाहजहांपुर	33285.00	21-03-2021			
	चांदी की बिछिया 02 जोड़ी									
2021-22	कपड़े की किट	मेसर्स आयुष साड़ीज	2416090.00	मेसर्स आयुष साड़ीज	मेसर्स आयुष साड़ीज	120804.20	20-01-2022	787000.00	जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दरों पर	विशाल टेन्ट हाउस शाहजहांपुर
	डिनर सेट	मेसर्स महातापेश इण्टरप्राइजेज	1007360.00	मेसर्स महातापेश इण्टरप्राइजेज	मेसर्स महातापेश इण्टरप्राइजेज	120883.00	25-01-2022			
	प्रेशर कुकर 03 लीटर		842090.00			101050.00				
	ट्राली बैग		1495300.00			269154.00				
	चांदी का पायल 01 जोड़ी	मेसर्स बनवारी लाल ज्वैलर्स सदर बाजार शाहजहांपुर	2109160.00	मेसर्स बनवारी लाल ज्वैलर्स सदर बाजार शाहजहांपुर	मेसर्स बनवारी लाल ज्वैलर्स सदर बाजार शाहजहांपुर	63274.80	20-12-2021			
	चांदी की बिछिया 02 जोड़ी									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022-23	कपड़े की किट	मेसर्स बाला जी ट्रेडर्स	913275.00	मेसर्स बाला जी ट्रेडर्स	मेसर्स बाला जी ट्रेडर्स	49500.00	27-12-2023	356400.00	जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दरों पर	अमर टेन्ट हाउस शाहजहांपुर
	डिनर सेट		380160.00							
	प्रेशर कुकर 03 लीटर		317790.00							
	ट्राली बैग		564300.00							
	चांदी का पायल 01 जोड़ी	श्रीराम एसोसिएट	794475.00	श्रीराम एसोसिएट	श्रीराम एसोसिएट	सूचना प्राप्त की जा रही है।				
	चांदी की बिछिया 02 जोड़ी	श्रीराम एसोसिएट		मेसर्स बाला जी ट्रेडर्स	मेसर्स बाला जी ट्रेडर्स					
	सीलिंग फैन		415800.00			5000.00	17-08-2022			

नोट :-मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कन्या को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सामग्रियों हेतु निर्धारित धनराशि रु0 10,000/- एवं वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु निर्धारित धनराशि रु0 6000/- के सापेक्ष जनपदीय क्रय समिति द्वारा सामग्रियों को क्रय करने के लिये निर्धारित की गयी दरों पर समिति के सुझाव व निर्देशानुसार उपरोक्त फर्मों से सामग्रियों का बाजार मूल्यों का सर्वेक्षण कराकर कोटेशन के माध्यम से क्रय कर व्यवस्था करायी गयी। उपरोक्त फर्मों का टेण्डर आदि नहीं है। पूर्व निर्धारित दरों पर समिति द्वारा वर्षवार दिये गये निर्देशानुसार आपूर्ति ली गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक रिक्शा निःशुल्क उपलब्ध कराने विषयक

49-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक रिक्शा निःशुल्क उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

(क) प्रदेश के दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक रिक्शा निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रदेश के 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो एवं मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल संचालित करने में सक्षम हो तथा दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्रोतो से वार्षिक आय रु0 1,80,000/-से अधिक न हो, के लिये निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना संचालित है।

50-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाए जाने विषयक

51-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने कृषक हैं तथा इसमें से खरीफ एवं रबी के 31 जनवरी, 2023 तक बीमित किसानों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार सभी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाए जाने हेतु कोई योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रदेश में 2.38 करोड़ कृषक परिवार हैं। प्रत्येक वर्ष खरीफ व रबी मौसम में कृषकों की फसल का बीमा होता है। वर्ष 2022-23 के खरीफ व रबी मौसम में कुल 40.87 लाख किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित हुए हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित करायी जा रही है। योजना प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध किसानों की फसलों को बीमा कवर प्रदान करती है। योजना में बीमा की इकाई ग्राम पंचायत है। मौसम के प्रारम्भ में ही ग्राम पंचायत स्तर पर फसल की गारण्टीड उपज निर्धारित की जाती है। यदि फसल की वास्तविक उपज, गारण्टीड उपज से कम होती है तो बीमित कृषक को नियमानुसार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों के विवाह हेतु अनुदान दिये जाने विषयक

52-मनोज कुमार पारस-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए अनुदान दिए जाने की कोई नई योजना सरकार लाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

नीति विषयक है।

वर्तमान में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वर्ष 2021 से वर्ष 2023 में दिनांक 31-01-2023 तक स्थापित नवीन औद्योगिक केन्द्रों के सम्बन्ध में

53-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2021 से वर्ष 2022 तथा वर्ष 2023 से दिनांक 31 जनवरी 2023 तक प्रदेश में कितने नवीन औद्योगिक केंद्र किन

मण्डलों में स्थापित कर कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार बताएगी कि उक्त उद्योगों को कितना वित्तीय अनुदान दिया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

प्रदेश में वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2021 से वर्ष 2023 में दिनांक 31-01-2023 तक कुल 9,56,768 उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आॅनलाइन फाइल किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत 63,06,403 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

सरकार द्वारा विभागीय रोजगारपरक् योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2021 से वर्ष 2023 में दिनांक 31-01-2023 तक मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 7,176 लाभार्थियों को रु0 16,815.25 लाख मार्जिन मनी अनुदान, एक जनपद एक उत्पाद योजना, वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत 5,021 लाभार्थियों को रु0 19,527.09 लाख मार्जिन मनी अनुदान एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 9,968 लाभार्थियों को रु0 31,648.36 लाख मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार उक्त विभागीय रोजगारपरक् योजनाओं में कुल लाभार्थियों को रु0 67,990.70 लाख मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत जननायक चन्द्रशेखर स्पोर्ट्स कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में

54-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के सिकन्दरपुर विधान सभा में स्वीकृत जननायक चन्द्रशेखर स्पोर्ट्स कालेज के निर्माण हेतु सरकार धन आवंटित कर उक्त स्पोर्ट्स कालेज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

1-जनपद बलिया के स्पोर्ट्स कालेज हेतु प्रथम चरण के अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल, मेन गेट एवं ट्यूबवेल के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को रु0 972.88 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण करा दिया गया है।

2-प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुका है।

जनपद बलिया में स्पोर्ट्स कालेज के द्वितीय चरण के निर्माण की कार्यवाही हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 200.00 लाख की बजटीय व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

55-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[02-सोमवार के अतारांकित प्र0सं0-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में

56-श्री राम अवतार सिंह-

क्या व्यवसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 5 वर्षों में कितनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण कराया गया है एवं इनमें से कितने संस्थानों में प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है तथा कितनों में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्य समय-सीमा निर्धारित कर प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

प्रदेश में विगत 05 वर्षों में 35 नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत करते हुये निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया है। 35 नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण पूर्ण हो गया है, जिनमें आगामी सत्र से प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष 25 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निर्माण कार्य चल रहा है।

उक्त शेष 25 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश के प्रत्येक तहसील स्तर पर बच्चों के खेलने हेतु स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में

57-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक तहसील स्तर पर बच्चों के खेलने हेतु स्टेडियम बनाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में तहसील हेडक्वार्टर नगीना में स्टेडियम का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

खेल विभाग द्वारा प्रदेश के 70 जनपद में 82 स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्मित हैं तथा 05 जनपदों में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण की कार्यवाही चल रही है।

उपरोक्तानुसार

स्टेडियम का निर्माण उसकी उपयोगिता/आवश्यकता तथा भूमि एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में हुए एमओयू के सम्बन्ध में

58-श्री सचिन यादव-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में कितने एमओयू साइन हुए हैं ? क्या सरकार उक्त की सूची निवेश राशि सहित उपलब्ध करायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में 12 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के दौरान ऊर्जा के रु0 1,34,257 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। (सूची संलग्न)†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में किसानों की कर्ज माफी के सम्बन्ध में

59-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में कर्ज माफी से वर्तमान तक कितने किसान वंचित रह गये हैं तथा क्या सरकार उक्त किसानों का कर्ज माफ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार कर्ज माफी से वंचित रहे किसानों की विकास खण्डवार सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

ऋण माफी योजनान्तर्गत तहसील जसराना सहित जनपद फिरोजाबाद की सभी तहसीलों में स्थापित व्यवसायिक एवं सहकारी बैंको द्वारा संस्तुत किए गये सभी पात्र किसानों का ऋण माफ किया गया है। कोई भी पात्र किसान कर्ज माफी से वंचित नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद में 54595 पात्र कृषकों को धनराशि रु0 350.91 करोड़ (रुपया तीन अरब पचास करोड़ इक्यानबे लाख मात्र) का भुगतान किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-† देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ-288-290 पर।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर वृद्धा आश्रम में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में

60-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशनकर्ता का पत्र सं0-23090, दिनांक 02-09-2022 तथा शिकायत निवारण प्रणाली में दर्ज सं0-18150220169116 जो वृद्धा आश्रम बीसलपुर जिला पीलीभीत में भ्रष्टाचार की जाँच के विषयक प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

उप निदेशक, समाज कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा उपलब्ध कराई गई जाँच आख्या में शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर वृद्धा आश्रम में भ्रष्टाचार की जाँच विषयक

61-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-23090, दिनांक 02-09-2022 जो जन सुनवाई शिकायत निवारण प्रणाली में दर्ज सन्दर्भ संख्या-18150220160973 जो जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में संचालित वृद्धाश्रम के निरीक्षण दिनांक 20-02-2021 में पाई गई शिकायत की जाँच उप निदेशक, समाज कल्याण, बरेली मण्डल को दिनांक 29-08-2022 को आवश्यक जाँच हेतु आदेशित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

उप निदेशक, समाज कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा उपलब्ध कराई गई जाँच आख्या में शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर वृद्धा आश्रम में निरीक्षण के समय व्यापक अनियमितता विषयक

62-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-10-2022 तथा 20-02-2022 जो 02-09-2022 को वृद्धाश्रम बीसलपुर निरीक्षण के समय व्यापक अनियमितता विषयक है, उन्हें प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

उप निदेशक, समाज कल्याण बरेली मण्डल, बरेली द्वारा उपलब्ध कराई गई जाँच आख्या में शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

63-श्री सचिन यादव-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु सब्सिडी देने विषयक

64-श्री महबूब अली-

क्या औद्योगिक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचलन बढ़ाने के दृष्टिगत उक्त हेतु सब्सिडी देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में अन्तर्निहित सुसगंत प्राविधानों के अन्तर्गत प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत घुरेटनपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय घुरेटनपुर से बगैहा गांव तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण विषयक

65-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत घुरेटनपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय घुरेटनपुर से बगैहा गांव तक संपर्क मार्ग का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग मण्डी परिषद् में 'भरतकूप मड़फा मार्ग से बगहिया पुरवा' लम्बाई-1.000 (यू0आई0डी0 कोड-415023) के नाम से वर्ष 2022-23 में स्वीकृति निर्गत की गयी। प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग पर नवीनीकरण का कार्य माह नवम्बर, 2022 में पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित मुख्य मत्री टैबलेट वितरण योजना के सम्बन्ध में

66-श्री अतुल प्रधान-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित मुख्य मंत्री टैबलेट वितरण योजना में क्षेत्रीय कोई निर्देश सरकार द्वारा जारी किये गये है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''-

जी हाँ।

स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-975/77-01-2022-156/2021, दिनांक 18-07-2022 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश http://shasanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र के आर्यनगर स्थित अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीन पार्क स्टेडियम के अत्याधुनिक जिम एवं न्यू प्लेयर पवेलियन के लोकार्पण में स्थानीय विधायक के आमंत्रित न करने तथा लोकार्पण शिलालेख में नाम न लिख कर अपमानित किये जाने विषयक

67-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर स्थित अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीन पार्क स्टेडियम के अत्याधुनिक जिम एवं न्यू प्लेयर पवेलियन का दिनांक 6 मार्च, 2021 के लोकार्पण में स्थानीय विधायक के आमंत्रित न करने तथा लोकार्पण शिलालेख में नाम न लिख कर अपमानित जाने की जानकारी सरकार को है ? क्या सरकार उक्त का संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

मा0 विधायक जी के कचहरी, कानपुर स्थित कार्यालय में उप निदेशक, ग्रीन पार्क कानपुर द्वारा प्रोटोकाल का पालन करते हुये कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया गया था।

ग्रीन पार्क स्टेडियम में स्थित न्यू प्लेयर्स पवेलियन एवं जिम हाल का उद्घाटन दिनांक 06 मार्च, 2021 को किया गया था, जिसमें कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, निर्माण खण्ड-2 कानपुर द्वारा शिलालेख तैयार कराया गया था, जिसमें मा0 स्थानीय विधायक का नाम अंकित नहीं था। उप निदेशक, ग्रीन पार्क कानपुर द्वारा पुनः मा0 स्थानीय

विधायक श्री अमिताभ बाजपेई जी का नाम दोनों शिलालेखों में अंकित कराते हुये स्थापित कर दिया गया था।

वर्तमान में जो भी निर्माण/रेनोवेशन के कार्य हुये हैं, उन सभी शिलालेखों में मा0 स्थानीय विधायक श्री अमिताभ बाजपेई जी का नाम अंकित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बैटरी चालित वाहनों की खरीद एवं बढ़ते प्रयोग के दृष्टिगत पेट्रोल पम्प की तर्ज पर अधिक बैटरी रिचार्ज स्टेशन खोले जाने विषयक

68-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बैटरी चालित वाहनों की खरीद एवं बढ़ते प्रयोग के दृष्टिगत पेट्रोल पम्प की तर्ज पर अधिक बैटरी रिचार्ज स्टेशन खोले जाने पर सरकार विचार करेंगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में पेट्रोल पम्प की तर्ज पर बैटरी रिचार्ज स्टेशन खोले जाने का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:20] मा0 सदस्यों को उनके जन्म दिवस के अवसर पर बधाई

श्री अध्यक्ष-

आज 03 माननीय सदस्यों का जन्म दिन है। श्री नन्द किशोर ....

(सदस्य, श्री नन्द किशोर के खड़े होने पर सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर, निर्वाचन क्षेत्र लोनी, जिला गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा के द्वितीय बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम श्री बालेश्वर है। आपका जन्म दिनाँक 02 मार्च, 1975 को गनौली, गाजियाबाद में हुआ था। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं एलएलबी की भी शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस पर मैं और इस पूरे सदन की ओर से शुभ कामनाएँ देता हूँ।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री अजय सिंह उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री अजय सिंह, निर्वाचन क्षेत्र हरैया, जिला बस्ती से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा के द्वितीय बार सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम स्व0 नरेन्द्र बहादुर सिंह है। आपका जन्म दिनाँक 02 मार्च, 1970 को बस्ती में हुआ था। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, एम0बी0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस पर मैं और अपने इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू जन्म दिन मनाने गए हैं, उनको हम लोग यहाँ से शुभकामनाएँ दे देंगे। उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, निर्वाचन क्षेत्र बिसौली, जिला बदायूँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम स्व0 भोला शंकर मौर्य है। आपका जन्म दिनाँक 02 मार्च, 1976 को बदायूँ में हुआ था। आपने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस पर मैं और अपने इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

[12:22] समीक्षा बैठक में सम्बन्धित मा0 सदस्यगण को आमंन्त्रित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री समरपाल सिंह-

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

समरपाल सिंह जी बताइये, आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री समरपाल सिंह-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, यहाँ माननीय संसदीय कार्य मंत्री खन्ना जी बैठे हैं। एक मंत्री समीक्षा के लिए जिले में जाते हैं, लेकिन हमको नहीं बुलाया जाता है। वह निरीक्षण में गए थे, लेकिन हमें उसकी सूचना नहीं दी गयी।

श्री अध्यक्ष-

बुलाया जाना चाहिए। मैं मंत्री जी से कहूँगा कि बुलायेंगे। सब लोगों को सूचना जाती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो भी हमारे माननीय मंत्री जिस भी जिले में जाते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, उस जिले में जितने भी विधायक हैं, किसी भी राजनीतिक दल से हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबको मीटिंग में बुलाना चाहिए, जो भी सरकारी मीटिंग हो।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, माननीय विधायकों को भी चाहिए कि कम से कम मंत्री लोगों को चाय पर बुला लेते तो सब अपने आप आ जाते।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब को पहले बुलाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही थी। तो किसने पर्चे फाड़े थे वहाँ ?

श्री अध्यक्ष-

वह चुप हैं, जिसने फाड़े थे, बैठिए।

[12:27] उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों से सम्बन्धित संयुक्त समिति वर्ष 2022-23 का राजस्व विभाग से सम्बन्धित समिति का उन्चासवां प्रतिवेदन†

श्री श्रीराम चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, वर्ष 2022-2023 का राजस्व विभाग से सम्बन्धित समिति का उन्चासवां प्रतिवेदन, जो ''जनपद-मथुरा के सदर तहसील में अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्धी प्रकरण'', जनपद-महराजगंज के तहसील सदर के ग्राम सभा-बागपत में 341 व्यक्तियों को कृषि कार्य हेतु आवंटित भूमि को जिला प्रशासन द्वारा बेदखल किये जाने के फलस्वरूप उक्त भूमि पर पुनः कब्जा दिलाये जाने सम्बन्धी प्रकरण'', ''श्री राम सुमेर गौतम, निवासी ग्राम-संग्रामपुर, मजरे सैम्बसी, थाना-मोहनगंज, तहसील-तिलोई, जनपद-अमेठी के रिहायशी भूमि गाटा संख्या-203 पर से बेदखल कर जमीन हड़पने सम्बन्धी प्रकरण'' एवं श्री राजाराम राजभर पुत्र स्व0 हरदेव, निवासी ग्राम-सिंहपुर, पोस्ट-महोली, तहसील-मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने एवं दोषी के खिलाफ कार्यवाही करने विषयक प्रकरण'' पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष 2022-2023 का गृह विभाग से सम्बन्धित समिति का पचासवां प्रतिवेदन

श्री श्रीराम चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, वर्ष 2022-2023 का गृह

---

† छापा नहीं गया।

विभाग से सम्बन्धित समिति का पचासवां प्रतिवेदन, जो ''जनपद-प्रयागराज (इलाहाबाद) सोरांव, थाना-मऊआइमा में तेजाब पीड़िता सुश्री रेशमा को सरकारी सहायता दिलाने एवं दोषियों को जेल भेजने विषयक प्रकरण'', श्री किशोर वर्मा, अध्यक्ष, आटो ओनर्स/चालक वेलफेयर एसोसिएशन 555 ख-78/91, ''नया भोला खेड़ा, थाना कृष्णानगर, लखनऊ को भ्रामक सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने विषयक प्रकरण'' एवं ''श्री गुरूप्रसाद कोरी, निवासी ग्राम-बबुरी टोला, थाना-मुंशीगंज, तहसील-गौरीगंज, जनपद-अमेठी में सवर्णों द्वारा काटे गए पेड़ों को वापस दिलाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने विषयक प्रकरण'' पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

[12:28] श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा कानपुर नगर व अन्य के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन व सदन की अवमानना के दोषी कार्मिकों को दण्डित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)**-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन मा0 सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा, कानपुर नगर तथा अन्य पांच पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अधिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 25 अक्टूबर, 2004 के क्रम में विशेषाधिकार समिति (2005-2006) द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 28 जुलाई, 2005 में की गई संस्तुतियों पर एवं अट्ठारहवीं विधान सभा की मा0 विशेषाधिकार समिति (2022-2023) की बैठक दिनांक 01 फरवरी, 2023 एवं 27 फरवरी, 2023 में की गई संस्तुतियों के अनुपालन में दोषी कर्मी-

1-श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा, कानपुर नगर,

2-श्री ऋषिकान्त शुक्ला, तत्कालीन थानाध्यक्ष, किदवईनगर, कानपुर नगर,

3-श्री त्रिलोकी सिंह, तत्कालीन उप निरीक्षक, थाना कोतवाली, कानपुर नगर,

4-श्री छोटे सिंह यादव, तत्कालीन कान्स्टेबल, थाना-किदवईनगर, कानपुर नगर,

5-श्री विनोद मिश्र, तत्कालीन कान्स्टेबल, थाना-काकादेव, कानपुर नगर,

6-श्री मेहरबान सिंह यादव, तत्कालीन कान्स्टेबल, थाना-काकादेव, कानपुर नगर को कारावास का दण्ड प्रदान किया जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-301 की कुल 87 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से निम्नलिखित 30 माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री राकेश कुमार गोस्वामी की कैमूर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत पड़ने वाले जनपद महोबा को वन विभाग कार्यालय महोबा में प्रशासनिक रूप से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रकाश द्विवेदी की जनपद बांदा में थाना गिरवा के अन्तर्गत खुरहण्ड पुलिस चौकी एवं नगर कोतवाली अन्तर्गत सिविल लाइन पुलिस चौकी को थाना का दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री दुधराम की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में कतिपय सड़कों की विशेष मरम्मत एवं निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री श्रीकान्त कटियार की जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में कतिपय पुलियों का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड इकौना में सीताद्वार प्राचीन मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर पिच रोड का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज की अलीगंज तहसील मुख्यालय पर मण्डी स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झाँसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा नदी पर खिरिया घाट के रपटा के स्थान पर पुल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री लक्ष्मी राज सिंह की जनपद बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री वीरेन्द्र चौधरी की जनपद कौशाम्बी में जिलाधिकारी द्वारा शासन द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध आग्नेयास्त्रों की वरासत की पत्रावलियों का अनुमोदन न किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर, विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत बटाऊवीर-मई-लेदुका शेष भाग, उसरा बाजार-कंघी-मछलीशहर तथा सिंगरामऊ से गौरामाफी, गद्दोपुर से पुरालाल मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री अशरफ अली खान की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में खेल का मैदान बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह में मिनी स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में स्वीकृत विकास खण्ड मंगापुर उदयपुर को क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बड़हलगंज के अन्तर्गत वैरियाखास के पास बने पीपे के पुल को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र

जंगीपुर के अन्तर्गत कालूपुर से युवराजपुर सड़क के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्रीमती विजमा यादव की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत भेलरवा और बघेड़ी के बीच वरना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में घाघरा नदी पर खरीद दरौली घाट पर पुल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां ब्लाक जोया के अतरासी की सभी सड़कें तथा नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत गुजरने वाली इन्दारा राजवाहा की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री छोटे लाल वर्मा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में एक स्टेडियम बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री गणेश चन्द्र की जनपद संत कबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा में औद्योगिक जमीन पर पराग/अमूल का प्लाण्ट लगाये जाने के संबंध में है, बाइसवीं सूचना श्री मौहम्मद फहीम इरफान की मुरादाबाद मण्डल में रोडवेज बसों के कुशल संचालन हेतु नयी भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री पंकज सिंह की जनपद गौतमबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र नोएडा में 4 नए राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना डा0 मनोज कुमार प्रजापति की जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत सिसोलर को न्याय पंचायत/ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में महिला राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पशु अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्रीमती ओममणी वर्मा की जनपद बाँदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी के अन्तर्गत राजमार्ग संख्या-71 हेतु कस्बा अतर्रा से बाहर बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वि0ख0 बघरा के ग्राम पिन्ना में निर्माणाधीन पानी की टंकी का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना डा0 हृदय नारायण सिंह पटेल की जनपद मऊ के नगर पंचायत अमिला में ग्राम पंचायत सोनाडीह को जोड़े जाने सम्बन्ध में है तथा तीसवीं सूचना श्री मदन भैया की जनपद लखनऊ में पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के पूर्व आवंटित आवास को संग्रहालय बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

श्री निर्मल वर्मा, श्री जियाउर्रहमान बर्क, श्री सन्दीप सिंह, श्रीमती नीलिमा कटियार, श्री बम्बा लाल, डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री मुकेश चौधरी, श्रीमती पल्लवी पटेल, श्री आशुतोष शुक्ला, श्री मनीष रावत, श्रीमती अलका सिंह अर्कवंशी, श्री हरिओम वर्मा, डा0 डी0सी0 वर्मा, श्री राजीव कुमार सिंह ''बब्बू भैया'', श्री नन्द किशोर गुर्जर, श्री प्रदीप

शुक्ला, श्री आशु मलिक, श्री मोहम्मद ताहिर, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्रीमती गीता शास्त्री, श्री बेदी, श्री लालजी वर्मा, श्री राम अचल राजभर, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री हंसुराम, श्री सुरेन्द्र चौरसिया, श्री अजय सिंह, श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री प्रकाश द्विवेदी, श्रीमती अंजुला माहौर, श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट, श्री प्रभात कुमार वर्मा, श्री कैलाश नाथ शुक्ला, श्री पल्टूराम, श्री अनिल कुमार, श्री अजय सिंह, श्री बेचई सरोज, श्री अशोक कुमार, श्री राजीव गुम्बर, श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, डा0 आर0 के0 पटेल, डा0 विमलेश पासवान, श्री ओम प्रकाश, श्री निर्मल वर्मा, डा0 शिव प्रताप यादव, डा0 वीर विक्रम सिंह प्रिंस, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री राम पाल वर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, श्री ब्रज भूषण सिंह राजपूत, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री रविदास मेहरोत्रा, डा0 राघवेन्द्र शर्मा, श्री तस्लीम अहमद, श्री अताउर रहमान तथा श्रीमती जय देवी।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

कैमूर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत पड़ने वाले जनपद महोबा के वन प्रभाग कार्यालय महोबा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश कुमार गोस्वामी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूँ।

कैमूर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत पड़ने वाले जनपद महोबा वन प्रभाग कार्यालय महोबा में प्रशासनिक रूप से सम्बद्ध नहीं है। जोकि महोबा जनपद के बहुत पास स्थित है। उक्त कैमूर वन्य जीव विहार को प्रशासनिक रूप से सम्बद्ध किया जाना जनसामान्य के लिए भी अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उक्त कैमूर वन्य जीव विहार जनपद महोबा में स्थित होने के नाम से जाना जाने लगेगा।

अतः कैमूर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत पड़ने वाले जनपद महोबा को वन प्रभाग कार्यालय महोबा में प्रशासनिक रूप से सम्बद्ध किए जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद-बांदा के थाना-गिरवा के अन्तर्गत खुरहण्ड पुलिस चौकी एवं नगर कोतवाली अन्तर्गत सिविल लाइन्स पुलिस चौकी को थाना का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश द्विवेदी-

[महोदय, मेरे विधान क्षेत्र बाँदा, जनपद-बाँदा के थाना गिरवा अन्तर्गत खुरहण्ड पुलिस चौकी तथा नगर कोतवाली अन्तर्गत सिविल लाइन पुलिस चौकी का क्षेत्र काफी बड़ा होने के कारण अपराधों में वृद्धि हो रही है। कोई भी घटना होने पर पुलिस समय से नहीं पहुँच पाती

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। उक्त दोनों पुलिस चौकियों के क्षेत्रफल को देखते हुए थाना दर्जा देकर थाना घोषित किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद बाँदा में थाना गिरवा अन्तर्गत खुरहण्ड पुलिस चौकी एवं नगर कोतवाली अन्तर्गत सिविल लाइन पुलिस चौकी को थाना का दर्जा दिये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में कतिपय सड़कों की विशेष मरम्मत व निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुधराम-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-311, महादेवा में निम्न मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य, उच्चीकरण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

1-विकास खण्ड बस्ती सदर बस्ती महुली मार्ग से गोपालपुर गरवाह होते हुए सड़क का विशेष मरम्मत कार्य एवं उच्चीकरण 3 किमी0।

2-विकास खण्ड बहादुरपुर बस्ती कलवारी मार्ग से कैथवलिया एकसड़ा मार्ग तक सड़क का नव निर्माण कार्य।

3-विकास खण्ड बहादुरपुर बस्ती कलवारी एल0डी0 मार्ग से नरसिंघा पार्क तक सड़क का पुनः निर्माण एवं चौड़ीकरण।

4-विकास खण्ड बनकटी देईसाड़ बानपुर मार्ग से खरवनियां होते हुए सुरसा तक सड़क का विशेष मरम्मत कार्य।

5-विकास खण्ड बनकटी देईसाड़ से डिहिया होते हुए बमैडी तक सड़क का विशेष मरम्मत कार्य।

6-विकास खण्ड बनकटी डिहिया से जोगिया होते हुए बनकटी पक्कवा बाजार तक सड़क का विशेष मरम्मत कार्य, उच्चीकरण, चौड़ीकरण।

7-विकास खण्ड बस्ती सदर पाकरडाण से शिव मंदिर से डिग्री कालेज होते हुए रामपुर रोड तक सड़क का विशेष मरम्मत कार्य।

8-विकास खण्ड बनकटी के सैदवार भट्ठे से मेहड़ा गांव तक लगभग 1.5 किमी0 मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

9-विकास खण्ड-बस्ती सदर के बायपोखर पानी की टंकी के बगल से बायपोखर गांव तक लगभग 1.5 कि0मी0 मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य।

अतः मा0 महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद-उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीकान्त कटियार-

[महोदय, कृपया आपको सादर अवगत कराना है, कि 162 बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र जनपद उन्नाव के अन्तर्गत जनहित में जर्जर पुलिया/नई पुलियों का निर्माण कराया जाना है।

क्र0-स0	ग्राम का नाम
1	गदनाखेडा की पुलिया PWD की सड़क पर।
2	बेरियागाड़ा की पुलिया PWD की सड़क पर।
3	ताजपुर की पुलिया PWD की सड़क पर।
4	अमीरपुर गम्भीरपुर के मजरा नेवादा की पुलिया PWD की सड़क पर।
5	फरीदपुर कट्टर के मजरा मल्हन पुरवा की PWD की सड़क पर।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए 162-विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ, जनपद-उन्नाव के विभिन्न ग्रामों में लोक निर्माण विभाग सी0डी0-1 उन्नाव के अन्तर्गत जर्जर पुलियों/नई पुलियों का निर्माण कार्य हेतु संबधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद-श्रावस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड इकौना से सीताद्वार प्राचीन मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम फेरन पाण्डेय-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-290, श्रावस्ती, जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड इकौना में सीताद्वार प्राचीन मंदिर स्थित है। सीताद्वार परिक्रमा मार्ग पर महापर्व में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है, जिस पर पिच रोड न होने के कारण श्रद्धालुओं को परिक्रमा में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उक्त मार्ग पर पिच रोड लम्बाई 06 किमी0 का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के मुख्यालय अलीगंज में मण्डी स्थल बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-103, अलीगंज, जनपद-एटा के तहसील अलीगंज में किसानों की सुविधा के लिए मण्डी स्थल नहीं है। अलीगंज जनपद मुख्यालय से 55 किमी0 दूर मण्डी स्थित है जिस कारण किसानों को 55 किमी0 की दूरी तय करके मण्डी तक जाना पड़ता है जिससे किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जनहित में अलीगंज तहसील मुख्यालय पर मण्डी स्थल बनाये जाने हेतु आदेशित किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद-झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा नदी पर खिरिया घाट के रपटा के स्थान पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोकमहत्व के विषय को लाना चाहता हूँ।

सादर अनुरोध है कि जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा नदी पर खिरिया घाट के रपटा के स्थान पर पुल का निर्माण कराया जाना है। गरौठा तहसील के लोगों को मोंठ आने जाने में 50 से 100 किमी0 का सफर तय करना पड़ता है। मोंठ गुरसराय रोड के बेतवा नदी पर खिरिया घाट पर रपटा बना हुआ है जो बरसात के 4 माह हमेशा बन्द रहता है। इसके बाद भी आवागमन बाधित रहता है। उक्त खिरिया घाट के पास ही डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। पुल बन जाने पर झांसी से सीधे डिफेंस कॉरिडोर पहुँचा जा सकता है। एरच बांध का भी निर्माण यहीं हो रहा है, इसलिए रपटा पर पानी का भराव आ जायेगा। उक्त खिरिया घाट रपटा के दोनों तरफ 20-20 किमी0 तक कोई पुल नहीं है। उक्त परियोजना में चार-चार सौ करोड़ रुपये भी खर्च हो गये हैं।

गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा नदी पर खिरिया घाट के रपटा के स्थान पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मीराज सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्र में कोई मुंसिफ कोर्ट स्थित नहीं है। सिकन्द्राबाद में मुंसिफ कोर्ट की मांग विगत 40 वर्षों से चल रही है। चूंकि सिकन्दराबाद क्षेत्र काफी सघन आबादी वाला क्षेत्र है। जनहित में सिकन्दराबाद में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद-कौशाम्बी में जिलाधिकारी द्वारा शासन द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध आग्नेयास्त्रों की वरासत की पत्रावलियों का अनुमोदन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र चौधरी-

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में अतिमहत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूँ कि शासन द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध जनपद कौशाम्बी के जिलाधिकारी द्वारा आग्नेयास्त्रों की वरासत की पत्रावलियों का अनुमोदन नहीं किया जा रहा है। जबकि लगभग 35 नई पत्रावलियों पर अनुमोदन दिया जा चुका है। इस कृत्य से कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जिलाधिकारी द्वारा तय अवधि के दौरान अनुमोदन नहीं किया जाता है। रिपोर्ट के छः माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् पत्रावली पुनः पुलिस अधीक्षक कार्यालय वापस कर दी जाती है और वह पत्रावलियां थानों में तब तक लम्बित रहती हैं जब तक कुछ लेन-देन न कर दिया जाय। वर्ष 2021 से अब तक वरासत की कई पत्रावलियां लम्बित हैं जिन पर जिलाधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उच्च स्तरीय जाँच की मांग करता हूँ।]

जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-बदलापुर के अन्तर्गत बटाऊवीर-मई-लेदुका शेषभाग, बाजार-कंधी-मछलीशहर तथा सिंगरामऊ से गौरामाफी, गद्दोपुर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से पूरालाल मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जनहित में आवश्यक है। यह मार्ग कई जनपदों को जोड़ने वाला मार्ग मुख्यमार्ग है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद-शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में जेल का मैदान बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशरफ अली खान-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र-थानाभवन के कस्बा जलालाबाद की बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र होने के बाद भी एक भी खेल का मैदान नहीं है जिससे नगर पंचायत जलालाबाद एवं क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की खेल-कूद की प्रतियोगिताओं हेतु तैयारी नहीं हो पाती है जिसके कारण क्षेत्र के युवा अन्यत्र पलायन कर रहे हैं। खेल का मैदान न होने के कारण क्षेत्र की प्रतिभाओं को प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है एवं प्रतिभावानों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त खेल मैदान की भूमि हेतु अनेक बार सम्बन्धित विभाग को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया लेकिन काफी समय बीत जाने उपरान्त अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्र की जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र-थानाभवन में खेल के मैदान हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह में मिनी स्टेडियम बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती केतकी सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है, कि मेरी विधान सभा क्षेत्र बांसडीह जनपद-बलिया में कोई भी स्टेडियम नहीं है, जिससे यहाँ के बच्चों को खेल के क्षेत्र में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तथा मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम बनवाने हेतु जमीन उपलब्ध है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में स्वीकृत विकास खण्ड मंगापुर-उदयपुर को क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा मोना-

[महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास, जनपद प्रतापगढ़ अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टिकोण से लोगों को अत्यन्त परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने के लिए तथा लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से जनहित में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहसील लालगंज के अन्तर्गत 'मंगापुर उदयपुर' के नाम से एक नया विकास खण्ड स्वीकृत किया गया है, जिसका शासनादेश और सरकारी गजट भी जारी हो गया है, किन्तु अभी तक इसको क्रियाशील नहीं किया गया है। उक्त विकास खण्ड से जहाँ क्षेत्र का चातुर्दिक विकास होगा, वहीं लोगों को भी सुविधा होगी। नवसृजित 'मंगापुर उदयपुर' विकास खण्ड जनहित में अतिशीघ्र क्रियाशील किया जाना आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

जनपद-गोरखपुर के चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बड़हलगंज अन्तर्गत बैरियाखास के पास बने पीपे के पुल को पक्का कराये जाने के सम्बध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार जनपद गोरखपुर के ब्लाक बड़हलगंज अन्तर्गत राप्ती नदी पर गोरखपुर और देवरिया जनपद के सैकड़ों गॉवों को जोड़ने के लिए पीपे का पुल प्रत्येक वर्ष बनता है और बाढ़ के दिनों में हट जाता है, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। उक्त बैरियाखास के पास राप्ती नदी पर बने पीपे के पुल के समीप ही नाला भी पड़ता है जिससे क्षेत्र की जनता बांस-बल्ली के सहारे पीपे के पुल से होकर आती-जाती है। उक्त स्थान पर काफी समय से पक्का पुल बनाये जाने की मांग की जा रही है। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से आम जन मानस में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। जनहित में राप्ती नदी पर पक्का पुल बनाये जाने के साथ ही नाले पर लघु सेतु बनाकर समस्या का निराकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त स्थान पर राप्ती नदी पर पक्का पुल एवं नाले पर लघु सेतु बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत कालूपुर से युवराजपुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विरेन्द्र यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर, जनपद गाजीपुर अन्तर्गत ग्राम सभा कालूपुर से युवराजपुर सड़क जो काफी जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे आवागमन में काफी कठिनाई होती है। आये दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। बाढ़ के दिनों में यह सड़क बन्धे का काम करती है। इसलिए इस सड़क का उच्चीकृत एवं चौड़ीकरण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल उपरोक्त पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत भेलरवा और बघेड़ी के बीच वरुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजमा यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व एवं जनहित के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत भेलरवा बाजार से सड़क वरुना नदी के उस पार तक जाती है। नदी पर पुल न होने के कारण आस-पास के लगभग 50 गाँव के लोग पानी में घुसकर उस पार जाते हैं। बरसात के मौसम में तो बहुत कठिनाई होती है। महिलाओं को पानी में घुसकर जाना पड़ता है किसान, व्यापारी, आम-जनता का आवागमन इसी रास्ते से होता है। नदी पर पुल न होने से आम जन मानस में सरकार के प्रति काफी निराशा है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय पर भेलरवा और बघेड़ी के बीच वरना नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना तथा दोनों तरफ की लगभग 02 किमी0 सड़क की मरम्मत कराये जाने हेतु सरकार से मांग करती हूँ।]

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में घाघरा नदी पर खरीद-दरौली घाट पर पुल का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोकमहत्व के महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर जनपद बलिया के अन्तर्गत घाघरा नदी पर खरीद-दरौली घाट पर पक्का पुल वर्ष 2015-16 में स्वीकृत हुआ है जिसमें माननीय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अखिलेश यादव जी की सरकार में 17 करोड़ रुपये जारी किया गया था जिसमें सेतु निगम एवं हिग्गल कम्पनी के द्वारा टेण्डर करके निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसमें कम्पनी द्वारा लगभग 15 पिलर आधे से ऊपर लम्बाई में बन चुके हैं। परन्तु सेतु निगम द्वारा कार्य मन्द गति से चल रहा है। घाघरा नदी का कटान इस समय बलिया जनपद के ग्राम खरीद - दरौली की तरफ है जिससे हजारों एकड़ जमीन घाघरा नदी में समाहित हो चुकी है। इस समय बलिया जनपद की तरफ बहुत तेजी से कटान हो रहा है। जिसमें 15 दिन में ही करीब 200 एकड़ जमीन कट गई है एवं नदी का बहाव खरीद गांव की तरफ तेजी से हो रहा है। इस घाट को सेतु निगम के एम0डी0 ने देखा था तो उस समय कटान नहीं थी उन्होंने कहा कि अप्रोच बन जाने से नदी का कटान रुक जायेगा परन्तु ऐसा नहीं है। इस समय यदि सेतु निगम एवं सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग के बड़े अधिकारी मौका का निरीक्षण करेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। इसके 5 पिलर तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है नहीं तो बाढ़ में पुल के अस्तित्व का संकट पैदा हो जायेगा। इस कारण इसको ठोकर के तौर पर लगभग 05 पिलर और बढ़ाने की आवश्यकता है। विभागीय अधिकारी मौके पर निरीक्षण भी कर चुके हैं। इस पुल के आवागमन हेतु अप्रोच पर मिट्टी का कार्य पूरी तरह नहीं हो पाया है और अधूरा पड़ा है जिससे आम जनमानस में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस जनहित एवं लोकमहत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल बलिया जनपद के अन्तर्गत घाघरा नदी पर खरीद-दरौली निर्माणाधीन पुल पर तत्काल धन आवंटित कर पाँच पिलर और बढ़ाये जाने एवं समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद-अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां, ब्लाक जोया के अतरासी की सभी सड़कों तथा नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जनपद अमरोहा, विधान सभा क्षेत्र-40, नौगावां सादात, ब्लाक-जोया के अतरासी गांव की सभी सड़कों एवं नालियों का निर्माण कार्य कराया जाना बहुत ही आवश्यक है। ब्लाक जोया के अतरासी गाँव जो आबादी के हिसाब से बहुत ही बड़ा गांव है। बारिश के दिनों में जलभराव बना रहता है, जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। उक्त कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया, परन्तु इस कार्य को कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया। उक्त कार्य न होने के कारण सरकार के प्रति क्षेत्रीय जन-मानस में काफी रोष व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनपद अमरोहा, विधान सभा क्षेत्र-40, नौगावां सादात, ब्लाक-जोया के अतरासी गांव की सभी सड़कों एवं नालियों का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत गुजरने वाली इन्दारा रजवाहा की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-32 से निकलने वाली इन्दारा रजवाहा ग्राम सभा सुल्तानपुर से लेकर कोपवा बहादुरपुर तक वाया सिंघई, रामनगर, सॅवरा, खलीलपुर, उचेड़ा, डुमरी अत्यन्त जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण नहर में पानी छोड़े जाने पर प्रतिवर्ष नहर के दोनों किनारे जगह-जगह से ढह जाने के कारण इससे हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो जाया करती है जिससे किसानों को अत्यधिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तथा गरीब किसान लाचार अवस्था में केवल अपनी फसलों की बर्बादी पर आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाली इन्दारा राजवाहा को ग्राम सभा सिंघई से डुमरी तक पक्का कराये जाने हेतु शासन से कार्यवाही/ वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में एक स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटेलाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कोई भी स्टेडियम नहीं है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभाओं में भाग लेने हेतु नगरपालिका शमसाबाद, नगर पंचायत फतेहाबाद व कुलिए देहात में युवाओं के लिये खेल कूद के लिए स्टेडियम कोई नहीं है। जनहित में स्टेडियम का निर्माण आवश्यक है। जबकि सरकार के द्वारा दिये जाने वाले आरक्षण में खिलाड़ियों को वरीयता दी जाती है। फतेहाबाद में स्टेडियम न होने के कारण खिलाड़ी खेलकूद में भाग नहीं ले पाते हैं जिसके कारण शासन के आरक्षण का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व/जनहित के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-संत कबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा में औद्योगिक जमीन पर पराग/अमूल का प्लान्ट लगाये जाने के सम्बन्ध के नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गणेश चन्द्र-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-धनघटा जनपद-संत कबीरनगर के विकास खण्ड हैंसर के अन्तर्गत ग्राम भलौली में स्थित औद्योगिक जमीन पर पराग/अमूल दूध प्लाण्ट लगाया जाना जनहित में अति आवश्यक है। हमारे यहाँ दुधारू पशुओं की संख्या अत्यधिक है। मवेशियों को दूध को औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है, जिससे उनकी आय में कोई इजाफा नहीं हो पाता है। प्लाण्ट लगने से रोजगार का सृजन होगा और मवेशियों को भी लाभ मिलेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

मुरादाबाद मण्डल में रोडवेज बसों के कुशल संचालन हेतु नई भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री **मौहम्मद फहीम इरफान-**

[महोदय, मुरादाबाद मंडल में रोडवेज के परिचालकों की कमी के चलते मुरादाबाद मंडल में 30 बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। रोडवेज में बीते 10 परिचालक की भर्ती नहीं हुई है। 688 रोडवेज बसों को चलाने के लिये न्यूनतम 1200 परिचालकों की आवश्यकता होती है, इसके विपरीत 770 परिचालक कार्यरत हैं। रोडवेज बसों के सुचारू संचालन हेतु परिचालक भर्ती कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये मुरादाबाद (मंडल) में 430 रोडवेज के परिचालक पद पर शीघ्र भर्ती कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-गौतमबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र नोएडा में 4 नए राजकीय इण्टर कालेजों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि नोएडा एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। वर्तमान में यहां राजकीय एवं सहायता

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राप्त इण्टर कॉलेजों की संख्या बहुत कम है। उक्त विद्यालयों की धारण क्षमता कम होने के कारण अधिक विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं हो पाता है, जिस कारण छात्र/छात्राओं को वित्तविहीन विद्यालयों में जाना पड़ता है। जहां फीस अधिक होने के कारण बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है अथवा दूर जाना पड़ता है। परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं, जिसमें ज्यादातर संख्या लड़कियों की होती है। गत वर्षों से नोएडा में भारी जनसंख्या वृद्धि होने के कारण यहां 4 अतिरिक्त राजकीय इंटर कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में विभाग को पत्र के माध्यम से अवगत करा चुका हूँ।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूँ।]

जनपद-हमीरपुर के अन्तर्गत सिसोलर को ब्लाक बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति-

[महोदय, जनपद-हमीरपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मौदहा, जनपद का सबसे बड़ा ब्लाक है जिसकी आबादी लगभग 1 लाख 70 हजार है। दर्जनों ग्राम पंचायतों की विकास खण्ड मुख्यालय मौदहा से 20 से 25 किमी0 की दूरी है जिस कारण से दूरस्थ ग्रामवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। न्याय पंचायत सिसोलर ब्लाक बनने के सभी मानक पूर्ण करता है। अतः न्याय पंचायत सिसोलर को जनहित में विकास खण्ड बनाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में महिला राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूलाल-

[महोदय, अवगत कराना है जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी अन्तर्गत महिला राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये दूर दराज जाना पड़ता है जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और धन का भी अपव्यय होता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पशु अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[महोदय, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र गंगा और घाघरा नदी के बीच तराई क्षेत्र होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादातर पशुपालन कर अपनी जीविका चलाते है। समय-समय पर अनेक प्रकार के रोगों के होने के कारण पशुपालकों को समय से इलाज न मिलने के कारण पशुओं का सही इलाज न होने के कारण अकाल मौत हो जाती है, क्योंकि बैरिया तहसील मुख्यालय पर पशुपालन विभाग का कोई भी आधुनिक दवाओं से युक्त अस्पताल नहीं है।

अतः बाढ़ क्षेत्र के पशुपालकों की गम्भीर स्थिति को देखते हुए सरकार से वक्तब्य की मांग करते हुए बलिया जनपद के बैरिया तहसील मुख्यालय पर आधुनिक दवाओं से युक्त एक पशुपालन विभाग का बड़ा अस्पताल स्थापित कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद-बांदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी के अन्तर्गत राजमार्ग संख्या-71 हेतु कस्बा अतर्रा से बाहर बाइपास बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ओममणी वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद-बाँदा के अन्तर्गत-234, नरैनी बाँदा के अन्तर्गत कस्बा अतर्रा जिसकी आबादी एक लाख से ऊपर है। यहाँ पर दो महाविद्यालय व आठ इण्टर कालेज एवं जूनियर व प्राइमरी स्तर के कई विद्यालय व तहसील मुख्यालय हैं और रेलवे स्टेशन भी है। कस्बा अतर्रा के अन्दर से राजमार्ग संख्या-71 फतेहपुर-करतल गुजरता है और कस्बे के अन्दर ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 निकलता है जिसके कारण कस्बा अतर्रा के अन्दर प्रत्येक दिन घण्टों जाम लगा रहता है जिससे आम जनमानस को परेशानी होती है जिसको लेकर जन आक्रोष व्याप्त होता है और शान्ति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है। उपरोक्त आम जनमानस की गम्भीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ तथा राजमार्ग संख्या-71 फतेहपुर-करतल मार्ग में कस्बा अतर्रा में जाम से निजात पाने हेतु कस्बे के बाहर से नहर पटरी होते हुए बाईपास बनाया जाना आवश्यक है।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के नरैनी विधान सभा क्षेत्र जनपद-बांदा के उपरोक्त वर्णित राजमार्ग संख्या-71 में कस्बा अतर्रा की जाम की समस्या से निपटने हेतु केन नहर पटरी होते हुए बाईपास बनाये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करती हूँ।]

जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड-बघरा के ग्राम पिन्ना में निर्माणाधीन पानी की टंकी का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जनपद-मुजफ्फरनगर विकास खण्ड बघरा के

ग्राम पिन्ना में निर्माणाधीन पानी की टंकी है जिसका कार्य लगभग 8 से 10 वर्षों से चल रहा है लेकिन आज तक उक्त निर्माणाधीन टंकी का कार्य पूर्ण न होने कारण गांव के छोटे बड़े रास्ते क्षतिग्रस्त हैं जिस कारण लोगों का आवागमन भी बाधित रहता है। उक्त कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा सम्बन्धित विभाग एवं अधिकारियों को अनेक बार अवगत कराया गया है लेकिन अभी तक उक्त निर्माणाधीन टंकी का कार्य पूर्ण नही हो पाया और न ही पीने के पानी की सप्लाई हो पायी है जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ज़नहित में उक्त निर्माणाधीन टंकी की गुणवत्ता की जांच एवं निर्धारित समय में निर्माणाधीन टंकी का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद-मऊ के नगर पंचायत अमिला में ग्राम-पंचायत सोनाडीह को जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

[महोदय, जनपद मऊ के नगर पंचायत अमिला सरकार द्वारा विस्तारित करने के बाद भी मानक के अनुरूप आबादी की संख्या कम है। नगर पंचायत का विस्तार करने के बाद भी आबादी 18000 (अट्ठारह हजार) के लगभग है। नगर पंचायत से सटे ग्राम पंचायत सोनाडीह जिसकी जनसंख्या दो हजार है। विस्तारित नगर पंचायत में ग्राम पंचयात सोनाडीह को जोड़ने के लिए ग्रामवासियों की अभिलाषा है।

अतः लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए विस्तारित नगर पंचायत अमिला में ग्राम पंचायत सोनाडीह को जोड़ने की माँग करता हूँ।]

जनपद-लखनऊ में पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के पूर्व आवंटित आवास को संग्रहालय बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन भैया-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इटावा के सैफई गांव में 22 नवम्बर, 1939 में जन्म लेने वाले मा0 मुलायम सिंह यादव जी वर्ष 1967 में पहली बार विधायक चुने गये और उन्होंने अपने बलबूते 1992 में एक पूरी पार्टी न सिर्फ खड़ी की बल्कि उ0प्र0 के तीन बार खुद मुख्य मंत्री रहे। देश के रक्षा मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बहुत लोकप्रिय रहा था। उनकी राजनीतिक पाठशाला से निकल कर बहुत बड़ी संख्या में लोग विधान सभा और लोक सभा में चुनकर पहुँचे हैं। उन्होंने देश की कई सरकारों को बनाने और

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बचाने का काम किया था। खुद भी प्रधान मंत्री पद के मजबूत दावेदार रहे और प्रधानमंत्री बनते-बनते रह गये थे। उत्तर प्रदेश में मा0 नेता जी ने अभूतपूर्व कार्य किये हैं जो देश की अन्य सरकारों के लिए नजीर साबित हुये। सर्वप्रथम बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता, सरकारी अस्पतालों में एक रुपये में पर्चा, गरीब किसानों को मुफ्त सिंचाई, कन्या विद्या धन, गाँवों में शौचालय के लिए निर्मला गांव योगदान। शहीदों का शव उनके घर तक पहुँचाने की कवायद, पुलिस विभाग में आउट आफ टर्म प्रमोशन, पंचायतों में आरक्षण लागू करने, चुंगी मॉफ किये जाने आदि अनेक ऐसे कार्य किये हैं जो उ0प्र0 के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुये हैं। 10 अक्टूबर, 2022 को मा0 नेता जी का निधन हो गया। मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 26 जनवरी, 2023 की पूर्व संध्या पर स्वर्गीय नेता जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। राज्य सरकार को भी उनके सम्मान में कदम उठाते हुये उनके पुराने आवास 5 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ, जो वर्षों तक उनकी कर्म स्थली रहा, उसे उनकी याद में संग्रहालय बनाने का काम करना चाहिए।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से उनके पुराने आवास 5 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ को उनकी याद में संग्रहालय बनाने की माँग करता हूँ।]

[12:28] श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा, कानपुर नगर व अन्य के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन व सदन की अवमानना के दोषी कार्मिकों को दण्डित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब मैं इस पर प्रश्न उपस्थित कर देता हूँ।

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसमें अभी पूरा प्रस्ताव नहीं आया है। अभी हम पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपने पढ़ दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अभी हमने पूरा कहाँ पढ़ा है ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मा0 मंत्री जी आप पढ़िए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह अनुरोध है कि यह प्रस्ताव कल दिनांक 03 मार्च, 2023 को चर्चा हेतु सदन में ले लिया जाए। इसके साथ ही प्रमुख सचिव, गृह एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को इस आशय के निर्देश प्रेषित किए जाएँ कि वे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को कल सदन में पेश करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन मा0 सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा, कानपुर नगर तथा अन्य पाँच पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 25 अक्टूबर, 2004 के क्रम में विशेषाधिकार समिति (2005-2006) द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 28 जुलाई, 2005 में की गई संस्तुतियों पर एवं अट्ठारहवीं विधान सभा की मा0 विशेषाधिकार समिति (2022-2023) की बैठक दिनांक 01 फरवरी, 2023 एवं 27 फरवरी, 2023 में की गई संस्तुतियों के अनुपालन में दोषी कर्मियों-

1-श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा, कानपुर नगर,

2-श्री ऋषिकांत शुक्ला, तत्कालीन थानाध्यक्ष, किदवई नगर, कानपुर नगर,

3-श्री त्रिलोकी सिंह, तत्कालीन उप निरीक्षक, थाना- कोतवाली, कानपुर नगर,

4-श्री छोटे सिंह यादव, तत्कालीन कान्स्टेबल, थाना- किदवई नगर, कानपुर नगर,

5-श्री विनोद मिश्र, तत्कालीन कान्स्टेबल, थाना-काकादेव, कानपुर नगर,

6-श्री मेहरबान सिंह यादव, तत्कालीन कान्स्टेबल, थाना-काकादेव, कानपुर नगर को कारावास का दण्ड प्रदान किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अब प्रतिवेदन की प्रतियाँ बाँट दी जाएँ।

(तत्पश्चात् सदन में उक्त प्रतिवेदन की प्रतियाँ बाँटी गईं)

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव आज विशेषाधिकार हनन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया, उस पर चर्चा हेतु कल दिनांक 03 मार्च, 2023 का दिन नियत किया जाए। इसके साथ ही प्रमुख सचिव, गृह एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को इस आशय के निर्देश प्रेषित किए जाएँ कि वे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को कल दिनांक 03 मार्च, 2023 को विधान सभा के मार्शल को उन्हें सदन में पेश करने के लिए सुपुर्द करें।

[12:34] वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान

श्री अध्यक्ष-

आज बहुत महत्वपूर्ण विभागों के बजट के ऊपर चर्चा होगी। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ फिर उनसे निवेदन करूँगा। मद संख्या-6(1) मा0 जल शक्ति मंत्री, मद संख्या-6(2) मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मद संख्या-6(3) मा0 परिवार कल्याण मंत्री, मद संख्या-6(4) मा0 जल शक्ति मंत्री, मद संख्या-6 (5) मा0 जल शक्ति मंत्री, मद संख्या-6(6) मा0 जल शक्ति मंत्री की है। मेरा निवेदन है कि विधान सभा की कार्य-सूची के अनुसार मा0 जल शक्ति मंत्री की मद संख्या-6(1), मद संख्या-6(4), मद संख्या-6(5) और मद संख्या-6(6) है। ये सारी मदें मा0 जल शक्ति मंत्री जी के विभाग की हैं। मेरा मा0 जल शक्ति मंत्री जी से निवेदन है कि आप इन चारों मदों को एक साथ प्रस्तुत कर देंगे और इसके ऊपर कटौती मा0 शिवपाल सिंह यादव जी आप रखेंगे। मा0 मंत्री जी तो जितना भी समय लेंगे और मा0 शिवपाल जी आप अपनी बात को 15-20 मिनट में रखने का प्रयास करिएगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, मुझे एक घण्टा लगेगा क्योंकि यह विभाग बहुत बड़ा है।

श्री अध्यक्ष-

आपका दिल भी बहुत बड़ा है लेकिन आप गागर में सागर कैसे भरते हैं, आज मा0 शिवपाल जी हम सब लोगों को बताएँगे।

अनुदान सं0-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथ चिकित्सा) को कार्य-सूची में जोड़ते हुए उस पर चर्चा एवं मतदान कराने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, कल एक यह एलोपैथिक चिकित्सा वाला प्रस्ताव कार्य-सूची में नहीं आ पाया था इसलिए मैं आपकी अनुज्ञा से वह प्रस्ताव करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप प्रस्ताव करिए। मैंने इसे सप्लीमेण्टरी एजेण्डा में ले लिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें कार्य-सूची में मद संख्या-6(6) तक है इसको 6 (7) पर ऐड कर लिया जाए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)

के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10956,19,73,000 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, इसको कार्यसूची के मद संख्या-6(7) में सम्मिलित कर लिया गया है। मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी जिस समय प्रस्ताव रखेंगे तो उस समय वह तीनों पर एक साथ रख देंगे।

मदवार अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान हेतु समय-सीमा का निर्धारण

श्री अध्यक्ष-

अभी मा0 जल शक्ति मंत्री जी अपने विभाग का प्रस्ताव रखेंगे, फिर 20 मिनट या 25 मिनट जितना भी मा0 शिवपाल जी बोलेंगे फिर उसके बाद दोनों तरफ से मा0 सदस्य 7-7 मिनट अपनी बात रखेंगे उसके बाद फिर हम दूसरा विभाग लेंगे। जितने भी नाम आये हैं अब उसमें कोई नाम ऐड भी नहीं होगा और कोई कम भी नहीं होगा और कोई बीच में डाला भी नहीं जाएगा। अब मा0 मंत्री जी, आप बोलें।

[12:39] वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर मतदान

***जल शक्ति एवं बाढ़ एवं नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-**

मा0 अध्यक्ष जी, अपने अनुभवपरक सुझाव मैं आदरणीय शिवपाल जी को तथा पार्टी के अन्य नेताओं को भी देना चाहता हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

पहले प्रस्ताव तो रख लें।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रस्ताव अभी रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्ताव रखने के पहले सुझाव दे दें।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मेरा जो अनुभव है कि मोदी जी और योगी जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, पार्टी के हित में नहीं है और व्यक्तिगत हित में भी नहीं है। दूसरी बात उन पर टिप्पणी करते हुए उनके वस्त्र पर आक्रमण करना यह और भी हानिकारक है। वस्त्र पर आक्रमण करते हुए, भारत की संस्कृति और सभ्यता पर भी आकमण करना, न व्यक्ति के हित में है, न देश के हित में है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और न राज्य के हित में ही है। मेरा एक सुझाव है कि यदि अपने दल को अपनी पार्टी को या व्यक्तिगत भी होना है तो अपने संगठन अपने सिस्टम पर और सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी करनी है तो उसको किया जा सकता है। जो मेरा पिछले 8 साल का अनुभव है, जिस भी लीडर ने मोदी जी और योगी जी के खिलाफ टिप्पणी की है वह पार्टी पनप नहीं सकी है। मेरा यह पूरा अनुभव है। इनका सपना है भारत को विश्व का गुरू बनाने का भारत विश्व का गुरू बने और पूरे विश्व का नेतृत्व करे, यह सपना है जो स्वामी विवेकानन्द जी ने सपना देखा था, महापुरूषों ने सपना देखा था और क्रांतिकारियों ने सपना देखा था और यह गरीबों के कल्याण के लिए सपना देखा था। यह अमृतकाल का बजट है। भारत का बजट स्वर्णिम बजट है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर इस तरीके से चलेगा, अभी बजट पर चर्चा होनी है, बजट पर रखिएगा अगर इस पर होगी तो हम लोग भी इस पर ही रख देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, पहले प्रस्ताव रखिए। पहले प्रस्ताव रखिए फिर बोलिए।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रस्ताव रख रहे हैं, अभी रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बजट भी एक ऐसे देश, एक ऐसे प्रदेश के निर्माण में मजबूत नींव का काम करेगा, जिसकी कल्पना हमारे महापुरुषों, क्रांतिकारियों ने की थी। प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मा0 वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के स्वर्णिम बजट के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के अमूल्य मार्गदर्शन, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार की रफ्तार भी सामान्य से डबल है जो अपने साथ 25 करोड़ देशवासियों को निरन्तर आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, प्रस्ताव रखिये, उसको पढ़िए। पहले आप प्रस्ताव तो पढ़िए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, हम लोग सदन से बाहर जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब वह प्रस्ताव पढ़ रहे हैं आपने नहीं बोलना है तो बात अलग है। वह अब प्रस्ताव पढ़ रहे हैं।

माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रखिये। आप प्रस्ताव पढ़िये।

[12:44] अनुदान सं0-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान सं0-93-नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, अनुदान सं0-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) तथा अनुदान सं0-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 686,10,14,000 रुपये (छः सौ छियासी करोड़ दस लाख चौदह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-93-नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 17977,94,08,000 रुपये (सत्रह हजार नौ सो सतहत्तर करोड़ चौरानबे लाख आठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 13659,27,12,000 रुपये (तेरह हजार छः सौ उनसठ करोड़ सत्ताइस लाख बारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6073,30,98,000 रुपये (छः हजार तिहत्तर करोड़ तीस लाख अट्ठानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

पिछले 06 वर्षों से जिस गति के साथ हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, वह अभूतपूर्व है। माननीय अध्यक्ष जी, जो बालक 10 साल का था उस बालक की आयु आज 18 साल, 21 साल हो गयी होगी। उस बालक को आज यह नहीं पता होगा कि इस राज्य में 07 साल पहले ट्यूबवेल से एक बालक का पिता उठा लिया जाता था और उसकी हत्या कर दी जाती थी और कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। शाम को 05 बजे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग दरवाजा बन्द करके छत पर बैठ जाते थे, उस बच्चे को यह नहीं मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश कैसा था ? आज उस बालक को यह जानकारी नहीं होगी कि 07 साल पहले इस राज्य के अन्दर बिजली नहीं आती थी, लोग चारपाई पर बैठकर पंखा हिलाते थे। माननीय

अधिष्ठाता महोदय, मैं कह सकता हूँ कि आज उस 22-23 साल के बच्चे को मालूम नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर रोज बम फटते थे। मित्रों, इस राज्य के अन्दर आज योगी जी का शासन है, यहां एक भी बम नहीं फटते हैं, दंगा नहीं होता है, मन्दिर का निर्माण होता है।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(इसी मध्य 12 बजकर 41 मिनट पर अधिष्ठाता श्री पंकज सिंह पीठासीन हुए)

श्री अवधेश प्रसाद-

यह व्यवस्था का सवाल है। इनसे बजट पर बुलवाइये, यह सिंचाई पर बोलें।

श्री अधिष्ठाता-

सिंचाई पर ही बोलेंगे। माननीय मंत्री जी अपनी बात रखिये।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जल को हमारे वेदों में देवता माना गया है। जल की गम्भीरता को समझिये और इसको गहराई से समझने की कोशिश करिये। न राज्य बचेगा, न देश बचेगा अगला युद्ध जल का ही है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिये और मंथन एवं मनन करिये। इसमें सभी का सहयोग चाहिए। ऋग्वेद में कहा गया है कि हे जल ! आप मानवता के परम् मित्र हैं। आप जीवन दायिनी हैं आपसे ही अन्न उत्पन्न होता है और आपसे ही हमारी संतानों का हित होता है। हमारी भारतीय संस्कृति लाखों वर्षों से जल संरक्षण की बात कर रही है। मान्यवर, आने वाली पीढ़ियों का ये सौभाग्य है कि आज देश और प्रदेश में ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री हैं जो जल के महत्व को समझते हैं एवं जल रूपी ईश्वरीय प्रसाद की रक्षा के साथ-साथ उचित प्रबंधन के लिए कृत संकल्पित हैं। वर्ष 2019 में भाजपा ने लोक सभा का चुनाव जब प्रचण्ड बहुमत से जीता उसके तुरन्त बाद माननीय मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, उसके अगले दिन ही जल के विजन और मिशन के साथ सरकार ने काम शुरू कर दिया।

योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार निरन्तर जल की नई शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयासरत् है और बीते वर्षों में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किये हैं। हमें वह दौर याद है, जब जल संकट की वजह से भ्रष्ट नेताओं की जेब भरी जाती थी, लेकिन हमारे किसान भाई-बहन के खेत सूखे रहते थे। हम उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में हम कृषि व्यवस्था को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर खेत तक पानी पहुँचे, इसके लिए हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु सिंचाई विभाग के द्वारा अनुदान संख्या-94 में 13659.27 करोड़ रुपए व अनुदान संख्या-95 में 6 हजार 6073.31 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 19732.58 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है, जोकि वर्तमान वर्ष से 2012.64 में करोड़ रुपये अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वाटर शेड विकास घटक-प्रधानमंत्री कृषि

सिंचाई योजना के अन्तर्गत कुल 203 करोड़ रुपए का आय-व्ययक प्राविधान कराने हेतु विभागीय प्रस्ताव प्रस्तुत है। ''हमारी सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में कुल 20 परियोजनाएँ पूर्ण की गईं, जिनसे 21 लाख 42 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की गयी एवं 44 लाख 72 हजार कृषक इससे लाभान्वित हुए हैं। बाण सागर नहर परियोजना, जो वर्ष 1997-98 में प्रारम्भ हुई थी, उसे हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2018 में पूर्ण कराया गया, जिसका माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा जुलाई, 2018 में लोकार्पण किया गया। इस परियोजना से जनपद मिर्जापुर, प्रयागराज के लगभग 1 लाख 70 हजार किसान लाभान्वित होंगे और डेढ़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षों से लम्बित 07 सिंचाई परियोजनाएँ जमरार बांध परियोजना, पहुँच बाँध पुनरोद्धार परियोजना, पहाड़ी बाँध परियोजना, गुन्टा बांध परियोजना, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय पथरई बाँध परियोजना, लहचूरा बाँध परियोजना एवं मौदहा बाँध नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना पूर्ण कराई गई, जिनसे बुन्देलखण्ड के 58 हजार कृषकों के लिए 66 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित की गई है।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बडवार झील की गुरसराय मुख्य नहर से भरने हेतु फीडर चैनल की परियोजना से विगत 15 वर्षों में पहली बार इस बडवार झील से 27 ग्रामों को पहली बार उन खेतों को पानी मिला है। अर्जुन सहायक नहर परियोजना, जो कि वर्ष 2009-10 में प्रारम्भ हुई थी। उसको भी हमारी सरकार प्राथमिकता प्रदान करते हुये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण की व्यवस्था कर परियोजना पूर्ण की गयी है। परियोजना से 44 हजार 400 हेक्टेयर भूमि में सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है तथा 1 लाख 49 हजार लाख किसान लाभान्वित हुये हैं। सिंचन क्षमता बढ़ने से महोबा के उपरोक्त क्षेत्र में भूमि के मूल्य में 10 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है।

वर्ष 1978-79 से अत्यन्त धीमी गति से चल रही सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को भी हमारी सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत विशेष धन की व्यवस्था कर पूर्ण किया गया है जिसमें 14 लाख 4 हजार हेक्टेयर की सिंचन क्षमता सृजित हुई है। लगभग 30 लाख कृषक इससे लाभान्वित हुये हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मध्य गंगा द्वितीय चरण परियोजना वर्ष 2007-08 में प्रारम्भ की गयी थी, लेकिन समुचित धन के अभाव में परियोजना का कार्य बाधित था। हमारी सरकार द्वारा इस परियोजना को कृषकों के हित में महत्व देते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत त्वरित गति से वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण किये जाने हेतु लक्षित है। परियोजना के पूर्ण होने पर 1 लाख 47 हजार हेक्टेयर की सिंचन क्षमता का सृजन होगा एवं 4 लाख 10 हजार कृषक इससे लाभान्वित होंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। परियोजना मार्च, 2030 में पूर्ण होगी। परियोजना के पूर्ण होने पर प्रदेश को 1 लाख 78 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र

के 04 जनपद बाँदा, झाँसी, महोबा एवं ललितपुर की कुल 8 लाख 82 हजार आबादी को पेय जल की सुविधा उपलब्ध होगी। नहरें हमारी भाग्य रेखायें हैं जिनके माध्यम से कृषकों के खेतों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है और प्रदेश कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता है। नहरों की क्षमता बनी रहे इसके लिए प्रतिवर्ष नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य कराया जाता है, जिसमें प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में 186.55 करोड़ रुपए व्यय कर खरीफ के 1430 फसली में 1933 किलोमीटर एवं रबी की 1430 फसली में 48491 किलोमीटर सिल्ट सफाई करायी जा चुकी है। नहरों पर विद्यमान पुल-पुलिया पुरानी होने के कारण जर्जर एवं क्षतिग्रस्त थीं जिनकी मरम्मत हेतु समुचित धन का अभाव था।

हमारी सरकार द्वारा अभियान चलाकर नहरों की जर्जर एवं क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों को अभियान चलाकर मरम्मत किये जाने एवं पुनर्निर्माण किये जाने का संकल्प लिया गया, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2021-22 व 2022-23 में क्रमशः 350 करोड़ रुपए व 130 करोड़ का प्राविधान कर कुल 25 हजार 50 पुल-पुलियों के कार्यों को पूर्ण किया गया है। इसी श्रृंखला में अवशेष कार्य हेतु वर्तमान वर्ष 2023-24 में 50 करोड़ की व्यवस्था है। इसी प्रकार नहरों पर पक्की सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने की हमारी सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया है। कुल मिलाकर हमारी सरकार कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने, नकदी फसलों को प्रोत्साहित करने तथा हर खेत को पानी देने के प्रयास हेतु कटिबद्ध है, आशा ही नहीं है पूर्ण विश्वास है कि हम इस पुनीत कार्य में अवश्य सफल होंगे। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे जन-जीवन प्रभावित होता है, साथ ही अनेक बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय योगी जी बाढ़ के विषय को लेकर कितने संवेदनशील रहते हैं यह हमने देखा है। वह स्वयं नांव पर बैठ कर बाढ़ राहत कार्यो का निरीक्षण करते है और स्वयं राहत सामग्री भी वितरित करते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील है। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो बरसात में भीषण तबाही मचाती हैं, मुख्यतः शारदा, घाघरा, राप्ती, रोहिन, गण्डक, गंगा एवं यमुना हैं।

उक्त के दृष्टिगत बाढ़ प्रभावित अधिकतम क्षेत्र 72 लाख हेक्टेयर है, इनमें से 22 लाख 94 हजार हेक्टेयर क्षेत्र गत वर्षों से सुरक्षित किया गया है। बाढ़ से सुरक्षा प्रदान के लिए प्रदेश में 523 तटबंध बनाये गये हैं, जिनकी लम्बाई 3869 किलो मीटर है। वर्ष 2022 में विगत 100 वर्षों में सर्वाधिक बाढ़ आयी है, किन्तु कुशल बाढ़ प्रबंधन से नुकसान को निम्नतम किया है। इस बार की बाढ़ भयानक थी, वर्ष 2022-23 में बाढ़ की परियोजना हेतु 20346 करोड़ की व्यवस्था है, आगामी वर्ष 2023-24 में 2396.76 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 266 बाढ़ परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं, जो कि अब तक की अधिकतम संख्या है। गत 5 वर्षों में योगी सरकार द्वारा 24 लाख 51 हेक्टेयर

कृषि भूमि सुरक्षित की गयी है और प्रदेश की 1 करोड़ 94 लाख आबादी लाभान्वित हुयी है। वर्तमान सरकार में नवीन तकनीकि से बाढ़ सुरक्षा के कार्य किये जाते हैं। सेक्टर ड्रेजिंग का उपयोग करके अनेको स्थलों पर नदी की धारा को तटबंध करके दूर रखा जाता है और मितव्ययिता का परिचय दिया जाता है और डायरेक्ट मॉनीटरिंग प्रदेश से होती है। यांत्रिक संगठन, प्रदेश में 34 हजार 316 चलित नलकूप एवं 252 लघु डाल नहरों के माध्यम से लगभग 25 लाख हेक्टेयर सिचाई करायी गयी है। सूखे के समय पशुओं, पक्षियों के पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राजकीय नलकूपों और लघु डाल से 6457 तालाबों, पोखरों को भरा गया है। नव नियुक्त सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अवर अभियन्ताओं की पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत ऐच्छिक विकल्प के आधार पर पद स्थापना करायी गयी है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग 360 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय नलकूपों व लघु डाल नहरों के निर्माण/आधुनिकीकरण परयोजना को पूर्ण कराते हुए 1 लाख 22 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का पुनः स्थापन हुआ है जिससे 88 हजार 81 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। राजकीय नलकूपों और लघु डाल नहरों पर विद्युत मीटर प्रणाली से होने वाले वर्ष 2023-24 में 900 करोड़ रुपये की विद्युत ऊर्जा की बचत होगी और इस बार भी लगभग 1500 करोड़ रुपये की बचत हुयी है। लघु डाल नहरों के आधुनिकीकरण मद में वर्ष 2023-24 में बजट का प्रावधान 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2023-24 में नवीन लघु सिंचाई परियोजना के लिए बजट प्रावधान 10 करोड़ रुपये गत वर्ष से बढ़ाकर इस वर्ष 50 करोड़ रुपये रखा गया है। जनपद बिजनौर में राजकीय नलकूपों में पम्पसेट जल वितरण प्रणाली निर्माण का जीर्णोद्धार का बजट 25 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ प्रस्तावित है। 2100 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण नाबार्ड के वित्त पोषण द्वारा आगामी 2 वर्षों में किया जायेगा, जिससे 1 लाख हेक्टेयर भूमि में सिचाई सुविधा बढ़ेगी। यह वितरण प्रणाली डी0एम0 और विधायकों के साथ बैठकर बनायी गयी है। इसमें जिले से प्रदेश से कोई नहीं होगा, यह वहीं से सीधे दिया जाएगा और वृहद् पम्प नहरों के आधुनिकीकरण हेतु बजट प्रावधान 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये किया गया है। वहीं बुन्देलखण्ड में महिलाएं कितना दुख झेलती थीं और पानी नहीं मिलता था। उनके यहां प्रसिद्ध कहावत भी थी गगरी ना फूटे चाहे खसम मर जाये। ये परिस्थितियाँ बुन्देलखण्ड की थीं। पानी के लिए दर्द कौन समझेगा, लोग कैसे पहुंचेंगे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर पर पानी की मटकी रखकर कई-कई किलोमीटर पैदल चलने वाली महिलाओं के लिए पानी की क्या कीमत है। मान्यवर, जब एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार में जन्म लेने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है, तब 70 वर्षों बाद उन गरीबों का आंसू पोंछने का काम करता है और 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन शुरू करता है और आज उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन को तेजी से आगे लेकर जाने में सफल हो रहा है।

मान्यवर, मा0 प्रधानमंत्री मोदी जी और मा0 मुख्य मंत्री योगी जी के कुशल नेतृत्व में अब तक सरकार 85 लाख घरों तक नल से जल पहुँचाने में सफल हुई है। यह देश के अन्दर रिकार्ड का काम किया है। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले चार राज्यों में स्थान बनाते हुए नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। वर्तमान में देश में सबसे तेज गति से प्रतिदिन जो रेशियो मेरा आ रहा है, 30 से 40 हजार प्रतिदिन नल कनेक्शन/जल कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य है। वर्ष 2022-23 का कुल बजट प्रावधान 19 हजार 500 करोड़ के सापेक्ष 15 हजार 666 करोड़ रुपया अब तक व्यय कर लिया गया है। यानी बजट का 80 प्रतिशत हम खर्च कर चुके हैं और 31 मार्च, 2023 तक शत-प्रतिशत व्यय कर लेंगे।

मान्यवर, जल जीवन मिशन के द्वारा 98.58 प्रतिशत स्कूलों को, यानी आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों को लगभग 91 प्रतिशत केन्द्रों को टैप वाटर की सप्लाई से जोड़ा गया है। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रत्येक गाँव में 5 महिलाओं को स्वच्छ पेयजल को जाँचने का प्रशिक्षण दिया गया है। महिलाओं को अपने गाँव में आने वाले जल को साल भर में तीन बार चेक करना है कि जल शुद्ध है कि नहीं। सभी विधायकों का इसमें सहयोग चाहिए। उनको जो किट मिला है, वह किट न टूटे। जो टोटी लग रही है, घर तक पहुँच रही है, वह 11 हजार की पड़ रही है। जब उसके घर तक पहुँचेगा, तो पाइप सप्लाई से लेकर उस टोटी की कीमत लगभग 11 हजार आयेगी। क्योंकि अगर वह टोटी टूट जायेगी, तो दूसरे दिन बन नहीं पायेगी। उस किसान की गारन्टी है कि कैसे वह टोटी सुरक्षित रहे, कोई उसको तोड़े न। महिलाओं को जल के जाँच की ट्रेनिंग हुई है, वह राष्ट्रीय पेयजल योजना के तहत हुई है। इसलिए महिला उस किट को संभाल कर रखें, क्योंकि उस जल को जाँच करना है कि उस गाँव में शुद्ध जल मिलता है, जिससे कोई बीमार नहीं हो सकता।

मान्यवर, इसमें आप भी अपने विधान सभा क्षेत्र में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, जो महिलाएं ट्रेनिंग प्राप्त की हैं, महिलाओं के पास जो किट है, वह खोने न पाए, क्योंकि वह किट गाँव के लोगों के जीवन को बचाने का काम करेंगी, वह राष्ट्र के हित में काम करेंगी, इसलिए जो किट है, उसको सुरक्षित रखें, वह किट न टूटने पाए, क्योंकि जल की जाँच करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है, देश की सबसे महत्पूर्ण योजना है। हर घर को पानी देना, ये छोटी-मोटी योजना नहीं है। हर घर तक पानी पहुँचाना, यह बहुत कठिन काम है, जो मा0 मोदी जी, योगी जी के सपनों से साकार हो रहा है। इसलिए आप भी जब क्षेत्र में दौरा करते हैं, तो किसी गाँव में पूछ सकते हैं कि क्या आपको किट मिला है ? उस किट को महिलाएं कैसे रखती हैं, इसमें सभी विधायकों का हमें सहयोग चाहिए ?

मान्यवर, महिलाएं गाँवों में किट से जाँच कर रही हैं। अब तक 4 लाख 80 हजार से अधिक महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 81 लैब हैं, जहाँ जाँच होती है। सैम्पल की जाँच का काम किया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग ढाई हजार पानी के सैम्पल की

जाँच करायी जाती है। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि यू0पी0 के गाजियाबाद, महोबा जो पहली बार जल जीवन संरक्षण में तीन स्टार श्रेणी के टॉप तीन जिलों में शामिल हुए हैं। भारत सरकार के संरक्षण में शाहजहाँपुर, झांसी, चित्रकूट, मिर्जापुर, बुलन्दशहर, बरेली, महोबा वन-टू स्टार की श्रेणी में ये जिले शीर्ष स्थान पर अपना स्थान बनाये हैं।

मान्यवर, वर्ष 2014 में चुनाव के लिए मा0 मोदी जी काशी पधारे थे, तब उन्होंने कहा था न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने यहाँ बुलाया है। मोदी सरकार, योगी सरकार माँ गंगा की धारा को निर्मल, अविरल रखने के अपने संकल्प को निरन्तर सिद्धि की ओर ले जा रही है। अर्थ गंगा की अवधारणा को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कई योजनाओं को संचालित किया गया है, जिसके अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे आर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, वनीकरण आदि के कार्यक्रम संचालित हैं।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जन-जन को जागरूक करने के लिए एक हजार पैंतीस ग्राम पंचायतों में गंगा ग्राम समिति का गठन किया गया है।

गंगा माँ की शुद्धता, पावनता को बनाये रखने के लिए जन-जागरण और गंगा आरती का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक नगरों यथा वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, बिठूर और मथुरा में घाट की सफाई योजना के तहत कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 119 एस0टी0पी0 जिसकी कुल क्षमता 3666 एम0 एल0 डी0 है, निर्मित कर उपयोग में लाये जा रहे हैं। ''नमामि गंगे'' के कार्यक्रम के अन्तर्गत 12742 करोड़ रुपये की लागत की कुल 55 सीवरेज सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत हैं, जिनकी कुल शोधन क्षमता 1818 एम0एल0डी0 की गयी है। 5053 करोड़ रुपये की लागत से 28 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। 4750 करोड़ रुपये की लागत से 17 परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं तथा 2938 करोड़ रुपये की लागत से 10 सीवरेज परियोजना पर टेण्डर प्रकिया प्रारम्भ है। कुल स्वीकृत 19 डी0पी0आर0 के सापेक्ष 72 घाटों एवं 15 शवदाह गृहों के निर्माण कार्य एन0एम0सी0जी0 चयनित एजेंसी इ0आई0एल0 द्वारा कराये जा रहे हैं। यह भारत सरकार द्वारा होता है।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 50 करोड़ रुपये की लागत से घाट एवं शवदाह गृह का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। योगी सरकार के संकल्प-पत्र-2022 में कृषकों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु लघु एवं सीमान्त किसानों को अनुदान प्रदान करने के दृष्टिगत 5000 करोड़ रुपये की लागत से लाभार्थी कृषकों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया है। पूर्व संचालित मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत उथले, मध्यम, गहरे एवं गहरे नलकूप निर्माण, पूर्व निर्मित चेकडैमों पर मरम्मत कार्य एवं भवनों

पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना आदि कार्यों का समावेश करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 1000 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष 1,71,631 उथले नलकूप, 6099 मध्यम गहरे नलकूप, 2954 गहरे नलकूप, 1160 ब्लास्ट कूप, 151 रि-चार्जिंग चेकडैम तथा 132 तालाबों का पुनर्विकास कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे 9 लाख 10 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी। कठिन जल के उपलब्धता वाली पठारी क्षेत्रों में 06 मीटर व्यास और 15 मीटर गहराई के ब्लास्ट कूप का निर्माण किया जायेगा जिस पर प्रति लाभार्थी कृषक को 10 लाख रुपये का अनुदान अनुमन्य है। उक्त पठारी क्षेत्रों में सिंचाई एवं पशुओं के पीने के पानी का साधन नहीं होने की स्थिति में निर्मित कराये जा रहे ब्लास्ट कूप, अमृत कूप के समान है।

मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत उथले नलकूप के बोरिंग के सामान्य श्रेणी के कृषकों को 15,400 रुपये, अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति के कृषकों को 19,800 रुपये, मध्यम नलकूप के निर्माण के अन्तर्गत विद्युतीकरण सहित क्रमशः 2,57000 रु0 और 3,47000 रु0 का अनुदान है। वर्षा जल के रिचार्जिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के शासकीय व अर्द्धशासकीय भवनों पर 1050 रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना भी प्रस्तावित है। जल शक्ति अभियान का प्रारम्भ मा0 प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में वर्ष 2019 में हुआ था जिसके अन्तर्गत प्रदेश सरकार के कुशल नेतृत्व में लघु सिंचाई विभाग द्वारा 265 चेकडैम डि-सिल्टिंग का कार्य मनरेगा के माध्यम से कराया गया है जिससे चेकडैम के जल संचय क्षमता में वृद्धि हुई है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराये जा रहे चेकडैम और तालाबों के जीर्णोद्धार के कार्य के अन्तर्गत 5957 चैकडेम, 789 तालाबों के कार्य कराये गये हैं जिसके कारण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के भू-गर्भ जल स्तर में वृद्धि हुई है और किसानों को सिंचाई के साथ-साथ उनके पशुओं के लिए पानी उपलब्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश में गिरते भू-जल को संरक्षित रखने हेतु प्रदेश सरकार ने भू-जल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षा और विनियमन हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2019 को प्रख्यापित किया गया है।

''माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश के गिरते हुए भू-गर्भ जल स्तर को रोकने के लिए माननीय मोदी जी के निर्देशन में प्रदेश के 10 जनपदों मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट में अटल भू-जल योजना लागू की गयी है। अटल भू-जल योजना में कुल 26 विकास खण्ड एवं 550 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इसी तर्ज पर यशस्वी मुख्य मंत्री योगी जी के निर्देशन में प्रदेश के शेष 65 जनपदों में उत्तर प्रदेश अटल भू-जल योजना लागू की गयी है। प्रदेश में जल संरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जल शक्ति अभियान के तहत 'कैच दि रेन' के माध्यम से प्रदेश में अवस्थित तालाबों का निर्माण, जीर्णोद्धार चेक डैम का निर्माण, जीर्णोद्धार खेत तालाब का निर्माण, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण, वनीकरण ड्रीप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली आदि अपनायी गयी। फलस्वरूप बुन्देलखण्ड में पश्चिमी उत्तर के कुछ जनपदों में जल स्तर में सुधार देखे गये हैं।

यह हम सभी के लिए सकारात्मक संदेश है। जल संरक्षण एवं पानी के सदुपयोग के लिए विभिन्न जन-जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं, 'खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, खेत का पानी खेत में घर का पानी घर में''।

मेरे पास एक ही ताकत है केवल जल संचय करके सभी गांव वाले, सभी 25 करोड़ प्रदेशवासी, सभी विधायक, सभी सांसद, सभी जन-प्रतिनिधि इसके प्रति सचेत रहेंगे। मेरे पास एक ही ताकत है कि कैसे जल/पानी रोक सकते हैं तभी हम राज्य को भू-जल स्तर से बचा सकते हैं ? कैसे लोग पानी का सदुपयोग करें, भैंस कैसे धोयी जाए, मोटर साइकिल कैसे धोयी जाए, कैसे ट्यूबवेल खोलकर नहाया जाए ? इसके लिए समाज में सभी लोग जन-जागरण करेंगे। जिस प्रकार साल भर में अनुभव हुआ है, इसमें पक्ष-विपक्ष सभी का सहयोग रहेगा, तभी इस राज्य को हम जल संकट से बचा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में पानी का संकट होने वाला है। पानी कैसे रुके और पानी की बर्बादी कैसे कम हो, हमें इसकी चिन्ता करनी पड़ेगी ? मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप डार्क/अति दोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों की संख्या-129 थी, जो घटकर 100 हो गयी है। हमें आपको मिलकर डार्क विकास खण्डों की संख्या शून्य करनी है, ताकि प्रदेश को आने वाले जल संकट से बचाया जा सके। समाज के सभी वर्गों से आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, भू-जल के संरक्षण का दायित्व सरकार के साथ-साथ आप सभी जनप्रतिनिधियों एवं जनमानस का भी है। मैं आप सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान करता हूँ कि इस पूण्य काम में आप सबका सहयोग चाहिए। शास्त्री नृत्य गोपाल कटारे जी ने जल के विषय में कुछ सुन्दर पंक्तियां लिखी हैं-

''भू-तल में जल सागर गहरा है, पर्वत हिम बनकर ठहरा है। बनकर मेघ वायु मण्डल में, घूम-घूमकर देता पहरा। पानी बिन सब सून जगत में, यह अनुपम धन है। जल पीकर जीते सब प्राणी, जल ही जीवन है।''

मेरी सभी मा0 सदस्यों से विनती है कि आप जल संरक्षण अभियान को अपनाते हुए जन-जन को जागरूक करें। आप समाज की वह आवाज हैं, जो बड़े सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम है, इसलिए मैं मा0 सदन के सभी माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्रदेश को हमें बचाना है। यहां तमाम नदियां होने के बाद भी गन्दगी के कारण, पानी के दोहन के कारण जल संकट आने वाला है। आप सभी मा0 सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी विधान सभा क्षेत्र में ट्यूबवेल बन्द करके पानी का कोई सरोवर, अमृत सरोवर या कोई ऐसा सरोवर हो, जिसको आप जिन्दा करके बरसात के पानी को अपनी विधान सभा क्षेत्र में रोक सकते हों और धरती से दोहन क्षमता खत्म कर सकते हों तो हमारा आपके प्रति सहयोग रहेगा। जितना भी पैसा लगेगा, उस सरोवर को जिन्दा करने के लिए, बरसात के पानी को रोकने के लिए, वह हम देंगे। उसी बरसात के पानी से आपकी विधान सभा क्षेत्र के सभी

घरों में पानी की सप्लाई हम लोग भविष्य में कर सकें। अभी कुछ पानी भू-जल से हो रहा है, कुछ चेकडैम से करेंगे, कुछ डैम से करेंगे, कुछ नदियों से लेंगे। अब वह पानी मुझे आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद में गंगा नदी से लाकर देना पड़ रहा है, कितना घुमाकर पानी लाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, पानी है तो खारा है, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, राजनैतिक भाषण अपनी जगह है, लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपनी विधान सभा क्षेत्र में कम से कम एक सरोवर बनायें। यदि नहरों की लाइन 500-600 किमी0 बढ़ सकती है और नहरों को बीच में न काटें, नहर का पानी अपने आप वहाँ तक पहुँच सकता है तो इसके लिए मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी विधान सभा क्षेत्र में 10-15 ट्यूबवेल बन्द करवा सकते है, यह पूण्य का कार्य होगा। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। ''भारत माता की जय।''

***श्री शिवपाल सिंह यादव-**

मान्यवर, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रु0 कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

सुझाव देने के साथ-साथ आईना भी सरकार को दिखाना पड़ सकता है। अभी मा0 मंत्री जी बजट रखने से पहले कुछ बातें कर रहे थे। करना भी चाहिए था बजट पर। वैसे तो सिंचाई विभाग पर लगभग उन्नीस हजार करोड़ रुपये जल जीवन मिशन पर लगभग पच्चीस करोड़ रुपये, ग्रामीण पेयजल के कार्यक्रम पर इन्होंने रखा है चार सौ पचपन करोड़ रुपये तो यह अभी बजट पर रखा है। इसी तरह से पिछले साल का था सिंचाई पर लगभग तेरह-चौदह करोड़ रुपये था, और इसी तरह से इन्होंने जल मिशन पर भी करीब उन्नीस करोड़ रुपये रखा था इस तरीके से रखा था और नमामि गंगे पर लगभग इक्कीस करोड़ रुपये रखा था और खर्च किया था नौ करोड़ छह सौ उन्नीस करोड़ रुपये, सिंचाई पर इन्होंने तेरह करोड़ सात सौ चौंतीस रुपये रखा था, खर्चा किया था तीन करोड़ रुपये केवल। आप बताइए क्या उम्मीद की जा सकती है।

इसके साथ-साथ अभी कुछ बातें रखी हैं बजट से पहले नहीं रखना चाहिए था इस समय। हम पूछना चाहते हैं कि कभी हम लोगों ने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। जब भी समाजवादी पार्टी के लोग दिख जाते हैं टोपी में, किसने लांछन लगाया था। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस जगह संविधान संरचना हुई है और हम सब लोग संविधान के सपने ले करके आते हैं और मा0 मंत्री जी संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा। सभी लोग इसको पढ़ लेना, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद के लक्ष्य को ही बताया गया है और ऐसे में कहना समाजवाद की जरूरत नहीं है और हम लोग तो संविधान की कसम लिए हैं, शपथ लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, चाहे जो कहें संविधान विरोधी कथन है यह अगर यह लोग समाजवाद के प्रति इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर यह संविधान विरोधी कृत्य है और यह समाजवादी हमारे चन्द्र शेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी इसको लेकर लोहिया जय प्रकाश नारायण जैसे महान राष्ट्र नायकों का स्वप्न है। खुद ही अटल जी ने भाजपा को समाजवाद अपनाने की लिखित सलाह दी है। अगर उस समाजवाद पर टिप्पणी होगी तो यह संविधान विरोधी है। तो इसलिए मैंने कहा मा0 मंत्री जी कि ऐसी बात नहीं करना चाहिए था आप तो पिछड़े वर्ग के भी हैं।

किसानों से भी सम्बन्धित हैं और जब आप सब लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है और यहाँ की 70 परसेंट जनता खेती पर निर्भर है। जब खेती पर निर्भर है तो इस कारण से सिंचाई बहुत जरूरी है। बिना सिंचाई के कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि चाहे जीव-जन्तु हों, चाहे मनुष्य हों, बिना पानी के काम नहीं चल सकता है। पानी सभी के लिये जरूरी है, पानी सिंचाई के लिये जरूरी है। आप जब किसान को अन्नदाता कहते हैं तो फिर आज किसान की हालत क्या है ? मा0 मंत्री जी, आज किसान की हालत क्या है ? आप समय पर किसान को खाद नहीं दे पा रहे हैं, समय पर आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, समय पर बिजली नहीं दे पा रहे हैं और किसी तरह से जब किसान अपनी फसल उगा लेता है तो उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसान की लागत नहीं निकल पा रही है।

मा0 मंत्री जी, जब सिंचाई का इतना महत्वपूर्ण बजट है तो आपको बैठना नहीं चाहिये था। आपको पानी की व्यवस्था करनी चाहिये थी, लेकिन आपने पानी की व्यवस्था नहीं की। आपको याद होगा कि फसल कटने के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आप पानी नहीं दे पाये, जबकि मई और जून के महीने में पशु-पक्षियों के लिये कम से कम दो बार पानी की जरूरत होती है। इसलिये नहरों में पानी छोड़ना चाहिये, मगर क्या मंत्री जी पानी दे पाये ? पानी नहीं दे पाये और यहीं तक नहीं, जून के लास्ट में धान की फसल के लिये पौध लगाने की जरूरत होती है, क्या आप पानी दे पाये ? आप पानी नहीं दे पाये। आप पशु-पक्षियों तक को पानी नहीं दे पाये और अन्नदाता कहे जाने वाले किसान को भी पानी नहीं दे पाये। हमारे प्रदेश में सन् 1830 में सिंचाई विभाग शुरू किया गया था और प्रदेश में लगभग 74 हजार किलोमीटर लम्बी नहरें हैं, जिसमें 4627 किलोमीटर मुख्य नहरें हैं, 7483 किलोमीटर शाखाएं हैं, 23627 किलोमीटर रजबहे हैं तथा 38100 किलोमीटर अल्पिकाएं हैं। इसके साथ-साथ पम्प नहरें हैं। मा0 मंत्री जी, जानकारी के लिये हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितनी पम्प नहरे हैं ? 28 पम्प नहरें हैं, 243 लघु डाल नहरें हैं, 24966 नलकूप हैं जो अब बढ़कर करीब-करीब 30 हजार के ऊपर हो गये हैं। 4600 नलकूप 01 क्यूसेक की क्षमता वाले राजकीय नलकूप हैं। हमारी सरकार ने तो सभी सरकारी नलकूपों से किसानों के लिये मुफ्त पानी का प्रबन्ध किया था और जितनी भी नहरें थीं उनका भी पानी किसानों के लिये फ्री कर दिया था। किसान जो अन्नदाता है, उनको हम खाद नहीं दे पा रहे हैं।

बिजली नहीं दे पा रहे हैं और बिजली के छापे भी पड़ रहे हैं। खेतों में किसानों की मेहनत लग गयी है, खाद डाल दी गयी है, लेकिन सरकार पानी नहीं दे पा रही है। यह किसकी जिम्मेदारी है ? सरकार किसानों को बिजली का कनेक्शन नहीं दे रही है, अगर किसान ने सिंचाई करने के लिए टुल्लू कहीं पर लगा लिया तो मा0 मंत्री जी आप बतायें कि टुल्लू से पानी कितना निकलेगा ? दिन भर में कितनी सिंचाई टुल्लू से किसान कर लेगा ? किसान के खेतों में छापा पड़ रहा है और छापे के साथ-साथ टुल्लू और तार तक लेकर चले जाते हैं और उसके साथ-साथ जुर्माना भी देना पड़ता है, ऊपर से एफ0आई0आर भी हो रही है। इसके बाद अगर कहीं से सेटिंग हो गयी 20 हजार रुपये दे दिए तो छोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार में यह सब चल रहा है।

हम लोग किसान को अन्नदाता कहते हैं और किसान पूरे प्रदेश और देश की भूख मिटाता है। मा0 मंत्री जी पता नहीं क्या खाकर आए थे कि यहाँ पर क्या सुनाने लगे। बजट की बात सुनानी चाहिए थी, किसानों की बात, वह तो आपने सुनायी नहीं। हमारी सरकार में ग्रीष्मकाल में नहरों में राजकीय नलकूल तथा लगभग 32 हजार तालाब, पोखर, पशुओं के लिए पीने का पानी एवं अन्य प्रयोग हेतु पानी भरा जाता था। क्या आपकी सरकार के समय में तालाब, पोखर आदि भरे गये हैं ? सिंचाई विभाग में कुल निरीक्षण अधिकारी 990 हैं। कोई भी सिंचाई विभाग का अधिकारी कार्यालय में नहीं रुकता है। वहाँ पर अधिकारियों को रूकना चाहिए और किसानों की समस्याओं को सुनना चाहिए और सुविधाएँ देनी चाहिए। इसके साथ-साथ बाँध सुरक्षा को लेकर इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। मेरे मंत्रित्व काल में एक भी बंधा टूटा नहीं था, जबकि पिछले एक साल में 4 बंधे टूटे हैं। हमारे कार्यकाल में सभी डैम के गेट का मैनुअल ऑटोमेशन किया गया था। पिछले 30 सालों में इतना काम नहीं हुआ था जितना हमने 4 साल में किया था। आप अभी तालाब, पोखर की बात कर रहे थे। आपके बुन्देलखण्ड में एक महीने के अन्दर हमने खूब तालाब खुदवा दिए थे और यह काम किसी ठेकेदार ने नहीं किया था, यह तालाबा विभागीय इंजीनियर लोगों ने खुदवाये थे। हमने लखनऊ में यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक कमाण्ड सेन्टर बनाया था जिसमें मॉनीटरिंग होती थी, सिंचाई के क्षेत्र में इजराइल की तकनीक का उपयोग किया गया था।

मा0 मंत्री जी बतायें कि उसका क्या हो रहा है ? बन्द पड़े हैं, ताले लगे है। उसमें कभी माननीय मंत्री जी को जाना चाहिए था। अगर टाइम हो तो यहाँ के बाद जब बजट पास हो तो चले जाईयेगा ताले पड़े हैं। अगर उसका निरीक्षण कर लेते, अगर वहीं से देखभाल करा लेते तो सिचांई विभाग में बहुत कुछ सुधार हो सकता था। हमने सिर्फ टेल तक पानी नहीं पहुँचाया है। टेल तक ही नहीं, मैंने किसान के खेत तक पानी पहुँचाया था। अब क्या हो रहा है ? माननीय मंत्री जी हम तो एक बार आपके पास गये थे। जब नहरें नहीं चल रही थीं। पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जून के महीने में पोल लगाने की जरूरत थी। आप बात कर रहे थे, रोस्टर। रोस्टर किसका बनाया हुआ है ? अंग्रेजों का बनाया हुआ है। क्या अंग्रेजो के

बताये रोस्टर पर चलेंगे ? जब किसान को जरूरत थी, नहरें कभी भी टूटी नहीं। जब तक किसान के खेत में पानी नहीं पहुँचा तब तक लगातार पानी चलता रहा है। अब रोस्टर चलने लगा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो रोस्टर। मैंने तो कई बार अधिकारियों से कहा कि जब तालाब भरे है, जून के महीने में जरूरत है। पोल लगाने की जरूरत है। पशुओं के लिए पानी की जरूरत है। पक्षियों के लिए पानी की जरूरत है। पशु-पक्षियों को भी पानी की बहुत जरूरत होती है। क्या गाय को ये पानी दे पा रहे हैं ? नहीं दे पा रहे हैं। कोई जमाना था।

माननीय मंत्री जी आपको तो याद होगा किसान और गाँव के लोग कभी-कभी उन्हीं नहरों का पानी पी लेते थे। आपने भी कभी पानी पिया होगा। निश्चित रूप से अगर आप बुन्देलखण्ड में रहे होंगे तो तालाब का पानी जरूर पिया होगा। अभी कानपुर की बात चल रही थी कि स्वच्छ पानी है। स्वच्छ पानी है तो क्या पी सकते हैं ? आज आप जमुना का पानी पी सकते हैं। बहुत गन्दा पानी है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो बाँके बिहारी मन्दिर के पास व्यवस्था दी थी जिससे गंगा का पानी सीधे जमुना में बढ़ा दिया था। 300 क्यूसेक पानी गंगा का लाकर जिससे कम से कम आसमान का पानी जमुना में आ जाये। वरुणा नदी की मैंने सफाई करा दी। अब काम रुका पड़ा है। काम नहीं रोकना चाहिए था। वृन्दावन का काम भी नहीं रोकना चाहिए था। काम रुका पड़ा है। बहुत सी बातें हैं, आज बहुत से काम पड़े हैं। 15 लाख हेक्टेयर असिंचित भूमि को सिंचित भूमि में बदल दिया गया था। 30 वर्षों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाएँ तेजी से पूर्ण करने के लिए वृहत् योजनाओं को प्रारम्भ किया गया था। सरयू नहर का उद्घाटन तो करा लिया। मैंने 305 किलोमीटर नहर को तो करा दिया था, थोड़ी अधूरी रह गयी थी। उसमें 400 करोड़ बजट अब दिया है और उद्घाटन हो चुका। अगर पहले ही उस बजट में रख लेते और पूरा कराते फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराना चाहिए था। इसी तरीके से अर्जुन सहायक में 95 प्रतिशत काम मैं करा चुका था और उसमें 95 प्रतिशत के अलावा कोई काम नहीं कराया गया और उसका उद्घाटन हो गया। अब उसके लिए बजट मांगा जा रहा है। अगर आप पिछले वर्ष बजट में रख लेते, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था।

मान्यवर, मैंने तो मुख्य मंत्री जी से कहा था कि नहरों में पानी नहीं है सब काम रुके पड़े हैं तब मा0 मुख्य मंत्री जी ने सिचाई मंत्री जी से कहा था कि जाओ इनसे जाकर सीखो, लेकिन पहली बार तो नहीं आये, लेकिन दूसरी बार भेंट हो गयी एक समारोह में और फिर वह हमसे मिलने आये तो हमने बताया फिर उन्होंने थोड़ा बहुत पानी की शुरुआत की, तो इसलिए मा0 मंत्री जी हमारी सलाह और सुझाव है कि आज आप वहां चले जाना और देख लेना वहां जा करके जितने भी गेस्ट हाउस हैं सिंचाई विभाग के उनमें कोई भी सिंचाई विभाग का इंजीनियर उन गेस्ट हाउस में रुकता नहीं है और बुरा हाल है उस गेस्ट हाउस में इसलिए मा0 मंत्री जी बहुत सी बातें हैं।

वर्ष 2023-24 के आय-व्यय में यह स्पष्ट है कि अधूरी सरयू परियोजना का लोकार्पण तो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, लेकिन आप द्वारा अर्जुन परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराया जा चुका है। इस परियोजना के अन्तर्गत कबरई बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों का पुनर्वास नहीं किया गया है और सिंचाई विभाग द्वारा किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया गया है। किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने एवं भुगतान हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के आय-व्यय में कोई बजट प्रावधान नहीं किया है जिसके फलस्वरूप न तो कबरई बांध पूरा भरा जायेगा और न ही स्थानीय लोगों को लाभ भी नहीं मिल सकेगा और इसी तरीके से किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई विभाग के आय-व्यय 2023-24 के बजट में कोई प्रावधान नहीं है। किसानों की आय दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है जैसे कि किसानों के पास जो भूमि है उसके लिए भरपूर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो और नई तकनीक इजराइल के तर्ज पर लायी जाये और पानी ईश्वरीय देन है और सीमित मात्रा में उपलब्ध है और यदि बांधो में उपलब्ध पानी के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था बनाई जाए तो उतने ही पानी से तीन गुने क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है।

वर्ष 2016 में हमने प्रयोग के तौर पर बुन्देलखण्ड में सपरार बांध में उपलब्ध पानी का प्रयोग करने की योजना बनाई थी और सात साल बीत गये हैं और उस योजना पर भी कोई काम नहीं किया गया है और न ही बजट में इसको कुछ दिया गया है। वर्ष 2016 में जाखलौन पम्प कैनाल पर 3.50 मेगावाट एवं 2.5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने से जिसमें आज भी प्रत्येक दिन 25-40 हजार यूनिट बिजली बनती है और प्रदेश में कम से कम 15 कैनाल पम्प हैं यदि उन पम्प कैनालों पर जाखलौन पम्प प्लाण्ट की तरह सोलर प्लाण्ट लगा दिये जायें तो पम्प कैनाल पर बिजली खर्च से बच पायेगी।

हम लोगों ने इसको इसलिए लगाया था कि इस पर अगर सोलर प्लाण्ट लगेंगे तो इसमें पानी की बचत हो जायेगी तो जो पानी भाप बनकर उड़ जाता है उसकी भी बचत हो जायेगी। नहरों के किनारे हमने अपनी सरकार में डामर रोड बनवा दी थी। छह साल में वह सड़कें थोड़ी खराब हो गई हैं, इसलिये इनको रिपेयर करा दिया जाये। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सोलर प्लाण्ट लगाने के लिए लगभग चार-पांच एकड़ जमीन उपलब्ध होनी चाहिये जबकि नहर के ऊपर इसे लगाने से जमीन की लागत बच जायेगी। बजट में इस तरह की योजनाओं के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2023-2024 के बजट में जल संचय योजना के लिए कोई प्राविधान नहीं रखा है। हमने वर्ष 2015-2016 में बुन्देलखण्ड में तालाब बनवाये थे, ताकि वहाँ पर पानी सुरक्षित हो सके। आपने इस दिशा में जो काम किया है, वह बहुत कम है। आपको इसे और बढ़ाने की जरूरत है। वर्ष 2023-2024 के बजट में तालाबों की खुदाई और उसके अनुरक्षण के लिए धनराशि और बढ़ाई जाये। अधिष्ठाता महोदय, पिछले दो वर्षों से सूबे

में पयर्टन की खूब चर्चा हो रही है। पयर्टन और उद्योग वहीं लग सकता है जहां पर भूमि उपलब्ध होगी। सिंचाई विभाग के पास पर्याप्त भूमि है, जहाँ पर्यटन उद्योग लगाया जा सकता है। वर्ष 2015 में हमारी सरकार ने बांधों को पर्यटन से जोड़ने के क्रम में ललितपुर में कचनौदा बाँध की योजना को पी0पी0पी0 मोड पर प्रारम्भ किया था, जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति हुई। माननीय उमा भारती जी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री रही हैं और उन्होंने वर्ष 2016 में ललितपुर के कचनौदा बांध पर पर्यटन की योजना बनाने की मांग की थी और मैंने उनके कहने पर कचनौदा बांध पर पर्यटन की योजना बनवा दी थी। पिछले छह सालों में योजना धरातल पर नहीं लाई गई है। आप अगर मुझे समय देंगे तो मैं इस पर विस्तार से चर्चा कर लूँगा। बजट में बांधों को पर्यटन से जोड़ने के लिए कोई योजना नहीं दी गई है। सिंचाई विभाग के बिजनेस रूल्स को पढ़ लीजिये इसमें पूरा-पूरा पावर चीफ इंजीनियर को होता है, ठेका देना, योजना बनाना, काम कराना इत्यादि शासन की भूमिका केवल इसकी स्वीकृति तक सीमित होती है। विभागीय अधिकारियों द्वारा अधूरी परियोजना का लोकार्पण आपसे कंरा दिया गया है। इसी तरीके से गोमती रिवर फ्रन्ट का कार्य वर्ष 2015 में प्रारम्भ कर दिया गया है।

मान्यवर, अधिकांश काम पूरा हो चुका था, लगभग 95 प्रतिशत काम हो गया था लेकिन केवल एक नाला 900 मीटर का बचा हुआ था। अब लखनऊ के सभी नाले गोमती नदी में जाते हैं। अधिकारियों ने कह दिया कि 65 प्रतिशत काम हुआ है, रिवर फ्रन्ट का प्रोजेक्ट कैबिनेट ने पास किया था उसकी एक कमेटी थी जिसमें 25 सीनियर अधिकारी थे। आज भी वह अधिकारी होंगे, कुछ मा0 मुख्य मंत्री जी के स्टॉफ में होंगे, कुछ अन्य किसी के स्टॉफ में होंगे। कम से कम उस कमेटी के 25 सीनियर अधिकारियों से तो पूछ लेते। अगर किसी एक अधिकारी ने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल दिया है तो उसी के कहने से पूरा काम रुकवा दिया गया है। इसकी कम से जांच होती रहे, लेकिन उस काम को पूरा करा देना चाहिए था।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब आप समाप्त कीजिए क्योंकि आपका समय पूरा हो गया है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा था कि विभाग बहुत लम्बा है। मैंने तो नहरों के बारे में भी बता दिया है। मा0 मंत्री जी नहरों की बहुत सी दिक्कते हैं, आपको उनके बारे में जानना चाहिए। हमने नहरों की सफाई के लिए प्रयास किया था कि नहरों की सफाई समय से हो जाए। मैंने राम की पैड़ी पर भी काम शुरू करा दिया था। वहाँ पर पानी रुका रहता था, पानी पास नहीं होता था। एक तरफ से सरयू नदी का पानी जाता था तो दूसरी तरफ सरयू नदी का पानी निकल नहीं पाता था। लगातार पानी के रुके रहने से वहां पर काई जम जाती थी, वह पानी गन्दा हो जाता था, आचमन भी नहीं किया जा सकता था। इसी तरह से मैंने बांके बिहारी मन्दिर में यमुना घाट पर सौन्दर्यीकरण का काम शुरू करा दिया था और इसी तरह से बनारस की वरुणा नदी पर भी काम रुका पड़ा हुआ है। वह मा0 प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, कम से कम वहाँ के काम को ही करा देना चाहिए था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नहरों की

सफाई होनी चाहिए, क्योंकि नहरों की क्षमता बहुत कम हो चुकी है और वहाँ पर काई भी जमी हुई है, इसलिए उन नहरों की सफाई होनी चाहिए और जहाँ तक नदी में पत्थर लगा हुआ है वहां तक सफाई होनी चाहिए, लेकिन वहां तक सफाई नहीं होती है। मा0 मंत्री जी आप डौला जानते हैं ? अंग्रेजो के समय में डौला की सफाई होती थी।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मान्यवर, आप मेरे साथ चार दिन दौरा कर लीजिए आपको पता चल जायेगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, आप धन्नासेठों के बेटे नहीं हो, किसान परिवार के बेटे हो। आपने खेतों में पानी भी लगाया होगा, नहरों पर भी गये होंगे। मैं तो किसान का बेटा हूँ, मैंने तो खेतों में पानी भी लगाया है, नहर पर भी गया हूँ। मा0 मंत्रियों को इन छः सालों में ज्ञान हो जाना चाहिए था, लेकिन यह बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इन सभी सुझावों को जोड़ा जाए और मा0 मंत्री जी मेरे सुझावों को आप जोड़ लीजिए। हम तैयार हैं, बुन्देलखण्ड का दौरा तो करेंगे ही और मैंने जितने भी बांध बनाए थे, कम से कम उन्हें पूरा भरवा दीजिए। राजघाट एक दिन चले जाना, मैंने मध्य प्रदेश में, बाण सागर में, मध्य प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश का जो बजट था, उससे ले लिया। मैंने मीटिंग में कहा था, वहाँ के मंत्री भी थे, वहाँ के प्रमुख सचिव भी थे, लेकिन वह पैसा अभी तक आ नहीं पाया है। तीन सौ करोड़ रुपया ज्यादा ले लिया, वह भी वापस करा दीजिए। उससे आपका और थोड़ा सा भला हो जाएगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत जरूरत है सिंचाई विभाग में, अन्नदाता किसान की आय अगर बढ़ानी है। आय कुछ बढ़ी तो है नहीं, घटी और है। हम लोग तो अंग्रेजों से परेशान थे, मुझे तो लगता है कि इसी तरीके से झूठी बातें होती रहीं तो फिर अंग्रेजी शासन से ज्यादा बदतर हालात तो इस समय प्रदेश की है। इन सुधारों की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी इन सब पर ध्यान दीजिए।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयीं)

श्री अधिष्ठाता-

श्री राजेश त्रिपाठी जी, आप बोलिए, सभी मा0 सदस्य 6 से 7 मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

*** श्री राजेश त्रिपाठी-**

जी मान्यवर, 7 मिनट में ही अपनी बात पूरी करूँगा। मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं आज जल शक्ति मंत्री माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं जल संसाधन और नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति की जो अनुदान मांगें हैं, उसको जो प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, ये लगभग उनतालीस हजार करोड़

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपये की जो ये तीनों अनुदान मांगें हैं, जिन्हें आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उनतालीस हजार करोड़ रुपये से जो काम होना है उसको देखकर हमारे मन में चार लाइन, चूंकि मैं भोजपुरी क्षेत्र से आता हूँ, उस क्षेत्र से आने के नाते, भोजपुरी में चार पंक्तियां इस पूरे अनुदान के लिए कहना चाहता हूं कि-

खेत, नहर, पोखर, कुआं
पानी सज्जी में जाई हो सुक्खल नहीं जितना बाटें
ऊहो फिर लहराई हो।

मैं दूसरी पंक्ति में कहना चाहता हूं कि-

रखवारी योगी क बाटे
खन्ना स्वतंत्र ललकारें हो
विपक्ष बे पानी भइल इहां
पनिगर हमारी सरकारें हो
(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)
बंधा बनिहें, ठोकर बनिहें
बनिहें नलकूप नहरिया हो
जनि होख अधीर संहतिया हमार
पहुंची टोटी भी दुअरिया हो।
(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, उन्तालीस हजार करोड़ की जो तीनों अनुदान मांगें आई हैं, इसमें पिछली बीस परियोजनाएँ पूरी की गयी हैं। मा0 शिवपाल जी अभी बोल रहे थे कि मैं था तो 20 पोखरे खुदवाये थे, पता नहीं वह कागज में खुदा था, सैफई में खुदा था, हमें तो नहीं पता। हमने तो वे 100 पोखर नहीं देखे, कहाँ खोदे गये थे ? अरे, पोखर तो खोदे जा रहे हैं, अमृत सरोवर योजना के तहत गाँव-गाँव में, कोई ऐसी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत नहीं है जहाँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्री जी एवं योगी जी काम न करा रहे हों।

(इस समय 01 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए)

यह जो अनुदान है, आप नहरों की सफाई के बारे में कह रहे थे, नहरों की सफाई हो रही है, जितनी सिल्टिंग है, निकाली जा रही हैं। हाँ, यह जरूर है, यह सतत् प्रकिया है, आगे भी जारी रहेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ। यह जो नमामि गंगे योजना है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को शुरू किया था, तब हमारे विपक्ष के साथियों ने मजाक

उड़ाया था। कल इसी सभागार में आदरणीय योगी जी कानपुर की बात कर रहे थे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा नाला बहता था, उसको हमारी ही सरकार ने बन्द किया था और हमारे इसी विभाग के लोगों ने काम किया था। अगर काशी की गंगा में या प्रयागराज के कुम्भ में जो निर्मल गंगा आपको दिखायी दे रही है, वह मोदी और योगी की सरकार द्वारा संयुक्त प्रयास का परिणाम है, जो दिखायी दे रही है और इस बार भी नमामि गंगे में भारी बजट की व्यवस्था की गयी है और जिस तरीके से जगह-जगह देश, प्रदेश के हर शहर में, हर नदी में चाहे वह सरयू नदी हो, चाहे गंगा से जुड़ी हुई कोई भी बेसिन नदी हो, उन नदियों के किनारे, शहरों के किनारे इस बजट के अन्तर्गत जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने की सरकार ने व्यवस्था की है, मैं अपनी तरफ से माननीय जल शक्ति मंत्री जी की सराहना करना चाहता हूँ, जिन्होंने यह व्यवस्था की है।

माननीय महोदय, अभी चर्चा हो रही थी और सरकार की कार्य-प्रणाली पर विपक्ष उँगली उठा रहा था। 1998 की बाढ़ हम सबने देखी थी। 1998 से ज्यादा भयावह स्थिति पिछली बाढ़ रही है और एक-दो स्थानों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो बाढ़ का मैनेजमेंट था, वह अपने आप में योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी के मार्ग-दर्शन में, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री के नेतृत्व में और टॉप से बॉटम तक जितने भी अधिकारी और कर्मचारी जो सिंचाई विभाग के थे, जिस तरीके से दिन-रात मेहनत करके उस भयावह बाढ़ को पूरी तरीके से जन हानि, पशु हानि और धन-हानि होने से रोका, यह अपने आप में सिंचाई विभाग का जबरदस्त प्रबन्धन बताता है। मान्यवर, यदि मैं अपने क्षेत्र की बात कर लूँ, इस पिछली बाढ़ में मेरे अपने क्षेत्र के 136 गाँव प्रभावित हुए थे और 136 गाँवों में पहली बार ऐसा हुआ कि 116 नाव, स्टीमर, छोटी नावों, बड़ी नावों की व्यवस्था की गयी थी। आजादी के बाद जितनी बार भी बाढ़ आयी है, कभी हमारे क्षेत्र में इतनी व्यवस्था नहीं की गयी थी। 40 हजार परिवारों को राशन भिजवाया गया था, लगभग 200 अस्थायी शौचालय बनवाये गए थे। कभी नहीं ऐसा हुआ था कि बाढ़ के क्षेत्रों में शौचालय बनवाया जाए। मगर हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है, नदियों के लिए कि बाढ़ के दौरान भी ग्रामीण जो बाढ़ पीड़ित हैं, वह नदियों में गन्दगी न करें, इसकी तक व्यवस्था हमारी सरकार ने अस्थायी शौचालय बनाकर की थी।

मान्यवर, भारी-भरकम यह बजट है और पिछली बार जिस तरीके से कार्य हमारी सरकार ने किया है, उससे यह साबित होता है कि आने वाले वक्त में भी कार्य होंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में सरया और राची-बी का एक बन्धा है, 45 किमी0 बन्धा बन चुका है, केवल 5 किमी0 बन्धा नहीं बना है, अगर वह बन्धा बन गया, उस पर रेगुलेटर लग गए, पम्प हाउस लग गया तो लगभग 36 गाँवों की ग्राम सभाओं की हजारों हेक्टेयर भूमि पर वहाँ का किसान खरीफ की फसल के साथ ही रबी की फसल भी बो पायेगा। हमारे वहाँ डेड़वा और बल्थर का रिंग बाँध जो घाघरा के किनारे है, जिस तरह का यह बजट है, हमें पूरा भरोसा है कि आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी का ध्यान

डेड़वा और बल्थर के उस रिंग बाँध पर जायेगा और निश्चित रूप से उसका भला होगा और वहाँ की हजारों हेक्टेयर भूमि की उपज का किसान लाभ ले पायेंगे। सरकार की मंशा यही है कि हर खेत तक पानी पहुँचे और हर गाँव में जन-धन और कृषि भूमि का नुकसान न हो, इसकी व्यवस्था हो। मैं धन्यवाद दूँगा, आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी को, हमारे गाँव तौहरिया गाँव को बचाने के लिए आपने धन दिया है। मैं चुल्लूपार की 7 लाख जनता की तरफ से आपका आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ कि कुरियाना और भदौरा गाँव को बचाने के लिए, यहाँ तक कि गोला कस्बे को बचाने के लिए आपने धन दिया, पिछली बार ही दिया, इसके लिए मैं चुल्लूपार जनता की तरफ से आपका आभारी हूँ। लेकिन अभी वहाँ 2-4 गाँव ऐसे जरूर हैं, जहाँ काम करने की जरूरत है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारी नहरें हैं, कुछ जगह ऐसी नहरें हैं जो थोड़ा सा सेन्सेटिव हैं। अगर उसे पक्का करा दिया जाए और जितने बन्धे हैं, आपने बन्धों पर पिच बना दिया है, पिच सड़क बना दिया गया है। शेष जो दरदरी से कुड़ेवार से आती थी या छपरा जैसे बन्धे हैं अगर उन बन्धों पर पिच रोड बना दिया जाए तो रेंडकस नहीं होंगे और हमारे बन्धों की मरम्मत में जो भारी-भरकम धनराशि खर्च होती है वह धनराशि खर्च नहीं होगी इस नाते मैं यह कहता हूँ कि यह बजट अपने आप में बहुत ही शानदार है। सिंचाई विभाग का बजट है यह शानदार बजट है, मैं इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ और अपनी सरकार की तरफ से जो बजट आया है, अपनी तरफ से मैं इस सिंचाई विभाग के बजट का सौ प्रतिशत समर्थन करता हूँ। भारत माता की जय।

*** श्री कमाल अख्तर-**

अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 शिवपाल सिंह जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, इस कायनात के अन्दर अल्लाह और भगवान ने हमें बहुत सारी ऐसी सौगातें और रहमतें दी हैं और ऐसे तोहफे दिए हैं कि अगर वह रहमतें और तोहफे नहीं होते तो इंसान, जीव, जानवर और यह पेड़-पौधे यह सारी चीजें खतरे में पड़ जातीं और उन तोहफे में से एक तोहफा है पानी/जल, तभी हम सब कहते हैं कि जल ही जीवन है। यह सही बात है कि हम लोग जब बारिश कम होती है तो सिंचाई के साधन इस्तेमाल कर अपनी पैदावार बढ़ाने का काम करते हैं। हमारी सिंचाई के जो साधन हैं वह हैं नदियां और नहरें। अभी मा0 मंत्री जी ने भारी-भरकम बजट सिंचाई विभाग और बाढ़ प्रबन्धन और नमामि गंगे और दूसरी मदों के अन्दर रखा। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछला बजट का केवल 27.71 प्रतिशत ही खर्च कर पाई है सरकार। मैं नहीं समझता था कि सिंचाई के जो साधन नदियाँ और नहरें हैं अभी हमारे त्रिपाठी जी बहुत विस्तार के साथ नमामि गंगे, मां गंगा की सफाई के बारे में बात कर रहे थे। जो नदियाँ हैं हमारी गंगा, यमुना, गोमती, सरयू इनके हालात क्या हो गए हैं। यमुना जी जब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अन्दर दाखिल होती हैं और जितने भी उत्तर प्रदेश के रास्ते से गुजरती हैं मैं समझ सकता हूँ कि मंत्री जी या कोई भी सदस्य जाकर देख सकता है कि आज बिल्कुल नाले की तरह तब्दील हो गई हैं और बुरी हालात के अन्दर यमुना जी के हालात हैं और जहाँ तक गंगा जी का सवाल है, हम लोग सुना करते थे और बहुत सारे हमारे भाई यहाँ पर हैं जिनकी बहुत सारी धार्मिक आस्थाएँ गंगा जी से जुड़ी हुई हैं और गंगा ऐसी नदी है जो हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई उसके किनारे बसने वाले लाखों, हजारों लोगों को जिंदगी देने का काम करती है और उनके जीने का साधन है। नमामि गंगे योजना चलाकर गंगा की सफाई का काम किया गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप गढ़मुक्तेश्वर से लेकर प्रयागराज तक जाकर देख लें गंगा की कितनी सफाई हुई है और क्या हालात हुए हैं यह आप सब देखेंगे तो नमामि गंगे की पोल खुल जाएगी कि सरकार ने इस छः साल के अन्दर कौन से काम किए हैं। गंगा की हालत यह है मैं एक काव्य संकलन के जरिए आपके सामने रखना चाहता हूँ।

मुक्ति का द्वार है, हमेशा खुला है
और काशी गवाह है कि यह शक्ति तुल्य है,
केवल नदी नहीं है संस्कार है गंगा,
धर्म, जाति देश का श्रृंगार है गंगा,
गंगा की बात क्या करूँ, गंगा उदास है,
जो कुछ भी आज हो रहा है गंगा के साथ
क्या आपको पता नहीं कि किसका हाथ है।

मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि मा0 मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। अभी हमारे बराबर लखनऊ के अन्दर गोमती बहती है, आप जाकर देखिए कि क्या हालात हैं गोमती के मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार में गोमती रिवर फ्रण्ट बनाकर गोमती की सफाई का काम करने का सराहनीय प्रयास किया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार आते ही, इस सरकार ने उसको बन्द करने का काम किया है। मैं मा0 मंत्री जी से कहूँगा कि हमारी जो बाकी नदियाँ हैं, जो इस उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जीवन हैं, अगर इस बजट के अन्दर उनकी सफाई के लिए और पैसा दिया जाए तथा उनकी सफाई के और ज्यादा काम हों तो आगे चलकर ये नदियाँ हमारे देश की और हमारे उत्तर प्रदेश की उन्नति तथा प्रगति को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। मा0 मंत्री जी, सरकार कहती है कि नहरों की सफाई हो रही है और उसमें पर्याप्त बजट भी दिया जा रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सफाई का काम केवल कागजों पर होता है। मैं आपको अपने क्षेत्र के अन्दर का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। दो-तीन माइनर और दो-तीन रजवाहे मेरे क्षेत्र के अन्दर हैं। हमारे यहाँ एक शाहपुर रजवाहा पड़ता है जो धारत नगला से सिडलव होकर अदमपुर, बसावनपुर तक जाता है। दूसरा

रजवाहा ठाकुरद्वारा, मनपुआ होकर मिर्जापुर, जमशेदपुर तक रजवाहा है और चौथा महमूदपुर रजवाहा है।

मा0 मंत्री जी, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एक टीम बनाकर इन रजवाहों की जाँच करवा लें कि अगर इन रजवाहों के अन्दर कहीं पर भी सफाई हो। ये रजवाहे जगह-जगह पर टूटे पड़े हैं, आप एक टीम बनाकर जाँच करवा लीजिए। सफाई के नाम पर सिर्फ इतना होता है कि जो सफाई का पैसा मिलता है, उसके अधिकारियों की जेब में जाने का काम होता है। अधिकारी और ठेकेदार उसे लूटने का काम करते हैं। आप वहाँ पर जाकर देखिए कि नहरें टूटी हुई हैं। मा0 मंत्री जी से मैं एक चीज और कहना चाहूँगा। जब ये माइनर और रजवाहे बने थे तो ये बहुत सारे गाँवों के बीच से गुजर कर गए हैं। इनका उस समय गाँवों के बीच से होकर गुजरना, तब गाँवों की आबादी कम थी, लेकिन आज गाँवों की आबादी बढ़ी है तो लोगों ने नहर के किनारे या नहर से थोड़ी दूरी पर जाकर मकान बनाने का काम किया है। लेकिन अगर वे गरीब लोग उस नहर या रजवाहे पर कोई फट्टा या खम्भा डालकर उस नहर या रजवाहे को पार करते हैं तो आपके सिंचाई विभाग के द्वारा उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। जब इस पर अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया, यह मानक है कि एक किलोमीटर तक अगर कोई पुलिया होगी तो आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, हमारी नियमावली यही कहती है तो मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि उस नियमावली को इतना जरूर परिवर्तित कर दें कि अगर किसी गाँव के अन्दर से कोई माइनर या रजवाहा जा रहा है और कोई आदमी नहर की दूसरी तरफ मकान बना लेता है तो वह आदमी उसके ऊपर से गुजर कर चला जाए, जिससे वहाँ पर रहने वाले लोगों को, किसानों को परेशानी न हो। मा0 मंत्री जी दूसरा अभी हमारे कई साथियों ने, हमारे त्रिपाठी जी ने माँ गंगा के बारे में बहुत विस्तार से बताया और आपने भी नमामि गंगे के बारे में बहुत विस्तार से बताया।

मान्यवर, मैं जिस जिले मुरादाबाद, जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूँ वहाँ पर बहती हैं राम गंगा और राम गंगा जी वहाँ से बहकर निकलती हैं। जब वहाँ पर कालागढ़ डैम ओवरफ्लो हो जाता है और जब बरसात होती है तो हर साल 25-30 गाँव बाढ़ में डूब जाते हैं, क्योंकि राम गंगा पर जो बाँध बना हुआ है, वह केवल मुस्तापुर तक बना हुआ है, मुस्तापुर के बाद अब्दुल्लापुर तक बाँध नहीं बना हुआ है। उसके बाद जब हर साल बाढ़ आती है तो उस इलाके के जितने भी गाँव हैं, चटकाली है, सलेमसराय है, गाजीपुरा है और बहुत सारे गाँव हैं। उन सब गाँवों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लाखों लोग बर्बादी की कगार पर आ जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर इस बंधे को बड़ा कर दिया जाएगा तो यकीनी तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि यह लाखों किसानों को लाभ दिलाने का काम होगा। और अन्तिम बात को कहते हुए इतना अनुरोध है मा0 अधिष्ठाता जी कि मध्य गंगा नहर आपका और सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसकी जल्द शुरुआत करने का

सरकार का प्रयास है, लेकिन मैं यह बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि यह जो मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण है, ये हमारे क्षेत्र अमरोहा से जा रहा है और वहाँ एक नगर पंचायत उझारी पड़ती है जो मेरा अपना निवास स्थान है। यह नगर पंचायत के बराबर से गुजर कर गया है। इस जगह पर जो किसान रजिस्ट्री कराता है तो इसे 7000 वर्ग मीटर के हिसाब से रजिस्ट्री का पैसा उससे लिया जाता है और विभाग द्वारा जो मुआवजे का पैसा दिया जा रहा है, वह बहुत कम दिया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि गरीब किसानों को देखते हुए सरकार की यह योजना है कि चार गुना मुआवजा मिलेगा। यदि उन किसानों की आप जमीन ले रहे हैं तो उनको चार गुना मुआवजा दिलाएंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई विभाग के इस बजट पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*** श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इस सम्मानित सदन में जल शक्ति मंत्री मा0 स्वतंत्र देव सिंह जी के द्वारा सिंचाई विभाग की तीन मदों पर अनुदान माँगों के सम्बन्ध में जो इन्होंने विस्तार से चर्चा की है और जो बजट की मांग की है, मैं उसके समर्थन में पूरा बल देता हूँ। मान्यवर, यह विभाग किसानों का विभाग है और उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़े क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। शायद हमको कोई भ्रम न हो रहा हो तो यह जानकारी मुझे है कि आबादी के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जो छठा देश होगा। यह किसानों का प्रदेश है। अन्नदाता किसानों का प्रदेश है और इसका 80 प्रतिशत भू-भाग कृषि योग्य है और अभी मा0 मंत्री जी के द्वारा 49 हजार करोड़ से अधिक की जो अनुदान माँग प्रस्तुत की गई है, इससे कृषि के क्षेत्र में किसानों के हित के लिए, किसानों की उपज बढ़े, इन सारी योजनाओं का चाहे वह नमामि गंगे का मामला हो, सबका समायोजन इसमें किया गया है। सभी मदों पर बजट रखा गया है और मैं कहना चाहूँगा कि अभी 27 तारीख को 9 बजकर कुछ मिनट पर सदन का कार्य समाप्त हुआ था और जब मैं अपने आवास पर पहुंचा तथा जब मैंने टेलीविजन खोला तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का एक विषय मुझे देखने को मिला, क्योंकि केन्द्र में भी फरवरी में बजट प्रस्तुत हुआ है। मोदी जी का बजट वेबिनार चल रहा है उसमें उन्होंने कहा था कि बजट धन के लिए होता है। किसी भी सरकार के लिए, लेकिन उधर बैठे हुए हमारे मा0 सदस्य हैं, चाहे वह सपा के हों या बसपा के हों, पूर्व में कई बार इन्होंने उत्तर प्रदेश पर शासन किया है, उन लोगों पर यह लागू होता है कि धन तो चाहिए, लेकिन उसके लिए मन चाहिए और नीति सरकारें बनाती हैं, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। केवल धन से, बजट से काम चलने वाला नहीं है। धन है तो मन साफ होना चाहिए। नीति है तो नीयत साफ होनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए। यह दोनों चीजें जब आपके पास रहेंगी तभी बजट का सदुपयोग हो पाएगा। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसका मन भी है, धन भी है, नीयत भी है और नीति भी है और अभी पूर्व मंत्री, उस समय जिनके पास सिंचाई विभाग था, मा0 शिवपाल यादव जी ने आज सिंचाई विभाग पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, बड़ा बल दिया उन्होंने कि हमारी सरकार में पानी हेड से टेल तक ही नहीं, खेत तक जाता था।

मान्यवर, हम लोग भी किसान हैं। हम लोग भी गाँव से आते हैं, खेती करते हैं। अभी इस समय भी खेती करते हैं। हम लोग भी देखते रहे हैं इनके समय में टेल तो दिखाई ही नहीं देता था। हेड से पानी चलता था, कुछ दूर जाता था। टेल का तो सवाल ही नहीं है, खेत तक पानी पहुँचने का कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन हमारी सरकार में अप्रैल, मई, जून में पानी देने के लिए कहा गया। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र पनियरा, जनपद महाराजगंज में नहरों का जाल है, दुर्भाग्यवश किसी सीजन में अगर बारिश का अभाव हो गया, दैवीय प्रकोप आ गया, सूखा पड़ गया तो उस समय मेरे विधान सभा क्षेत्र पनियरा में नहरों से, ट्यूबवेल से अपनी व्यवस्था से 60 प्रतिशत धान की फसल हम लोग पैदा कर लेते हैं, ऐसा हमारा विधान सभा क्षेत्र पनियरा है। मान्यवर, हम लोग जानते हैं कि पानी कब आता है, पानी की कब आवश्यकता है। हेड से टेल तक पानी देने का काम हमारी सरकार करती है। खुदाई की चर्चा आयी तो उस पर भी माननीय शिवपाल जी ने बड़ा बल दिया, वह वरिष्ठ नेता है, अनुभवी व्यक्ति हैं। वर्ष 2013-14 में नहरों की खुदाई हुई थी, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुझे जो जानकारी है मेरे क्षेत्र में जब नहरों को देखा जाता था तो 2-4-10 नहर के बाद हर नहर पर पोकलैण्ड मशीन लगी हुई थी, कई बार इस सदन में आने का मौका मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश उस बार मैं इस सदन में नहीं आ पाया था लेकिन सुनने को मिल रहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश के नहरों की खुदाई का ठेका कन्नौज के एक व्यक्ति के नाम से दिया गया था।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस स्थिति में कितना काम हुआ होगा इसका आप सभी लोग अनुमान लगा सकते हैं। अभी हमारे मित्र कमाल अख्तर जी ने नहरों पर पुल की बात कही कि ये सरकार किसानों के लिए संवेदनशील है। मैं जल शक्ति मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितनी पुरानी नहरों पर पुराने पुल थे, टूटे हुए पुल थे, फुट ब्रिज था, उन सभी पुलों का सर्वेक्षण करा करके हमारी सरकार ने नया पुल बनवाया जिससे किसानों को आवागमन की सुविधा मिल सके। मान्यवर यह आवश्यक भी है और ये काम हमारी सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जल संचयन की बात आयी मान्यवर, हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और हम सभी जानते हैं। अभी राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर भी मैंने

यह शब्द बोला था। मुझे याद है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में ये शब्द कहा था कि आने वाले समय में जो विश्व युद्ध होगा वह जल के लिए होगा। उनके शब्द मुझे कानों में याद हैं। हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने इसकी भी चर्चा की। मान्यवर, इसके लिए हमारी सरकार नदियों को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने का काम कर रही है जिससे बाढ़ के समय में बाढ़ का पानी नदी में आ जाय, खेतों में किसानों को जब सिंचाई की आवश्यकता हो तो नदियों से पानी खेतों को दिया जा सके। माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी के समय में इस योजना को शुरू किया गया था, इस योजना पर अब तीव्र गति से केन्द्र की सरकार और प्रदेश की सरकार काम कर रही है।

मान्यवर, जल संचयन की बात आयी, तालाबों की बात आयी, हमारी सरकार अमृत सरोवर के माध्यम से तालाबों की खुदाई करा रही है, नदियों की सफाई करा रही है। मैं उसमें एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार की जल संचयन की जो सोच है, वाटर लेबिल नीचे जा रहा है, आने वाला समय दिक्कत वाला होगा क्योंकि मई, जून के महीनों में वाटर लेबिल नीचे जाने के नाते कुछ पम्पिंग सेटों द्वारा पानी छोड़ दिया जाता है। इसमें मेरा एक सुझाव है, संभव हो तो प्रदेश और केन्द्र को मिल करके इस पर चर्चा करनी चाहिए। मनरेगा से हम तालाब की खुदाई कराते हैं, वह चाहे नगर क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र वहां 01 से 03 फिट तक ही खुदाई होती है, उसकी खुदाई जब तक 10-15 फिट नहीं हो जायेगी जब तक उसका पानी स्टेट्स तक नहीं पहुँचेगा, पानी का स्रोत नीचे से ऊपर तक नहीं फूटेगा, तब तक उसमें जल संचयन करना नाकाफी होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर हमारी सरकार को विचार करना चाहिए। अन्तिम बात, मेरे क्षेत्र में बंधा टूटने की बात आयी है। मेरे क्षेत्र में जद्दीडोमरा एक बन्धा है। मार्च, 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, वर्ष 2017-18 में 3-4 महीने के बाद बाढ़ आयी।

मान्यवर, 2012 से 2017 की सरकार का जो पाप था, वह बंधा 17 जगह टूटा था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी को और अपने माननीय जल शक्ति मंत्री जी को, उस बन्धे को ठीक कराने के लिए 2 साल में करोड़ों-करोड़ रुपये दे करके उसको ठीक कराया गया है और उस बंधे की अन्दर से पिचिंग हो रही है, बंधा सब कम्प्लीट हो गया है और उसमें अभी भी काम चल रहा है। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि उस बन्धे की पिचीकरण करने के लिए माँग की गई है। चूँकि बन्धे के पिच होने के नाते जब बन्धे पर आवागमन तेज रहेगा, आवागमन चालू रहेगा, तो जो मूस आदि सुराख बना देते हैं, उससे जो कटान होता है, वह रुकेगा। इसलिए मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि उस काम को पूरा करायेंगे। आपने अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

*** श्री प्रदीप कुमार यादव-**

अध्यक्ष जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया, मैं इस कटौती प्रस्ताव पर माननीय शिवपाल सिंह जी से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। मेरे जिले औरैया के दिबियापुर विधान सभा क्षेत्र में आपके जितने नलकूप हैं, उनमें से ज्यादातर खराब हैं और जब उनकी सूचना दी जाती है और उसके लिए कहा जाता है तो वह लोग कह देते हैं कि हम ठीक करा देंगे। लेकिन उनकी हालत यह रहती है कि जब पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, उस समय जब ठीक नहीं कराये जाते हैं, तब किसान आपस में चन्दा करके उसे ठीक कराने का काम करता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो नलकूप खराब हैं, कृपया उन्हें ठीक कराने का कष्ट करें। चूँकि आपने सिंचाई पर बहुत बड़ा बजट रखा है। औरैया जिले के अछल्दा ब्लाक में एक अनइया नदी है। उस अनइया नदी में बरूआ और दांडी के बीच में एक बहुत छोटा सा पुल बनना है ताकि इधर के किसान उधर जा सकें और उधर के किसान इधर आ सकें, उससे लोगों को अपनी खेती करने में बहुत सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा माननीय अधिष्ठाता जी, एक नहर की पटरी दिबियापुर पुल से लेकर मलौसी पुल तक है, उसकी हालत खराब है और खास तौर से दिबियापुर पुल से लेकर महामाई पुल तक और सरकारी अस्पताल से लेकर साजनपुर तक रोड की पटरी की हालत बहुत खराब है, जो आज से करीब 5 साल पहले पटरी डामर रोड बनाई गई थी, आपसे अनुरोध है कि उसे भी ठीक कराने की कृपा करें और माननीय मंत्री जी, अछल्दा ब्लाक में एक खसारा से लेकर बझेरा तक जो आपकी बम्बा की पटरी है, इसकी हालत बहुत खराब है। आपसे अनुरोध है कि कृपया उसको ठीक कराने का काम करें। माननीय मंत्री जी, आपसे एक डायरेक्ट अनुरोध है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, यहाँ पर डायरेक्ट अनुरोध नहीं होता है, अनुरोध पीठ से होगा।

श्री प्रदीप कुमार यादव-

मान्यवर, पातागेल प्लांट में आपका सीधा नहर का पानी गेल को जाता है और वहाँ पर आपके शटर डाल दिये जाते हैं, लेकिन गेल को एन0टी0पी0सी0 को लगातार पानी दिया जाता है। जिसके कारण पानी कहीं न कहीं किसानों का कम होता है। उसके बदले में गेल हमेशा उस क्षेत्र के बम्बा पक्के कराने का काम करती थी और पिछली बार किया था। जब बम्बा पक्के हो जाते हैं तो एक तो आपका टेल तक पानी पहुँच जाता है और दूसरा, जो आपके बम्बा पक्के हो जाते है, उनसे पानी नीचे कम बर्बाद होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि उस पातागेल प्लांट, औरैया को निर्देशित करने का कृपा करें कि जब आप किसान का पानी लेते हैं तो कम से कम उस दिबियापुर विधान सभा क्षेत्र के जो बम्बे पक्के होने से रह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गये हैं, उन्हें पक्का कराने का काम करें। इसके साथ ही माननीय अधिष्ठाता जी, जब नहर और बम्बों की सफाई होती है।

मान्यवर, वह बालू उठा करके ऊपर रख दी जाती है। वह बालू कोई उठा नहीं सकता है। अगर किसान बालू उठा लेगा तो किसान को पुलिस पकड़ लेगी, कम-से-कम 20-25 हजार रुपया ले लेगी। दरअसल वह बालू उठा करके ऊपर रख दी जाती है और जब पानी बरसता है तो वही बालू दोबारा बम्बा में फिर चली जाती है। उसी बालू की फिर से सफाई होती है। जिससे सरकार का बहुत रुपया बर्बाद होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो बालू बाहर रख दी जाये, अगर कुछ न करें कम-से-कम आप उसे नीलाम ही कर दें तो दोबारा वह बालू उस बम्बा में या नहर में नहीं जायेगी। यह हमारा आपसे अनुरोध है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी आपने बाढ़ से सुरक्षित 22.98 लाख हेक्टेयर एरिया किया लेकिन यमुना नदी में इटावा से ले कर औरेया तक जब बाढ़ आती है, तब उन लोगों की यह स्थिति हो जाती है कि वह निकल कर ऊँची जगह पहुंच जाते हैं और उस ऊँची जगह पर बेसहारा हो जाते हैं उन्हें अन्य लोग खाने की सामग्री देते हैं। जब तक पानी नीचे नहीं उतर जाता, तब तक उन लोगों की हालत बड़ी खराब रहती है। आपसे अनुरोध है कि इटावा से ले करके औरैया तक जो यमुना नदी के किनारे के गाँव है, वहाँ भी आप कहीं-न-कहीं बन्धा बनवा कर उन्हें सुरक्षा देने का काम करें। यह बजट आपका बहुत लोक लुभावन है। गरीब जनता को इसमें कुछ नहीं मिला। इसमें सिर्फ घोषणायें की गई हैं।

आज देश में 75 प्रतिशत लोग खेती किसानी का काम करते हैं। जहाँ पर 75 प्रतिशत किसान हैं जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, जो देश का पेट भरने का काम करते हैं उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। स्व0 माननीय मुलायम सिंह जी कहा करते थे कि पहले गाँव का और किसान का विकास करो। जिस दिन किसान खुशहाल हो जायेगा, उस दिन देश अपने आप खुशहाल हो जायेगा। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि उन किसानों की कम-से-कम मदद करें जिन पर बिजली का डण्डा, समय पर पानी नहीं मिलता है। कब पानी की जरूरत है, कब नहर को छोड़ना है। यही असली जरूरत किसान की रहती है। जब पानी नहीं मिलता है, तब किसान हम लोगों को टेलीफोन करते हैं कि भइया बम्बा में पानी कब आयेगा। जब माननीय शिवपाल सिंह यादव जी कह रहे थे उस समय रोस्टर का हवाला दे दिया जाता है। जब पानी की जरूरत नहीं रहती है उस समय इतना ज्यादा पानी आता है कि जो फसल गेहूँ की तैयार है, उसमें पानी ओवर चला जाता है, तो उनकी बनी बनाई फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि समय पर पानी दिलवाने की कृपा करें। आप लोग एक नारा लगाते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, का साथ, अडानी का विकास मत करो। किसानों का साथ, गरीब और कमजोर का विकास करो। अगर यह नारा आप लगायेंगे तो निश्चित है देश खुशहाली की तरफ जायेगा। हमारे औरैया जनपद की एक समस्या है। दिबियापुर कस्बे में नहर के पुल का चौड़ीकरण करा दें जिससे वहाँ पर जाम की समस्या खत्म हो जायेगी। अगर जल ही जीवन है,

तो हर गाँव में तालाब होने चाहिए। जब तक हर गाँव में तालाब नहीं बनेंगे तब तक जल ही जीवन कभी सुरक्षित नहीं होगा।

डॉ0 एम0 पी0 आर्य-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री माननीय स्वतंत्र देव जी द्वारा दिये गये प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बात प्रारम्भ करने से पहले रामराज्य की परिकल्पना के साथ इस प्रदेश का संचालन कर रहे, हमारे पूजनीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। ''संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भू-तल को ही स्वर्ग बनाने आया, है एक हाथ में परसू एक में कुश है, आ रहा नये भारत का भाग्य पुरुष है।

मान्यवर, हमारे विपक्षी साथी कृषि सिंचाई एवं बाढ़ के वर्ष 2023-24 के बजट में प्रस्तावित बाढ़ के लिए 2803 करोड़ रुपये, मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5322 करोड़ 50 लाख रुपये, मध्यम सिंचाई के लिए 2220 करोड़ 20 लाख रुपये और लघु सिंचाई के लिए 3400 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के लिए 25350 करोड़ रुपये और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 455.15 करोड़ रुपये के प्रस्ताव में कटौती की बात करते हैं। मान्यवर, सिंचाई केवल फसलों के पोषण और जीवन के लिए ही आवश्यक नहीं है। सिंचाई तो इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए जीवित रखने के लिए आवश्यक है। मान्यवर, जल सामाजिक व आर्थिक विकास का केन्द्र भी है। ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य, हमारा भोजन सब कुछ जल पर निर्भर करता है।

मान्यवर, अगर सिंचाई है तो फसलें हैं, अनाज है, अगर जल है तो फसलें हैं, वृक्ष हैं और हमारे मकान बनाने के लिए लकड़ी है, खाने के लिए फल है, खाने के लिए अनाज है और श्वांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी हमें पेड़ों से ही मिलती है, अगर इनको जल नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिंचाई के इस व्यय में कटौती किसी भी तरह से स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं। हमारे माननीय मंत्री जी, अभी एक चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, चिन्ता वास्तव में जायज है। अभी जल संरक्षण की बात हो रही है, मान्यवर, किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है और मैं पूरे सदन के लिए कहना चाहूँगा कि यह वास्तव में एक गम्भीर समस्या है। जब मैं छोटा था, करीब 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हमारे गांव में कुएँ से पानी पिया जाता था। सारे कुएँ, तालाब पानी से भरे रहते थे, सारी नदियों में अविरल जल बहता था। मान्यवर, जब हम कुएँ से पानी पीते थे, बरसात के दिनों में वॉटर लेबल इस तरह का हुआ करता था कि कुएं से पानी भरने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं होती थी, हम केवल झुक कर बाल्टी से पानी भर लिया करते थे। मान्यवर, आज किसी तालाब में पानी दिखायी नहीं देता है, किसी पोखरे में पानी दिखायी नहीं देता है, छोटी-छोटी नदियां सूख गयीं हैं, बड़ी नदियों की अगर बात करें तो बड़ी नदियों में भी पानी बहुत कम है, धारा अविरल नहीं है और जो है वह बहुत गन्दी है। इसकी साफ-सफाई की चिन्ता, जल संरक्षण की चिन्ता यह हम सबको निश्चित रूप से करनी चाहिए।

मान्यवर, अगर मैं बात करूँ जल संरक्षण की, हम सिंचाई की तीन विधियां काम में लाते है, सतह से सिंचाई करते हैं, हम फव्वारे से सिंचाई करते हैं, हम ड्रिपिंग से सिंचाई करते हैं। मेरा मानना है कि जो सबसे अच्छा सिंचाई का तरीका है वह ड्रिपिंग का है। हम अगर वास्तव में कल बचाना चाहते हैं, जोकि कहा भी गया है कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। अगर हमें कल संरक्षित करना है तो ड्रिपिंग को अपनायें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगायें, तालाब बनायें, बांधों की रक्षा करें, यह सारी जिम्मेदारी हमारी और आप सब की है। मान्यवर, कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपनी छतों का पानी भूगर्भ में पहुँचाने की व्यवस्था करें और ये सारी व्यवस्थाएँ करेंगे तो यह जो जल है जोकि सृष्टि से पहले पैदा हुआ है। और हमारी सृष्टि जिस पर आधारित है जो हमारी प्रकृति के पंचतत्व है ''क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंचतत्व से बना शरीरा''। ये निश्चित रूप से जल संरक्षण के लिए आवश्यक है। हम सब लोग इस तरफ ध्यान देंगे, मेरा ऐसा सभी से निवेदन है। इसी के साथ मा0 स्वतंत्र देव जी द्वारा, मा0 मंत्री जी द्वारा ये जो प्रस्ताव किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य श्री हिमांशु यादव जी।

श्री हिमांशु यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे नेता मा0 शिवपाल सिंह यादव जी द्वारा पेश किए गये कटौती प्रस्ताव पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के योगदान से शुरू करना चाहूँगा। जिसका नाम लिये बिना हमारी अर्थव्यवस्था का कोई आधार नहीं, इस बजट का कोई आधार नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था की जो नींव है जैसे किसी सुंदर भवन की संरचना में उसकी गहरी नींव, उसी मजबूत बुनियाद पर सुंदर एवं भव्य भवन का निर्माण होता है। उसी प्रकार किसान और कृषि निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था की गहरी नीव है और एक मजबूत बुनियाद है।

मान्यवर, आज किसान बेहाल है। बढ़ती लागत और फसल का वाजिब मूल्य किसान को न मिल पाना, उसका सबसे बड़ा कारण है। सरकार लगातार दावा कर रही है कि वह किसानों की आय दो गुनी करेगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्य मंत्री काल में किसानों के लिए नहर एवं राजकीय नलकूपों द्वारा दी जाने वाली सिंचाई मुफ्त की गयी थी। इस फैसले से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ भी मिला। मान्यवर, हमारे जनपद बदायूँ में कोई नहर नहीं है, लेकिन जो राजकीय नलकूप हैं, वे अधिकतर खराब रहते हैं, जिससे किसानों की फसल पैदावार प्रभावित होती है। कई बार किसानों की समस्याओं के बारे में मेरे द्वारा अधिकारियों को समय-समय पर अवगत कराया गया, लेकिन मैं आपको

बताना चाहता हूँ कि उसको ठीक कराने में दो-तीन माह लग जाते हैं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। विभागों में पर्याप्त बजट की व्यवस्था रहे, उसके लिए मैं आपसे माँग करता हूँ कि इसमें प्रावधान किया जाना चाहिए।

मान्यवर, आपके माध्यम से मेरी सरकार से माँग है कि किसानों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों की जवाबदेही तय करें, जिससे किसानों को खराब राजकीय नलकूप के कारण सिंचाई करने में आ रही समस्याओं का निस्तारण शीघ्र कराया जाए, ताकि किसानों की फसल पैदावार बढ़ सके। मान्यवर, विगत कई वर्षो से जनपद बदायूँ में सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। बदायूँ जनपद में सिंचाई के लिए कोई नहर नहीं है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गंगा नदी एवं राम गंगा नदी के दोआब में स्थिति जनपद बरेली की तहसील सदर एवं आंवला के जनपद बदायूँ की तहसील सदर एवं दातागंज के हजारों किसानों को लाभ मिल सके। इस उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सिंचाई नहर परियोजना दि0 27-04-2012 को वित्त समिति ने अनुमोदित किया, जिसको दि0 23-03-2017 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन समय-समय पर सर्किल रेट का बढ़ना एवं भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार सर्किल रेट के चार गुने से ज्यादा के प्रस्ताव का प्रावधान किये जाने के कारण वर्ष 2017 तक हमारी सरकार में 61 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया था। उस नहर का अवशेष कार्य इस डबल इंजन की सरकार छः वर्षो में भी पूरा नहीं कर पायी। जबकि किसानों की आय दो गुनी करने की बात ये लोग करते हैं। मान्यवर, मेरी आपके माध्यम से सरकार से माँग है कि इस नहर के निर्माण कार्य में तेजी लाकर जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे हजारों किसानों को लाभ मिल सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद। मा0 सदस्य विवेकानन्द जी, अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करें।

*** श्री विवेकानन्द पाण्डेय-**

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री, बड़े भाई स्वतन्त्र देव सिंह जी द्वारा प्रस्तुत जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार के जल शक्ति विभाग को जो बजट दिया गया है, वह हर क्षेत्र में स्वागत योग्य है। अभी नहर की बात हो रही थी, नहरों में हेड से टेल तक पानी जाये। 2017 में जब परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश में आयी तो हेड से टेल तक पानी पहुँचाने का कार्य किया गया। पहले नहरों की हेड से टेल तक सफाई के लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टेण्डर होते थे लेकिन सफाई नहीं होती थी, सिर्फ कागजों पर होती थी। परन्तु परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार और जल शक्ति मंत्री जी के नेतृत्व में आज नहरों की सफाई होती है और हेड से टेल तक पानी पहुँचता है। यह हमारे विपक्ष के साथी और हम सब देखते हैं। आज उसको और सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में प्राविधान किया गया है। नई नहरों को बनाने के लिए इस बजट में प्राविधान किया गया है। बाढ़ जैसी विभीषिका से निपटने के लिए, जब इस साल बाढ़ का समय आया तो प्रदेश में हमारी सरकार की नीति की देन है, हमारे अधिकारी और मंत्रियों के कार्य की देन है कि पानी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद भी कहीं हमारा बंधा नहीं टूटा। क्योंकि मैं खुद एक बाढ़ क्षेत्र से आता हूँ। मेरे क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा ठोकर वीणावार ठोकर है। मैं कुशीनगर जनपद के खड्डा विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ। मेरे क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन पानी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद भी हमारी सरकार की नीति, हमारे कर्मचारियों के प्रयास से कार्य किये गये, पहले कार्य होते नहीं थे। पहले ठोकर बनाने के टेण्डर होते थे, लेकिन मानक के अनुरूप उस पर कार्य नहीं होते थे। लेकिन हमारी सरकार की देन है, उस बाढ़ की विभीषिका को रोकते हुए, सारे बंधे हमारे सुरक्षित रहे। आज की स्थिति यह है कि जो अभी बात हो रही थी बंधों के पेंटिंग के लिए। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे ही क्षेत्र में 16 किमी0 केबी बांध और छितौनी बांध 11 किमी0 की पिचिंग करने के लिए धनराशि दी गयी है। कुल मिलाकर लगभग 30 कि0मी0 बन्धे की पिचिंग करने का तथा तारकोल से सड़क बनाने का प्रावधान किया गया है। मेरे ही क्षेत्र के बगल में महराजगंज क्षेत्र है, रोउवा नाला वहाँ पर है, रोहिनी नाले पर बैराज बनाने के लिए बजट में प्राविधान किया गया है और भी अन्य क्षेत्रों में धन दिया गया है। हमारे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या रहती थी लेकिन हमारी सरकार ने 05 करोड़ रुपया लगाकर एक नया रेगुलेटर बनाया गया है, जो हमारे क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है और वह स्थापित होनी जा रहा है। हमारी सरकार हर घर नल, हर घर जल योजना के तहत पानी दिये जाने की व्यवस्था कर रही है। मिशन जल जीवन के साथ जो कार्य हो रहा है उसके लिए निश्चित रूप से सरकार बधाई की पात्र है। नहर से लेकर नलकूप की बात हो रही थी। नलकूप के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नलकूप कैसे लगे और हर क्षेत्र में नलकूप लगाये जा रहे हैं जिससे सबको शुद्ध पानी मिले और किसान को भी पानी मिले। किसान और आम आदमी को जल कैसे मिले इसकी हमारी सरकार ने अपने बजट में प्राविधान किया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने मंत्री जी को और मंत्री जी के प्रयास से हमारे क्षेत्र में बंधों के उच्चीकरण का कार्य किया जा रहा है। महराजगंज या गोरखपुर हर क्षेत्र में बजट का प्राविधान किया गया है। नहर हो, बाढ़ की विभीषिका हो, जल जीवन हो हर क्षेत्र में बजट दिया गया है। माननीय मंत्री जी के इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए तथा मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूँ कि यह बजट उत्तर प्रदेश के जल शक्ति विभाग का ऐतिहासिक बजट है। मै चाहूँगा कि इस बजट में जो नये पम्प हाउस बनने हैं कुछ हमारे खड्डा क्षेत्र में सिंसवा गोपाल, मठिया, नेबुआ-नौरंगिया विकास खण्ड, सिंघार की तरफ पम्प हाउस

बनाकर जोड़ा जाए। हमारे क्षेत्र में पम्प हाउस के जो शेष कार्य रह गये हैं वो भी हो जायें। हमारे क्षेत्र में जो एग्रीकल्चरल लैंड है, पानी की कमी से फसल का नुकसान होता है, पम्प हाउस के माध्यम से हमारी सरकार जो शेष कार्य है, उसको भी पूरा करे।

श्री अधिष्ठाता-

विवेकानन्द जी, घड़ी का ध्यान रखें, 05 मिनट का समय हो गया है।

श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूँ। सबसे जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, समय का ध्यान दीजिए।

श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमें लगता है कि यह सदन में बैठे हुए सभी साथियों से जुड़ा हुआ मामला है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो आम गरीब आदमी ठेले पर काम करता है, दिन भर मजदूरी करता है या पान की दुकान चलाकर अपना पेट पालता है, उसने अपना पैसा सहारा इंडिया बैंक में जमा किया है, वह लोग खुदखुशी करने के लिए तैयार हो गए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

महोदय, यह जल शक्ति विभाग से जुड़ा हुआ मामला नहीं है।

श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। यह विषय महत्वपूर्ण है। यह सभी के हित के लिए है। यह हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे चाहेंगे कि आपके माध्यम से सहारा बैक में जिनका भी पैसा फंसा हुआ है, उसे निकलवाने के लिए हमारी प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे, जिससे उन गरीब लोगों का पैसा मिल सके। आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मा0 जल शक्ति मंत्री जी के बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ। ''जय हिन्द, जय भारत''

*** श्री सचिन यादव-**

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सिंचाई विभाग के जल शक्ति के कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने आपको आदरणीय शिवपाल जी द्वारा लाए हुए कटौती प्रस्ताव से सम्बद्ध करते हुए उस पर बल देता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूँ। बजट तो बहुत बड़ा आया है, पिछली बार का बजट भी काफी बड़ा था। बजट का जो प्रपोज्ड बजट था और एक्चुअल बजट का जो डेटा आया है, उसमें बहुत बड़ा अन्तर है। लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा का अन्तर था। जो बजट मिला था और जो बजट खर्च हुआ था, उसमें 50 प्रतिशत का अन्तर था। इस बार फिर बजट बढ़ा दिया गया है, जो किताबें हमें मिली हैं, उसमें बताया गया है कि मुख्य एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं में पिछली बार 3400 करोड़ रुपया खर्च किया था, जब पिछली बार ही जल शक्ति विभाग का बजट खर्च नहीं हो पाया तो इस साल यह कैसे खर्च कर पायेंगे ? मुझे तो इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। दूसरी बात जो बजट का बड़ा प्रपोजल है, वह सेंट्रल से आता है, सेन्ट्रल की स्कीम से आता है और जल जीवन मिशन के द्वारा आता है। मैंने कुछ प्रश्न अपने जिला फिरोजाबाद के लिए पूछे थे कि जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में हर घर नल योजना के अन्तर्गत कार्यों को पूर्ण करने की क्या सीमा है ? उस पर आदरणीय मंत्री जी का जवाब आया कि 2024 तक यह योजना पूर्ण कर ली जायेगी। उसी के आगे जवाब में यह लिखा था कि जनपद फिरोजाबाद के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सही स्रोत पेयजल योजना की डीपीआर तैयार करा ली गयी है। डीपीआर तक ही काम अभी पेंडिंग है, जमीन पर काम आया नहीं है, इतने सालों में अभी डीपीआर तक ही काम पहुँच पाया है तो इसको जमीन तक आने में एक साल की उम्मीद मुझे कम नजर आती है।

मैंने दूसरा सवाल भी पूछा था कि अशुद्धियां मिटाने के लिए आपने हैंडपम्प बन्द कर दिये हैं। अब हैण्डपम्प नहीं मिलते हैं, तो अशुद्धियां मिटाने के लिए क्या योजना है ? उस पर भी जवाब आया कि लोकल नहर के स्रोत से आपको हर घर पाइप लाइन पहुँच जायेगी, लेकिन जब डीपीआर तक ही बात तय है तो जो लोग पानी का इन्तजार कर रहे हैं, तब तक वह पानी कहीं से पियेंगे ? ग्राउण्ड वाटर से पानी कैसे पी सकेंगे, वह पहले से ही अशुद्ध और खारा है ? बहुत बड़ी समस्या है, बजट का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में जो बजट सेंट्रल से आता है, डबल इंजन की सरकार है, टाइम से नहीं मिलता है। जनवरी, फरवरी तक पूरे साल का बजट आता है, उसकी वजह से यह मार्च में यूज नहीं हो पाते हैं। आदरणीय शिवपाल जी ने रोस्टर की बात रखी है। ऊपर से पानी आ रहा है, नहरें हैं, बम्बे हैं, बम्बे तालाब तक जाते हैं, लेकिन प्रॉपर रोस्टर नहीं जाता है। समय बता दिया जाता है कि मंगलवार को पानी आयेगा, बुधवार को आयेगा, अगले महीने आयेगा, अगले हफ्ते आयेगा, लेकिन महीने के महीने निकल जाते हैं, उन बम्बों में कभी भी पानी नहीं आता है। कभी सिफारिश लगा दी जाती है तो एक आध दिन चल जाता है, उसके बाद फिर चला जाता है, इससे किसान परेशान होता है।

मान्यवर, उन बम्बों की सफाई कराने का क्या फायदा है, अगर उन बम्बों की सफाई कराने के बाद उसमें पानी नहीं आए और पानी अगर बम्बों में आ जाए तो उन बम्बों से कनेक्टेड जो तालाब हैं, अगर उनको भरने का काम नहीं किया जाएगा तो पानी का कोई यूज नहीं होगा। अमृत सरोवर की बात हुई कि अमृत सरोवर के बड़े-बड़े टार्गेट पूरे किए जा रहे

हैं। अमृत सरोवर ज्यादातर पेंडिंग चल रहे हैं पूरे नहीं हुए है और बहुत सारी गाँव की नालियां अमृत सरोवर से कनेक्ट हो चुकी हैं जिससे अमृत सरोवर में जो रेन वॉटर का पानी इकट्ठा हो जाता था, वह यूज होने से पहले ही दूषित हो चुका है। तो अब उसकी क्लीनिंग की क्या व्यवस्था की जाएगी। उसे रोकथाम करने की क्या व्यवस्था की जाएगी तो अमृत सरोवर की जो स्कीम आई थी वह स्कीम जमीन पर आने से पहले ही फेल होती हुई नजर आ रही है। नलकूप के टारगेट है, नलकूप के टारगेट जो भी पिछली बार सरकार ने दिए थे वह पूरे नहीं किए और इस बार टारगेट और बढ़ा दिए गए है। जब पिछली साल के कम टारगेट थे, वही पूरे नहीं हुए तो इस साल के बढ़े हुए टारगेट कैसे पूरे किए जाएंगे। ट्यूबवेल है, उन पर मीटर लगना चालू हो गया है, पहले कभी नहीं मीटर हुआ करते थे।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य कोई विशेष बात हो तो कह दीजिए पांच मिनट का समय था।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, यह सारी ही विशेष बातें हैं। यह पानी की समस्याओं को लेकर बातें हैं।

श्री अधिष्ठाता-

चलिए अब आप बैठ जाइए श्री बाबूलाल जी अब आप बोलिए।

श्री बाबूलाल—

मान्यवर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मा0 मंत्री जी द्वारा जो बजट मांग प्रस्तुत किया गया उसके समर्थन में समय दिया। हमारा विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी राजस्थान से लगा हुआ इलाका है बिलकुल सूखा इलाका है। वही किसी जमाने में अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी, पानी की कमी के वजह से राजधानी छोड़कर के आगरा को दूसरी राजधानी बनानी पड़ी। हमारी बहुत बड़े इलाके की लम्बित मांग लखवाड़ बांध योजना की है और उस लखवा बांध योजना बनने के बाद नहरों का जो विस्तार होगा, पुनर्निर्माण होगा और नहरों की पानी की क्षमता बढ़ेगी, उससे पूरे आगरा का ही नहीं मथुरा, हाथरस, आगरा, पूरे इलाके में किसानों को भरपूर पानी मिलने का काम होगा। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है मा0 मंत्री जी बैठे है मेरी मा0 मंत्री जी से एक बार नहीं कई बार मांग हुई है, जब मेरे 70-80 ग्राम फतेहपुर सीकरी के जो राजस्थान से लगे हुए हैं, उनको पानी की व्यवस्था कैसी दी जाए, यह व्यवस्था होनी चाहिए। अभी मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से मिला, मैंने कहा कि जब तक मड़ौली माइनर जहानपुर गुल का विस्तार नहीं होगा तब तक उस इलाके के पानी का किसानों के लिए इन्तेजाम नहीं हो सकता।

मेरा मा0 मंत्री जी से और मान्यवर आपसे यह अनुरोध है लखवार योजना कैसे भी चालू की जाए। हम लोग चुनाव में वादा करके आए थे। इन गांवों के लिए पानी की व्यवस्था कराने का हमारी सरकार काम करेगी और निश्चित तौर पर आप लोगों से अनुरोध है कि लखवार योजना को लागू किया जाए और उसके साथ-साथ हमारे पीने के पानी की बहुत बड़ी

समस्या है। हर घर जल, हर घर नल की योजना जो चालू कराई जा रही है मैं मा0 सदन से और मा0 मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि सबसे पहले फतेहपुर सीकरी की जनता के लिए हर घर नल की व्यवस्था कराई जाए और हम चाहते हैं कि वह व्यवस्था चम्बल से कराई जाए। बाह तहसील में चंबल से सिंचाई की भी व्यवस्था होती है और पीने के पानी की भी व्यवस्था होती है मैं चाहूँगा उस व्यवस्था को लागू किया जाए और वहीं पर नहरों की सफाई के नाम पर खानापूर्ति होती है वहां के एक्स0ई0एन0 गिरी और ए0ई0 नाहर सिंह पानी की चोरी भी करवाते है और नहरों की सफाई का घोटाला भी करते हैं। राजस्थान का एक गांव है नयागांव वहाँ के लोगों ने इन अधिकारियों से मिल करके पक्के पम्प हाउस बना रखे हैं और हमारे पानी को नयागांव के लोग दस-दस किमी0 चोरी करते हैं और हमारे किसानों को पानी नही मिल पाता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि इन अधिकारियों को हटा करके उन पम्प हाउसों को वहाँ से हटाया जाये जिससे हमारे किसानों को पूरा पानी मिल सके।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 बाबूलाल जी, आपकी बात आ गयी है।

श्री बाबूलाल-

मा0 अधिष्ठाता जी, अभी मेरी पूरी बात नहीं आयी है। मा0 अध्यक्ष जी ने सभी मा0 सदस्यों को 10-10 मिनट दिये हैं। इसलिये मैं भी अपनी बात पूरी करूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करें। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता बहुत दुखी है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आप बजट के समर्थन में बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं। आपकी बात आ गयी है। जो बचा है उसे लिखकर के दे दें।

(इस मध्य विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा बीच में टोका-टाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री बाबूलाल-

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें। जब बरसात होती है तो हमारी हजारों बीघा जमीन बिना बुआई के रह जाती है इसलिये मैं चाहता हूँ कि जितने भी नाले हैं सभी नालों की सफाई करायी जाये। मा0 मंत्री जी से अभी कल मेरी बात हुयी है। पानी स्टोर करने के लिये सिंचाई विभाग की हजारों बीघा जमीन डीएनडीए के पास पड़ी हुयी है, उसकी खोदाई करा करके उसमें पानी स्टोर किया जाये। सिंकदरा रजबहा के हेड पर जोधपुर झाल पर पड़ी जमीन पर स्टोर कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आपकी बात मा0 मंत्री जी से हो तो गयी है।

श्री बाबूलाल-

मा0 अधिष्ठाता जी, जितने भी तालाब हैं, उन पर अवैध कब्जे है। मैं चाहता हूँ कि उन अवैध कब्जों को हटवा करके उन तालाबों की खोदाई करायी जाये।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 बाबूलाल जी, आपकी बात आ गयी है। मा0 सदस्य श्री संदीप सिंह जी अपनी बात शुरू करें।

*** श्री संदीप सिंह-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मौका दिया, लेकिन अगर किसी का दर्द है तो वह अपने दर्द को बयां तो करेगा ही। आदरणीय बाबूलाल जी को दर्द था, लेकिन उनका दर्द आपने यहाँ आने ही नहीं दिया। आप उनको एक-आधा मिनट और दे देते। मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आप नहरों में टेल तक पानी पहुँचा पा रहे हैं ? रख-रखाव के नाम पर भारी-भरकम धनराशि के प्रावधान के बाद भी नहरों का रख-रखाव नहीं हो पा रहा है। नहरों में टेल तक पानी न पहुँचने से नहर विभाग अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रहा है। समय से पानी न मिल पाने से किसान अपनी फसलों में समय से पानी नहीं दे पाता जिससे बाध्य होकर किसान को भूमिगत जल का सहारा लेना पड़ता है और इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। साथ ही भूमिगत जल का स्तर भी गिरता है तथा पेयजल के संकट में भी वृद्धि होती है। क्षेत्र के सरकारी नलकूप ज्यादातर खराब रहते हैं जिससे उनका भी उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। आप नहरों में पानी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। नहरों की सफाई के नाम पर धन का प्राविधान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। नहरों में सिल्ट जमा हो गयी है और अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश में औसत वर्षा के दृष्टिगत सरकार को चाहिये कि जहाँ सतही जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है वहाँ इसकी सम्भावना विकसित करे। सतही जल को भूमिगत जल में परिवर्तित करने के लिये जलाशयों को नहर प्रणाली से जलापूर्ति करके भूमिगत जल के स्तर को गिरने से रोके। बारिश के जल का समुचित प्रबन्धन न होने से पूर्वांचल के लोग जो बाढ़ क्षेत्र में रहते है, उनके भी दर्द को पहचानने का प्रयास कीजिये। इसके लिये भी प्रावधान आवश्यक है।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। लगातार कई वर्षों से बाढ़ के समय हमारे यहाँ टोंस नदी से कई गाँव प्रभावित होते हैं जैसे सिंहपुर, कौना, बरसौता, बलुहा समहन, अमिलिया खुर्द आदि गाँवों में ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है और इनका अस्तित्व खतरे में है जिससे इन गाँवों के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं पर गंगा जी के किनारे बसे हुये गाँव छतवा, नरवर चौकठा, उमापुर, डेंगूरपुर, महेवा कला,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोहारी, बामपुर गाँव हैं। लोग गाँव से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं पर गंगा जी के किनारे बसे हुए गांव छतवा, नरवर, चौकठा, उमापुर, डेंगूरपुर, महेवा कला, लाहारी, बामपुर गांव है जहां के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ सरकार पानी पीने की व्यवस्था की बात करती है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि नई योजनाएँ तो अभी गर्भ में हैं, वह 2024 तक लागू होंगी या नहीं लागू होंगी इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन जो परियोजनाएँ आपकी चल रही हैं जैसे हमारे यहां 2012 में जल निगम से जो टंकी बनायी गयी थी, आज उनकी पाइपें ध्वस्त हो गयी हैं और आज तक पानी सप्लाई नहीं हो पाया है। दिघिया में पानी की टंकी बनायी गयी, सिकरा जल निगम में बनायी गयी, लेकिन पकरी पाईप लाइन ध्वस्त हो जाने के कारण यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तरवाई, पकरी, सेवार, नरवर चौकठा, रामनगर, अरई मदरा, मोनाई, आंधी, उपरौड़ा, छतवा, उँचडीह, जेवनिया, कुंवर पट्टी जैसे गाँवों में पानी की टंकी होने के बावजूद भी इतना खराब क्वॉलिटी का काम किया गया कि कहीं भी पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हमारे यहां गुलेरिया का बंधा है जिसमें कभी पानी नहीं रहता है। मछली पालन के नाम पर वहां का पानी हमेशा निकाल दिया जाता है। जबकि गुलेरिया बन्धे में पानी डाल दिया जाय तो कई गांव सिंचित हो सकते हैं।

इतना ही नहीं अखरी शाहपुर मार्ग से माण्डा रजवहा जो कि मिर्जापुर को जोड़ता है जो कि 25 किलोमीटर है अगर उसकी सर्विस लाइन बना दी जाय तो मिर्जापुर से आने वाले लोगों को एक नया रास्ता मिल जायेगा। एक पकरी पम्प कैनाल है जिसको दबंगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अगर उसको खाली करा लिया जाय तो मैं समझता हूँ कि गांव के लोगों का आवागमन हो सकता है। गंगा पर कटान जारी है, गांव के गांव विलुप्त होने की कगार पर है। हमारे यहां माण्डा ब्लाक में कर्णावती नदी है जिसकी सफाई न होने से हजारों एकड़ जमीन खेती के लायक नहीं रह गयी है। हमारे यहां कई ऐसे गाँव हैं, जहाँ पर ट्यूबवेल न लगाये जायें तो खेती कर पाना सम्भव नहीं है। जैसे उरूवा ब्लाक में उपरौडा लोहारी, रामनगर, बलुहा समहन, चिलबिला शुकुलपुर, शुबंसराय का पूरा, मोनाई है इसके अलावा माण्डा ब्लाक में बेदौली, कुखुड़ी हैं एवं मेजा ब्लाक में भुस्का है। मैं बहुत लम्बी बात न करते हुए केवल एक बात और कहना चाहता हूँ कि कई ऐसी पुलिया है, जो बनाने योग्य है जैसे तरवाई बिगहनी के सामने पुलिया है, दिघिया में चलंगा पुलिया है, ओनौर माईनर पर पुलिया है, ऐसे तमाम काम है, जो करने जरूरी है।

(सदस्य श्री सन्दीप सिंह माइक बन्द होने के पश्चात् भी बोलते रहे)

***डा0 धर्मपाल सिंह-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार, हमारी सरकार के जल शक्ति मंत्री मा0 स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा रखे गये सिंचाई के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ जल शक्ति मंत्री मा0 स्वतंत्र देव सिंह जी का जिनके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह जो परियोजनायें सालों से अधूरी थीं, उन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। मा0 मंत्री जी के द्वारा इस बजट में रखी गयीं परियोजनाएं जब पूरी होंगी, जिन पर तेजी से कार्य चल रहा है तो प्रदेश में रहने वाले किसानों के हर खेत में पानी पहुँचेगा। मैं मा0 मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस बार नहरों में भरपूर पानी देने का काम किया है। मैं आगरा से चुनकर आता हूँ। हमारी विधान सभा क्षेत्र की नहरें लगातार चल रही है और लगातार हमारे किसानों को सिंचाई का पानी मिल रहा है।

मैंने 2012 से 2017 का भी कार्यकाल देखा है। उस समय भी मैं विधायक था और उस समय हमारी नहरों में पानी नहीं आता था। जब मैं एक बार नहरों को देखने गया तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन नहरों की सफाई कई-कई सालों से नहीं हुई है, उनमें सिल्ट जमी हुई थी। जब अधिकारियों के पास गया और उनसे पूछा कि इन नहरों की सफाई इतने सालों से क्यों नहीं हुई है तो अधिकारियों ने कहा कि मैं क्या करूँ यहाँ पर ठेकेदार माफिया है और जबरदस्ती पैसा निकाल लेते है और वह कोई भी पैसा नहरों पर नहीं लगाना चाहते हैं। मैं अपने मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार जो नहरों की सफाई हुई है वह आज तक इतनी बढ़िया सफाई कभी नहीं हुई है। हमारा जो सिस्टम है हमारी विधान सभा क्षेत्र की नहरों को जो पानी मिल रहा है वह गंग नहरें हैं और गंग नहरों के लिए हमारा जो सिस्टम है, हमारी मांड ब्रांच है, हमारी पैरलर ब्रांच है, हमारी हाथरस ब्रांच है, वहाँ पर हमारे मा0 मंत्री जी ने 20 करोड़ से अधिक का रुपया देने का काम किया है। माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, हमारी कुछ समस्याएँ भी हैं। बहुत छोटी समस्याएँ हैं। माननीय मंत्री जी हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से आगरा की नहरों का ध्यान रख रहे हैं।

मान्यवर, हमारी कुछ समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। नहरों का कोई अधिकारी हमारे जिलें में नहीं बैठता है। हम तो कहीं भी चले जायेंगे। हम हाथरस चले जाते है, हम फिरोजाबाद चले जायेंगे, हम मेरठ चले जायेंगे। अगर हमारी नहरों का अधिकारी हमारी तहसील एत्मादपुर में बैठने लग जायेगा तो हमारे किसानों को फायदा होगा। मान्यवर, आगरा जिलें में नहरों के दो सिस्टम हैं, एक गंग नहर है दूसरी यमुना नहर है। यमुना नहर में जो जिले की और पांच ग्राम सभायें हैं, उन्हें पानी देने का काम करते हैं। मान्यवर, आगरा कैनाल 1825 में बनाई गयी थी। बहुत पुरानी कैनाल हो गयी है। उस कैनाल से पांच विधान सभाओं को पानी मिलने का काम होता है। अगर उस कैनाल का जीर्णोद्धार हो जाये और वह कैनाल राजस्थान, हरियाणा होकर आती है। वहीं के किसान उस पानी का दुरुपयोग करते हैं। अगर उस कैनाल का जीर्णोद्धार हो जायेगा तो हमारे जिलों के किसानों को और अच्छा पानी मिलेगा। खेतों में खुशहाली आयेगी।

महोदय, एकसाइन्टिफिक कॉज भी है, जब नहरों से किसान खेतों में पानी लगाता है तो उसकी फसल नलकूपों द्वारा लगाये गये पानी से कम से कम दुगुनी फसल का उत्पादन होता है। मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि आपने आगरा के लिए भरपूर काम किया है। वहाँ बहुत अच्छा पानी भी मिल रहा है। अगर आपकी कुछ कृपा और हो जाये तो जो हमारे किसानों की समस्या है। उन समस्या के लिए आपका आशीर्वाद मिल जाये तो आगरा किसान आपके आभारी रहेंगे। मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उनके द्वारा रखे गये सिंचाई बजट का समर्थन करता हूँ। नमामि गंगे में जो योजना आई है कि हर घर हर जल योजना आई है और सर्फेस वाटर पर जो माननीय मंत्री जी ने योजना बनाई है। शायद इतिहास में पहली बार किसी ने सर्फेस वाटर से गांव को पानी देने का काम किया है। हमारे यहां बगल की जो नहरें हैं, वहाँ से पानी लाकर गंगा जल चार जिलों में आगरा, मथुरा, हाथरस और फिरोजाबाद में देने का काम करेंगे। इतनी अच्छी योजना आज तक किसी सरकार ने नहीं बनाई। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार द्वारा जो हमारे माननीय मंत्री जी का लक्ष्य है नियत है कि हर घर तक गंगा जल पहुँचे, हमारे लोगों की वह इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, आपने मुझे जल शक्ति विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं रहीम के इस दोहे के साथ कि 'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून, पानी बिना न ऊबरे, मोती मानुष चून'। हमारे नेता माननीय श्री शिवपाल जी ने जो सुझाव दिया है, अगर उसका पालन सरकार कर लेती है तो निश्चित तौर पर सिंचाई विभाग की समस्याएँ काफी हद तक सुलझ जायेंगी। मान्यवर, मेरा बलरामपुर जनपद है और माननीय मंत्री जी कई बार गये भी हैं। नेपाल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है गैसड़ी वहां बहुत पुराने जलाशय बने हुए है। कोंहरगड़ी, चित्तौड़गढ़, मजगवा, भगवानपुर, बनघोघवा, गिरगिट्टी जलाशय हैं, इन जलाशयों की जल ग्रहण की क्षमता बहुत कम हो गयी है। कहीं 50 प्रतिशत कहीं 40 प्रतिशत कहीं 20 प्रतिशत रह गयी है। एन0जी0टी0 से परमिशन लेकर अगर इनकी सफाई हो जाती है। चूंकि केन्द्र में भी आपकी सरकार है। डबल इन्जन की सरकार है तो अगर सफाई हो जाती है तो किसानों की समस्या दूर हो जायेगी। चूँकि यह क्षेत्र नेपाल सीमा से सटा हुआ है जो सर्फेस है, बहुत ही पथरीला है। वहाँ पर बोरिंग नहीं हो पाती है। सिंचाई एक मात्र साधन है इसीलिए बलरामपुर स्टेट ने आजादी के पहले कोंहरगड्डी और कई बांध बनवाये थे।

(इस समय अपराह्न 03 बजकर 10 मिनट पर की श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, पहली बात यह है कि सफाई हो जाए और दूसरी बात यह है कि नहरों और माइनरों की भी सफाई हो जाये और तीसरी बात यह है कि हमारी सरकार में

मा0 शिवपाल सिंह यादव जब सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने बहुत प्रयास किया था और सरयू नहर का काफी काम हमारी सरकार में ही हो गया था और उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था फिर भी काम नहर में पूरा नहीं हुआ है और नहर में जब पानी खोल दिया जाता है तो लगता है जैसे इलाके में बाढ़ आ गयी हो इसलिए उसको पूरा कराया जाए। उसमें जूडीकुईया गांव का एक नौजवान लड़का डूब कर मर गया था। एक दलित लड़की माथर गांव की डूब कर मर गयी थी। तो तमाम घटनाएं भी हो रही है तो इन घटनाओं को रोकने के लिए काम का पूरा होना जरूरी है। जब नेता जी मुख्य मंत्री थे तो नलकूप विभाग द्वारा चन्दन पुर जो थारू जून जातीय गांव है और जुगनभरिया भी थारू जन जातीय गाँव है और बेलभरिया, वीरपुर, चोरसी आदि बहुत सारे गांव हैं तो इनमें नलकूप लगाये गये थे सरकार द्वारा अभी भी यह नलकूप बन्द पड़े हैं तो इन सभी नलकूपों को चालू करा दिया जाए तो सिंचाई का काफी एरिया कवर हो जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के बजट पर बोलने का जो अवसर दिया, आपको धन्यवाद। जय हिन्द।

*** श्री स्वतंत्र देव सिंह-**

मान्यवर, मा0 शिवपाल जी के अच्छे सुझाव आये थे वर्ष 2022-23 में जो चर्चा हुई थी 13774 करोड़ में 8565 करोड़ निर्गत हुआ था और कार्यगत 342.19 करोड़ लगभग 51 प्रतिशत खर्च हुआ और मार्च तक अभी और खर्चा बढ़ेगा इस वर्ष 2022-23 में अप्रैल और जून में वर्षा बहुत कम हुई फिर भी नहरों को चलाकर और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई के लिए किसानों को पानी उपलब्ध कराया गया और जो सूखे की स्थिति बीच में आयी उसको भी हम लोगों ने कंट्रोल किया और ऐसा लग रहा था कि बाढ़ नहीं आयेगी, लेकिन अक्टूबर माह में कई गुना ज्यादा वर्षा होने के कारण बाढ़ की भी भीषणता आयी तो उससे कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ लेकिन उसे ठीक कराया जा रहा है। कमांड सेन्टर में मा0 मंत्री जी द्वारा निरीक्षण भी किये गये है। वहाँ बाढ़ पोषित इलाकों को भी देखा गया है। किसानों के लिए टोल फ्री नंबर भी चलाया जाता है जिसे जलाशय, नहरों की जानकारी भी होती रहती है। सरयू की अर्जुन सहायक परियोजना पुरानी है और मेंटिनेंस के लिए धनराशि का प्रस्ताव है। मुआवजे की बात करे तो बीस परिवार ऐसे है जो मुआवजा नहीं ले रहे है। उनके बच्चो के बच्चें के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है। पिछले पांच सालों में अनेक गेस्ट हाउस ठीक कराये गये है। वर्तमान में 464 गेस्ट हाउस ठीक कराये गये है। कचनौदा बांध अभी अधूरा था तो वर्ष 16-11-2022 को स्वीकृति दी जा चुकी है उक्त परियोजना इसी वर्ष पूर्ण किया जाएगा।

आप जानते हैं कि गोमती रिवर फ्रन्ट में सी0बी0आई0 और ई0डी0 की जाँच हो रही है। बुन्देलखण्ड में भी जाँच चल रही है। राम की पैड़ी का कार्य हमारी सरकार द्वारा किया गया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। नहरें हमारी भाग्य रेखायें हैं जिनके माध्यम से कृषकों को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नहरों की क्षमता बनी रहें, इसके लिए प्रतिवर्ष नहरों की सिल्ट की सफाई का कार्य कराया जाता है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 186.55 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है और 48491 किलोमीटर शिल्ट की सफाई कराई गई है। विगत पांच वर्षों सहित वर्तमान सरकार के समय में 786.23 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय कर 7426.326 किलोमीटर की नहर पटरियों को गड्ढामुक्त और नवीनीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 2700 विरल सिंचाई और 2701 मध्यम सिंचाई नहर पटरियों पर स्थित सड़कों को गड्ढामुक्त करने का कार्य किया गया है। 2700 के मद में 200 करोड़ रुपये और 2701 की मद में 100 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था है। जो भी सुझाव लोगों का आया है निश्चित रूप से हम आश्वासन देते हैं कि गरीबों तक पानी पहुँचायेंगे। माननीय लालजी वर्मा जी ने सिल्ट की नीलामी का विषय उठाया था तो जिलाधिकारी द्वारा सिल्ट की नीलामी कराई जाती है। कुछ जिलों में मौरम पूरी नहीं रहती है और उसमें मिट्टी मिक्स होती है जिसके कारण ठेकेदार उसकी उठान नहीं कराते हैं। हम इसमें योजना बना रहे हैं और चर्चा हुई है कि ऐसी नीति बना दी जाये कि लोकल स्तर पर अगर इसको किसान ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। हम इसमें नई नीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सरयू कैनाल परियोजना जब बनी थी तो यह 327 करोड़ रुपये की लागत की थी, लेकिन अब तक इसमें हजारों करोड़ रुपये खर्च हो गये हैं। इसका एक कार्यालय हमारे इटावा में बना हुआ है। इसमें स्थानीय लोगों की जमीन एक्वायर करके और बहुत कम मुआवजा देकर तमाम बिल्डिंग बनाई गई थी। वहीं से 08 किलोमीटर की दूरी पर नहर जनपद बलरामपुर में पड़ती है और 13 किलोमीटर की दूरी पर जनपद सिद्धार्थनगर में कई नहरें पड़ती हैं। इसका पानी भोजपुर से सप्लाई होता है, लेकिन इसका मुख्यालय बलरामपुर में रखा गया है। जब कोई जरूरत पड़ती है तो हम लोगों को जनपद बलरामपुर जाना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि इटवा में जो आफिस है, उसको या तो आप नीलाम करा दीजिये या आफिस में अधिशासी अभियन्ता ना रहे तो कम से कम अवर अभियन्ता तो रहे। इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो कहा है, हम उसे दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय शिवपाल सिंह यादव जी क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को बहुत काम कराना पड़ेगा और आपसे काम हो नहीं रहा है। हमने कन्नौज में एक योजना स्वीकृत की थी और उसमें 40 करोड़ रुपया भी स्वीकृत हो गया था। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने ट्यूबवेल का इतना प्रबन्ध कर दिया है तो तालग्राम जलालाबाद डार्क जोन है और वहाँ पर ट्यूबवेल नहीं लग सकता है। अगर पैसा स्वीकृत करके इस योजना को स्वीकृत करा दीजिये तो वहाँ पर पानी पहुँच जायेगा और किसानों का लाभ हो जायेगा। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि कोई व्यक्तिगत कमेण्ट नहीं करेंगे, लेकिन राजेश त्रिपाठी जी ने सैफई पर कमेण्ट कर दिया है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

सैफई केवल आपका नहीं है, हमारा भी सैफई है।

श्री अध्यक्ष-

हर चीज का जवाब दिया जाये, यह आवश्यक नहीं है। विधान सभा की एक गरिमा है और किसी को भी किसी पर व्यक्तिगत कमेण्ट नहीं करना चाहिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ पर तहसील बनी हुई है और ब्लाक भी है, आप एक बार आकर देख तो लीजिए। आपने वहाँ का गेस्ट हाउस भी देख लिया होगा।

श्री अध्यक्ष-

आप एक दिन हमें भी बुलाएं या फिर सिर्फ मा0 मंत्री जी को ही बुलाएंगे। जबकि मैं बोलने के लिए अनुमति दे रहा हूँ और आप बुला मा0 मंत्री जी को रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह अच्छा हुआ कि मा0 राजेश जी ने श्मशान घाट तो अच्छा बनवा दिया है, लेकिन आप सिर्फ श्मशान घाट तक ही सीमित मत रहिए। सरकार कहती है कि हमने समुद्र के रुख बदले हैं, मेरी सरकार से अपील है कि समुद्र का रुख मत मोड़िए, लेकिन हमारे यहाँ जो गंगा-यमुना है, उन्हें बचा लीजिएगा, उनका पानी साफ कर दीजिएगा और यही नहीं कि नाव की जिन्दगी खतरे में है। सच तो यह है कि पूरी नदी खतरे में है, न हिंदुत्व खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, पूजता उन्हें जो आदमी है, किसान है, वह खतरे में है। उसे बचा लीजिएगा और हम अपनी कटौती पर बल देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 686,10,14,000 रुपये (छः सौ छियासी करोड़ दस लाख चौदह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-93-नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-93-नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 17977,94,08,000 रुपये (सत्रह हजार नौ सौ सतहत्तर करोड़ चौरानबे लाख आठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 13659,27,12,000 रुपये (तेरह हजार छः सौ उनसठ करोड़ सत्ताइस लाख बारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6073,30,98,000 रुपये (छः हजार तिहत्तर करोड़ तीस लाख अट्ठानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[03:24] अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथ चिकित्सा)

*** उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 9145,49,45,000 रुपये (नौ हजार एक सौ पैंतालीस करोड़ उन्चास लाख पैंतालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 18605,67,90,000 रुपये (अट्ठारह हजार छः सौ पांच करोड़ सड़सठ लाख नब्बे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10956,19,73,000 रुपये (दस हजार नौ सौ छप्पन करोड़ उन्नीस लाख तिहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बोलिए

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए जरूरत के हिसाब से अधिक से अधिक बजट आवंटित करके प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। लोक कल्याण संकल्प-पत्र 2022 में उत्तर प्रदेश को स्वस्थ प्रदेश बनाने का संकल्प लिया गया है। जनता से वादा किया गया है प्रदेश के हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से युक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का लक्ष्य पूरा करेंगे। प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 जैसे मेडिकल पाठकों के लिए सीटों की संख्या को दोगुना करेंगे तथा 6 हजार डॉक्टरों एवं 10 हजार पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में राजकीय एवं निजी निवेश के माध्यम से अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने एवं जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उनके आवास के निकटवर्ती स्थान पर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस संकल्प को साकार करने के लिए पिछले पांच वर्षों में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। वर्ष 2017 से 2022 के मध्य उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गयी है जिसका मुख्य आधार राज्य सरकार के निवेश से स्थापित स्वशासी चिकित्सा राज्य महाविद्यालयों का है। प्रदेश के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 45 जनपद मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित किये जा चुके हैं। इन 45 के अतिरिक्त 14 जनपदों में राज्य सरकार द्वारा संचालित किये जाने वाले मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। असेवित 16 जनपदों में पी0पी0पी0 मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिनमें से 4 जनपदों में निजी निवेशकर्ताओं को चिन्हित किया जा चुका है। भारत सरकार की बी0जी0एफ0 योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु 1012.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है एवं वर्तमान में 06 जिलों में निजी निवेश कर्ता चिन्हित करने हेतु बिड प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। इस प्रकार पी0पी0पी0 मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने हेतु तथा बी0जी0एफ0 फण्ड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। एम0बी0बी0एस0 सीट 4540 से बढ़ाकर 8400 एवं पी0जी0 सीट्स 1500 से बढ़ाकर 2800 के लगभग की गयी हैं।

मान्यवर, हम केवल डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, डब्ल्यू0एच0ओ0 के मानक अनुसार एक डॉक्टर पर तीन नर्स व तीन पैरामेडिक होना चाहिए

लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया एवं नर्सिंग व पैरामेडिकल शिक्षा को पूर्णतः निजी सेक्टर के भरोसे छोड़ दिया गया। हमने इस स्थिति को बदला है, नर्सिंग शिक्षा को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से राजकीय क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में सात बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज प्रारम्भ हुए हैं। इससे पहले राजकीय क्षेत्र में मात्र पांच बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज संचालित थे जो कि सात नये कॉलेज खोले जाने के पश्चात् बढ़कर 12 हो गये हैं।

वर्ष 2022-23 में 11 नर्सिंग कालेजों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया है। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 157 नर्सिंग कालेज खोले जाने का निर्णय लिया गया है। हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज की स्थापना के साथ ही आगामी 5 वर्षों में सरकार के इस कार्यकाल में हम नर्सिंग व पैरामेडिकल शिक्षा में मेडिकल कालेजों की भाँति निवेश लायेंगे, इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता के नर्सिंग व पैरामेडिकल में जनशक्ति तैयार कर पूरे देश व विश्व में आपूर्ति भी करेंगे। निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग और पैरामेडिकल कालेजों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध हो, उसके लिए हमने मिशन निरामया प्रारम्भ किया है। मिशन निरामया के कियान्वयन से नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

मेरा विश्वास है कि चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र आज उस मुकाम पर है, जहाँ आई0टी0 क्षेत्र 1990-2000 के दशक में था। जिस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं की माँग बढ़ी है, उससे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में सेवा के साथ रोजगार से जुड़ने का अच्छा अवसर है। विगत कुछ माहों में चिकित्सा शिक्षा विभाग में 64 हजार पदों का सृजन किया गया है, जिनमें से 8500 पद नर्सिंग संवर्ग में हैं। इस प्रकार बड़ी मात्रा में चिकित्सा शिक्षक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति राजकीय मेडिकल कालेजों में की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4577.66 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 10490.74 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार विगत 6 वर्षों 2.29 गुना की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में चिकित्सा शिक्षा विभाग की गतिविधियों हेतु 905.9721 करोड़ की नई माँगे विधान मण्डल के समक्ष स्वीकार की गयी हैं। उक्त नई माँगों में यथा बीएमएसएसवाई के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर व झाँसी में हास्पिटल रिवाल्विंग फण्ड एवं इन्वेस्टीगेशन रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना पी0पी0पी0 मोड पर पैरामेडिकल कालेज का संचालन, पी0पी0पी0 मोड पर नर्सिंग और पैरामेडिकल कालेज का संचालन, उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कालेज की स्थापना तथा एमबीबीएस एवं पी0जी0 पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि हेतु नई माँगें स्वीकार की गयी हैं। इससे चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्य-कलाप में तेजी आयेगी। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि हमारी सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है।

आम-जनता के स्वास्थ्य के साथ ही रोजगार सृजन में भी व्यापक कार्य हुआ है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। इससे जनता का सरकारी चिकित्सा संस्थानों पर विश्वास बढ़ा है। हम उ0प्र0 सरकार की ओर से मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल के क्षेत्र में विस्तार एवं गुणवत्तापूर्ण सुधार हेतु सतत् रूप से कृत संकल्प हैं। यह हमारे सरकार की चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश उपलब्ध कराने के संकल्प को प्रतिविम्बित करता है। हम सिर्फ कहते नहीं है, करके दिखाते भी हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य विभाग में राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए 2020 में नई नियमावली प्रख्यापित कर विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती सीधे लेवल-2 पर करने की व्यवस्था बनाई है। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए, 1029 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति प्रदान की गयी है। दूसरे चरण में 2382 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग द्वारा इन पदों के लिये विज्ञापन प्रकाशित कर चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर भी चिकित्सकों की निम्न प्रकार तैनाती की गयी है-एन0एच0एम0 वॉक इन इण्टरव्यू संविदा पर 1903 (वॉक इन इण्टरव्यू-288), पुनर्नियोजन-344। यानी जो रिटायर हो जाते हैं, उनको पुनर्नियोजन के माध्यम से 344 चिकित्सकों को भी पुनः सेवा में लिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर रखे जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को 5 लाख तक का मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जा रहा है। विभाग द्वारा 1999 विशेषज्ञ चिकित्सकों हेतु विज्ञापन निर्गत किया गया है। वर्ष 2022 में 1354 स्टाफ नर्स को नियुक्ति प्रदान की गयी है। पहली बार प्रदेश के 43 जिला चिकित्सालयों में एनक्यूएस प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। पूरे भारत में किसी अन्य प्रदेश में इतनी संख्या में जिला चिकित्सालयों को यह प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचारी रोगों और विशेष रूप से जे0ई0 और ए0ई0 के नियन्त्रण में महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। जिसमें 2017 की तुलना में जे0ई0 रोग से मृत्यु दर में 97 प्रतिशत और ए0ई0 रोग से मृत्यु दर में 96 प्रतिशत की कमी आयी है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जो दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक फण्डेड हेल्थ इन्श्योरेंश स्कीम है, के अन्तर्गत 18.73 लाख गरीब लाभार्थियों को 2277 करोड़ रुपये का निःशुल्क उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति की गयी है। 102 एवं 108 एम्बुलेंस के साथ-साथ ए0एल0एस0 वाहनों की एक पूरी सक्षम और विकसित व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है, ताकि गम्भीर रोगियों और गर्भवती महिलाओं को तुरन्त अस्पताल पहुँचाया जा सके।

मान्यवर, कोविड संक्रमण से बचाव के लिए पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा पूरे देश में सबसे अधिक 39.20 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गई है। राज्य सरकार के प्रयासों से एक सर्वे के अनुसार मातृ मृत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से घटकर वर्ष 2022 में 67 प्रति लाख हो गई है। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से घटकर वर्ष 2022

में 38 प्रति हजार हो गई है। इस प्रकार मा0 अध्यक्ष जी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए हमारी प्रतिबद्धता है, हम प्रदेश के आम लोगों को, गरीब लोगों को और सभी लोगों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उच्च कोटि की उपलब्ध कराने के साथ ही हम अच्छे शिक्षकों को भी तैयार कर रहे हैं और मेडिकल चिकित्सों को भी हम अच्छी संख्या में तैयार कर रहे हैं। पैरामेडिकल में भी हमने अभूतपूर्व परिवर्तन किया है लगभग दोगुनी संख्या में इन्हीं संसाधनों में सीटें चाहे एम0बी0बी0एस0 की हों, चाहे एम0डी0 की हों या पैरामेडिकल की हमने की है हमारी प्रतिबद्धता है कि हम हर मेडिकल कालेज के साथ एक नर्सिंग कालेज, पैरामेडिकल कालेज खोलकर लोगों को चिकित्सा शिक्षा से जोड़ करके एक रोजगार भी प्रदान करेंगे और प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था भी प्रदान करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने पूरे 11 मिनट बोला है और पूरा उन्होंने गागर में सागर भरा है और मुझे विश्वास है कि श्री लालजी वर्मा जी भी उसका अनुसरण करेंगे और सागर में गागर को नहीं भरेंगे, गागर में सागर को ही भरेंगे।

*** श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए, कमी करने का उद्देश्य विभाग नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, चिकित्सा स्वास्थ्य या चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विभाग है और प्रदेश में समय-समय पर हमारे मा0 मंत्रीगण, मा0 मुख्य मंत्री जी प्रदेश की आबादी को कम ज्यादा करते रहते हैं, लेकिन जो विभाग का मानना है कि इस समय 23 करोड़ के लगभग प्रदेश की आबादी है। वर्ष 2011 की जनगणना में 19 करोड़ से कुछ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ज्यादा थी तो निश्चित रूप से उस आबादी के लिए लोगों के जीवन को बचाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इस प्रदेश में 24 करोड़ हम मान लें और इस 24 करोड़ में 15 करोड़ को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं जिनको हमें मुफ्त अनाज देने की आवश्यकता पड़ रही हो। जहाँ 24 करोड़ में 15 करोड़ लोग गरीब हों ऐसे प्रदेश के आम-जन को उस गरीब लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका इस विभाग की है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सबसे पहले मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी और मा0 मंत्री जी ने भी अपने सम्बोधन में इस बात को कहा कि हमने इस विभाग का बजट ढाई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। मान्यवर ढाई गुना ज्यादा अगर बढ़ा दें और अगर उसका सदुपयोग न हो तो वह किस काम का मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए मैं एक सुझाव और कुछ अन्य बातों को कहना चाहूँगा।

मान्यवर चिकित्सा शिक्षा अनुदान संख्या-31 जिसमें वर्ष 2016-17 में कुल 13 राजकीय महाविद्यालय थे, छः संस्थाएं थीं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, पांच जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कालेज में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया था। दो चिकित्सा विश्वविद्यालय थे, उस समय उस विभाग का वर्ष 2016-17 में बजट था 4741 करोड़ रुपये और व्यय हुआ 4091 करोड़ रुपये। मा0 मंत्री जी ने कहा कि हमने इनकी संख्या बढ़ाकर 45 कर दी है तो हालांकि अभी 35 हुए हैं जिनमें हम एम0बी0बी0एस0 की सीटें प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन 14 अभी निर्माणाधीन हैं जिनमें अभी सीटें प्राप्त करने में हमें समय लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी वर्ष 2021-22 से तो मा0 वित्त मंत्री जी का पूरी तरह से वास्तविक बजट आ ही गया। उस समय बजट था 8710 करोड़ रुपये और खर्च हुआ 6460 करोड़ रुपये। वर्ष 2017-18 में तो मात्र 3684 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाए थे और वर्ष 2022-23 में बजट था 9459 करोड़ रुपये का तो अभी 22 फरवरी, 2023 तक खर्च हुआ है 5350 करोड़ रुपये यानी 56.6 परसेण्ट और इस वर्ष मा0 वित्त मंत्री जी ने और कंजूसी कर दी। जहाँ इसका बजट कम से कम अकेले चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट जितने मेडिकल कॉलेज और स्वायत्तशासी संस्थाएँ हुई हैं या जितने हमारे इंस्टीट्यूट हैं तो सबको मिलाकर उसके परिप्रेक्ष्य में इसका बजट कम से कम 20 करोड़ रुपये होना चाहिए था। पिछली बार जहाँ यह बजट 9459 करोड़ रुपये था तो इस वर्ष बजट दिया गया है 9145 करोड़ रुपये। इस प्रकार मा0 उप मुख्य मंत्री जी, मा0 वित्त मंत्री जी ने आपका 300 करोड़ रुपये बजट कम कर दिया। इस तरह से हमारे उस विभाग का जिस विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रदेश के हर चिकित्सालय के लिए अच्छे डॉक्टर देने का काम करे। हमारे प्रदेश में चिकित्सा विभाग में, ऐलोपैथिक चिकित्सा विभाग में प्राथमिक से लेकर बड़े अस्पताल तक करीब 4800 से ज्यादा अस्पताल हैं, अस्पताल हैं और पूरे प्रदेश में उनको भी चिकित्सक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इसी विभाग की है और आज उसी विभाग का बजट कम कर देने का काम किया गया है।

मान्यवर, इसी तरह से अनुदान संख्या-32 जो स्वास्थ्य विभाग का बजट है उसमें जहाँ वर्ष 2016-17 में 6339.86 करोड़ रुपये का बजट था, वर्ष 2022-23 में 10119 करोड़ रुपये

का बजट था और वर्ष 2023-24 में उसमें केवल 600 करोड़ रुपये बजट बढ़ाया गया, उसे 10956 करोड़ रुपये किया गया है। मान्यवर, और खर्च क्या हुआ, वर्ष 2021-22 तक तो वास्तविक आंकड़ा आ ही गया। वर्ष 2021-22 में 10432 करोड़ रुपये के सापेक्ष मात्र 6558 करोड़ रुपया खर्च हो पाया। जब हम केवल आधा पैसा ही खर्च कर पा रहे हैं तो फिर हम स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा बनाने का काम कैसे कर पाएँगे ? मा0 मंत्री जी को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि जब हम विभाग में बजट दें तो उसकी समीक्षा भी करें। मा0 उप मुख्य मंत्री जी के ऊपर पार्टी की भी बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए ये दौरा करते रहते हैं, उसी दौरे के दौरान अस्पताल में भी जाकर छापा मार देते हैं छापा मारने से ज्यादा जरूरी है कि आप हर महीने विभागीय कार्यों की समीक्षा करें। अगर आप विभागीय कार्यों की अलग-अलग समीक्षा के लिए हर महीने में एक दिन निर्धारित कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि अभी आपका जो बजट मात्र 62 परसेण्ट लगभग आधा खर्च हो पा रहा है, वह बजट पूरी तरह से खर्च होगा। आम जनता को उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है।

मान्यवर, दूसरी तरफ मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि हमारे जो 13 मेडिकल कॉलेज हैं, उन 13 मेडिकल कॉलेजों में से केवल 05 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनमें नियमित प्राचार्य हैं। मान्यवर, अगर नियमित प्राचार्य ही नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उस संस्था का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो सकता इसलिए कि जो कार्यवाहक प्राचार्य आप बनाते हैं, वह कब तक रहेगा उसको यह सुनिश्चित नहीं रहता है। इसलिए प्रॉपर निर्णय करने की क्षमता उसमें नहीं रह पाती और जिसके कारण कार्य नहीं हो पाता। मान्यवर, इसी तरह से चिकित्सा शिक्षा विभाग में डी0जी0एम0ई0 जो विभाग का प्रमुख होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने सारे मेडिकल कालेजों को देखे। वहाँ कितने आपरेशन हो रहे हैं, कितने मरीज सम्मिलित हो रहे हैं उसकी वह समीक्षा करे। आज 6 साल में हम नियमित डी0जी0एम0ई0 का सेलेक्शन भी नहीं कर पाये हैं, इससे ज्यादा दुःखद स्थिति और क्या हो सकती है। एक समय था कि हमारे पास नियमित प्राचार्य उसकी फीडिंग जगह है, जिससे हम नियमित डी0जी0एम0ई0 का एप्वाइंटमेंट करते थे, वह नहीं था। आज हमारे पास वह भी है। दो ऐसे प्राचार्य जिनको हम किसी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रिंसिपल बनाकर भेज सकते थे, उनको मुख्यालय पर बैठाये हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम डी0जी0एम0ई0 का चयन नहीं कर पा रहे हैं। हम आई0ए0एस0 ऑफिसर को वहाँ ले जाकर इस विभाग को पंगु बनाने का काम कर रहे हैं, इसी का परिणाम है।

मान्यवर, एक उदाहरण देकर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे पास जो मेडिकल कालेजेज़ हैं, उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर करीब 35 हमारे सारे मेडिकल कालेज, यूनिवर्सिटीज चिकित्सा विश्वविद्यालय और जो सुपर स्पेशिलिटी की अन्य संस्थाएँ हैं, इन सबको मिलाकर 35 संस्थायें हैं। इन 35 संस्थाओं में मान्यवर, 3828 एम0बी0बी0एस0 डाक्टर शिक्षा प्राप्त कर

रहे हैं और दूसरी तरफ एम0डी0 का जो कोर्स है उसमें 1387 सीटें मात्र हैं तथा सुपर स्पेशलिटी की मात्र 180 सीटें हैं। दूसरी तरफ मान्यवर, हमारे जो प्राइवेट कालेज हैं, मा0 मंत्री जी ध्यान से इस बात को सुन लें।

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ध्यान से सुन लें कि 35 संस्थाओं में हम 1387 एम0डी0 की सीटों हेतु प्रवेश कर पा रहे है और 3828 एम0बी0बी0एस0 डाक्टर बना पा रहे हैं। उनका एडमिशन कर पा रहे हैं तथा 180 सुपर स्पेशियलिटी की सीटों पर एडमिशन कर पा रहे हैं। मान्यवर, जहाँ प्रदेश के अन्दर अच्छे कालेज हैं, अच्छे अस्पताल हमारे हैं। किसी भी प्राइवेट अस्पताल से ज्यादा वहाँ ओ0पी0डी0 भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हमारी सीटें कम हैं, वहीं दूसरी तरफ 30 प्राइवेट मेडिकल कालेज उत्तर प्रदेश में हैं और इन 30 प्राइवेट मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 की सीटें 4700 हैं। हमारे 35 चिकित्सा विश्वविद्यालयों में 3828 सीटें हैं यानि 1000 सीटें हमसे ज्यादा केवल 30 प्राइवेट मेडिकल कालेजों में हैं। हम क्यों नहीं उससे ज्यादा अपने यहाँ बढ़ा सकते, इसलिए कि हम उसका ठीक से सुपरविजन करने का काम नहीं कर पा रहे हैं। उसका परिणाम है कि हम सीटें नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एम0डी0 और एम0एस0 की सीटें उन 31 मेडिकल कालेजों में जो कि प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं, उसमें 1560 सीटें हैं। हम 1300 से कुछ ज्यादा है और वह प्राइवेट वाले 1560 हैं यानि 100 सीट हमसे ज्यादा हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? मेरा यह मानना है कि हमारे मेडिकल कालेज किसी भी प्राइवेट मेडिकल कालेज से ज्यादा अच्छा हमारा अस्पताल है और किसी भी प्राइवेट मेडिकल कालेज से ज्यादा अच्छे हमारे यहाँ शिक्षक भी हैं और उसके बाद भी हम सीट नहीं बढ़ा पा रहे हैं और मान्यवर, उसका परिणाम क्या है कि हमारे यहाँ वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश का राजकीय मेडिकल कालेज, महामाया मेडिकल कालेज अम्बेडकरनगर में प्रारम्भ हुआ। 2016 में हमने स्थायी मान्यता प्राप्त कर ली और आज एक भी एम0डी0 या एम0एस0 की सीट हम नहीं पा पाये। हम ऐसा नहीं कर पाये उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो हम वहाँ के सफिसिएंट स्टाफ के बिना रहे हुए कभी भी ट्रान्सफर कर देते हैं, हम सुपरविजन नहीं करते। किसी विभाग में यदि एक ही एसोसिएट प्रोफेसर है, कोई भी प्रोफेसर नहीं है और हम ट्रान्सफर कर देते हैं।

मान्यवर, हमें एक निवेदन और करना है, हमारे सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल या मेडिकल कालेज के जो शिक्षक है, वह एम0बी0बी0एस0 नहीं हैं डॉक्टर हैं। आप स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टर को संविदा पर नियुक्त करके 05 लाख रुपया देने का निर्णय ले रहे हैं। पहले 2.5 लाख था जिसे बढ़ाकर 05 लाख कर रहे हैं। वहीं हमारे जो मेडिकल कालेज का असिस्टेंट प्रोफेसर है, वह भी विशेषज्ञ है। उसको संविदा पर आप अगर नियुक्त कर रहे हैं तो 90 हजार रुपये दे रहे हैं। 90 हजार रुपया पर कोई भी सर्जन आपके अस्पताल में रहने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर वो अपनी प्राइवेट क्लीनिक चलायेगा तो एक दिन में वो 90 हजार प्राप्त कर लेता है। मान्यवर, अम्बेडकरनगर में जब हमारा मेडिकल कालेज बना था तो हमारे

एक मित्र रेडियो डायग्नोसिस के डॉक्टर फैजाबाद में प्रैक्टिस करते थे। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ ज्वाइन कर लो, सप्ताह में दो ही दिन आना है, लेकिन उसके बाद भी वह तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन में 50,000 पा रहा हूँ आपके यहाँ जाकर महीने भर का 50,000 लेने का काम मैं क्यों करूँ ? मान्यवर, इस तरह की स्थिति है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि मेडिकल कालेज के चिकित्सकों को आप साधारण चिकित्सक न मानें, वह शिक्षक हैं और शिक्षक का सम्मान करने और साथ ही साथ उनको सुविधाएं देने की भी जरूरत है। इसमें मेरा सुझाव है कि एक तो हम उनकी निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाये हैं, वह ठीक है, लेकिन उसके सापेक्ष हमें उनका वेतन बढ़ाने की आवश्यकता है या तो हमने जिस तरह से संविदा शिक्षकों को यह सुविधा दी है कि 05 बजे तक वह कालेज में रहेंगे और जिसकी इमरजेन्सी ड्यूटी जिस दिन होगी उस दिन वह प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सप्ताह में एक दिन या दो दिन उसकी इमरजेन्सी ड्यूटी रहती है बाकी समय निजी प्रैक्टिस करने पर हमारी कोई रोक नहीं है। उसी तरह से इसमें जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उसकी जो स्किल है उसको आम-जनता जिसके पास पैसा ज्यादा है वह भी उपयोग कर सके तो उसे छूट देने पर अगर हम विचार कर लें तो तमाम मेडिकल कालेज जो हम खोल रहे हैं, उसमें शिक्षकों की कमी नहीं होगी। ऐसा मेरा मानना है।

दूसरा-मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग में सेवा नियमावली के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की ही नियुक्ति करने का अधियाचन हम भेज सकते हैं। उसमें प्रोफेसर के आधे पद लोक सेवा आयोग के हैं और आधे पद पर हम भर्ती कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के सब के सब पद लोक सेवा आयोग के हैं, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर का एक भी पद लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं है, वह प्रमोशन से भरा जाता है। तो इसमें मेरा सुझाव है कि 50 प्रतिशत एसोसिएट प्रोफेसर के पद भी लोक सेवा आयोग के अधीन अगर आप कर दें तो एसोसिएट प्रोफेसर की कमी को दूर कर सकते हैं, ऐसा मेरा सुझाव है। आप लगातार मेडिकल कालेज खोलते जा रहे हैं, जिन मेडिकल कालेज में हम एम0बी0बी0एस0 के क्लास 10-10, 12-12 साल से चला रहे हैं क्या कारण है कि हम एम0डी0 और एम0एस0 की उसमें मान्यता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसमें हमें प्रयास करना है और वह तभी होगा जब नियमित प्रिंसिपल होगा। नियमित प्रिंसिपल क्यों नहीं हो पा रहा है इस पर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा एक भी महाविद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें सुपर स्पेशियलिटी हो। केवल इलाहाबाद और मेरठ में 1-1 सीट है इन दोनों को छोड़कर एक भी मेडिकल कालेज हमारा नहीं है जहाँ पर सुपर स्पेशियलिटी के कोर्स की हम मान्यता प्राप्त कर पाये हों। हमारा कानपुर का इतना बड़ा मेडिकल कालेज, आजादी के पहले का आगरा का मेडिकल कालेज, गोरखपुर का 1970 का मेडिकल कालेज हम वहीँ पर क्यों नहीं प्रयास कर पा रहे हैं कि हम सुपर स्पेशियलिटी की भी सेवाएँ, कक्षाएँ शुरू कर सकें।

आप जब तक सुपर स्पेशियलिटी की कक्षाएं शुरू नहीं कर पायेंगे, तब तक सारे मरीज के0जी0एम0यू0, लखनऊ में आने के लिए विवश होते रहेंगे। कोई हेड इंजरी हुई, उसके लिए कहीं पर भी सुविधा नहीं है। चाहे वह गोरखपुर में हो, चाहे वह अम्बेडकरनगर में हो, चाहे आजमगढ़ में हो, चाहे कन्नौज में हो, वह के0जी0एम0यू0 में आयेगा। के0जी0एम0यू0 में भीड़ बहुत होती है।

मैं माननीय मंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आपको इसी से पता चल जायेगा कि के0जी0एम0यू0 के ट्रामा सेंटर में आने वाले मरीजों का आप पंजीकरण अनिवार्य करा दें और देखें कि कितने लोगों को वहाँ पर भर्ती किया गया, कितने लोगों को मजबूरी में बलरामपुर हॉस्पिटल भेजना पड़ा। इसी से आपको पता चल जायेगा कि इन सुविधाओं की कितनी आवश्यकता है। इस पर भार कम करने के लिए क्योंकि के0जी0एम0यू0 की भी एक सीमा है। आप वहाँ बिस्तर बढ़ाकर सुविधा नहीं दे पायेंगे। उस सीमा को दूर करने के लिए जरूरत इस बात की है कि जो हमारे तमाम अन्य मेडिकल कॉलेज हैं। कम से कम जो 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें हम एम0डी0 और एम0एस0 के साथ-साथ सुपर-स्पेशियलिटी की भी कक्षायें शुरू कर दें, उसके विभाग क्रियेट करके, पहले पद स्वीकृत करके, वहाँ उसकी सेवायें शुरू करा दें तो के0जी0एम0यू0 का भार कम होगा और वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत मिलेगी। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जो हमारा के0जी0एम0यू0 है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा मरीज देखने वाला चिकित्सा विश्वविद्यालय है। मान्यवर, हमें खुशी है कि उसे मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करके हमने उसको मजबूत करने का काम किया था। निश्चित रूप से आप जो 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ भी एम0डी0 और सुपर-स्पेशियलिटी की कक्षाएँ शुरू करने का काम कर दें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, हो गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने जितना समय लिया, उससे एक सेकेंड भी ज्यादा नहीं लूँगा। मान्यवर, दूसरी तरफ, जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग का सवाल है। स्वास्थ्य विभाग के जो जिला चिकित्सालय हैं, उनको हम मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित कर दे रहे हैं। हमारे पास उन जगहों पर जिला अस्पताल नहीं बच रहा है। एक तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले एक नया जिला अस्पताल बने। जहाँ-जहाँ भी हमने जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज को दे दिया है, वहाँ हम जिला अस्पताल बनायें, मुझे आपसे यह निवेदन करना है। दूसरा मेरा एक सुझाव और है हमारे बहुत से साथी माँग करते हैं कि वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सालय हो जाये। किसी गाँव में एम0बी0बी0एस0 करने वाला छात्र जिसने

इतनी बढ़िया पढ़ाई की हो, क्योंकि उसका भी एक सपना होता है कि हमारा जीवन कैसा बीते, एक सपना होता है कि हमारा व्यावहारिक जीवन कैसा बीते। वह गाँव में जाकर रहना स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए वहाँ पर बढ़िया व्यवस्था करने के लिए मेरा निवेदन है।

मेरा सुझाव है कि जो प्राथमिक चिकित्सालय गाँव स्तर पर हैं, उनको हम आयुष विभाग को दे दें और साथ ही साथ हर ब्लाक में दो सी0एच0सी0। जहाँ पर एक सी0एच0सी0 है, वहाँ पर दो सी0एच0सी0 बना दें और दोनों सी0एच0सी0 को उसकी दूरी के आधार पर हम 10 किमी0 की परिधि के अन्दर बना दें और उस सी0एच0सी0 को स्ट्रेंथनिंग करके बढ़िया बनाकर हम जिला चिकित्सालय की तरह बना दें। जिससे वहाँ मरीज भर्ती हों, महिला मरीज का प्रसव भी हो सके, आपरेशन भी हो सके और साथ-साथ जो अन्य बीमार व्यक्ति है, उनका 10 किमी0 की परिधि में अगर इलाज होने लगेगा तो निश्चित रूप से उसको कठिनाई नहीं होगी। ऐसा मेरा मानना है। इसलिए प्रत्येक ब्लाक में आप प्लान बनाइये और हर ब्लाक में दो सी0एच0सी0 बनाकर पुराने जो आपके चिकित्सालय हैं, उनको आयुष विभाग को दे दें और डाक्टरों को आप दोनों सी0एच0सी0 पर नियुक्त करके सी0एच0सी0 को इतना मजबूत कर दीजिए कि साधारण रोगी को, किसी को पथरी का इलाज कराना है, छोटे-मोटे इलाज और आपरेशन कराना है, वह सी0एच0सी0 पर ही सम्भव हो सके। उसको जिला चिकित्सालय भी न जाना पड़े। उसको मेडिकल कॉलेज भी न जाना पड़े। ऐसा मेरा आपसे निवेदन और सुझाव है। अगर इस ढंग से आप अपने चिकित्सालयों को बनाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के आम लोगों को सेवाएँ मिल सकेंगी। मान्यवर, हर विधायक के पास कोई न कोई मरीज रोज के0जी0एम0यू0 में भर्ती कराने के लिए पहुँचता है।

मान्यवर, जैसे हेड इंजरी हो गई, चोट लग गई उसको लखनऊ में आना है। लखनऊ में वह आ गया भर्ती भी हो गया, उसके बाद उसकी दवा के लिए मेनीटाल एक टैबलेट है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपके औसत की जो स्थिति है कि मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भी मेनीटाल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो सबसे जरूरी इलाज है। हर मेडिकल कॉलेज में, हर चिकित्सालय में सबसे ज्यादा जो आपका जोर होना चाहिए, वह औसत पर होना चाहिए। सारे किस्म की दवायें गरीब आदमी आपके सरकारी अस्पताल में चाहता है। हर सरकारी अस्पताल में इलाज कराने गरीब आदमी जाता है। पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छे विद्यार्थी होते हैं वह सरकारी कॉलेज में जाते हैं। जो पढ़ने में कमजोर होते हैं वह प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं और भर्ती होने में उल्टा है। इसका मतलब है, हमारे पास सबसे अच्छे चिकित्सक हैं। उसके बाद भी जो अच्छे पैसे वाला है वह अपना इलाज कराने बड़े-बड़े प्राइवेट हास्पिटल में जाता है। इसलिए जाता है कि हम उसको अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। अच्छी किस्म की क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। जबकि हमारे पास सबसे ज्यादा प्रशिक्षित लोग हैं, इसलिए हमें अपने अस्पतालों की हालत सुधारने की जरूरत है। इलाज के लिए दवा भी बढ़ाने की जरूरत है।

आपने वर्ष 2022-23 में 170 करोड़ मात्र सारे मेडिकल कॉलेजों के लिए दवा मद में पैसा रखा। खर्च हुआ 141 करोड़ रुपये। वर्ष 2021-22 में 162 करोड़ रुपया रखा और कुल खर्च हुआ 158 करोड़ रुपये। वर्ष 2023-24 में केवल 229 करोड़ रुपया रखा है। 45 मेडिकल कॉलेज को मिला कर और साथ-साथ हमारी जो संस्थायें है, 6 संस्थाएँ हैं और 3 चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं, उन सबको मिला कर आपने रखा 229 करोड़ रुपया। यह ऊँट के मुँह में जीरा है। मेरा यह मानना है कि इस धनराशि को कम से कम 500 करोड़ रुपया तत्काल बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, आपके यहाँ कानपुर का जो हृदय रोग संस्थान है। मेरा यह मानना है कि हमारा हृदय रोग संस्थान पूरे भारत में किसी सरकारी अस्पताल में उससे अच्छा कोई दूसरा हृदय रोग संस्थान नहीं है। जहाँ प्रत्येक दिन सबसे ज्यादा इलाज होता है, लेकिन हम उसका भी बजट ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ बाईपास सर्जरी अगर सबसे ज्यादा कहीं हो रही है तो वह हृदय रोग संस्थान कानपुर में। मान्यवर, आप कानपुर के हैं आप स्वयं जानते होंगे। ओ0पी0डी0 भी सबसे ज्यादा वहीं पर हो रही है। उसके बाद भी हम बजट उतना नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ पर कभी-कभी ऐसा होता है कि हृदय रोग से जो पीड़ित हैं, वह गुर्दा रोग से भी कभी-कभी पीड़ित हो जाते हैं, कभी-कभी लीवर रोग से भी पीड़ित हो जाते हैं तो उनके लिए वह सुविधा वहाँ पर नहीं है। हमने केवल हृदय रोग संस्थान बनाया है। उसमें मेरा निवेदन है कि नेफ्रोलॉजी विभाग, यूरोलॉजी विभाग और गैस्ट्रो के विभाग और उसमें हो जाना चाहिए। उस संस्थान में ऐसा मेरा आपसे निवेदन करना है। एक निवेदन मैं और करना चाहूँगा, हम इस बात पर बहुत जोर दें। जो हमारा चिकित्सक है, वह बाहर भी प्रैक्टिस कर रहा है। हम इसको रोकने में कम पड़े, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि अगर उसने मेडिकल कॉलेज में, जिला चिकित्सालय में या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ओ0पी0डी0 में दिखा लिया है। उस मरीज को किसी भी कीमत पर किसी निजी संस्था में न जाना पड़े। इस पर हमारा जोर होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति ने अपनी ओ0पी0डी0 सरकारी अस्पताल में कराया है और निजी चिकित्सालय में आपरेशन के लिये ले जाया जा रहा हो तो ऐसे चिकित्सको को निश्चित रूप से हमें सजा देने की जरूरत है। इस पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। कई ऐसी जगह है जहाँ पर भेजा जाता है। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि 10 ऐसे लोगों पर हम पूरी तरह से प्रतिबन्ध करें। मुझे एक दृष्टान्त याद है, मैं कहना चाहूँगा कि वर्ष 1987 में मैं विधान परिषद् का सदस्य था, उस समय हमारे क्षेत्र का एक मरीज के0जी0एम0यू0 मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था, वह हमारे मित्र का लड़का था, वह वहाँ 5-6 दिन भर्ती रहा और उसका वहीं इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था, यह वर्ष 1987 का प्रकरण है। उस समय प्राइवेट अस्पताल के डाक्टर की 100 रुपये फीस थी। मैंने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में दिखा देते हैं और फिर मैं उस डाक्टर

के पास उस लड़के को लेकर गया, वह डाक्टर वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था। मैं जब उनके पास गया तो जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि वह लड़का मेडिकल कॉलेज में पहले से भर्ती है, उन्होंने 100 रुपये वापस करा दिये और हमसे कहा कि हम यहाँ किसी भी कीमत पर मरीज को नहीं देखेंगे। हम कल आकर मेडिकल कॉलेज में ही देखेंगे। उसी तरह से हमें लोंगो को प्रशिक्षित करके अपने चिकित्सकों को, अपने असिस्टेंट प्रोफेसरों को, डॉक्टर्स को कन्वेंस करना है। उस पर जोर देना है, क्योंकि जो गरीब होता है, वह ही आपके यहाँ ओ0पी0डी0 कराने जाता है। उसको किसी भी कीमत पर निजी अस्पताल में नहीं ले जा पायें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है और इसके साथ-साथ यह भी निवेदन है कि जब हमारा मेडिकल कॉलेज अच्छा नहीं होगा, जब तक हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग को अच्छा नहीं बना पायेंगे।

मा0 मंत्री जी मैं आपसे निवदेन करना चाहूँगा कि महीने में 1 हफ्ता आप विभाग के लिए दे दीजिए, अभी आप विभाग के लिए समय नहीं दे रहे। अभी आप समय पार्टी के लिए दे रहे। आप समीक्षा करके अगर विभाग को ठीक कर लेंगे तो इस प्रदेश की आम जनता की उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होगी। क्योंकि हमारे जैसे लोगों का यह मानना है कि डाक्टर ही ईश्वर है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस दिशा में अगर आपने इस स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने का प्रयास किया तो मेरा मानना है कि यह उस दिशा में बहुत अच्छा कदम होगा। विभाग में पद खाली हैं, नियमित प्रिंसिपल नहीं हैं, डी0जी0एम0ई0 नियमित नहीं हैं। आपके विभाग के ऊपर आई0ए0एस0 को डी0जी0 बनाकर थोप दिया गया था, वह आपकी सुनती ही नहीं हैं। आपके प्रमुख सचिव तक की नहीं सुनती हैं, आप उसमें विभागीय डी0जी0एम0ई0 बना दें, जिससे आपका विभाग ठीक से काम करने लगे। ऐसा आपसे निवदेन करते हुए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

*** डॉ0 विमलेश पासवान-**

धन्यवाद मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 विभागीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया अपना विभागीय बजट जिसमें उन्होंने बड़े ही क्रमवार अपनी बातों को रखा है। मैं उनकी सारी बातों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ और राजकीय मेडिकल कॉलेज के0जी0एम0यू0 को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज हैं और इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने भी मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है, लेकिन जब हमारी सरकार ने काम करना प्रारम्भ किया तो वर्ष 2017 से 2022 तक हम लोगों ने 45 मेडिकल कॉलेज पूर्ण किये हैं और इन सभी 45 मेडिकल कॉलेज में जो एम0बी0बी0एस0 की सीटें रहीं, पी0जी0 की सीटें रहीं, उनको हमने हर वर्ष बढ़ाने का काम किया है तथा जिस भी डिपार्टमेंट में हमारे प्रोफेसर्स रहे है, प्रोफेसर रिटायर हुये हैं तो उन सारे डिपार्टमेंट में रिक्तियाँ बढ़ती गयीं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय 04 बजकर 07 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं)

जिसके फलस्वरूप एम0बी0बी0एस0 और पी0जी0 की सीटें घटीं उसका रीजन सिर्फ एक था कि सरकारें कान्ट्रैक्च्युअल बेसिस पर काम करना एक अपनी आदत सी बना ली हैं, जिसकी वजह से सीटें घटती गईं। अध्यक्ष महोदय, बीते पाँच साल के कार्यकाल में हेल्थ सेक्टर में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। मेडिकल कॉलेजेज, बेड बना देना, किसी बीमारी से लड़ने के लिए ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है, अगर हम प्रिवेंशन, बचाव के दृष्टिगत अपना काम न करें।

मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रिवेंशन के सेक्टर में, अवेयरनेस के सेक्टर में जिस प्रकार से हमारे नेता सदन ने जैपनीज इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस पर, अवेयरनेस पर काम किया और सड़क से लेकर सदन में जिस तरीके से उन्होंने काम किया और जो भी प्रभावित जिले थे, हम लोग उन कारणों पर पहुँचे कि आखिर इंसेफेलाइटिस फैल क्यों रहा है ? अस्पताल बना देना, बेड बना देना, एक अच्छा काम तो है ही, लेकिन अगर हम प्रिवेंशन पर काम न करें, तो हमारा शायद ड्राइव अधूरा होगा। इंसेफेलाइटिस से जो 23 जिले प्रभावित थे, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ उसमें हम लोगों ने यह पाया कि जो पानी की सतह है, जो हमारे नागरिक पानी पीते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट मेन वजह है। अगर वहाँ सड़ा पानी है और वहाँ मवेशी हैं और मवेशी उस पानी में रह रहे हैं, वही पानी जमीन से निकालकर हम पी रहे हैं, तो वह बीमारी अस्पताल और बेड बढ़ाने से नहीं रुकेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी का, जिनकी लड़ाई तब असली रूप ली, जब वह सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद जिस तरह उन्होंने उसके पूरे उन्मूलन के लिए प्रोग्राम बनाया और सभी उन जिलों में सबको शुद्ध पेयजल देना, जो हमारी प्राथमिकता है, उसको हम लोगों ने किया।

मा0 अधिष्ठाता महोदया, ओवरहेड के माध्यम से यूनीसेफ ने जो इतना बड़ा बजट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को दिया और सरकार ने उसमें अपना बजट दिया, उसके मदद से हम लोगों ने सभी गाँवों में ओवरहेड टैंक से पानी पी रहे हैं और इन्वायरमेंट की वजह से जहाँ मवेशी रहते थे और जो गन्दगी का पानी रहता था, सड़ता था, उसको भी हम लोगों ने दूर करने का काम किया। आज गोरखपुर में और आस-पास के जिलों में जैपनीज इंसेफलाइटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या लगभग न के बराबर है। अगर इंसेफेलाइटिस होता भी है, तो हम लोगों ने कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, इनके सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर हम लोगों ने पीडियाट्रिक इन्सेटिव केयर यूनिट की स्थापना की, जहाँ पर अनेक पीडियाट्रिशियन हमेशा मौजूद रहते हैं। हमारे स्वयं की विधान सभा गगहा की पी0एच0सी0 पर पीकू है, जहाँ पर तीन आई0सी0यू0 के बेड हैं, एक वेंटीलेटर युक्त है।

मा0 अधिष्ठाता महोदया, हम लोगों ने उसमें अच्छा-खासा काम भी किया है। हम लोगों ने अपने बीते कार्यकाल में 45 मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं, आगे जो शेष बचे 30

मेडिकल कॉलेज हैं। मा0 मंत्री जी ने जिस प्रकार से बोला कि 14 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने 2500 करोड़ धन का प्रावधान रखा है और जो बजट है, इसके लिए हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है, ये 47 हजार 460 करोड़ का बजट है, जिसमें पिछले बजट के सापेक्ष 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, प्रिवेंशन की दृष्टि से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके 'इंद्रधनुष योजना' ने वर्ष 2018 में इसका श्रीगणेश किया और जो इसेंशियल ऐड वैक्सीन थे डिप्थेरिया, इंफ्लूंजा, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मिजल और हेपेटाइटिस ये सारे वैक्सीन अब सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर हैं और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स घूमते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आपको बोलते हुए 6 मिनट हो गये हैं। अब आप अपनी बात को समाप्त करें।

डॉ0 विमलेश पासवान-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्य मंत्री जी का, जब वे मुख्य मंत्री नहीं भी थे, तो उन्होंने सारे राजकीय मेडिकल कॉलेज को अपग्रेडेशन करने की लड़ाई लड़ी थी। गोरखपुर की लड़ाई के साथ-साथ उन्होंने जब उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाला, तो उन्होंने पहले से कार्यरत राजकीय मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर, इलाहाबाद सहित पाँच राजकीय मेडिकल कालेज में सुपरस्पेशियल्टी भारत सरकार से लाने का काम किया और इलाहाबाद और गोरखपुर में जो हमारे सुपर स्पेशियलिटी के डिपार्टमेंट हैं, उनके न होने के नाते लोग हायर सेंटर रेफर होते थे। जैसे यूरोलॉजी, गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और कार्डियक डिज़ीज के सारे पेशेन्ट अब वहाँ पर एडमिट हो रहे हैं और कार्डियक डिपार्टमेंट से हमारे गोरखपुर में ही पाँच-पाँच कार्डियक फिजीशियन्स हैं, जो बाकायदा एन्जियोग्राफी करते हैं, स्टंट और एन्जियोप्लास्टी भी करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब खत्म करिये, आपका समय समाप्त हुआ।

डॉ0 विमलेश पासवान-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कालेज का जो हमारी सरकार ने प्रोग्राम रखा है, शेष 16 जिलों में जो मेडिकल कॉलेज हैं, उस पर भी बहुत तेजी से कार्य चल रहा है और पी0पी0पी0 मॉडल पर मेडिकल कालेज का काम हो रहा है। कल भी मैंने कहा जो सेन्चुरी की सबसे बड़ी पैण्डमिक कोविड-19 जिसने हमारे हेल्थ सर्विसेज को प्रभावित किया, सरकार और सरकार के तंत्र इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छा काम कर रहा है तो वह क्यों नहीं हेल्प मुहैया करा सकता है, क्यों चिकित्सा मुहैया नहीं करा सकता है ?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब आधे मिनट में बाइन्ड-अप कर लीजिए।

डॉ0 विमलेश पासवान-

आयुष्मान योजना में परिवार को जो 05 लाख रुपया मिल रहा था वह अब बढ़ करके शायद 9 लाख रुपया होने जा रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो मरीज के पास उसका बैकअप है और धनराशि देना अच्छी बात है, क्योंकि आप देखिये जिस प्रकार से पैण्डमिक में हेल्थ सर्विसेज को चैलेन्ज मिला। अब पी0पी0पी0 मॉडल पर अगर प्राइवेट सेक्टर चलाने वाले लोग इसमें आते हैं तो अच्छी बात है, हमें और अच्छे से सर्विसेज मिलेगी और जो गोल्डेन टाइम मरीज का किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए होता है, उसका हम लाभ उठा सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, धन्यवाद। श्री रविदास मेहरोत्रा जी।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, अभी माननीय लालजी वर्मा जी ने चिकित्सा-शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सम्बन्ध में जो बातें कही हैं, मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उससे मैं सहमत हूँ और सरकार से यह अनुरोध है कि उनकी बातों को मानने का काम करें। आज पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवायें पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गयी हैं। न जनता को समुचित दवा मिल रही है, न उसकी जाँच हो रही है, न समुचित इलाज हो रहा है, न उसको आई0सी0यू0 में बेड मिल रहा है। मान्यवर, लखनऊ शहर के अन्दर पी0जी0आई0, मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया संस्थान है, आप जाकर वहाँ मालूम कर लीजिए 80 प्रतिशत से अधिक लोग लखनऊ से बाहर के वहाँ भर्ती मिलेंगे। आप बताईये, लखनऊ से बाहर के लोग लखनऊ में क्यों आ रहे हैं ? इसका साफ-साफ मतलब है कि उनके जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, न उनको बेड मिल रहा है और कई लोग बहुत गम्भीर हालत में आते हैं। ग्लूकोज चढ़ रहा है, उनके परिवार के लोग शीशी पकड़े हुए हैं और उस हालात में यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। मान्यवर, गम्भीर हालत में जो लोग अस्पताल में इस अस्पताल में आते हैं वो जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे होते हैं, उनको अगर दवायें, सुविधायें नहीं मिलेंगी तो उनका जीवन समाप्त हो जायेगा।

मान्यवर, यहां पर 102 व 108 एम्बुलेंस हैं, उनमें अगर आप फोन करिये तो बहुत देर तक एम्बुलेंस सेवायें उपलब्ध नहीं होती हैं। मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूँ और हमने 102 व 108 एम्बुलेंस की कई गाड़ियों को पकड़ा, उसमें कहीं आक्सीजन की मशीन नहीं थी, कहीं शुगर नापने की मशीन नहीं थी और कहीं अन्य सुविधा नहीं थी और मैंने उन 102 व 108 एम्बुलेंस के ऊपर जुर्माना किया। मंत्री जी अपने भाषण में बता देंगे। मेरा मंत्रित्व काल बहुत

छोटा था और उसमें पौने दो करोड़ रुपया 102 व 108 एम्बुलेंस की जो कम्पनी थी, उसने जुर्माना जमा करने का काम किया, क्योंकि उसकी गाड़ियों में ठीक से सामान नहीं था। मान्यवर, आज माननीय मंत्री जी छापा मारने के लिए जाते हैं और छापा मारने के बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। आज तक किसी को दण्ड या जुर्माना नहीं हुआ है। मंत्री जी के छापा मारने से जनता को कोई लाभ नहीं हुआ।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, 20 मई, 2022 को ट्रांसपोर्टनगर, लखनऊ में मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन के गोदाम में छापा डाला गया, उस छापे में 16 करोड़ 40 लाख की एक्सपायर दवाएँ पायी गयी थीं। आपके माध्यम से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी सदन को बतायें कि 16 करोड़ से अधिक एक्सपायरी डेट की वह कौन सी दवा थी ? मुझे जानकारी है कि कोरोना काल में जब लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो रही थी, तब वह दवाएँ और जिस इंजेक्शन की जरूरत थी। जो इंजेक्शन बाहर ब्लैक में मिल रहा था, वह इंजेक्शन अस्पतालों में नहीं आया और उसकी एक्सपायरी हो गयी। जब एक्सपायरी डेट की दवायें पकड़ी गयीं तो मेडिकल सप्लायर के किस अधिकारी के यहाँ आपने बुल्डोजर चलाया ? किसके मकान से आपने वसूली करने का काम किया ? किस दोषी पर क्या कार्रवाई हुई ? मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन किसी सी0एम0ओ0 से नहीं पूछता है कि हमें कौन सी दवाएं परचेज करनी हैं। मेडिकल के सी0एम0ओ0 और सी0एम0एस0 को दवाएँ खरीदने का पावर नहीं है, इसलिए दवा की जरूरत कुछ और है और दवा सप्लाई कुछ और हो रही है। इसी कारण से अभी कोरोना काल में बहुत सी बातें हुई हैं।

कोरोना काल में जो अपने घर में इलाज कराता रहा, वह बच गया और जो अस्पताल गया उसमें से ही बहुत लोग अस्पताल से लौटकर वापस नहीं आये। सरकार कहती है कि हमने कोरोना काल में बड़ा अच्छा काम किया था। अगर अच्छा काम किया था तो फिर वर्तमान के तीन मंत्री और तेरह विधायकों की मौत कैसे हो गयी थी ? अस्पताल में जो गया, उसमें अधिकांश लोग वापस जिन्दा लौट नहीं पाये थे। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं व्यवस्थाएँ खराब थीं। अभी 2022 में डेंगू, चिकनगुनिया हुआ, इससे कितनी मौतें हुईं, जबकि यह बात मालूम थी कि 3 साल के बाद डेंगू लौटता है। 2016 में आया, 2019 में आया और 2022 में डेंगू आना था, लेकिन पहले से कोई भी उपचार करने का काम नहीं किया गया, जिस कारण से डेंगू से बहुत लोगों की मौत हुई। चिकनगुनिया से बहुत लोग भर्ती हुए और कई-कई महीनों तक लोगों के तकलीफ सहने का काम हुआ है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उन स्वास्थ्य केन्द्रों में ताला पड़ा हुआ है। यदि हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप विपक्ष के हैं, आरोप लगा रहे हैं। आप सरकार के परिवहन मंत्री को बुला लीजिए, सरकार के परिवहन मंत्री स्वयं गये, उन्होंने बयान दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जब मैं गया तो ताला पड़ा हुआ था। यदि मेरी बात झूठी हो तो मा0 मंत्री जी बता दें कि प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री जब वहां गये तो उन्होंने क्या रिपोर्ट दी ?

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप जल्दी से समाप्त कर दीजिए।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, यही हाल पूरे प्रदेश भर में है। कहीं डॉक्टर नहीं है। बजट में आपने जो दिखाया है, उसका 50 प्रतिशत भी बजट खर्च नहीं हुआ है। मा0 वर्मा जी ने जो बातें कही हैं, हम उनको दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरा आपसे यह अनुरोध है कि प्रधानमंत्री कोविड फण्ड से जो 33 वेन्टीलेटर आये थे, वह सब खराब पड़े हुए हैं, उनको ठीक कराने का काम करा दें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, काफी समय हो गया है। आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। जल्दी से समाप्त कर दीजिए।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, अस्पतालों के अन्दर आई0सी0यू0 बेड नहीं है, उन बेडों को बढ़वाने का काम करा दें। जब हम सरकार में मंत्री थे तो मैंने जिला चिकित्सालयों में शव वाहन दिये थे ताकि गरीब आदमी उन शव वाहनों के माध्यम से अपने घर पहुँच जायें। आज वह सारे शव वाहन खराब हुए हैं। पता करने पर पता चलता है कि ड्राइवर नहीं है, शव वाहन खराब पड़े हुए हैं तो कृपया जो शव वाहन पहले चलाये गये थे, उन शव वाहनों को ठीक कराने का काम कर दें। आज से 48 साल पहले हम लोकतंत्र सेनानी लोग जेल के अन्दर बन्द रहे और देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ने का काम किया। पूरा देश जेलखाना बना दिया गया था, उस आपातकाल के अन्दर जो लोग जेल में बन्द रहे, उनको माननीय मुलायम सिंह जी ने तथा बाद में पूर्व मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि इनको सुविधाएँ मिलने का काम किया जायेगा, लेकिन लोकतंत्र सेनानियों को वहाँ पर दवाएँ नहीं मिल रही हैं। उनकी आयु 70 साल से अधिक हो गयी है। बहुत प्रयास करने पर भी लोकतंत्र सेनानियों की दवाओं का इन्तजाम नहीं हो रहा है। लोकतंत्र सेनानियों के लिए मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि पी0जी0आई0 के अन्दर जैसे विधायकों को सुविधाएँ मिलती हैं, सुविधाएं लोकतंत्र सेनानियों को भी दी जायें। अन्तिम बात कहकर बात समाप्त करूंगा कि मा0 मंत्री जी हमारे क्षेत्र में छापा मारने जाते समय, हम विधायक भी उनके साथ रहें और मालूम हो कि छापे में क्या पकड़ा गया। मान्यवर, ताकि हम लोग भी वहाँ पर रहें। छापा डालने के बाद क्या कार्रवाई हुई जनता को मालूम हो जाए कि क्या पकड़ा गया और पकड़ने के बाद किसको क्या दण्ड देने का काम हुआ। मंत्री जी के छापे से जनता को क्या लाभ हुआ छापा किसी और उद्देश्य से न होने पाए।

श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह-

मान्यवर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस स्वास्थ्य और चिकित्सा बजट पर अपनी बात रखने का। मैं मा0 उप मुख्य मंत्री जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री उनके बजट जो अठ्ठारह हजार छः सौ छः करोड़ रुपये का है, उस पर पूरी तरह से बल देते हुए समर्थन में मैं बोलना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत योजना हेतु सोलह सौ पचपन हजार करोड़ रुपये हेल्थ वेलनेस सेंटर, क्रिटिकल केयर सेंटर, यूनिट्स इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना नेशनल केयर सेंटर फॉर डिज़ीज कंट्रोल, हेल्थ इन्फार्मेशन केयर विस्तार से पोर्टल की स्थापना करने के लिए पन्द्रह सौ सत्तावन हजार करोड़ रुपये दिए गए है। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री पीठाध्यक्ष रहे श्री लालजी वर्मा जी ने बहुत से सुझाव मा0 उप मुख्य मंत्री जी को दिए मुझे लगता है कि थोड़े बहुत जो आपने सुझाव दिए इन सब योजनाओं के अन्तर्गत समायुक्त हो सकते हैं और आ भी जाएंगे। आयुष्मान भारत के लिए चार सौ करोड़ रुपये दिया गया है जिसमें ढाई करोड़ लाभार्थी हैं। मैं सोचती हूं कि जो यह आयुष्मान भारत वाली योजना चलायी गयी है, सबसे अच्छी योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है।

पूरे विश्व में जो वेलफेयर स्टेट होते हैं वहीं नेशनल हेल्थ सर्विस की व्यवस्था है। उसी के तरह आयुष्मान भारत का काम है। जो गरीब से गरीब आदमी है जिसको समझ में नहीं आता है, जब वह बीमार होता है कि वह कहाँ जाए कहाँ से पैसे लाएँ, कैसे इलाज करें, उसको इस आयुष्मान भारत कार्ड की वजह से जिसको पांच लाख और किसी ने कहा कि नौ लाख तक ले जाने का काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। सीधा इलाज के लिए सिर्फ सरकारी अस्पताल नहीं है, लेकिन निजी अस्पताल जो इसके लिए चयनित किए गए हैं वहाँ तक पहुँच सकता है। उसको यह भी नहीं सोचना पड़ता है कि मैं जेवर बेचूँ कि खेत बेचूँ या फिर कैसे जाऊँ। मैं यह सोचती हूँ कि बहुत बड़ा लाभ हमारे गरीब, अन्तिम पायदान पर खड़े आदमी तक पहुँचाने का काम स्वास्थ्य के लिए है। पी0एम0 मातृ वंदना जन आरोग्य अभियान में ढाई सौ करोड़ रुपये दिए गए हैं। हमेशा महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है चाहे वह पी0एम0 हों, या सी0एम0 हों, चाहे हमारे उप मुख्य मंत्री हों हमेशा महिलाओं के लिए कुछ न कुछ इसमें रहता ही है। स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेंटर को हेल्थ और वेलनेस हेल्थ सेंटर में बदलने की कोशिश और थोड़ा और इनमें काम लाने के लिए चार सौ सात करोड़ दिए जा रहे हैं।

प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए पन्द्रह करोड़ रुपये इसमें मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहती हूँ या याद दिलाना चाहती हूँ कि 2019-2020 में जो महामारी आई इस महामारी में पूरा विश्व बन्द हो गया। हम लोग भी छह महीना तक घर बैठ गए। महामारी जो आई थी, वह नयी महामारी थी किसी को समझ में नहीं आया था कि इसमें

क्या इलाज होना चाहिए। न ही डॉक्टरों को यह मालूम था और पूरे विश्व में यह बात थी अमेरिका जैसी जगह में भी किसी को यह नहीं मालूम था कि क्या दवाई होनी चाहिए, लेकिन भारत में मा0 प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो कोविड टाइम में काम किया, इसकी पूरी तरह से बधाई मैं दूंगी, पूरा विश्व बधाई दे रहा है, लेकिन इस मौके पर मैं भी बधाई देना चाहती हूँ कि युद्धस्तर पर काम हुआ। चाहे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य रहे हों। चाहे हमारे सी0एम0ओ0 रहे हों, चाहे हमारे डी0एम0, शासन और प्रशासन रहा हो, यहाँ तक कि हर एक विधायक ने इसमें अपना सहयोग देने की पूरी कोशिश की।

हमें लगता है कि हर विधायक ने अपने पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 पर अपनी विधायक निधि से बेड, दवाई तथा ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया और उस समय पर आदमी किसी निजी अस्पताल में नहीं जा रहा था अपितु जो सरकारी अस्पताल हैं, उन्हीं में इलाज के लिये जा रहा था। इतने लोग पहुँच रहे थे कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग को इस योजना में निजी अस्पतालों को जोड़ने की योजना बनानी पड़ी, क्योंकि इतने सारे लोगों को और कहाँ ले जाते, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से युद्ध स्तर पर बेड मिल रहा था, ऑक्सीजन मिल रही थी, दवाई मिल रही थी, इसके लिये मैं स्वास्थ्य विभाग को बहुत बधाई देना चाहूँगी। हमारे मा0 उप मुख्य मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, की जो योजना शुरू की है, उसमें 45 डिस्ट्रिक्ट में जारी हो चुके हैं, 14 में काम चल रहा है और 16 में पी0पी0पी0 मॉडल पर काम होने वाला है। 14 नये मेडिकल कॉलेज बनेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्या, आप थोड़ा जल्दी समराईज कर लीजिये।

श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह-

जिसके लिये इसमें 2500 करोड़ दिये जा रहे हैं। असाध्य रोगों के लिये 100 करोड़ की धनराशि रखी गयी है। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलॅपमेंट की स्थापना के लिये 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह जो बार-बार बात हो रही है कि कहाँ क्या करेंगे ? कैसे काम करेंगे ? तो मैं बताना चाहूँगी कि जब हमारे यहाँ रिसर्च और डेवलॅपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी तो हर स्तर पर जो सरकारी स्वास्थ्य योजना है, वह आगे बढ़ेगी। मेडिकल एजुकेशन के लिये साढ़े आठ सौ सीटें बढ़ी हैं तथा पी0जी0 की भी काफी सीटें बढ़ी हैं। नर्सिंग तथा पैरामेडिकल के 300 नये संस्थान खुल रहे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज भी 17 से 19 तक बढ़ गये हैं। इसके अलावा 280 से लेकर 351 तक नर्सिंग स्कूल भी किये गये हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, अन्त में मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि दो-तीन बड़े काम जो इस बजट में आ रहे हैं, वह यह है कि टर्शियरी मेडिकल सुविधा के अन्तर्गत एस0जी0पी0जी0आई0 में 500-600 बेड के इमरजेंसी मेडिसिन एवं रीनल ट्रांसप्लांट सेन्टर की स्थापना हो रही है तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ, प्रयागराज तथा लखनऊ के

के0जी0एम0यू0 में जो डायबिटिक रिन्यूपैथी के लिये जो प्रावधान किया गया है उसके लिये मैं मा0 उप मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ। डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में एडवांस न्यूरो साइंस का केन्द्र स्थापित हो रहा है। यह सब कार्य जब होगा तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवायें जरूर आगे बढेंगी और वह हर एक आदमी जो अन्तिम पायदान पर खड़ा है वह आगे बढ़ेगा। मा0 अधिष्ठाता जी, आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्या, धन्यवाद। डा0 पल्लवी पटेल जी।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, धन्यवाद। अनुदान संख्या-31, 32 और 35 पर राशि में कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। न सिर्फ भारत अपितु सारी दुनिया में जहाँ-जहाँ भी सभ्य, विकसित या विकासशील देश हैं, उन सभी में आज उन सभी में आज की आधुनिक मनुष्यता के विकास की जो सर्वमान्य अवधारणा है उसके मुख्यतः तीन बिन्दु हैं। पहला रोटी कपड़ा मकान, दूसरा, स्वास्थ्य-शिक्षा-रोजगार, तीसरा सड़क-पानी-बिजली। अगर इस अवधारणा को मानकर ही बात की जाये तो मनुष्यता के विकास की नींव का एक आधार बिन्दु स्वास्थ्य भी है। कोई भी समाज तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक वह पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो और यह अवधारणा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक रूप से राज्य के अपने नागरिकों के प्रति अनिवार्य दायित्व के रूप में आता है, अर्थात् समाज के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य, उसका स्वस्थ होना उसकी अपनी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पत्र में जिस तरह धन का आवंटन किया गया है। वह अत्यन्त विस्मय और संदेह उत्पन्न करता है। जहां एक ओर सरकारी एवं निजी ऑल इन टोटल लगभग 8500 एम0बी0बी0एस0 की वार्षिक सीटों को अपनी उपलब्धि बता रही है, जबकि राज्य में वास्तविकता में 25 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में अनुपातिक रूप में मात्र 8 हजार 500 की एम0बी0बी0एस0 की वार्षिक सीट्स न ही सिर्फ असफलता है, बल्कि शर्मनाक भी है। एन0आर0एच0एम0 नेशनल रूरल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात कही गयी है।

मा0 अधिष्ठाता महोदया, आपके माध्यम से समूचे सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ कि यह वही एन0आर0एच0एम0 है जिसके नाम से सुश्री मायावती जी के कार्यकाल में हजारों करोड़ रुपया खा लिया गया था। इस तरह बजट पत्र में वर्णित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना आदि के नाम पर कुल मिलाकर लगभग 17 हजार करोड़ रुपये के आवंटन की बात की गयी है। वर्तमान सरकार के समूचे कार्यकाल में स्वास्थ्य, चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा

के नाम पर घोषित, आवंटित और खर्च की गयी राशि का अगर हिसाब लगाया जाय तो वह लगभग 1 लाख 50 हजार करोड़ होती है और जिस गरीब और आम जनता के नाम पर यह पैसा खर्च किया जा रहा है उसकी हालत जस की तस बनी हुई है। अगर हम आदर्श पैमानों की बात करें तो प्रत्येक तीन हजार नागरिकों के लिए एक डाक्टर मय अपने सहयोगी स्टाफ नियुक्त होने चाहिए। प्रति 10 हजार नागरिकों पर 1 पी0एच0सी0, प्रति 50 हजार नागरिकों पर 1 सी0एच0सी0 केन्द्र होना चाहिए। हमारे प्रदेश में इन आदर्श पैमानों के सापेक्ष हमारी स्थिति क्या है, इस पर सरकार का विस्तृत बयान आना चाहिए। समाज के अन्तिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है, वह सरकार से यह अपेक्षा रखता है और यह अपेक्षा रख कर सरकार बनाता है कि उसका स्वास्थ्य, उसकी चिकित्सा और उसकी दवाई की जिम्मेदारी सरकार की है और वास्तविकता में यह सरकार की जिम्मेदारी है भी, लेकिन जरूरतमन्द आदमी के लिए न तो डाक्टर उपलब्ध है, न दवाई उपलब्ध है और न ही कोई यांत्रिक उपचार उपलब्ध है। शोध के अनुसार वर्ष 2021-2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कुल खर्चे का 6.3 प्रतिशत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर खर्च किया है, जो कि बाकी सभी प्रदेशों के औसत 5.5 से ज्यादा है।

वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कुल खर्चे का 7.1 प्रतिशत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर खर्च किया जो कि बाकी सभी प्रदेशों के औसत 6 से ज्यादा है। इस प्रकार से तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवायें सुविधाएं उच्च स्तर, उच्च कोटि की होनी चाहिए। परन्तु भारत सरकार के अधीन नीति आयोग के द्वारा जारी चौथी स्वास्थ्य तालिका में केरल स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसलिटीज में टॉप पर खड़ा होता है और हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश बुरी हालत में है। सवाल यह है कि इतनी भारी भरकम धनराशि लगातार सरकार आवंटित कर रही है और इसके बावजूद गांव, गरीब, किसान एवं मजदूर तक इसका लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। यह सारा पैसा निःसंदेह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। बेहतर हो कि सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को निजी क्षेत्रों में सौंपने की बजाय पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखते हुए पारदर्शी तरीके से प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य का अधिकार उसको देना सुनिश्चित करे। बजट पत्र में उल्लिखित 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित हैं, 14 निर्माणाधीन और 16 पी0पी0पी0 मॉडल पर तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से कोई एक भी पूरी तरह आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से सुसज्जित नहीं है। सरकार को यह समझना होगा कि ईंट गारे से बना भवन चिकित्सा सुविधा नहीं होती है-जिसका जीता जागता उदाहरण मेरा क्षेत्र सिराथू का ट्रामा सेन्टर है। जिसके भवन निर्माण के नाम पर जो कमीशनखोरी होनी थी, वो भी हुई और उसके बाद से वो आज तक खण्डहर में तब्दील हो रहा है ....

(सदस्या का माइक बन्द कर दिया गया)

वहाँ पर किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार के कागजी आंकड़ों में वो ट्रामा सेंटर है। तो मैं यह कहते हुए कि ये बजट उ0प्र0 सरकार की आर्थिक

नीति अर्थव्यवस्था की दस्तावेज नहीं है, बल्कि उ0प्र0 में सक्रिय लूट गिरोह (Gang of Gujrat) के षड़यन्त्र का पुलिन्दा मात्र और उ0प्र0 की जनता के स्वास्थ्य के नाम पर जो आवंटन किया गया है वो पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, इसलिए मैं इस तरह के आवंटन में कटौती करके 01 रुपये करने की मांग करती हूँ, ताकि प्रदेश की जनता के पैसों की लूट को रोका जा सके।

श्री सोमेन्द्र सिंह तोमर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्य मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बजट के समर्थन में आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर, क्रिटिकल केयर यूनिट जनपदों में इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना हेल्थ इन्फार्मेशन के विस्तार के लिए पोर्टल की स्थापना तथा इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर एवं मोबाइल यूनिट हास्पिटल की स्थापना आदि कार्य हेतु 1547 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। प्रधानमंत्री मातृ-वन्दन योजना के तहत सरकार द्वारा इस योजना में 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का जिनके द्वारा बैंक ए0टी0एम0 की तर्ज पर पूरे देश के अन्दर हैल्थ ए0टी0एम0 लगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वर्ष 2022 सितम्बर में हेल्थ ए0टी0एम0 की शुरूआत की गयी और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत 4600 स्वास्थ्य केन्द्रों पर हेल्थ ए0टी0एम0 लगाने की शुरुआत हुई है। 8 आकांक्षी जिले जिनमें 100 आकांक्षी ब्लाक हैं। उनमें लगभग 400 हेल्थ ए0टी0एम0 लगाये जा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि 15 मिनट के अन्दर 30 रोगों की जाँच की सुविधा हेल्थ ए0टी0एम0 देते हैं। 2023-24 में बाकी लगभग 4600 स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उन सभी 4600 स्वास्थ्य केन्द्रों को आच्छादित करने का काम 2023-24 के बजट में किया गया है।

मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का क्योंकि हमारी सरकार का अन्त्योदय सार्थक करने का प्रयास मुख्य मंत्री और प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के माध्यम से 2011 में जो सेस का सर्वे हुआ, वह गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे सभी पात्रों को प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अन्तर्गत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हो और उस योजना से जो लोग बचे उनमें मुख्य मंत्री आरोग्य योजना के तहत 5 लाख की सुविधा देने का काम उ0प्र0 के यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मेरठ में जो मेडिकल कालेज है। मेरठ की पहचान मेडिकल के हब के रूप में होती है। पूर्ववर्ती सरकारों ने चूंकि

2017 से पहले हम देखते थे कि 3 मण्डलों की यदि बात करें तो सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद मण्डल इन तीनों मण्डलों के लिए सिर्फ एक मेडिकल कालेज मेरठ था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने उ0प्र0 के यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी एवं उप मुख्य मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का जिन्होंने 45 जिले पहले ही आच्छादित किये। इसके बाद 14 जिलों में हम लोगों ने 2491 करोड़ रुपये की व्यवस्था की, बाकी 16 जिलों में पी0पी0पी0 मॉडल पर हम लोग मेडिकल कालेज बनवा रहे हैं। अभी एक हमारे साथी कोविड काल का जिक्र कर रहे थे। बड़े दुख की बात है कि ऐसी महामारी के समय भी कुछ लोग राजनीति कर रहे थे। जबकि हम देख रहे थे कि पूरा विश्व उस बीमारी से ग्रसित था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक परिवार के मुखिया की तरह से पूरे देश की चिन्ता की। इसी तरह से उ0प्र0 के यशस्वी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी सजगता के साथ उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ वासियों का ध्यान रखा। लेकिन उस समय भी एक भ्रान्ति फैलाई गयी। वह भ्रान्ति देश के महान वैज्ञानिकों के लिए। कोविड समय में चिकित्सक जिन्हें हमारी सरकार ने कोरोना वारियर्स का नाम दिया, उनका भी मजाक उड़ाने का काम विपक्षी दलों ने किया।

मान्यवर, उन्होंने यह कहा कि उस कोविड के समय में जो वैक्सीन आयी उस वैक्सीन का भी उपहास उड़ाने का इन लोगों ने काम किया और सरकारें कितनी गम्भीर थीं और हमारे पास का ही प्रदेश दिल्ली और दिल्ली में जो काम करने वाले मजदूर लोग थे उन्हें वहाँ से छोड़ दिया गया। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी का उन्होंने परिवार के मुखिया की तरह से उन्होंने सभी श्रमिकों का उसी तरह से रजिस्ट्रेशन करके उत्तर प्रदेश में किसी तरह कि दिक्कत न हो, यह जिम्मेदारी निर्वहन करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अभी सुपर स्पेशिलिटी की जो बात हो रही थी तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने उप मुख्य मंत्री जी का और हम डॉयबेटिक रेटिनो-थैरेपी के बारे में जानते हैं और शुगर की बीमारी तेजी के साथ बढ़ रही है और उस समय भी सुपर स्पशियलिटी हास्पिटल में हमने देखा कि सिर्फ मेरठ या उसके आस-पास के जिले ही नहीं दिल्ली और हरियाणा से भी बीमार लोग मेरठ में एडमिट हुए और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी सरकार का कि चाहे सी0एच0सी0 हो या पी0एच0सी0 हो और वर्ष 2017 से पहले बिल्डिंग तो छोड़ दीजिए, वह तो जर्जर हो ही गयी थी और वेंटिलटर की तो बात छोड़िए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मा0 मुख्य मंत्री जी का आज आप किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जायेंगे तो वहां पर सुविधाओं के साथ-साथ चाहे ऑक्सीजन कन्सलट्रेटर की बात करें या ऑक्सीजन बैंक की हम बात करें। वर्ष 2017 में जब हमारी सरकार आयी और वर्ष 2019 में कोविड महामारी के समय में हमने देखा कि किस तरह से उस समय पर संसाधनों की कमी थी, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दूसरी लहर में जिस तरह से मा0 मुख्य मंत्री जी और हमारी सरकार ने कोविड में सभी लोगों की सेवा करते हुए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सुख है तो वह निरोगी काया है। इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसलिए

ही नहीं कि सोना यहाँ पर था, इसलिए भी कि उस समय हमारे रहने वाले पूर्वज थे उनका स्वास्थ्य अच्छा था, क्योंकि योग जो हमारी पुरानी पहचान रही है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का काम किया और आज हम लोग इलाज ही नहीं जागरूक भी कर रहे हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों ऐसा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का है और मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ जिस तरह से मा0 उप मुख्य मंत्री जी बजट को लाये हैं और हमारी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के जितने हमारे 24 करोड़ वासी हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति सरकार गम्भीर है। धन्यवाद।

* **श्री ब्रजेश यादव-**

अधिष्ठाता महोदय, आपने मा0 लालजी वर्मा द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के बजट पर प्रस्तुत कटौती पर बल देने के लिए मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सीधे अपनी बात पर आता हूँ। जिस विधान सभा क्षेत्र से में चुनकर आया हूँ वहाँ कस्बा दहगवों में और जो लोग ये बड़ी-बड़ी बजट की बातें कर रहे हैं और बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ और जहाँ से मैं चुनकर आया हूँ दहगवां में करोड़ो रुपये की लागत से एक सी0एच0सी0 का निर्माण किया गया जिसमें स्टॉफ के क्वार्टर और 40 बेड का हॉस्पिटल वर्ष 2011 से लेकर अब तक क्यों हैण्डओवर नहीं किया गया। मैं मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वहाँ कम से कम 50 गांव के लोगों को फायदा देने के लिए वह बनाया गया था, लेकिन उसके बाद मैंने कई बार चिट्टी भी लिखी और मुझसे पहले मेरे पिता जी वहाँ से विधायक थे, उन्होंने भी कई बार चिट्टी लिखी, लेकिन कोई संतोषजनक जबाव पिछले 6 साल से सरकार की तरफ से नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि उस अस्पताल का जो भी इसमें दोषी हो, ठेकेदार से लेकर सम्बन्धित अधिकारी उस टाइम के हों, उनकी जाँच कराकर उस अस्पातल की बिल्डिंग को हस्तान्तरित कराकर शासन की योजना आप लोगों की है उसके अनुसार कराया जाए जिससे कि जनता को लाभ मिले। दूसरा मुद्दा मेरे ही क्षेत्र के कस्बा इस्लामनगर का मुद्दा है और बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि अगर कहते हुए अफसोस भी हो रहा है कि सबसे खराब चिकित्सा व्यवस्था आज की तारीख में कहीं की है तो वह सहसवान विधान सभा क्षेत्र की है। कस्बा इस्लामनगर में जो कि 60 से 70 हजार की आबादी का कस्बा है वहां पर एक बड़ा अस्पताल हुआ करता था, लेकिन वहां से 14 किलोमीटर दूर दूसरे रूदाइन कस्बे में समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने दूसरा अस्पताल बनवाया तो कस्बा इस्लामनगर जो कि हमारी सहसवान विधान सभा क्षेत्र का अभिन्न अंग है और नगर पंचायत और विकास खण्ड का भी मुख्यालय है वहाँ का अस्पताल खत्म करके पूरा स्टाफ रूदाइन में तैनात कर दिया गया। 60000 की आबादी और लगभग 30 गांव के लोग वहाँ पर अपना इलाज कराने आते थे, उन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी ने शासन को डी0ओ0 लेटर लिखा था, लेकिन मुझे जब बजट का अभाव बताया गया तो मैंने अपनी विधायक निधि से पैसा देने का वायदा किया। वहाँ पर जितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी, मैं उतनी धनराशि विधायक निधि से देकर अस्पताल को चालू कराना चाहता हूँ।

मैं माननीय मंत्री जी को पत्र लिख चुका हूँ और उस दिन मैंने कॉरीडोर में माननीय मंत्री जी से भी अपनी समस्या कही थी। मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसको अपने एजेण्डा में शामिल करें और इसे अपनी प्राथमिकता पर रखें जिससे वहाँ की जनता को लाभ मिल सके। हमारे यहाँ जो नाधा का अस्पताल है वहाँ भी लगभग 130 ग्रामों के लोग इलाज कराने आते हैं। मैं अपने यहाँ समसपुर गूढ़ में अस्पताल की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि कोरोना काल में आक्सीजन और दवाइयाँ अनवरत् रूप से पब्लिक को देने का काम किया गया है, लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बदायूँ में समाजवादी सरकार द्वारा जो मेडिकल कालेज बनाया गया था, वहीं एक भी आक्सीजन प्लाण्ट नहीं लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ही उस समय भी सरकार थी और बजट पर बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं तो बहुत शर्म के साथ मैं कह रहा हूँ कि बदायूँ मेडिकल कालेज में आक्सीजन के अभाव में तमाम मरीज अपना दम तोड़ रहे थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरे पिता जी ने अपनी विधायक निधि से 38 लाख रुपये देकर एक आक्सीजन प्लाण्ट लगवाया था जिसके कारण वहाँ पर लोगों को आक्सीजन मिल सकी थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरी मांग है और यह दर्द केवल मेरा नहीं है, बल्कि सारे विधायकों का है कि विधायक निधि का जो पैसा हम लोग अपने क्षेत्र की जनता को देते हैं वह बहुत चुनिंदा अस्पतालों को दे पाते हैं क्योंकि चुनिंदा अस्पतालों की लिस्ट है तो इसके कारण वह मनमानी करके इस्टीमेट भी बनाते हैं जिसके कारण हम लोग पूरी धनराशि नहीं दे पाते हैं। मैं अपने साथी सदस्यों की तरफ से आपसे अनुरोध करता हूँ कि अस्पतालों की सूची बढ़ाई जाये, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को विधायक निधि का फायदा मिल सके। एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में लैब टेक्नीशियन महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं जिनके कारण बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अपना परामर्श नहीं दे सकता है, उनका वेतनमान 2800 ग्रेड पे से शुरू होता है, जबकि समान योग्यता वाले एक्स-रे टेक्नीशियन का ग्रेड पे 4200 रुपये से स्टार्ट होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि लैब टेक्नीशियन की वेतन विसंगति को दूर कराने का कष्ट करें जिससे उनका मनोबल बढ़ सके और वह पूरे मनोयोग से काम कर सकें।

श्रीमती केतकी सिंह-

माननीया अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे माननीय उप मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन के लिए बोलने का अवसर दिया। मैं सर्वप्रथम अपने यशस्वी माननीय उप मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। अपने इस समर्थन भाषण को प्रस्तुत करने से पहले मैं

अपने समाजवादी साथियों को यह याद दिलाना चाहती हूँ कि जब वर्ष 2017 में मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए गद्दी पर बैठे थे तो उस समय हमें विरासत में क्या मिला था। उस समय एक बीमार, एक पिछड़ा और एक बदहाल प्रदेश हमको दिया गया था जिसको बदहाली से निकालकर सुधार की व्यवस्था में लेकर आना था।

मान्यवर, और उस व्यवस्था का कोई सबसे महत्वपूर्ण अंग हो सकता था तो वह चिकित्सक था। विपक्ष में बैठे अपने साथियों को बड़ी-बड़ी बातें करते हुए सुन रही हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इसी प्रदेश में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो आप सुधार देंगे, मैं आपको यह मौका देती हूँ। यही वह प्रदेश था जो आपको चार बार सत्ता में लेकर आया, चार बार इस प्रदेश को चलाने का मौका दिया, आपको चार बार चिकित्सा व्यवस्था सुधार करने का मौका दिया, क्या आप उस समय तितलियां उड़ा रहे थे।

मैं आपको अभिमान के साथ बताना चाहती हूँ कि मात्र छः साल में हमारे मा0 प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, वह यूं ही नहीं कहते हैं हमने हर जनपद में एक मेडिकल कालेज देने का प्रयास किया है हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम 45 मेडिकल कालेज बना भी चुके हैं और कुछ मेडिकल कालेज पर अभी भी काम चल रहा है। यह 56 इंच के सीने का ही कमाल है, आप लोग कभी आईएगा तो आप लोगों को भी मा0 प्रधानमंत्री जी से मिलवा दूंगी। हमारे जनपदों में जो मेडिकल कालेज बन रहे हैं, उसके लिए मा0 उप मुख्य मंत्री जी ने 2451 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि उपलब्ध कराई है, मैं उसके लिए ढेरों धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी हमारे साथी सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वहाँ पर दवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहती हूँ कि हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री जी ने 407 करोड़ रुपये की धनराशि सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 को सुदृढ़ बनाने के लिए दी है। एक कहावत है, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी कि ''ऐ दिले नादान बता तुझे हुआ क्या है, तेरे दर्द-ए-दिल की दवा क्या है।'' आपके दर्द-ए-दिल की दवा 10-20 साल आने वाली है नहीं क्योंकि हम यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। पर बाकी आपको कोई दर्द है तो आप सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 में जा सकते हैं, क्योंकि आपके सारे दर्द की दवाएं हमने वहाँ पर उपलब्ध करा दी है और इसके लिए मैं अपने यशस्वी मुख्य मंत्री एवं उप मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ।

एक आयुष्मान भारत योजना चल रही है। अभी बड़ी बातें हो रही थीं कि हम गरीबों के हितैषी हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। मुझे याद है कि जो वर्ष 2014 से पहले सरकार थी, उसका आप लोगों का ऊपर से, अन्दर से, सभी तरफ से समर्थन था। पर तब भी किसी को याद नहीं कि एक गरीब व्यक्ति जब अपना इलाज कराने जायेगा तो वह इलाज के लिए पैसा कहाँ से लेकर आयेगा। अगर एक बेटा बीमार पड़ता है तो माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए मंगलसूत्र तक बेच देती है और उस माँ के दर्द को अगर किसी ने समझा तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने समझा है। इसके तहत आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत

2.34 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। जब चुनाव आता है तो इनको महिलाओं की याद आ जाती है परन्तु जब शासन सत्ता में रहते है तब महिलाओं को भूल जाते है। हमारे मा0 मुख्य मंत्री सिर्फ कहते ही नहीं है बल्कि करते भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ योजना के लिए इस बजट में 320 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मैं इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को ढेरों धन्यवाद देती हूँ। अभी पैरा-मेडिकल की बात हो रही थी। कोई भी डॉक्टर अकेले कोई भी काम नहीं करता है। हमारे बहुत सीनियर मा0 सदस्य, श्री रविदास भैया जी हैं, भैया तो नहीं, मैं आपको चाचा बोलना चाहूँगी। आपने कोरोना की बात की थी। हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हम चिकित्सा की बात कर रहे है, डॉक्टरों की बात कर रहे हैं। हम सभी लोग कोरोना काल में अपने-अपने घरों में बन्द पड़े थे। यही डॉक्टर एवं पैरा-मेडिकल स्टॉफ था जो आपकी और हमारी जान बचा रहा था। आप कह रहे हैं कि अस्पताल में जाने से जान चली जाती है, जो अस्पताल गया वह जिन्दा बचकर घर नहीं आया।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, मैंने डाक्टरों के लिए नहीं कहा है।

श्रीमती केतकी सिंह-

मान्यवर, मैं अपने उप मुख्य मंत्री जी का स्वागत करना चाहूंगी कि उन्होंने पैरा-मेडिकल कालेजों की संख्या 17 से बढ़ाकर 19 कर दी है। हमारे मा0 शिवपाल चाचा जी चले गये। उनको हमारी पार्टी में भी कोई कुछ नहीं बोलता है, उनको बोलना, जैसे सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है। परन्तु मैं स्वास्थ्य विभाग के बजट से इतर जाकर बोलना चाहूँगी। अभी सैफई का नाम आया तो थोड़ा दर्द हुआ न भैया, हो गया न थोड़ा दर्द तो वैसे ही उतना ही दर्द अगर शिवपाल चाचा को, जब नेता प्रतिपक्ष हमारे मुख्य मंत्री जी के वस्त्रों पर टिप्पणी कर रहे थे, उनको बैट बॉल और मैच के लिए जब टिप्पणी कर रहे थे, उतना ही दर्द अगर उस समय हुआ होता तो मुझे लगता कि वह अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी यशस्वी सरकार को ढेरों धन्यवाद करती हूँ कि आप बोलने के लिए ही नहीं, वाकई गरीबों की सरकार है। धन्यवाद।

श्री मो0 ताहिर खान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आय और व्यय के अनुदानों पर विचार, मतदान एवं कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदया, हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे दोस्त भी रह चुके हैं, हमारे साथ सांसद भी रह चुके हैं। 8528 एम0बी0बी0एस0 की सीटें करने का काम किया है मगर 25 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बिग प्रदेश है, यह ऊंट के मुंह में जीरा है। इसको बढ़ाने का काम करिए, आपके पास कारून का खजाना है और खजाने का इस्तेमाल करिए, माई डियर। अभी आपके हॉस्पिटल बलरामपुर में, अभी हमारे एक दोस्त शुगर की बात कर रहे थे, इंसुलिन नहीं

है। माननीय उप मुख्य मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे बड़े भाई अस्पतालों में इंसुलिन नहीं है। बड़ी दयनीय स्थिति है, बहुत कष्ट का विषय है। दूसरी बात, इतना बड़ा बजट है, अभी बहन बता रही थीं कि चार सौ करोड़ रुपये हमारे सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 का आधुनिकीकरण करने के लिए दिया है। मैं कहूंगा इस बजट को और अधिक बढ़ाएँ क्योंकि यह बजट भी बहुत कम है। सी0एच0सी0 सेंटरों पर जो दवाएँ है वह बहुत ही थर्ड क्वालिटी की हैं, सी ग्रेड की दवाएँ हैं।

मैं कहूँगा आप खुद निरीक्षण करके देखें कि दवाएँ अच्छी कम्पनियों की होनी चाहिए, वह इंटरनेशनल मानक पर फॉलो होना चाहिए। वह बहुत जीरो ग्रेड हैं, यहाँ तक कि हम लोगों को जो सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 से मिल रही हैं, वह भी थर्ड ग्रेड की है। जब हम लोगों को थर्ड ग्रेड की दवाएँ मिल रही है तो जनता का क्या हाल होगा। मैं चाहूँगा कि आप इसे दिखवाइए। अभी बहन पैरामेडिकल स्टाफ की बात कर रही थीं, न तो डॉक्टर्स हैं, न पैरामेडिकल स्टाफ है, मैं चाहूँगा आप दृढ़ इच्छाशक्ति रखते हैं और आपको काम करने का दर्द है। मैं जानता हूं कि आप अच्छे इंसान है मगर क्यों इन सब चीजों को आप अमली जामा नहीं पहना पा रहे हैं ? इसका मतलब कहीं-न-कहीं कुछ कमी है। आप सोचिए, कहाँ कमी है। अभी हमारे मजबूत स्तंभ श्री लालजी वर्मा, जिन्होंने हमेशा गरीबों, दलितों एवं पिछड़ों की बात रखी है, ने आपको जगाने का काम किया। अगर समाजवादियों की बात को आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए कि जिला भी बेहतर होगा, गाँव भी बेहतर होगा और हमारा प्रदेश भी बेहतर होगा। मेरी आपसे गुजारिश है मेरी विधान सभा क्षेत्र इसौली है, सुल्तानपुर जिले का बहुत पिछड़ा इलाका है, उसको भी ध्यान में रखिए। वहाँ के सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 सेंटरों पर अगर एम0आर0आई0 फैसेल्टी बढ़ा दें, आप मेरे मित्र और सांसद रह चुके हैं, कुछ-न-कुछ तो इसका ख्याल रखिए आप। एम0आर0आई0 व अल्ट्रासाउण्ड मशीनें बढ़ा दें, उसके बाद एक्स-रे मशीनें बढ़ा दें। आपके पास कारून का बहुत बड़ा खजाना है, वह खजाना इतना बड़ा है और उस पर हमारे नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश भैया ने आपके लिए मजबूती से स्वास्थ्य विभाग की रकम बढ़ाने की बात की है और उस पर हम सब लोगों की सहमति है। मेरे प्यारे दोस्त, आप मेरे अजीज हैं, आप सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 सेंटरों पर वर्ल्ड क्लास मानक फॉलो करते हुए मेडिकल इक्विपमेंट अच्छी कैटेगरी के उपलब्ध कराने का कष्ट करें, इसके लिए आप सदन को इशारे से आप कह दीजिए कि हाँ, लगाएंगे, तब भी हम समझ जाएंगे कि हमारे दोस्त कुछ कह रहे है।

दूसरी बात, जिस प्रकार जिलों में आपके ट्रामा सेंटरों में लोहिया में पी0जी0आई0 में, मरीज दर-दर की ठोकरें खा रहा है, जाता है तो उसको भगा दिया जाता है, कम से कम आप इस पर गौर तो करें कि क्यों ऐसा हो रहा है ? जहाँ पर माननीय ब्रजेश पाठक जैसा उप मुख्य मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है कि हमारी जनता को वापस कर दे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस पर पैनी नजर रखें और दूसरी बात

आपसे मेरी गुजारिश है कि जो 2491 करोड़ रुपया नए मेडिकल कालेजों के लिए रखा गया है, उसमें आप जरा देखें कि उसमें जो सरिया लगनी चाहिए, क्या वह लग रही है ? क्या सीमेंट की क्वालिटी और क्वान्टिटी बेहतर है ? एक आध बार दौरा करके उसको भी देख लें कि जो मेडिकल कालेज बनाये जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी बेहतर है या नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री मो0 ताहिर खान-

माननीय अधिष्ठाता जी, हम आपके जरिए माँग करेंगे कि माननीय पाठक जी वहाँ जायें, निरीक्षण करें, उसको देखें और अपने साथ बेहतरीन कमेटी लेकर जायें जो जानकार कमेटी हो, वह देखें कि जो मेडिकल कालेज बन रहे हैं, वह सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे है। अधिष्ठाता जी, मैं अपनी बात को यहीं पर ब्रेक करते हुए, धन्यवाद बोलता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद। अब डा0 सुरभी।

*** डा0 सुरभी-**

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम मा0 स्वास्थ्य मंत्री, मा0 उप मुख्य मंत्री जी द्वारा जो यह बजट रखा गया है, मैं उसका समर्थन करती हूँ और अपनी पार्टी के संस्थापक यशस्वी डा0 सोने लाल पटेल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। जैसा कि हमारी बहन केतकी जी ने बताया, उसी से अपने आप को जोड़ते हुए कहना चाहती हूँ कि हमारे देश ने कोराना जैसी महामारी को देखा और उत्तर प्रदेश और इस पूरे देश में कोराना के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जो किया है, उसका सर्टीफिकेट हमें किसी को देने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, आस्ट्रेलिया जैसे देश ने भी यह माना है कि अगर मुख्य मंत्री हो तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा हो और एक जनपद, एक उत्पाद की हमने बात की। वहाँ पर हमने सभी को रोजगार देने का काम किया और विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। उसी के तहत एक जनपद, एक मेडिकल कालेज से हम अपने उत्तर प्रदेश की केवल स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं सुधारेंगे बल्कि पूर्व में रहे इस बीमारू उत्तर प्रदेश को बीमारी से मुक्त करने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के साथी थोड़ा आँकड़ा पढ़ना नहीं चाहते या उस ओर ध्यान नहीं देना चाहते। अभी हमारे बहुत से साथियों ने बताया कि 45 जनपदों में मेडिकल कालेज खुल चुके है, 14 निर्माणाधीन हैं और 16 पीपीपी माडल की तर्ज पर बनने जा रहे हैं। इसके लिए 2500 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। असाध्य रोग, अनट्रीटेबल डिजीजेज, कम्यूनिकेबल,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नान-कम्यूनिकेबल, जनेटिक एण्ड ऑटो एम्यून, ऐसी बीमारियाँ हैं, जिनके लिए दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी। मैं धन्यवाद दूँगी, माननीय वित्त मंत्री जी का जिन्होंने ऐसी दवाओं के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की है। मुझे लगता है कि इन बीमारियों के लिए यह वरदान साबित होगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी पूर्व में हमारे साथी डाक्टर सदस्य ने इन्सेफ्लाइटिस के ऊपर विस्तार से चर्चा की और अगर हमारे साथी डेटा पढ़ेंगे तो वह जान जायेंगे कि मृत्युदर, मोर्टेलिटी रेट इन्सेफ्लाइटिस में 3 प्रतिशत से भी कम हो गया है, जिसका एक्चुअल मोर्टेलिटी रेट इस पूरे देश का 30 प्रतिशत था और दवाएँ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एण्ड रिसर्च डेवलपमेण्ट जिसको हम आरएनडी भी कहते है, उसके लिए 20 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। जब महिलाओं की बात आती है तो मुझे लगता है कि केवल सदन ही नहीं, विपक्ष के साथी भी मेरी इस बात से अपने आप को सम्बद्ध कर लेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कालेजेज की भी स्थापना हो रही है। जैसा कि अभी माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने उल्लेख किया कि भारत सरकार ने 147 नर्सिंग कालेज खोलने की बात कही है। जब एक बच्ची नर्सिंग करके निकलेगी तो अपने आप हमारा उत्तर प्रदेश और देश महिला सशक्तीकरण की ओर अग्रसर होगा। हमारे साथी आंकड़े अगर फिर से पढ़ेंगे तो एम0बी0बी0एस0, पी0जी0, डी0एम0 और एम0सी0एच0 सभी सीटों की वृद्धि हुई है और इससे केवल यह साबित होता है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार क्वांटिटी एजुकेशन से क्वालिटी एजुकेशन की ओर जा रही है। हमने देखा था कोरोना में टेलीमेडिसिन का रोल, टेलीमेडिसिन की जब हम बात करें तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से हमने सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों से संपर्क कराने का काम किया। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि जब हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने हेल्थ ए0टी0एम0 का प्रावधान किया और हेल्थ ए0टी0एम0 केवल एक मशीन नहीं हमारी बहुत सी बीमारियों की अली स्क्रीनिंग में भी काम आती है। डॉयबिटीज की बात हुई हमारे मा0 राज्य मंत्री जी ने अभी डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात की उसके अन्दर तीस ऐसे पैरामीटर्स है जिससे हम जान सकते हैं कि मुझे आगे भविष्य में डायबिटीज तो नहीं हो सकती।

मा0 अधिष्ठाता महोदय आप स्वयं में एक डॉक्टर हैं और गायनोक्लॉजिस्ट हैं तो मुझे लगता है कि यह सब आप भी जानती होंगी कि वर्ष 2017 से पहले अगर हम किसी लेबर रूम में जाकर देखते थे तो वहाँ पर एक मरीज का प्लेसेन्टा वहाँ के कुत्ते लेकर घूम रहे होते थे। इतनी दयनीय स्थिति थी हमारे लेबर रूम की और आज हमारी गर्भवती महिलाओं को एक टाइल्स लगा हुआ। एक उच्च स्तरीय सुविधा प्राप्त हो रही है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आखिर में केवल एक सुझाव देकर वाणी को विराम करूँगी। हमारी महिलाओं के लिए मा0 उप मुख्य मंत्री जी और सरकार द्वारा अगर सभी

बालिका इण्टर कालेज और अस्पताल में एक सैनेट्रीवेंडिंग मशीन लग जाए तो मुझे पता है कि यह सर्वाइकल कैंसर के केसेस में कमी लाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय आपने हमें बोलने का मौका दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं मा0 लालजी वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय हम लोग चंदौली जनपद से आते हैं। वह बहुत ही पिछड़ा जिला है जो अब बिहार का बॉर्डर है, वहां की स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत बदहाल हैं। हमारे यहाँ एक जिला अस्पताल है, पंडित कमलापति जिला अस्पताल जो सौ बेड का अस्पताल है, जहाँ भारी मात्रा में ओ0पी0डी0 होती है, लेकिन वह नेत्र चिकित्सक एक भी नहीं है और अल्ट्रासाउण्ड पूरे जनपद में केवल पंडित कमलापति अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड होने का काम होता है जबकि वहाँ कई अस्पताल हैं। वही नक्सल जिला है, जहाँ नौगढ़ तक के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है। गरीब महिलाएँ जाकर इलाज कराने का काम करती हैं और देहात में जो डाक्टर हैं, वह अस्पतालों में आते नहीं यदि आते भी हैं तो दवाएँ बाहर से लिखते हैं। यहाँ तक की इमरजेंसी में देहात में जितने भी अस्पताल हैं, आप चले जाएँ तो वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं मिलता है।

अभी पुरानी सरकारों के द्वारा बहुत से काम जैसे चहनिया में तीस बेड का अस्पताल बन रहा था, आज अधूरा पड़ा है और बबुरी में सौ का बेड का अस्पताल बन रहा था, आज कई सालों से उस पर काम नहीं हो पा रहा है। पूरी तरह से एम्बुलेंस खराब है। भोगवार में सौ बेड का अस्पताल बना था, आज जिस तरह से वहाँ के सी0एम0ओ0 जो रोइया है, वहाँ के अस्पताल में डॉक्टरों की भरमार है, लेकिन वहां पर ओ0पी0डी0 तक होने का काम नहीं होता और पूरी तरह से अस्पताल बन्द पड़ा है। महिला अस्पताल मुगलसराय जिले में है वहाँ भी अल्ट्रासाउण्ड करने की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरह से सकल्लिया में सी0एच0सी0 बनी थी वर्ष 1993-94 में आज पॉपुलेशन बड़ी है। हम आपसे मांग करते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि उसकी क्षमता बढ़ाई जाए और तीस की जगह सौ बेड किया जाए। जिला अस्पताल में सफाई की इतनी खराब व्यवस्था है। जहाँ हम लोग एक दिन खुद गए थे और जहाँ सी0एम0ओ0 भी थे, हमने सी0एम0एस0 को बुलाया, जहाँ मरीज भर्ती थे। और उन वार्डो में इतनी ज्यादा गन्दगी दिखाई दे रही थी कि वहाँ सफाई के नाम पर पूरी तरह से खानापूर्ति होने का काम हो रहा था। हेल्थ और वेलनेस सेण्टर जो दो वर्षों से बने है, आज उनकी इतनी हालत खराब है कि कहीं उनकी दीवारें फट रही हैं, कहीं फर्श चिटक रही है, कहीं दीवारों का प्लास्टर बहुत घटिया क्वालिटी का है तो मैं इसको ठीक कराने की मांग करता हूँ। चहनिया में जो तीस बेड का अस्पताल है, उसकी क्षमता बढ़ाई जाए। उसे कम से कम 50 बेड का किया जाए। जिला अस्पताल मुगलसराय में जो अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा नहीं है, उसको देने का काम किया जाए। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर जहाँ हमारी ए0एन0एम0 रहती हैं, वहाँ न तो खास दवाईयाँ और इन्जेक्शन रखने के लिए कोई फ्रिज है, न तो एक भी सफाई कर्मी हैं जो वहाँ की साफ-सफाई करने का काम कर सके।

आयुष्मान भारत योजना के तहत जो नाम बी0पी0एल0 सूची में आते हैं, उन गरीबों का तो कार्ड बन जाता है लेकिन बहुत से गरीब ऐसे भी हैं जो बी0पी0एल0 सूची से बाहर हैं लेकिन वे भीषण बीमारी में हैं, जैसे कैंसर है, किडनी का रोग है। तमाम ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके लिए उनका कार्ड बनने का काम नहीं हो पाता है। जिले में हम लोग एक बार सी0एम0ओ0 से मिले, उनसे अस्पतालों के बारे में चर्चा की। उनसे डॉक्टरों के बारे में चर्चा की जो दवाईयाँ नहीं मिल रही है, उस पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक नोडल अधिकारी है जो हर अस्पताल पर जाने का काम करते हैं। जरूर वे इसकी जाँच करेंगे। मा0 मंत्री जी से भी मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं जो अपना खुद का अस्पताल चलाते हैं तो आप ही बताएँ कि अब आप ऐसे अधिकारियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं ? वे क्या डॉक्टरों की चेकिंग करेंगे, क्या अस्पतालों की व्यवस्थाएँ ठीक करने का काम करेंगे ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार में वर्ष 2012-17 की सरकार में तत्कालीन मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी ने मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा की थी। आज छः साल हो गए लेकिन चन्दौली में आज तक भी मेडिकल कॉलेज के बनकर तैयार होने का काम नहीं हुआ है। अभी साथी और सत्ता पक्ष के लोग बड़ी चर्चा कर रहे थे कोरोना जैसी बीमारी की। हम तो चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, भगवान न करे कि कभी ऐसी बीमारी के दोबारा आने का काम हो। एक ऐसी बीमारी आई थी, ऐसा वक्त दिखाई दे रहा था कि मरीजों के साथ कोई भी दिखाई का काम नहीं कर रहा था। जब मरीज आते थे तो न उन्हें अस्पताल मिलते थे, न डॉक्टर मिलते थे, न दवाई मिलती थी। यहाँ तक की उनकी मौतें भी हो गई और उनकी मौत होने के बाद न तो उनको लकड़ी मिली, न तो उनको कफन मिला। उस समय लोग गंगा नदी में लाश बहाने का काम कर रहे थे। मरीजों की ऐसी दुर्गति होने का काम इससे पहले कभी नहीं हुआ था।

मा0 अधिष्ठाता महोदया, इसलिए इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मांग करता हूँ कि चन्दौली जैसा जनपद जो बहुत ही पिछड़ा है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत खराब हैं, नक्सल वर्ग का जिला है तो आप इस पर जरूर ध्यान देने का काम करें। जहाँ अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, जहाँ डॉक्टर मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं और वे लोगों को बाहर से दवाईयाँ लिखने का काम कर रहे हैं। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप जनपद चन्दौली की तरफ ध्यान देने का काम करेंगे। मा0 वर्मा जी ने जो यह बजट की कटौती रखी है, हम उस पर बल देने का काम करते है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है, यह मेरा सौभाग्य है और मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत आभारी हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 योगी जी के मार्ग दर्शन में यह जो उत्तर प्रदेश का पूरा बजट प्रस्तुत हुआ है और जिसे मा0 वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था। यह बजट बिल्कुल ऐसे प्रस्तुत किया गया था जैसे कोई परिवार का मुखिया पूरे परिवार के सुख-समृद्धि और उसके स्वास्थ्य की चिन्ता करके चल रहा हो और

उसी प्रकार से हमारे उप मुख्य मंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। मान्यवर, इसमें परिवार का वही भाव है कि इस उत्तर प्रदेश की पूरी 25 करोड़ की आबादी हमारा परिवार है, सब हमारे अपने भाई-बहन हैं। कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए आवश्यक है कि हमारा मन स्वस्थ हो लेकिन उससे पहले हमारा तन स्वस्थ हो। हमारे मा0 योगी जी की सरकार का यही भाव है और यही संकल्प भी है। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय का भी यही भाव है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को एक परिवार के रूप में मानें और कैसे यहाँ के लोग निरोग रहें, कैसे उनका उपचार हो, कैसे उनकी उपयुक्त चिकित्सा हो, इस बात की इस बजट में चिन्ता की गई है।

मान्यवर, वर्ष 2017 से पहले जो स्थिति उत्तर प्रदेश में रही है, किसी से छिपी नहीं थी। अस्पतालों में अव्यवस्था थी, डॉक्टर्स आते नहीं थे, दवाई मिलती नहीं थी, चिकित्सीय उपकरण मिलते नहीं थे, अगर उपकरण थे भी तो वे खराब थे, उनकी रिपेयरिंग नहीं होती थी।

(इस समय 05 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अस्पतालों की सफाई नहीं होती थी लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से योगी जी की सरकार में इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया। जो डाक्टरों के तबादले हुआ करते थे, मनमाने और मनचाहे ढंग से, उनको रोका गया। जो स्टाफ को मनमाने ढंग से चार्ज दे दिया जाता है, उसको रोका गया। निगरानी की गयी और जो दवाइयों में घपले और घोटाले होते थे जो उपकरणों की खरीद में घपले और घोटाले होते थे, उसको रोकने के लिए हमने एक मेडिकल कारपोरेशन का गठन किया। मान्यवर, हमने जेम पोर्टल के माध्यम से टेण्डर किये। उसी का यह परिणाम है कि आज बहुत उच्च क्वालिटी के उपकरण उत्तर प्रदेश में आए हैं। उच्च कोटि की दवाइयाँ उत्तर प्रदेश में मिल रही हैं। एक्स-रे भी हो रहे हैं, सी0टी0 स्कैन भी हो रहे हैं, एम0आर0आई0 भी हो रहे हैं।

यहाँ तक कि मान्यवर, हमने पूरे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में फ्री डायलिसिस की भी व्यवस्था कर दी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से कोविड को चुनौती दी है, वह किसी से छिपा नहीं है। पूरा देश इस बात की सराहना करता है जो मा0 योगी जी के नेतृत्व में कोविड के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने काम किया। अभी हमारे विपक्षी मित्र उस कोविड काल की, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश की सराहना होती है, उसकी भी आलोचना कर रहे थे। मान्यवर, दिक्कत यह है कि आज ''योगी जी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में उजाला है लेकिन रोशनी इन्हें दिखाई कैसे दे, जब इनके चश्में का रंग ही काला है''। मान्यवर, कोविड काल में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, वह किसी से छुपा नहीं है। पूरे देश में अगर कहीं मोर्टेलिटी रेट सबसे कम थी तो वह हमारे उत्तर प्रदेश में थी, क्योंकि सबसे पहले एंटीजेन टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुआ, सबसे पहले आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुआ, सबसे पहले वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हुआ। वेन्टीलेटर हमारे यहाँ मा0 योगी जी ने उपलब्ध कराये, ऑक्सीजन प्लान्टस लगाये गये। हम स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मियों को, जितने भी उत्तर प्रदेश के डाक्टर्स

हैं, जितना भी नर्सिंग स्टॉफ है, जितने भी अन्य कर्मचारी हैं, वार्ड बॉयज हैं, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालते हुए पूरे मनोयोग से यहाँ पर जनता की सेवा की है। स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवा की है।

मान्यवर, कोविड के बाद भी हम रुके नहीं। हम अपने स्वास्थ्य विभाग के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के उन सारे मरीजों की चिन्ता करते रहे, उनकी चिकित्सा करते रहे, उनका उपचार करते रहे। यही प्रयास करता रहा हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय। मा0 स्वास्थ्य मंत्री को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जबसे वह स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो जिस प्रकार से उन्होंने जिलों का दौरा किया है और अस्पतालों का निरीक्षण किया है। उसी का यह प्रतिफल है कि आज हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी हुई हैं। आज वहाँ अच्छा उपचार हो रहा है, अच्छी चिकित्सा हो रही है। मान्यवर, गाँव के लिए भी बजट में बहुत प्राविधान हुए हैं। एक उदाहरण टी0बी0 के सम्बन्ध में देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल, 2018 से एक योजना लागू हुई है जिसमें हम न केवल निःशुल्क टी0बी0 की जाँच करते हैं बल्कि 500 रुपये पोषण भत्ता भी डी0बी0टी0 के माध्यम से मरीज के एकाउण्ट में जाता है। 400 करोड़ रुपया अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार डी0बी0टी0 के माध्यम से दे चुकी है। इंटरनेशनल यूनियन अगेस्ट टी0बी0 एण्ड लंग डिसीजेज जो डब्ल्यू0एच0ओ0 से भी पुरानी एक संस्था है उन्होंने पाँच सेन्टर पूरे उत्तर भारत में बनाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, उत्तर भाषण दे। मा0 सदस्य आप लिखित में देंगे दें।

*** श्री ब्रजेश पाठक-**

मा0 अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा करने में हमारे जिन मा0 सदस्यों ने भाग लिया है, ऐसे हमारे वरिष्ठ सदस्य मा0 लालजी वर्मा जी, डॉ0 विमलेश जी, श्री रविदास मेहरोत्रा जी, आदरणीय रानी पक्षालिका जी, आदरणीय पल्लवी पटेल जी, मा0 मंत्री सोमेन्द्र तोमर जी, मा0 बृजेश यादव जी, मा0 केतकी सिंह जी, मा0 ताहिर खॉ, डा0 सुरभि जी, श्री प्रभु नारायण यादव जी, श्री मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी तथा अन्य मा0 सदस्यों ने प्रतिभाग किया। मा0 अतुल प्रधान जी बोलना चाहते थे लेकिन इनकी बातों को हम इसमें समाहित करेंगे। चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर बजट में वर्ष 2016-17 के मुकाबले 21789.58 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग में 5913.08 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है। फिर भी माननीय सदस्यगण ने जो सुझाव दिये हैं, उसका बिन्दुवार जवाब अभी हम जो दे सकते हैं, वह आपको दे रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय लालजी वर्मा ने पूछा था कि बजट कैसे बाकी रह गया ? इसलिए रह गया कि जो पद अभी हम चिकित्सकों के भर्ती करने वाले हैं, विज्ञापित किये हैं बजट में उनके लिए हमने प्राविधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए ऐसा हुआ है। 2382 स्पेशल चिकित्सकों की शीघ्र ही भर्ती की जा रही है। इस वर्ष चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग का खर्चा पिछले वर्ष के मुकाबले में 6,000 करोड़ रुपये अधिक है। अगले वर्ष इसमें और वृद्धि होगी जो 14,000 करोड़ से ले करके 20,000 करोड़ तक होगी। एन0एच0एम0 के विज्ञापन के अन्तर्गत 13 दिन में 514 विशेषज्ञ चिकित्सकों के आवेदन आ चुके हैं, जिसमें सर्जन हैं, एनेसथिसिया के हैं, गायनोकलॉजिस्ट हैं, रेडियोलाजिस्ट हैं। हम लोगों ने 29,000 से अधिक बेड कैपिसिटी के हास्पिटल का नया निर्माण किया है, जो पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 और डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल के स्तर पर है।

इसके अलावा आदरणीय रविदास जी ने जैसा कहा तो हम 880 नयी एम्बुलेंस खरीदने जा रहे हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि जो कम्पनी एम्बुलेंस की 108 सेवा चला रही है, उसका चयन समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुआ था। वह ठीक से काम करे, इसके लिए हम लोग निगरानी तंत्र को लगातार डेवलप कर रहे हैं और हम स्वयं समय-समय पर निगरानी करते रहते हैं। मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन द्वारा सम्बन्धित लिस्ट के तहत जो दवाइयां खरीदी जाती हैं और जो मेडिकल सप्लायर्स हैं, वो बाजार दर से कम दर पर हमें सप्लाई करते हैं। हम उनके साथ टेण्डर के माध्यम से अनुबंध करते हैं और पिछले 04 माह में 14,000 से अधिक सी0एच0ओ0 की नियुक्ति की गयी है। हमारी प्रतिबद्धता है कि ग्रामीण स्तर तक हम अपनी उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाएँ इसलिए कम्युनिटी हेल्थ आफिसर्स के रूप में हमनें 14,000 से अधिक लोगों की 04 माह में नियुक्तियां की हैं। इसके अलावा 100 से अधिक डायलिसिस के बेड भी हमने पूरे प्रदेश में बढ़ाये हैं। पहले डायलिसिस मुख्य जगहों पर होती थी, मण्डल हेड क्वार्टर पर होती थी, लखनऊ में होती थी, सहारनपुर में होती थी, कानपुर में होती थी, बड़े-बड़े जगहों पर होती थी। अब पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में डायलिसिस की सुविधा हम प्रदान करने जा रहे हैं और बेड की संख्या भी लगातार बढ़ा रहे हैं, इस प्रकार के लगभग 100 बेड हो गये है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अधिक सुधार हुआ है और सब जानते हैं कि पिछली सरकार में यह स्थिति अत्यंत खराब थी।

माननीय अध्यक्ष जी, बजट के बारे में चर्चा हुई और माननीय लालजी वर्मा ने सुझाव रखा कि केवल एक रुपया बजट दिया जाय। यह बात अगर कल अखबार में छप जाये, मैं तो अखबार वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि परंपरा निभाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को एक रुपया बजट करने का प्रस्ताव समाजवादी पार्टी ने किया है। मैं प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों की मंशा गरीब जनता सुने और समझे, परंपरा निभाने के नाम पर आप स्वास्थ्य सेवाओं को अलग रखिये, स्वास्थ्य सेवाएँ अति आवश्यक सेवाएँ हैं। परंपरा निभाने

के नाम पर कोई ऐसा काम न करें जैसे शादी में कई महिलाएँ काम कर देती हैं। परम्परा निभाने के नाम पर मुझे एक घटना याद आ गयी, मेरे घर में अभी कुछ दिन पहले शादी थी जिसमें पितृ देवता की पूजा के नाम पर बेटे को ले करके महिलाएं जाती हैं, नीचे जूता रख करके ऊपर से कपड़ा रख देती है और कहती है कि पितृ देवता के पैर छू लीजिये और सब महिलाएँ हंसने का काम करती हैं। महाराज ऐसी परंपरा न निभाइये, प्रदेश की जनता ने देखा है एक रुपया बजट का डिमाण्ड आपने किया है।

श्री अध्यक्ष-

अरे वो भी ज्यादा है इनके लिए।

श्री ब्रजेश पाठक-

आप हमारे पुराने दोस्त भी हैं और हमें आपकी चिन्ता है। अगर एक रुपया भी हो गया तो आपकी चिंता टाण्डा वाली हम कैसे करेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि कई मेडिकल कालेज में प्राचार्य के पद खाली हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्राचार्य का पद प्रशासनिक पद होता है और कई जगह इसकी अव्यवस्थाएं तत्काल खड़ी होती हैं। उस व्यवस्था को बनाने के लिए उनको हम हटाते हैं और तत्काल व्यवस्था भरने के लिए किसी को हम चार्ज देते हैं। टाण्डा वाले को तो आप ही के कहने पर हटाया। आपने शिकायत की थी। सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करने के लिए आपका जो भी सुझाव होगा, उसको हम मानेंगे। सुल्तानपुर वाले हमारे मित्र ताहिर भाई बैठे हुए हैं, उनकी एक घटना याद आ गयी अध्यक्ष जी, बता दें, सब लोग आनन्द लीजिये, एक बार ताहिर भाई दुम्बा लेकर चले दिल्ली से।

श्री अध्यक्ष-

क्या लेकर चले, दुम्बा क्या होता है ?

श्री ब्रजेश पाठक-

दुम्बा एक विदेशी बकरी होती है। अध्यक्ष जी, विदेशी गाड़ी पजेरो थी जो लड़ गयी सीतापुर में।

श्री अध्यक्ष-

बकरीद वाले दिन।

श्री ब्रजेश पाठक-

ढाई लाख का दुम्बा था। हमको फोन किए, गुरूदेव भईया जल्दी कुछ करो दुम्बा का एक्सीडेंट हो गया है। हमने तत्काल अपनी मित्र मण्डली को सीतापुर भेजा तो पता चला कि बकरीद का मौसम था, दुम्बा की एक्सीडेंट में पूंछ कट गयी। अब ये धर-धर के रोवें कि अब हमारा क्या होगा ? हमनें कहा की कोई बात नहीं दुम्बा कोई पाल लेगा। अब आप दुमकटे दुम्बा से काम चलाओ। ताहिर भाई मेरे मित्र हैं, इनको देख करके हमें दुम्बा की याद आ गयी।

वो रेसक्यू आपरेशन सीतापुर तक के लिए चलाया गया था। पूछिये ताहिर भाई से, लखनऊ से स्पेशल गाड़ी गयी थी।

अध्यक्ष जी, हमारे सभी मित्र लोग हैं, जिन लोगों ने सुझाव दिया है। उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था लाने के लिए अतुल जी ने कहना चाहा था। अतुल जी, आप लिख करके दे दीजिए, उसको भी समाहित करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता है, देखिये सब लोग जानते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, वह निष्पक्षता के आधार पर और पारदर्शिता के आधार पर कर रहे हैं। पिछली सरकारों में स्वास्थ्य महकमें को लूट का अड्डा बनाने का काम किया गया था। लोग कट मनी लेते थे। हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारी सारी सेवाओं में हम किसी भी ठेकेदार और सप्लायर को नहीं जानते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम निचले स्तर पर जा करके काम करें। आप देखते होंगे कि तरह-तरह के लोग कहते हैं कि छापा डालते हैं, कुछ करते हैं। भाई देखो, हम जितने लोग बैठे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि निचले स्तर पर गाँव में लोगों को दवाई और डाक्टर बैठे मिले। फाइलों पर क्या हो रहा है, हमारे ऑफिसर्स जानते हैं। हम आपकी राय को और अपनी राय को मिलाते हुए फाइल पर लिख देते है। लेकिन धरातल पर लोगों को दवाई मिल रही कि नहीं मिल रही, डाक्टर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, मशीनें चल रही हैं कि नहीं चल रहीं है, यह हमारी जिम्मदारी है, इसे हम देखते हैं, हम अपने क्षेत्र को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा ?

अध्यक्ष जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सामान्यतः पहले क्या होता था कि जो गर्भवती महिलायें थीं, वह अल्ट्रासाउण्ड के लिए गली-गली भटकती थीं, सरकारी अल्ट्रासाउण्ड के लिए भीड़ लगी रहती थी, उनको कई दिनों बाद समय मिलता था। हमने तय किया है और हम स्टेट बैंक के लेकर आये। हमने उनको उनके मोबाइल ऐप पर ई-बाउचर दिया और हमने सेंटर तय कर दिये हैं, वह प्राइवेट में भी जाकर निःशुल्क करा रही है और यह सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है, यह हमने तय किया है। अध्यक्ष जी, इसके अलावा हमारे पास ढेर सारे उपकरण हैं। शिकायतें आती थी कि कहीं एक्स-रे मशीन खराब हैं, अल्ट्रासाउण्ड मशीन खराब है, कहीं ई0सी0जी0 मशीन खराब है, कहीं एम0आर0आई0 खराब है, कहीं सी0टी0 स्कैन मशीन खराब है, कहीं डेंटल चेयर खराब है। पहले सरकार के पास उपकरणों की फिंगर टिप पर कोई सूची नहीं थी। हम नहीं जान पाते थे कि सुल्तानपुर में एम0आर0आई0 चल रही है कि नहीं चल रही है, डेंटल चेयर खराब है कि नहीं। हमने एक ऐप बनाया है, सभी चिकित्सक उस ऐप पर लोड करने का काम करेंगे, जितने भी उपकरण हमारे प्रदेश में हैं। यदि कोई उपकरण फिर आता है तो सम्बन्धित चिकित्सक उसको भी उसमें लोड करने का काम करेगा। जिसकी जिम्मेदारी होगी,वह तत्काल ठीक करायेगा और यदि नहीं ठीक होता तो इसमें भी हमने दण्ड का प्राविधान रखा है। इस प्रकार से हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है।

अध्यक्ष जी, इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग में हमने 2229.70 करोड़ रुपये का केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए व्यवस्था किया है, स्वशासीय मेडिकल कॉलेज तथा सभी संस्थानों में बजट अलग से वेतन मद में होता है, कुल 78.74 करोड़ रुपये है। हृदय रोग संस्थान, कानपुर की चिन्ता हमारे सदस्य ने व्यक्त की है तो मैं आपको बता दूँ कि 63.24 करोड़ प्लस 4.50 करोड़ रुपये बजट है। 2023-24 में हमने 62.13 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है। यदि डिमाण्ड के आधार पर और आवश्यकता होगी, हम वह भी देने का काम करेंगे। उसको प्रदेश का बेस्ट से बेस्ट हृदय रोग संस्थान बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा हर स्थिति में हमने एम0बी0बी0एस0 की सीटें, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें और नर्सिंग कॉलेज में सीटें दुगनी करने का काम किया है। हम प्रतिबद्धता के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर से बेहतर करने का काम कर रहे हैं। माननीय विपक्षी सदस्यों ने, हमारे मित्रों ने जो सुझाव दिया है, उन पर हम अवश्य गौर करेंगे। राकेश भाई, आप लिखकर दे दीजिएगा, हम जो कर सकते हैं, वह करेंगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपके राज्यमंत्री के क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की जो बात है, 04 साल हो गए हैं, लेकिन वहाँ एक ईंटा नहीं लगा है।

श्री अध्यक्ष-

एक ईटे से थोड़े न बन जायेगा, पूरी बिल्डिंग खड़ी करेंगे। (हँसी)

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, वह भी बन रहा है, आप जानते है कि वह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। राकेश जी, आप जानते हैं कि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को कहने का हक है। माननीय अध्यक्ष जी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। राकेश जी की जो चिन्ता है, वह मेरी भी चिन्ता है, मयंकेश्वर भाई की चिन्ता है। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। जैसे ही वहाँ से निर्णय होगा, उसे तत्काल शुरू करायेंगे, यह हमारी प्राथमिकता है और लगातार हमें एक-एक वस्तु की, एक-एक इंच की चिन्ता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायें। पूरा सदन हमारा मित्र है, मित्रों से सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सच्चाई बोलो। जिस तरह की आप बात करते हो कि अव्यवस्था है, गन्दगी है, अगर आप सही बोलेंगे तो ऊपर वाला भी सुन रहा है, न्याय कर रहा है।

मान्यवर, यह स्वास्थ्य महकमा कोई ऐसा महकमा नहीं है कि सब लोग सुन लें कि पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क टूटी है। यह सीधे जनता से जुड़ा महकमा है। इस प्रदेश में प्रतिदिन डेढ़ से 2 लाख मरीजों का इलाज कर रहे हैं और हम लगातार चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के सदस्य जो बाते कहते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं। चेहरों को मैं पढ़ता हूँ। यह हमारे मित्र हैं। इनके मन में कुछ और है। केवल विपक्षी दलों की एक

प्रतिबद्धता के कारण इस प्रकार की बयानबाजी वो लोग करते हैं। एक हमारे मित्र जो पीछे बोल रहे थे प्रभु नरायण जी हम आपका चेहरा तो तत्काल जान गये जैसे टेलीविजन के ऊपर आया। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

नहीं मान्यवर, हमने जो सुझाव दिया इन्होंने कहा हमने वेंटिलेटर लगाया। हमने एम0आर0आई0 मशीन लगाया। अगर स्टॉफ नहीं होगा तो वेंटिलेटर चलेंगे कैसे। उसके लिए एनेस्थीसिया के लोग होने चाहिए। दूसरा जो आपने एम0आर0आई0 लगाया उसके लिए रेडियोलाजिस्ट होने चाहिए। आप यही तो समीक्षा कर लें कि आपके कितने रेडियोलाजिस्ट कॉलेजों में हैं, कितने अस्पतालों में हैं। अगर वह होंगे नहीं तो चलेगा कैसे। मेडिकल कॉलेज आप बना लें 40 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली हैं। आप नहीं भरेंगे उनको सुविधा नहीं देंगे। उनकी सुविधा बढ़ाने पर आपने विचार नहीं किया। आप ई0एम0एस0 में ढाई लाख और 5 लाख करने जा रहे हैं। यहाँ 90 हजार देंगे तो उससे सुधार नहीं होगा। जो डी0जी0एम0ई0 का सबसे महत्वपूर्ण पद है वही आप 6 साल में नियमित चयन नहीं कर पाये। जो हमारी सेवा नियमावली में है कि किसी कॉलेज का प्रिंसिपल उसको हम चयनित करेंगे। आज 6 साल पूरे हो गये, आप डी0जी0एम0ई0 नियमित चयन नहीं कर पाये। आई0ए0एस0 बैठ गया निश्चित रूप से अगर वह कोई बात आपकी सुनेगा ही नहीं तो आप चाहते हुये भी कैसे कर पायेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी ने 400 करोड़ रुपया कम कर दिया। आप चाहते हुये कैसे पूरा कर पायेंगे। जब तक इसके समावेशी विकास की धारणा नहीं होगी, तब तक नहीं हो सकता। मैंने कोई आलोचना नहीं किया। हमने कहा हमारी जो संस्थायें हैं, जो हमारे डाक्टर हैं, उनसे बेहतर डाक्टर कहीं नहीं हैं। फिर भी हम उसको और अधिक क्योंकि के0जी0एम0यू0 पर इतना अधिक भार है, लोहिया इंस्टीट्यूट पर इतना अधिक भार है। जीरो से मरीज सीधे रेफर कर दिये जाते हैं। जितने मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ से सीधे रेफर कर दिये जाते हैं। जब रेफर होंगे एस0जी0पी0जी0आई0 में, के0जी0एम0यू0 में, लोहिया इंस्टीट्यूट में तो यहाँ पर अकेले हम कितना देख पायेंगे। हमे वह सुविधा उन मेडिकल कॉलेजों में भी करना है और इसके लिए कम-से-कम जैसे नियमित हमारे डी0जी0एम0ई0 नहीं है। तो कम-से-कम पूर्णकालिक मंत्री भी तो हो जायें कि महीने में विभाग को 7 दिन भी दे दें। आप अगर विभाग को 7 दिन भी नहीं देंगे तो कैसे सुधरेगा।

इसलिए यह मेरा निवेदन है और जहाँ तक एक रुपया करने का सवाल है। माननीय खन्ना जी ने बीसों बार प्रस्ताव किया है, माननीय श्री सतीश महाना जी ने भी बीसों बार प्रस्ताव किया है कि यह सम्पूर्ण राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये। मैंने दो महारथी तो यहाँ

हैं जिनका मैंने उदाहरण दिया। तो दोनों महारथियों के प्रस्ताव के बाद भी अगर उसकी बात करना तो निश्चित रूप से, मैंने तो बढ़ाने के लिए कहा। मैंने कहा 10 हजार करोड़ आज कुछ भी नहीं है, उसको बढ़ा कर 20 हजार करोड़ रुपया दो। अगर आप घोषणा करिये कि हम 20 हजार करोड़ कर रहे हैं तो हम अपनी कटौती वापस कर लेंगे। मान्यवर ऐसा मेरा निवेदन है। मैं पुनः अपनी कटौती के प्रस्तावों पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के 9145,49,45,000 रुपये (नौ हजार एक सौ पैतालीस करोड़ उन्चास लाख पैतालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 18605,67,90,000 रुपये (अट्ठारह हजार छः सौ पांच करोड़ सड़सठ लाख नब्बे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग ऐलोपेथिक चिकित्सा के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10956,19,73,000 रुपये (दस हजार नौ सौ छप्पन करोड़ उन्नीस लाख तिहत्तर हजार रूपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05:40] याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

अब हम याचिकाएं लेंगे।

ईजी0 बृजेश कठेरिया (उपस्थित), श्री सचिन यादव (उपस्थित), डा0 अमित सिंह चौहान (अनुपस्थित), डा0 डी0सी0 वर्मा (अनुपस्थित), डा0 मन्जू शिवाच (उपस्थित), डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा (उपस्थित), डा0 रागिनी (उपस्थित), डा0 वीरेन्द्र यादव (उपस्थित), डा0 शिव प्रताप यादव (उपस्थित), डा0 एम0पी0 आर्या (अनुपस्थित), श्री मो0 हसन ''रूमी'' (उपस्थित), श्री मौहम्मद फहीम इरफान (उपस्थित), श्री अजय सिंह (उपस्थित), श्री अनिल कुमार त्रिपाठी (अनुपस्थित) श्री अनिल कुमार (उपस्थित), श्री अनिल प्रधान (उपस्थित), श्री अनिल सिंह (अनुपस्थित), श्री अमरेश कुमार (अनुपस्थित), श्री अमिताभ बाजपेई (उपस्थित), श्री अरमान खान (अनुपस्थित), श्री अशोक कुमार (उपस्थित), श्री आकाश सक्सेना (अनुपस्थित), श्री आशीष कुमार सिंह आशू (उपस्थित), श्री कविन्द्र चौधरी (उपस्थित), श्री गुलाम मोहम्मद (अनुपस्थित), श्री गौरव कुमार रावत (उपस्थित), श्री गौरीशंकर वर्मा (उपस्थित), श्री चन्दन चौहान (उपस्थित), श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट) (उपस्थित), श्री चन्द्रपाल सिंह (अनुपस्थित), श्री चेतराम (अनुपस्थित)....

अगले सत्र में एक दिन में एक याचिका ली जायेगी और ऐसा इसलिये क्योंकि जो याचिका हो, उसका काम भी हो। अगर याचिका उपस्थित होने के बाद फाइल में ही चली जानी है तो उसका कोई फायदा नहीं है।

.....श्री बाबूलाल (उपस्थित), श्री छोटेलाल वर्मा (अनुपस्थित)।

ई0 बृजेश कठेरिया, सदस्य विधान सभा की जनपद-मैनपुरी से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ †

ई0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयी :-

1-जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र-109, किशनी के विकास खण्ड किशनी में कुसमरा-सौरिख मार्ग से नगला अहिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालता प्रसाद प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र-109, किशनी के ब्लाक जागीर में नगला किन्नर से पडोरा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका,

3-जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र-109, किशनी के अन्तर्गत ग्राम रानीपुर (हरेर) से राजपुर कला तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेधनाथ प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका तथा

4-जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र-109, किशनी के ब्लाक किशनी में कुसमरा-सौरिख मार्ग पर गुलरिया और रविदासपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद-फिरोजाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम नगला मिलिक प्रथम में चन्द्रपाल जी के घर से प्रताप जी के मकान तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण (ल0 लगभग 120 मी0) करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बबलू कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम उस्मानपुर में प्रेमी बाबा आश्रम से वीरपाल सिंह के मकान तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण (ल0 लगभग 140 मी0) करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल यादव छोटू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम गदनपुर से काटरी मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य (ल0 लगभग 1.5 किमी0) करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कन्हैया प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के सूराया खारजा नहर पुल से बम्बे की पटरी ग्राम छीतली न0 देउआ होर ग्राम थरौआ तक सड़क निर्माण कार्य (ल0 लगभग 03 किमी0) करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

5-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड हाथवंत के ग्राम नरायच मार्ग से धमोकर तक सड़क निर्माण कार्य (ल0 लगभग 02 किमी0) करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड मसौधा में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित रायबरेली से अमौना सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोनू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

2-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड मसौधा के अन्तर्गत कैल से विनायकपुर सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्यभान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

3-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड मसौधा में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित फैजाबाद-लखनऊ राजमार्ग पर जुबेरगंज बाजार से मंगलसी ग्राम तक सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपूर्ति गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

4-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड मसौधा में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित ड्योढ़ी पिरखौली मार्ग से रोहली बनपुकरा मार्ग तक सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्यभान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका तथा

5-जनपद अयोध्या की नगर पंचायत भदरसा के अन्तर्गत भदरसा टाउन एरिया से नैपुरा सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेष प्रताप वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका।

डा0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत) †

डा0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम दौली जवाहरलाल से अमौर के बीच गोरा नाला पर पुलिया व रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खूबकरन कश्यप एवं अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम घाटगांव पहाड़पुर में ग्राम के पूर्व में पुलिया एवं खड़न्जा का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम रहमतनगर गौटिया से वाया मन्दिर घटगांव तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरभान सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत बड़ेपुर से ग्राम प्रेमपुर खजुरिया तक मिट्टी, खड़न्जा निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छेदालाल वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

5-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम दौली जवाहरलाल में शाही-धौरा रोड से जल निगम की टंकी तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चमन सिंह लोधी एवं अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

डा0 मन्जू शिवाच, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

डा0 मन्जू शिवाच, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका मोदीनगर में सिकैडा रोड से कपड़ा मिल तक नाला साफ करवाने व कवर करवाने के सम्बन्ध में श्रीमती नीरज चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका,

2-जनपद गाजियाबाद के ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका,

3-जनपद गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती वंदना व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका,

4-जनपद गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में हापुड़ रोड से सीकरी माता के मंदिर मार्ग पर बम्बे के दाहिनी तरफ सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पिंकी चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका तथा

5-जनपद गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत शहर मोदीनगर में संचालित शुगर मिल से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में श्रीमती साधना शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका।

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बधित 05 याचिकाएं †

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत मौढ़ा, वि0ख0 फिरोजाबाद का मुख्य मार्ग हाई-वे से लेकर फाटक तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मिथलेश एवं अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत धौरऊ हिम्मतपुर में जवाहर की ठार से सीताराम के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रेखपाल एवं अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत गुदाऊं के नगला आशा पक्की सड़क से लेकर ठार तेजपाल सिंह (स्वतन्त्रता सेनानी सम्पर्क मार्ग) सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एवरन सिंह यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत दतावली में अतर त्यारी स्कूल से गांव की तरफ वाला मार्ग पर कालीचरन के मकान से पंचायत घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरन एवं अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

5-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत मटामई में राजेन्द्र के घर से लेकर अम्बेडकर पार्क तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद बघेल एवं अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-मलसिल में पक्की सड़क से प्राथमिक विद्यालय से मलसिल तक मरम्मत कार्य कराए जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री अजय यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-बसहटा में दुबहिया तालाब से धर्मेन्द्र प्रधान के घर तक नव निर्माण कराए जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-बसरेवां में जंघई जरौना मार्ग से जरौना नहर तक मार्ग का नव निर्माण कराए जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राकेश यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-मलसिल में पक्की सड़क से नेउरा बस्ती तक सड़क की मरम्मत कार्य कराए जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री अजय यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-रामपुर चैथार में भटहर मार्ग से रेलवे लाइन बार्डर तक नव निर्माण कराए जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राम लखन यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री बिरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री विरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मलेठी पाहीपर, विकास खण्ड बिरनों में किताबुद्दीन के घर से उमाशंकर राजभर के घर तक इण्टरलॉकिंग लम्बाई लगभग 300 मी0 का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

2-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बिरनों, ग्राम सभा बहलोलपुर (अडडिया) में विरेन्द्र यादव के घर से नाला तक नाली निर्माण लम्बाई लगभग 200 मी0 का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

3-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बिरनों, ग्राम सभा तारनपुर सिंघासन यादव के घर से बेचन यादव के घर तक मिट्टी, खड़न्जा कार्य लम्बाई लगभग 300 मी0 का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अपरवल यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

4-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बिरनों, ग्राम सभा मलेठी पाहीपर में राजदेव गोंड के घर से नाली निर्माण कलेठी राजवाहा तक दूरी लगभग 300 मी0 का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जयप्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका तथा

5-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा बोगना (ढोढावीर), विकास खण्ड-बिरनों में हिरालाल चौहान के घर से रामनवल चौहान के खेत तक इन्टरलॉकिंग कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका।

डा0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

डा0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत जगदीशपुर के उत्तर सरयू नहर से उदयपुर (बहुती) मार्ग पर स्थित सोनही नाला पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री इसराइल खाँ व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

2-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत गोपीभारी से विश्रामपुर होते हुए रमवापुर तक सम्पर्क मार्ग का लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेक मोहम्मद व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

3-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत एन0एच0-370 पर रजडरवा चौराहा से ग्राम मनकापुर-शिवपुर-औरहवा-गनेशपुर जर्जर मार्ग की विशेष मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हलीम खाँ व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

4-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी, ब्लाक पचपेड़वा के अन्तर्गत कल्याणपुर बरगदवा से दिलावलडीह से हिसामपुर, विज्ञामपुर चायडीह तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुस्लिम व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

5-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत उतरौला-पचपेड़वा-चन्दनपुर मार्ग के किमी0 35 से शिवगढ़ धाम सम्पर्क मार्ग के मध्य स्थानीय नाला पर लघु सेतु का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मोती लाल मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बरेली के ब्लाक नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम सुतईया कला से खाता नवदिया तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवदत्त व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद बरेली के ब्लाक नवाबगंज के नवाबगंज शहरी भाग के बहोरनगला होते हुए देश नगर मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली के ब्लाक भदपुरा के अन्तर्गत ग्राम अमीनगर में नदी कटान के रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली के ब्लाक भदपुरा के अन्तर्गत ग्राम बिजासन से आनन्दपुर, माधौपुर मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिवेन्द्र गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

5-जनपद बरेली के ब्लाक नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम पैगा होते हुए घाटमपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित 03 याचिकाएं तथा जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं †

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बांदा की तहसील-पैलानी, विकास खण्ड-तिन्दवारी के ग्राम-चिल्ला में बांदा-कानपुर मार्ग पर पड़ाय के डेरा में मेन रोड से मुर्तुजा फारूकी के दरवाजे तक लम्बाई लगभग 100 मी0 सी0सी0/इण्टरलॉकिंग सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि चन्द व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका,

2-जनपद बांदा की तहसील-पैलानी, विकास खण्ड-तिन्दवारी के ग्राम-चिल्ला में बांदा-कानपुर मार्ग पर निकट बाईपास से बिसाली के डेरा तक लम्बाई लगभग 200 मी0 सी0सी0/इण्टरलॉकिंग सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका,

3-जनपद कानपुर नगर में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 अब्बास व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

4-जनपद बांदा शहर के मोहल्ला नई बस्ती, खांईपार वार्ड न0-2 में नईम पुत्र लईक के दरवाजे से अबरार अहमद फारूखी के दरवाजे तक सड़क एवं दोनों ओर नाली निर्माण लम्बाई लगभग 200 मी0 के सम्बन्ध में श्री अबरार अहमद फारूखी व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र संख्या-216, कैण्ट के अन्तर्गत वार्ड-47 में नियर पी0एल0डी0 इण्टर कालेज भवानी नगर शनि देव मंदिर के पास सड़क का सुन्दरीकरण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर्यन यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम धनूपुरा तुरखेड़ा में चन्द्रपाल के मकान से अनोखे दिवाकर के मकान तक लगभग 250 मी0 तथा साबिर के मकान से शकील के मकान तक लगभग 150 मी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फिरोज मलिक व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम मानकपुर से ग्राम भेसोड़ तक लगभग 1.5 किमी0 तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल कय्यूम व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम मनकुला से ग्राम रायपुर होते हुए ग्राम उदरनपुरचक उर्फ बीरमपुर तक 2.5 किमी0 सड़क निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद फारूक व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम बहादुरपुर के ग्राम बिचैला कुन्दरकी में बिलारी के प्रथम विधायक मरहूम हाजी मोहम्मद इरफान के नाम से पार्क बनाने के सम्बन्ध में श्री माजिद हुसैन व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

5-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम गुरेर से मानकपुर तक लगभग 01 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री टोनी व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत पूरे अजब कुम्हारन पुरवा के बदनपुरवा-बेदीपुरा होते हुए सुकईबंधा तक सड़क निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत परसपुर के पंडितपुरवा से परसपुर पसका मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्माइल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम सुसुण्डा के माइनर गेट से खजुरी निधि तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिद्धनाथ व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के बरसड़ा पुलिस से मुगुरा बाजार तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत सुसुण्डा चन्दहा नाला से मोहना तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रिचा पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद सन्तकबीरनगर में मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नहर के किनारे स्थित बभनी सौरहा मार्ग पर साइफन के स्थान पर पुलिया का निर्माण एवं नहर की सफाई करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अनुज मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका तथा

2-जनपद सन्तकबीरनगर में मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संगठ कुकरडाड़ मार्ग पर एक पुल एवं लगभग 1 किमी0 पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वेद त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका।

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका †

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-1, पुरकाजी के विकास खण्ड पुरकाजी के ग्राम माडला में एक जूनियर हाई स्कूल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चकभूपत रजौला में देवी जी मंदिर के पास से आंगनबाड़ी केन्द्र तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

2-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खुटहा में रामनरेश कोटार्य के घर से प्रधान चन्द्रशेखर के घर से होते हुए रामदास कोटार्य के घर तक नाली नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रशेखर व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

3-जनपद चित्रकूट की ग्राम पंचायत धौरहीमाफी में कुबेर के घर से शिव मोहन प्रधान का पुरवा करेडी नाला होते हुये मऊ तक रोड का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवीदयाल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

4-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र कर्वी की ग्राम पंचायत बगलई में पूर्व माध्यमिक विद्यालय से बृजबिहारी कुशवाहा के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामआसरे यादव व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका तथा

5-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के ग्राम पंचायत भरकोर्रा में सूरजदीन लोहार के घर से पंचायत भवन तक खड़न्जा व नाली का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवचरण व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका।

श्री अनिल कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री अनिल कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत ग्राम सगौली में संचालित किसान साधन सहकारी समिति का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत विकास खण्ड हिलौली में ग्राम पंचायत बछौरा में अन्त्येष्टि स्थल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत गोसाईंगंज रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं †

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कानपुर नगर के जे0के0 कैंसर हास्पिटल में आईसीयू शुरू किए जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज सिंह, निवासी जनपद कानपुर नगर की याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर के प्रसिद्ध एवं पुराने तपेश्वरी मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव मेहरोत्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

3-जनपद कानपुर नगर में 1999 की घोषणा के अन्तर्गत आरक्षित स्थान पर कानपुर हाट बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

4-जनपद कानपुर नगर के जिला अस्पताल उर्सला में मुफ्त एम0आर0आई0 व सी0टी0 स्कैन शुरू किए जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज सिंह, निवासी जनपद कानपुर नगर की याचिका।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-171, लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत मोहल्ला शिवाजीपुरम, आलमनगर, लखनऊ में राजकुमार के मकान से मुख्य सम्पर्क मार्ग तक सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र नया लखनऊ (पश्चिमी) के न्यू हैदरगंज वार्ड-तृतीय के अन्तर्गत मोहल्ला-गोविन्दनगर, नरपतखेड़ा, पारा में मुख्य मार्ग शिव मन्दिर पुलिया से श्री उमाकान्त शुक्ला के मकान नं0-545, केएनके/561 तक दूरी लगभग-150 मी0 सड़क व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री उमाकान्त शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद रायबरेली के ग्राम सभा सूची में रामानन्द के घर से छोटे पासी के दरवाजे तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामानन्द व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के ब्लॉक सलोन के ग्राम सभा गोडवा हसनपुर में औसान के घर से दिलीप के दरवाजे तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री औसान व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के ब्लॉक छतोह के ग्राम सभा कुंवरमऊ में छोटेलाल प्रजापति के घर से पारसनाथ मौर्य के घर तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के ब्लॉक सलोन के ग्राम सभा नूरूद्दीनपुर में एन0एच0-31 हरी प्रजापति की चक्की से श्रीनाथ सरोज के घर के आगे तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरी प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका तथा

5-जनपद रायबरेली की ब्लॉक छतोह के ग्राम सभा कुंवरमऊ में रामू वकील के घर से नहर तक के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामू वकील व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री आकाश सक्सैना (हनी), सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री आकाश सक्सैना (हनी), सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद रामपुर, विधान सभा क्षेत्र-37, रामपुर नगर के अन्तर्गत रामपुर शाहबाद मार्ग के किमी0-2 से शिव विहार मार्ग पर इण्टरलॉकिंग से चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द पाण्डेय एवं अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद रामपुर, विधान सभा क्षेत्र-37, रामपुर नगर के अन्तर्गत ग्राम सिकरौल से ग्राम मिलक सिकरौल मार्ग तक डामरीकरण निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम जी मल्ल एवं अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका,

3-जनपद रामपुर, विधान सभा क्षेत्र-37, रामपुर नगर के अन्तर्गत शाहबाद एवं आगापुर, मंसूरपुर राष्ट्रीय मार्ग-24 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका,

4-जनपद रामपुर, विधान सभा क्षेत्र-37, रामपुर नगर के अन्तर्गत रामपुर शाहबाद मार्ग के किमी0-9 से बकेनिया मिश्रीनगर मार्ग पर इण्टरलाकिंग से चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नारायण दास एवं अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका तथा

5-जनपद रामपुर, विधान सभा क्षेत्र-37, रामपुर नगर के अन्तर्गत अजीतपुर, पंजाबनगर, जौलपुर पटवाई मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश राजपूत एवं अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 तथा जनपद हरदोई से सम्बन्धित 04 याचिकाएं †

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद लखनऊ, मोहनलालगंज के नालन्दा इण्टरनेशनल एकेडमी, न्यू जेल रोड मऊ नहर, मोहनलालगंज में विद्यालय गेट तक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में डा0 रीता सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद हरदोई, विधान सभा क्षेत्र-159, बिलग्राम-मल्लावां, हरदोई से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे के किमी0 353.998 की दूरी पर मल्लावां के निकट स्टेट हाई-वे नम्बर-38 बिलग्राम-प्रयागराज मार्ग पर प्रवेश एवं निकास हेतु रैम्प बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द मोहन एवं अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका,

3-जनपद हरदोई के अन्तर्गत मल्लावां को नई तहसील बनवाने के सम्बन्ध में श्री रामआसरे एवं अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका,

4-जनपद हरदोई के ब्लाक माधौगंज के ग्राम अटवा अलीमर्दनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुभाष आर्य एवं अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका तथा

5-जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र-159, बिलग्राम-मल्लावां, हरदोई के अन्तर्गत आने वाले मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित काजीपुर फरहतनगर सम्पर्क मार्ग से रसूलापुर सम्पर्क मार्ग

---

† छापी नहीं गयीं।

का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशिर कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-308, कप्तानगंज, विकास खण्ड परसरामपुर, ग्राम परसा परसरामपुर मार्ग से राजेश टेन्ट हाउस के घर खौपुरा पंचायत भवन तक नव निर्माण दूरी लगभग 1.50 किमी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्द कुमार वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-308, कप्तानगंज, विकास खण्ड गौर, ग्राम बेलवरिया जंगल से माझा मानपुर मार्ग तक नव निर्माण दूरी लगभग 4.00 किमी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्द कुमार वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-308, कप्तानगंज, विकास खण्ड गौर, ग्राम पैकोलिया शिवाघाट से सुजिया खुर्दा मार्ग तक नव निर्माण दूरी लगभग 7.00 किमी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू खान एवं अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-308, कप्तानगंज, विकास खण्ड गौर, गंगापुर स्कूल से खुटहना सुकरौली गांव तक नव निर्माण दूरी लगभग 1.50 किमी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक चौहान एवं अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

5-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-308, कप्तानगंज, विकास खण्ड गौर, बैदोलिया अजायब से बेलघाट चौराहे तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण दूरी लगभग 2.00 किमी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका।

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित

02 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र-सिवाल खास, विकास रोहटा की ग्राम पंचायत भदौड में खेल के मैदान स्टेडियम/चहारदिवारी/सौन्दर्यीकरण के कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंगलसेन प्रधान एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र-सिवाल खास, विकास रोहटा की ग्राम पंचायत रोहटा में आई0टी0आई0 कालेज के सामने से कुटी रासना तक 1 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका।

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित

05 याचिकाएं†

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक हरख में ग्राम बरगदहा मजरे सतरिख देहात में सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हंसराज कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका,

2-जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक सिद्धौर में ग्राम संगौरा सैदखान में क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अर्चना यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका,

3-जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक बंकी में ग्राम अजीमनगर पो0 जहांगीराबाद में सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में मो0 मुन्ना एवं अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका,

4-जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक हरख में ग्राम सहेलिया में सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महन्त नारायण दास एवं अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका तथा

5-जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक मसौली में ग्राम कोड़री में सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंशाराम यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित

05 याचिकाएं †

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जालौन के विकास खण्ड कोंच के अन्तर्गत धगुवां कला से अमीटा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय राठौर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के अन्तर्गत ग्राम कुसमिलिया से चिल्ली सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के अन्तर्गत ग्राम कुरकुरू से एंघा मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजजी राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के अन्तर्गत ग्राम बर्ध से अकौढ़ी सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजेश निरंजन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

5-जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के अन्तर्गत ग्राम बरहा से धन्तौली सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मन्नू कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-16, मीरापुर के विकास खण्ड जानसठ के ग्राम अहमदवाला में नसीरपुर से हंसावाला मार्ग तक जर्जर पुलिया का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेमपाल एवं अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

2-जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-16, मीरापुर के विकास खण्ड जानसठ के ग्राम हासमपुर में ओमपाल के प्लाट से हर्जेन्द्र के मकान तक नाला निर्माण ल0 200 मी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल एवं अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

3-जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-16, मीरापुर के विकास खण्ड जानसठ के ग्राम-मोरना मार्ग खुजेडा आबादी में नाला व बॉक्स कलवर्ट (ल0 800 मी0) कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुलेमान प्रधान एवं अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड जानसठ के अन्तर्गत ग्राम कुतुबपुर में मंजूर के मकान से अबुल के खेत तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड जानसठ के अन्तर्गत ग्राम तौफिर से शाहदरा मार्ग पर जर्जर पुलिया का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकला व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका।

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं †

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड भिटौरा के अन्तर्गत ग्राम आमापुर से चकीवा चौराहे तक जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका तथा

2-जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड हस्वा के अन्तर्गत ग्राम थरियांव से मलांव होते हुए चकीवा चौराहे तक जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश कोरी एवं अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विरौरा में प्राइमरी स्कूल हरजीपुरा से रेलवे लाइन तक 600 मी0 मार्ग का इण्टरलॉकिंग नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह गुड्डू व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत ग्राम शेखपुर में पथवारी से राजेश की धर्मशाला तक लगभग 800 मी0 मार्ग पर इण्टरलॉकिंग नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत ग्राम मुरादपुर में बसन्तलाल शर्मा के मकान से आंगनबाड़ी केन्द्र तक 300 मी0 मार्ग पर इण्टरलॉकिंग व नाला नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री टीकम शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत ग्राम सुल्तानपुर बिलौनी में रतनलाल के घर से अस्पताल होते हुए चमन प्रकाश के मकान तक लगभग 500 मी0 मार्ग का आर0सी0सी0/इण्टरलॉकिंग सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जीतपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत ग्राम कनहेरा में प्रदीप प्रधान के घर से मुन्शी के घर तक लगभग 400 मी0 आर0सी0सी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री चेतराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं तथा जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित 01 याचिका (व्यपगत)†

श्री चेतराम, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद शाहजहाँपुर के तहसील पुवायां के ब्लाक-खुटार के ग्राम हंसपुर में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकेवल एवं अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक खुटार के अन्तर्गत ग्राम प्रतापपुर से बढ़ईपुर की सड़क को इण्टरलाकिंग रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक पुवायां में स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रूकुम व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

4-जनपद लखीमपुर की मैलानी वन रेंज में स्थित मढ़ा बाबा शिव मंदिर को दर्शन हेतु खोलने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका तथा

5-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक पुवायां के अन्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल की क्षमता दोगुनी किये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषभ व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद आगरा के ब्लाक-फतेहपुर सीकरी के ग्राम खेड़ा जाट से नगला देविया तक सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यवीर प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

2-जनपद आगरा के ब्लाक-फतेहपुर सीकरी के उदेररा ग्राम से सिकरोंधा फतेहपुर सीकरी मार्ग तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री मुख्तार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद आगरा के ब्लाक-फतेहपुर सीकरी के ग्राम दूरा से खेड़िया मार्ग की विशेष मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बलवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

4-जनपद आगरा के ब्लाक-फतेहपुर सीकरी के ग्राम मँगौली खुर्द से राजस्थान सीमा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुनील पाराशर व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका तथा

5-जनपद आगरा के ब्लाक-फतेहपुर सीकरी के ग्राम बिदरपुर-नगला हरगोविन्द तक नहर की पटरी पर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री दीना सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका।

श्री छोटे लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित

03 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री छोटे लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद अन्तर्गत वीरांगना महारानी अवन्तीबाई चौराहा (फतेहाबाद) पर पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री आर0पी0 सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

2-जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद अन्तर्गत यमुना पक्का पुल पर मन्दिर के पास पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री भागीरथ वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका तथा

3-जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद अन्तर्गत 33/11 के0वी0ए0 भटागी पीपरी वाजिदपुर, 33/11 के0वी0 ग्राम बेहड़ी व 33/11 के0वी0 मुरावल नगरिया को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के0वी0 जगराजपुर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के दाहिने के स्थान पर बायें तरफ 132 के0वी0 का सब-स्टेशन ग्राम परौली सिकरवार एवं बेहड़ी में स्थापित करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री झम्मन लाल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

श्री जय प्रकाश अंचल (अनुपस्थित), श्री जवाहर लाल राजपूत (उपस्थित), श्री तसलीम अहमद (उपस्थित), श्री त्रिभुवन दत्त (उपस्थित), श्री देवेन्द्र कुमार निम (उपस्थित),

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री देवेन्द्र सिंह (उपस्थित), श्री देवेन्द्र सिंह लोधी (उपस्थित), श्री निर्मल वर्मा (उपस्थित), श्री पंकज गुप्ता (उपस्थित), श्री पंकज सिंह (उपस्थित), श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक) (उपस्थित), श्री पीयूष रंजन निषाद (उपस्थित), श्री प्रदीप कुमार चौधरी (अनुपस्थित), श्री प्रदीप कुमार सिंह (उपस्थित), श्री प्रसन्न कुमार (उपस्थित), प्रो0 श्याम बिहारी लाल (अनुपस्थित), श्री बम्बा लाल (अनुपस्थित), श्री बाबूराम (अनुपस्थित), श्री बृजेश कुमार (अनुपस्थित), श्री बेदी (उपस्थित), श्री ब्रजभूषण राजपूत (उपस्थित), श्री भगवान सिंह कुशवाहा (उपस्थित), श्री मनीष रावत (उपस्थित), श्री मनोज कुमार पाण्डेय (अनुपस्थित), श्री महबूब अली (उपस्थित), श्री महेन्द्र (अनुपस्थित), श्री मुकेश चौधरी (उपस्थित), श्री मूल चन्द्र सिंह (उपस्थित), श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा' (अनुपस्थित), श्री योगेश शुक्ला (अनुपस्थित), श्री रमेश जायसवाल (उपस्थित), श्री रमेश (अनुपस्थित), श्री रविदास मेहरोत्रा (उपस्थित), श्री राकेश कुमार गोस्वामी (उपस्थित), श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (उपस्थित), श्री राज प्रसाद उपाध्याय (उपस्थित), श्री राजपाल सिंह बालियान (उपस्थित), श्री राजमणि (उपस्थित), श्री राजीव कुमार (उपस्थित), श्री राजेन्द्र कुमार (उपस्थित), श्री राजेश चौधरी (उपस्थित), श्री राम अचल राजभर (उपस्थित), श्री राम फेरन पाण्डेय (उपस्थित), श्री रामदुलार (उपस्थित), श्री रामरतन कुशवाहा (उपस्थित), श्री राम अवतार सिंह (उपस्थित), श्री लक्ष्मीराज सिंह (उपस्थित), श्री लालजी वर्मा (उपस्थित), श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह (अनुपस्थित), श्री विजयपाल (आढ़ती) (उपस्थित), श्री विपुल दुबे (अनुपस्थित), श्री विवेकानन्द पाण्डेय (उपस्थित), श्री शशांक त्रिवेदी (अनुपस्थित), श्री संग्राम सिंह (उपस्थित), श्री सुरेन्द्र मैथानी (उपस्थित), श्री हरिओम (उपस्थित), श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया (उपस्थित), श्री हाकिम लाल बिन्द (उपस्थित), श्रीमती अन्जुला सिंह माहौर (अनुपस्थित), श्रीमती इन्द्राणी देवी (अनुपस्थित), श्रीमती ओममणी वर्मा (उपस्थित), श्रीमती गीता शास्त्री (पासी) (अनुपस्थित), श्रीमती सरिता भदौरिया (अनुपस्थित), श्रीमती सलोना कुशवाहा (अनुपस्थित), श्री पंकज कुमार मलिक (उपस्थित)।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया एवं जनपद मऊ से सम्बन्धित 02-02 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत मू-छपरा पी0डब्लू0डी0 मार्ग से श्रीनगर दल-छपरा स्टेशन मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बहादुर यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद मऊ के मधुबन तहसील के अन्तर्गत मौजा-बिनटोलिया जो सरयू नदी के भीषण कटान से बचाव हेतु पक्का ठोकर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रमणि यादव गुड्डू, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

3-जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के मधुबन बस स्टेशन का भवन निर्माण व बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रमणि यादव गुड्डू, निवासी जनपद बलिया की याचिका तथा

4-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा के अन्तर्गत बेल्थरा-रसड़ा मुख्य मार्ग फरसाटार से भीटा भुवारी होते हुए मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 05 याचिकाएं[†]

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद झांसी के विकास खण्ड बामौर में देवरा से भदरवारा के मध्य ससुर नाला पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश लम्बरदार व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद झांसी के विकास खण्ड गुरसराय में गौरपुरा के पास लखेरी नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

3-जनपद झांसी के विकास खण्ड बामौर में ग्राम ठर्रौं खमा के पास धसान नदी पर रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

4-जनपद झांसी के मुख्य बेतवा नहर से मोंठ रजवाहा के 4 किमी0 पर बने पुराने साइफन को तोड़कर ऊपर से पानी निकाले जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका तथा

5-जनपद झांसी के अन्तर्गत ग्राम बुढ़ाई में चौ0 चरण सिंह लखेरी बाँध परियोजना के अन्तर्गत अवशेष/वंचित किसानों के बालिगों के 110 परिवारों का पुनर्वास कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम मोहम्मद अलीपुर द्वारका से सलेमपुर भट्टा मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्तेजार अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

2-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के एन0एच0-119 से घिसटपुरी पत्थरगढ़ किला मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीस अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

3-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के मोटा आम से स्थाई बाईपास मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जाहिद अंसारी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

4-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम हुमायूंपूर से ज्वालीलाला सम्पर्क मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मरगूब अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका तथा

5-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम मोहम्मद अमीखानपुर में सतनाम सिंह के डेरे से नत्थनावाली सम्पर्क मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतविन्दर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के पीछे महेशपुर मण्डप की माइनर की पटरी पर ग्राम ठट्टापुर तक शून्य से लेपन/पिच नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड जहांगीरगंज के कम्हरिया जहांगीरगंज मुख्य मार्ग से दक्षिण से शुरू होकर देवमणि पाण्डेय के खेत होते हुए ग्राम सकासीपुर में हरीराम गौतम के घर तक शून्य से लेपन/पिच नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गौतम, निवासी जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पतराभार में राकेश यादव के घर से बृजेश यादव के घर तक सी0सी0 मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फतेह बहादुर यादव, निवासी जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम घेरवा मरौचा में शिवपूजन यादव के घर से शुरू होकर नहर तक सी0सी0 मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि कुमार, निवासी जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पटना मुबारकपुर (ताहापुर) ज्ञानचन्द यादव के खेत से सीताराम पासवान के खेत से होते हुए डा0 ज्ञानचन्द गौतम के घर तक शून्य से लेपन/पिच (दूरी लगभग 1.5 किमी0) का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शौकत अली, निवासी जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सहारनपुर के ब्लाक नांगल के अन्तर्गत ग्राम घयाना से कोडी तक मार्ग का सी0सी0 रोड का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शुभम व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

2-जनपद सहारनपुर के ब्लाक रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्राम नस्तरपुर में श्मशान घाट के मार्ग का सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

3-जनपद सहारनपुर के ब्लाक रामपुर के अन्तर्गत ग्राम डकरावर कलां से रामपुर अम्बेहटा मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का सी0सी0 नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अक्षय व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

4-जनपद सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के अन्तर्गत दिल्ली रोड से ताहरपुर होते हुए रामशरण दास मार्ग का सी0सी0 नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद सहारनपुर के ब्लाक रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्राम भगवानपुर से टपरी मार्ग का सी0सी0 नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश राणा व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका।

श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कासगंज की विधान सभा क्षेत्र सदर कासगंज के अन्तर्गत ग्राम बिरसुवा में आबादी क्षेत्र में रखे ट्रांसफार्मर को आबादी क्षेत्र से हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री जय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका,

2-जनपद कासगंज की विधान सभा क्षेत्र सदर कासगंज के अन्तर्गत ग्राम नगला भण्डारी में आबादी क्षेत्र में बाईपास रोड पर मुन्नालाल की गली में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना लाल व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका,

3-जनपद कासगंज की विधान सभा क्षेत्र सदर कासगंज के अन्तर्गत ग्राम खैरपुर में आबादी क्षेत्र में घरों के ऊपर से जा रही विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवनीश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका,

4-जनपद कासगंज की विधान सभा क्षेत्र सदर कासगंज के अन्तर्गत ग्राम राजपुर में काली नदी पर पुल के नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र राना व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका तथा

5-जनपद कासगंज की विधान सभा क्षेत्र सदर कासगंज के अन्तर्गत ग्राम नगला रम्पुरिया में आबादी क्षेत्र में घरों के ऊपर से जा रही विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम बैरल में सवाड़ के मकान से मास्टर दलसिंह के मकान की तरफ 100 मीटर सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के नगर पंचायत बुगरासी वार्ड नम्बर-1, मोहल्ला भूड़ वाला भूले सिंह के मकान से मदन के घर तक एवं मिथुन के घर से लाला के घर

---

† छापी नहीं गयीं।

तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमदत्त लोधी एवं अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना हिगवाड़ा संपर्क मार्ग से शहीद की मूर्ति से दुर्गा देवी इण्टर कॉलेज बीटा तक लम्बाई 2 किलोमीटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश प्रधान एवं अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम सुलेला से जलालपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल मास्टर एवं अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम पोटा कबूलपुर से ग्राम बाहपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रूपकिशोर एवं अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के तहसील मुख्यालय बिसवां में बस स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकाएं, जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं तथा जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 01 याचिका†

श्री पंकज गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद उन्नाव के अन्तर्गत कानपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किए गए जनपद उन्नाव की तहसील सदर के 29 ग्रामों को उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण में वापस करने के सम्बन्ध में श्री राकेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर के गंगाघाट में राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराने के सम्बन्ध में श्री मनोज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य के अन्तर्गत 25-ए, तिलक मार्ग, हजरतगंज में नजूल की जमीन पर कब्जा/अवैध निर्माण रुकवाते हुए जांच कर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप कुमार पाठक व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद लखनऊ के वेदान्तपुरम् फेज-2, अनौरा तालाब के निकट, चिनहट लखनऊ में मकान के ऊपर से डाली गई 11000 हाई वोल्टेज लाइन को अण्डरग्राउण्ड कराने के सम्बन्ध में श्री राम जगत व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

5-यू0 पी0 रेरा में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की जांच कराकर सम्पूर्ण क्षेत्रफल को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा के अन्तर्गत कांशीराम कालोनी, सदरपुर में प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक नारायण व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

2-जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा के अन्तर्गत ग्राम निठारी में जर्जर बारात घर का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

3-जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा में ग्राम सर्फाबाद में गांव एवं सेक्टर-74 के मध्य 9 मी0 पेरिफेरल रोड का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका तथा

4-जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा के यूसुफपुर चक्शाबेरी में मुख्य रोड से बारात घर तक की सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री निर्मल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका।

श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कुशीनगर के तहसील कसया में ग्राम खरेदवा (कुर्मी टोला) के एम0 के0 पब्लिक स्कूल के रास्ते होते हुए श्री राजेश पटेल के खेत से श्री साधु यादव के मकान तक विद्युतीकरण व सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शमशेर अली व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद कुशीनगर के वार्ड नं0-16 केशवनगर गोपालगढ़ में करमौनी माइन पर मुर्गी फॉर्म के पास नहर पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तहसीलदार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के तहसील कसया में बड़ी नहर से गैस एजेंसी होते हुए परसौना खुर्द तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

4-जनपद कुशीनगर के वार्ड नं0-15, वीर सावरकर नगर, सेवया, कसया में सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपुल गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम कटका मेडरा सम्पर्क मार्ग से एम0एल0 पब्लिक स्कूल तक इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में पानी की सप्लाई सुचारु रूप से शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धरनीश प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के नगर निगम प्रयागराज में नये ग्रामों में विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कूल चन्द्र निषाद, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नैनी रजबहा, करछना रजबहा आदि में नहर के पानी की सप्लाई सुचारु रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रिंकू सिंह, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा पुप्पेपुर डीहा में ट्रान्सफार्मर एवं खम्भे लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री अर्चना प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर, सदर विधान सभा क्षेत्र-65 के अन्तर्गत ग्राम दोस्तपुर में रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में श्री हरिओम प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर, सदर विधान सभा क्षेत्र-65 के अन्तर्गत ग्राम भटवारा में रास्ता के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अशोक व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर, सदर विधान सभा क्षेत्र-65 के अन्तर्गत ग्राम भंड़ौली में रास्ता निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर, सदर विधान सभा क्षेत्र-65 के अन्तर्गत ग्राम बनवोई में रास्ता निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर सिरोही व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर, सदर विधान सभा क्षेत्र-65 के अन्तर्गत ग्राम बरारी में रास्ता निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जगत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र-79, सादाबाद के विकास खण्ड सहपऊ में दोहाई मार्ग से नगला सलेम मार्ग पर नाले की पुलिया का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका तथा

2-जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र-79, सादाबाद के विकास खण्ड सादाबाद के ग्राम पंचायत बेदई के ग्राम नगला देव में करवन नदी पर स्थायी पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री विनोद बघेल व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के ग्राम कुरमाली में वैदिक इण्टर कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

2-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के ग्राम कुडाना में जर्जर पशु चिकित्सालय का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

3-जनपद शामली के विकास खण्ड कांधला के ग्राम हुरमंज से ग्राम मखमूलपुर लगभग 1 कि0मी0 मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

4-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के अन्तर्गत कस्बा बनत से सेहटा मार्ग से सुक्रम के घर से होते हुए ईदगाह की ओर जर्जर मार्ग का 400 मी0 का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र छोटा व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका तथा

5-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली में शामली-भौराकलां मार्ग पर ग्राम कुड़ाना के निकट काली नदी के पुल का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण के सम्बन्ध में श्री वीरपाल मलिक व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका।

प्रो0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

प्रो0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बरेली के ब्लाक फरीदपुर के ग्राम रजऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पुलिस चौकी से जूनियर हाई स्कूल तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री विपिन शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली के ब्लाक कुआंडाडा के ग्राम सिमरा केशोपुर से मैकपुर पुलिया वाया मिर्जापुर तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री पातीराम गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद बरेली के ब्लाक कुआंडाडा के ग्राम खजुरिया सम्पत में तालाब से मढी तक सड़क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली के ब्लाक कुआंडाडा के ग्राम सुन्हा से सुनौरा मुरारपुर के मध्य कैलाश नदी पर कछुआ पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री बुधपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

5-जनपद बरेली के ब्लाक कुआंडाडा के ग्राम रूपापुर से पटना के मध्य सड़क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री कल्याण मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित

05 याचिकाएं (व्यपगत)[†]

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद उन्नाव, विकास खण्ड मियाँगंज के ग्राम पंचायत बरहाकला में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन रावत एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव, विकास खण्ड हसनगंज के ग्राम सभा जखैला के मजरा मीरपुर मिरौचा में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम पाल एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव, विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर से दिलवल तक पुराने जर्जर लोहे के विद्युत तार बदलवाने के सम्बन्ध में श्री सज्जन सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव, विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा अम्बहरा के मजरा जुनैदपुर में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन कुमार वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

5-जनपद उन्नाव, विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम पंचायत ददलहा में सरकारी ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसजीवन एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील-कलीनगर के अन्तर्गत कान्हा टाण्डा महेन्द्र सिंह की दुकान से अतर सिंह के घर तक होते हुए भवानीगंज तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

2-जनपद पीलीभीत, तहसील-कलीनगर के ग्राम-माधौटाण्डा मार्ग से केसरपुर तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार शर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

3-जनपद पीलीभीत, तहसील-कलीनगर के ग्राम-बिनौरा खास से खाडेपुर होते हुए खरौसा तपा तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

4-जनपद पीलीभीत, तहसील-पूरनपुर के ग्राम-सपहा चौरानबे गांव में सूबेदार पोस्टमैन के घर से जूनियर हाई स्कूल तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्दर लाल एवं अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका तथा

5-जनपद पीलीभीत, तहसील कलीनगर के ग्राम गुझाकला से भवानीगंज तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दाताराम एवं अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) †

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के विकास खण्ड हसनगंज के ग्राम इब्राहिमपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम फिरोजाबाद तक 7 ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के जखनियां बाजार से रेवरिया होते हुए अमारी गेट तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में हेल्थ ए0टी0एम0 लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका तथा

3-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के जखनियां बाजार से भुडकुड़ा तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद महोबा में अतिवृष्टि से किसानों की खरीफ की फसल नष्ट होने से वंचित किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाने के सम्बन्ध में श्री योगेश पाठक एवं अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका तथा

2-जनपद महोबा के ब्लाक जैतपुर के बेलाताल कस्बे में बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामभरोसे एवं अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 04 याचिकाएं तथा जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका †

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत विधौली में मिनी स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री लवलेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

2-जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ में बिजली आपूर्ति दिलवाये जाने सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

3-जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ में ब्लाक जगनेर के ग्राम रिछोहा के मजरा भोजपुर की दूरी 15 कि0मी0 से अधिक होने के कारण नगला भोजपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत स्टेशन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री लवलेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के मोहल्ला नेहरू इन्क्लेव, गोमतीनगर में व्याप्त अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में श्री कपाल व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के कस्बा खैरागढ़ में बस स्टैण्ड न होने के कारण यात्रियों के साथ सम्भावित दुर्घटना एवं परेशानी के सम्बन्ध में श्री लवलेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र सिधौली में रसूलपना सम्पर्क मार्ग से प्रसिद्ध भोलेनाथ मंदिर तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

2-जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम नीलगांव में कृषि फार्म के मैनेजर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं संविदा कर्मियों के शोषण की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

3-जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र सिधौली में बलुइया पुल से तकिया ब्रहम्देव मंदिर होते हुए डामर रोड तक कच्ची सड़क को डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विमलेश प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

4-जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अटरिया के ग्राम मऊ में स्थित हिन्द मेडिकल इन्स्टीट्यूट द्वारा ग्राम समाज की जमीन और चकरोड पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका तथा

5-जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम कमलापुर से ग्राम हमीरपुर सम्पर्क मार्ग बनवाने में ठेकेदार द्वारा किये गये असंतोषजनक कार्य की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गीरेन्द्र सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 04 याचिकाएं तथा जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका (व्यपगत) †

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय एवं जनपदीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत कुमार सिंह निवासी जनपद लखनऊ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के अन्तर्गत चन्दी सिंह के पुरवा सराय अख्तियार में मेन लाइन से 01 कि0मी0 विद्युत लाइन एवं ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना लाल यादव व अन्य निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के अन्तर्गत घनी बस्ती पी0ए0सी0 कालोनी से पोस्टमार्टम हाउस को अन्यंत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री महादेव शुक्ला निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मोखरा माइनर में साइफन बनवाने तथा कतिपय क्षेत्रों में पुल/पुलिया की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष कुमार तिवारी निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

5-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के अन्तर्गत ग्राम पंचायत इटौरा पूरे बकिया तथा कतिपय क्षेत्रों में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश कुमार मिश्रा निवासी जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र अमरोहा के अन्तर्गत पतकोई मार्ग से बम्बूगढ़ अमरोहा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबी भगत व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका,

2-जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र अमरोहा में सिवौरा जोगीपुरा मार्ग से ग्राम कटाई की ओर राजपाल सिंह के बाग तक सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री ग्रीस व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका,

3-जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र अमरोहा में तालाब के पास मुडा इम्मा रास्ते से जोगीपुरा जाहिद के मकान तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ग्रीस व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका,

4-जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र अमरोहा के मुडा इम्मा से इस्लामी मदरसे से सहसपुर अलीनगर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जैद व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका तथा

5-जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र अमरोहा के तेलीपुरा में अस्पताल से डाईडेरा मार्ग तक के रोड का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गयूर अहमद व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री महेन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री महेन्द्र, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद अमरोहा के विकास खण्ड रहरा के ग्राम जल्लोपुर में रामदेव सिंह के घर से बांध तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका तथा

2-जनपद अमरोहा के विकास खण्ड रहरा के ग्राम जल्लोपुर में बांध से शिव नारायण के खेत तक खड़ण्जा/काली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका।

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड के नकुड़ फन्दपुरी मार्ग से खेडा कुटी से ढकदेई बहरामपुरा मार्ग तक लोक निर्माण विभाग द्वारा काली सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमपाल धीमान व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

2-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत ग्राम बहादरपुर से रणदेवा तक लोक निर्माण विभाग द्वारा काली सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

3-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत बान्दुखेडी से दैदनोर-बिजनाखेडी से ठाठखेडी तक लोक निर्माण विभाग द्वारा काली सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नाथीराम व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

4-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत ग्राम झरौली में लोक निर्माण विभाग द्वारा सी0सी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेघराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका तथा

5-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत पठेड नानौली मार्ग पर राजकीय इण्टर कालेज पंचकुआ से दभेडा तक लोक निर्माण विभाग द्वारा काली सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत माधौगढ़ से अमखेड़ा होकर कमसेरा तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश राजावत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत उमरी से नावर होकर कुठौंद तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामू चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन की तहसील कोंच के अन्तर्गत कोंच केलिया-सलैया मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चटाई निरंजन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत गोहान से सहाव मोड़ (जालौन-औरैया हाइ-वे) मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

5-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत माधौगढ़ से उमरी तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप राजावत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आदर्श मिश्रा प्रधान नदिहा बुजुर्ग व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर स्थित ककवन रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज या अंडरपास का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद कानपुर नगर के नगर पालिका बिल्हौर में सुभान नगर, बिल्हौर देहात, कुदौरा व बीबीपुर ग्राम पंचायत समाहित करके नगर पालिका का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका।

श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) †

श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के चिनहट क्षेत्र के अन्तर्गत मटियारी फैजाबाद रोड से सीता मिष्ठान व भारत भवन होते हुए डूडा कालोनी को जाने वाले संपर्क मार्ग (02 कि0मी0) का अतिक्रमण हटाकर चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री लवकुश मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम पंचायत रोहड़ा में मुलई के घर से जैश्री के घर तक आर0सी0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत एवं अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

2-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा भरछा नहर पिच रोड से बबल सोनकर के मकान तक सी0सी0रोड व साइडवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र विन्द एवं अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

3-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा कम्हरिया माइनर से नन्दू विन्द के मकान तक सी0सी0रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र विन्द एवं अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

4-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम पंचायत कठोड़ी में मटरू विन्द के मकान से कुनरू विन्द के मकान तक सी0सी0रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र विन्द एवं अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका तथा

5-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा हरिशंकरपुर में राम दुलारे चौहान के मकान से ग्राम प्रधान हाजिर रफीक के मकान तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान एवं अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री रमेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री रमेश, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-सुइथाकला में ग्राम पंचायत मनवल में शारदा सहायक 16 से रजवाहा नहर की पटरी पर अर्सिया गुड़बड़ी सम्पर्क सभा मार्ग से बसिरहा भुसौडी होते हुए भवानीपुर तक मार्ग का जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरेश धूरिया एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-सुइथाकला में सरायमोहिउद्दीनपुर-गौसपुर सम्पर्क से इन्द्रा पूर्व माध्यमिक विद्यालय बुढ़ुपुर तक जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव बिन्द एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-खुटहन में पट्टीनरेन्द्रपुर बाजार के सभी विद्युत तार को भूमिगत किये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-सुइथाकला में चेतरहॉ से मित्तूपुर तक सम्पर्क मार्ग का जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्पनाथ मौर्य एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-सोंधी में ग्राम पंचायत रानीमऊ से खण्ड-36 शारदा सहायक नहर पर बाक्स कलवर्ट निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में प्रमोद राजभर एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं †

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य के अन्तर्गत नक्खास तिराहे से नादान महल रोड रकाबगंज चौराहा होते हुए मौलवीगंज से अमीनाबाद चौराहे तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंश यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

2-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य के अन्तर्गत कैसरबाग आनंद सिनेमा चौराहे से लाटूश रोड होते हुए बांस मण्डी चौराहे तक पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शुभम यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद महोबा में ग्राम रैवारा से सुकैरा तक आर0सी0सी0/इण्टरलॉकिंग के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनरेश व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका,

2-जनपद महोबा की ग्राम पंचायत रिवई सुनैचा में ग्राम रिवई से बरबस पुरवा कैमाटा के रास्ते में श्याम नाला से आर-पार जाने हेतु पुल/रपटा के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेज प्रकाश शिवहरे व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका तथा

3-जनपद महोबा के ग्राम रैवारा खोड़ा से सुनैचा तक पक्की सड़क व बीच में पड़ने वाली रेलवे क्रासिंग पर आर0ओ0बी0 के निर्माण के सम्बन्ध में श्री संतराम व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ग्राम-पंचायत सिहुंआं में ग्राम कटिआ से ग्राम अट्ठईसा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमंत दोहरे एवं अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

2-जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत भरथना ऊसराहार तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका तथा

3-जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ग्राम-पंचायत मंगूपुर में नगला रनू सम्पर्क मार्ग से ग्राम चमरपुरा (विकास नगर) तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रताप सिंह वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के कूरेभार बाजार में निर्मित नलकूप विभाग का अतिथि गृह की बाउण्ड्री का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के सेमरी वरदहिया से गुडवड होकर सोनौर चमरा का बंधवा को जाने वाले मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका,

3-जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक अखण्डनगर के अन्तर्गत ग्राम हाजीपुर बीरी मंगलनगर बाजार से श्री लालजी मिश्रा के ट्यूबवेल के आगे तक लगभग 800 मी0 मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिजेन्द्र कुमार मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका,

4-जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक दोस्तपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे सर्विस रोड 149 किमी0 से 149.9 किमी0 तक ग्राम व्यासपुर में कूरेभार ड्रेन पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका तथा

5-जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के विरसिंहपुर से बागिया गांव को जाने वाले मार्ग का नवनिर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बिहारी वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका।

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के विकास खण्ड बुढ़ाना के ग्राम बिराल से ग्राम भनेड़ा कृष्णा नदी तक जिसकी लम्बाई 3 किमी0 तक मार्ग का विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

2-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के विकास खण्ड बुढ़ाना के ग्राम कुरथल नगवा मार्ग से कुरथल अटाली मार्ग तक रजवाहे की पटरी तक जिसकी लम्बाई लगभग 1 किमी0 है, का नवीनीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ठाकुर चन्द्रपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

3-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के विकास खण्ड बुढ़ाना के ग्राम नीमखेड़ी बड़ी नहर स्व0 चौधरीचरण सिंह की मूर्ति से लेकर गांव बिराल दीपक प्रधान के बाग बिराल-एलम मार्ग तक की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के विकास खण्ड बुढ़ाना के ग्राम दुर्गनपुर तालाब से बिराल-एलम मार्ग तक जिसकी लगभग ल0 1 किमी0 है की विशेष मरम्मत

---

† छापी नहीं गयीं।

कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधे ठाकुर व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

5-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के विकास खण्ड बुढ़ाना के ग्राम कमरूद्दीन नगर (सेनपुर) से ग्राम बिराल तक जिसकी लम्बाई 2 किमी0 तक है, मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रम्हपाल प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका।

श्री राजमणि, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री राजमणि, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड मेजा के अन्तर्गत बेलन ग्राम ककराही में पानी की टंकी का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेर बहादुर व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के कोरावं विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम चिरांव पोखडौर में ट्रांसफार्मर एवं पोल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

3-जनपद प्रयागराज के कोरावं विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बदौवा कला में नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शंकर लाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री राजीव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री राजीव कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अमरोहा, विधान सभा क्षेत्र धनौरा के सकरथली गांव में अमीचन्द के मकान से उदयराय के मकान होते हुए रमेश सैनी के घर तक सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सैनी व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका,

2-जनपद अमरोहा, विधान सभा क्षेत्र धनौरा के ग्राम हयातपुर से लम्बिया-हाशमपुर मार्ग तक सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका,

3-जनपद अमरोहा, विधान सभा क्षेत्र धनौरा के ग्राम रहदरा से जमनाबाद होते हुए बछरायूँ मार्ग तक सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री करन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद अमरोहा, विधान सभा क्षेत्र धनौरा के ग्राम डींगरा बिजली घर से पारा चौपला मार्ग तक सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रशेखर व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका तथा

5-जनपद अमरोहा, विधान सभा क्षेत्र धनौरा के ग्राम पपसरी बांगर से पहाड़पुर इनायत होते हुए बिजनौर सीमा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सण्डवा चण्डिका के अन्तर्गत सण्डवा चण्डिका-अमेठी मार्ग से बहरिया तारनपुर धरौली मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

2-जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के अन्तर्गत चिलबिला सराय रजई सम्पर्क मार्ग से अतरसण्ड राजकीय महाविद्यालय सम्पर्क मार्ग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

3-जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सण्डवा चण्डिका के अन्तर्गत ग्राम धन्नौर में 25 के0वी0ए0 के स्थान पर 63 के0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

4-जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सण्डवा चण्डिका के अन्तर्गत सण्डवा चण्डिका-कटका मार्ग से बझान सम्पर्क मार्ग बाबू लाल के घर तक मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका तथा

5-जनपद प्रतापगढ़ में विकास खण्ड बाबा बेलखरनाथ धाम के ग्राम ताला में 10 के0वी0ए0 के स्थान पर 25 के0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना पाल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका।

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मथुरा, तहसील मांट के नौहझील ब्लॉक में गांव नौशेरपुर एवं बरौठ के बीच सिंचाई विभाग के पथवाहे नाले पर क्रासिंग पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रधान एवं अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद मथुरा, तहसील मांट के मौजा बाघर्रा में श्री लोकमणि शर्मा महाविद्यालय को कूटरचित खतौनी की गाटा संख्या 26 पर और महाविद्यालय की स्थापना 26/1, 26/2 में दिखाकर 26/3 में करने पर डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा और एस0सी0ई0आर0टी0 लखनऊ द्वारा प्रदत्त मान्यताओं को तत्काल रूप से समाप्त कराने के सम्बन्ध में श्री हरी शंकर एवं अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित बेवाना (मुसईतपुर) सरजू लोहार के घर से मुस्लिम जगदीशपुर (रजईया) सोनू प्रसाद के घर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा जल्लापुर मसेढा पिचमार्ग से सूल्हनतारा होते हुए इटरौरा सम्पर्क मार्ग तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गोली राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित सिकन्दरपुर सम्मनपुर सम्पर्क मार्ग रामनाथ के खेत से ग्राम गंगिला बब्बन के खेत तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटैलाल राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा कैथी नसीरपुर प्रा0वि0 के बगल से उसकी दलित बस्ती होते हुए डड़वा दलित बस्ती तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री हौसिला व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा ससपना में रामचन्दर कन्नौजिया के घर से रानीपुर पिच मार्ग तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला के अन्तर्गत रानीपुर काजी और पेड़रही को गिलोला खुटेहना मुख्य मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री राज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

2-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड जमुनहा के अन्तर्गत नासिरगंज इमलिया डामर मार्ग से उच्चवा मन्दिर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

3-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड जमुनहा के अन्तर्गत दरौरा दक्षिण नहर पुल सेमरहना तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

4-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड जमुनहा के अन्तर्गत ददौरा पप्पू यादव के घर के पूरब डामर रोड के उत्तर गनेशपुर ललित कुमार त्रिपाठी के घर तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिओम शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका तथा

5-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला के अन्तर्गत ग्राम काशीपुर मुसा के गौशाला सम्पर्क मार्ग से मिश्रिपुरवा, शिवालापुरवा होते हुए रहमुनिया नहर तक सम्पर्क मार्ग पर पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका।

श्री रामदुलार, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री रामदुलार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में ग्राम पंचायत इकदिरी में कामेश्वर यादव के घर से रामदेव के घर तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामदेव व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

2-जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी के ग्राम पंचायत रन्न में डिहवार बाबा से मुरगुडी पहाड़ तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी के ग्राम पंचायत आरंग पानी के झपरीडाड बस्ती मेन रोड से बस्ती तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रह्मदेव व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र-226 के क्षेत्रान्तर्गत नगर ललितपुर के मोहल्ला गोविन्द नगर में रावतयाना में कैलाश नारायण कुशवाहा के मकान से प्रकाश नारायण साहू के मकान तक सी0सी0 रोड लगभग 500 मी0 का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश नारायण कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

2-जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र-226 के क्षेत्रान्तर्गत नगर ललितपुर ग्राम पंचायत बार में ग्राम सभा की भूमि पर श्मशान घाट के निर्माण के सम्बन्ध में श्री हरपाल सिंह सिसौदिया व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

3-जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र-226 के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड जखौरा की ग्राम पंचायत बांसी में हाई-वे के समीप श्मशान घाट के निर्माण के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र बरौदिया व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

4-जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र-226 के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड विरधा की ग्राम पंचायत देवगढ़ में ग्राम के समीप श्मशान घाट के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुरेश कोन्ते महाराज व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका तथा

5-जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र-226 के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड तालबेहट की ग्राम पंचायत विजयपुरा में रावतयाने में शमशान घाट के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सन्जू राजा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बिजनौर के ग्राम किवार मेन रोड से मंगोलपुरा तक 1.00 किमी0 पक्की सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री वकील अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद बिजनौर के ग्राम खजुरी मेंन रोड से जलालपुर दिया तक 700 मी0 पक्की सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

3-जनपद बिजनौर के ग्राम रहटा बिलौच सरकारी कुएं से दौलतपुर तक 1.00 किमी0 पक्की सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नफीस व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

4-जनपद बिजनौर के ग्राम मंगोलपुरा के सदनपुर वाया महमूदनशो तक 1.00 किमी0 पक्की सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शाकिर अली व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका तथा

5-जनपद बिजनौर के ग्राम बेर, शेरगढ़ चामुण्डा से कैमरी तक 500 मीटर पक्की सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं[†]

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम बादशाहपुर माजरा वैर में श्री राजपाल सिंह के ट्रांसफार्मर से मीरपुरा की पुलिया तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम अरौरा से बादशाहपुर अरौढ़ा के शमशान घाट तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम वैलाना में वैलाना सम्पर्क मार्ग से हुसैनपुर सम्पर्क मार्ग तक खड़ण्जा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाषचन्द व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम चौकी में रजवाहे से शमशान घाट तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सोनू व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

[†] छापी नहीं गयीं।

5-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम महीपा जागीर में मेन रास्ते से बलजीत के मकान से काली सड़क तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत स्थित कटेहरी बाजार मेन रोड से कैलाश कन्नौजिया के घर के बगल से हर गोविन्द यादव के खेत तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विक्रम यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-भीटी के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा टण्डौली रामकुमार वर्मा के घर से शिवपूरन वर्मा के घर होते हुए शारदा प्रसाद वर्मा के घर तक पिच मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवपूरन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-टाण्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा अलनपुर मदरसा मिस्बाहुल उलूम से कनासपुर जहीर अहमद के घर तक पिच मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जमाल बेग व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत स्थित ग्राम पांती कृषि विज्ञान केन्द्र हनुमान मन्दिर से सरखने उसरा तक पिच मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री किशन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-टाण्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा खान्शा पहाड़पुर मस्जिद से बदरूद्दीनपुर पक्की सड़क तक लेपन कार्य जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हैदर अब्बास व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत बढ़ैया से ग्राम बेनी तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत मछेछा से सिसोरा नासिर के नहर पुल तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

3-जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत देहरा अजीजपुर से छपौरा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

4-जनपद खीरी के विकास खण्ड पसगंवा के अन्तर्गत सोनौवां से कोटरा लिंक तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष सिंह व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका तथा

5-जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी एवं पसगंवा में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका।

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद हापुड़ के ब्लाक हापुड़ अन्तर्गत ग्राम डहाना में सुभाष पुत्र श्री रतन सिंह के घर से कुवंर पाल सिंह के खेत तक 1200 मी0 तक रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में श्री अजय भास्कर एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका,

2-जनपद हापुड़ के ब्लाक हापुड़ अन्तर्गत ग्राम सिरोथन में गुलावठी-धैलाना रोड से राजकीय ट्यूबवेल नं0 103 तक लगभग 1 कि0मी0 तक रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में श्री मोनू एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका,

3-जनपद हापुड़ के ब्लाक हापुड़ अन्तर्गत ग्राम चचैई में फौजी सतपाल के खेत से जोगिंन्द्र सिंह के ट्यूबवेल तक लगभग 1 कि0मी0 तक रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में श्री अमित एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका,

4-जनपद हापुड़ के ब्लाक हापुड़ अन्तर्गत ग्राम भटियाना में परवीन पुत्र श्री सूरजपाल के चक से अनीस के खेत तक लगभग 1 कि0मी0 तक रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में श्री गुड्डू एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका तथा

5-जनपद हापुड़ के ब्लाक हापुड़ अन्तर्गत ग्राम मतनावली में बिल्ला निरंजन की झोपड़ी से लेकर कर्मवीर के खेत तक लगभग 1 कि0मी0 तक रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में श्री अजय एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद भदोही विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में दशरथपुर हरिजन बस्ती से नहर की पटरी होते हुए मीनापुर हरिजन बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द दुबे व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका,

2-जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में शिव मंदिर कलिंजर घाट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका,

3-जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में गिरनारी बाबा आश्रम फूलवरिया का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका तथा

4-जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में भरतपुर रामलीला मैदान से कंचनपुर प्राथमिक विद्यालय होते हुए संतोष चन्द्र बिन्द के मकान तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय प्रकाश बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका।

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा, ग्राम मदनपुर सुकरौली छोटी गण्डक पर दुलारे प्रसाद के घर के पास लगभग 65 मी0 पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा, ग्राम सभा बसडिला में बगही घाट पर लगभग 60 मी0 पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश उपाध्याय एवं अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा, ग्राम भैंसहा में नारायणी नदी के बड़ी गण्डक नदी पर स्थित पीपा पुल पर लगभग 1 कि0मी0 पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास गुप्ता एवं अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4-जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा, नारायणी नदी के पार महाराजगंज जनपद के निचलौल तहसील के कई गावों को कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत तिवारी एवं अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा, ग्राम सभा जीपयनपुर के सामने ग्राम सभा विंदवलिया में मकुनही घाट पर लगभग 100 मी0 पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीजेन्द्र तिवारी एवं अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र-145, महोली के विकास खण्ड पिसावां में पिसावां मार्ग से ग्राम पल्हरिया तक रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में श्री सालिक राम व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

2-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र-145, महोली के विकास खण्ड पिसावां में पिसावां नेरी मार्ग से रमुआपुर होते हुये बरगवां पिसावां मार्ग तक रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

3-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र-145, महोली के विकास खण्ड पिसावां की ग्राम पंचायत जहासापुर में एक बरात घर निर्माण के सम्बन्ध में श्री राममूर्ति एवं अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका तथा

4-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र-145, महोली के विकास खण्ड पिसावां में ग्राम बरखेरवा तहसील महोली मे एक बरात घर निर्माण के सम्बन्ध में श्री अशोक शुक्ल एवं अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत ग्राम सभा आसन के बिजली के तार बदलने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

2-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत ग्राम सभा सिकटौटी के बिजली के तार बदलने के सम्बन्ध में श्री अंकित यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

3-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत विकास खण्ड-गड़वार के रतसर-मेऊली से बरतर बहादुरपुर कारी तक सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत ग्राम सभा कुकुरभुक्का के बिजली के तार बदलवाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका तथा

5-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत विकास खण्ड-गड़वार के ग्राम पचखोरा करम्मर मार्ग से जगु के टोला होते हुए परानपुर नहर तक सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में श्री यदुवेन्द्र यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-कानपुर शहर के अन्तर्गत निर्मित घाटों पर स्नान घाट एवं वस्त्र बदलने का कमरा बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

2-कानपुर शहर में शहरी रिहायसी इलाकों से गुजरती कच्ची नहर (सी0टी0आई0-नहर) को पक्का कराने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

3-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत लखनऊ-झांसी मार्ग से शक्ति नगर, नौरय्याखेड़ा होते हुए, सी0टी0आई0-चौराहे तक पक्का मार्ग एवं छठ घाट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

4-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में वार्ड-34 में बर्रा-3, बर्रा-4, बर्रा-5, बर्रा-6 व बर्रा-7 में पेयजल की गम्भीर समस्या के निस्तारण हेतु नई वाटर लाइन बिछवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका तथा

5-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में दबौली, गुजैना गाँव, नौरेय्याखेड़ा, दबौली वेस्ट में सीवर की गम्भीर समस्या के निस्तारण हेतु नई सीवर लाइन बिछवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित सरोज व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका।

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री हरीओम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कासगंज के अमाँपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रूप कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमाँपुर के ग्राम उढैर में मुख्य मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरन व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका,

3-जनपद कासगंज के अमाँपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लोधीपुर में मुख्य मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 सड़क व नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका,

4-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमाँपुर के मनकई में मुख्य मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका तथा

5-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमाँपुर के ग्राम हसनपुर में मुख्य मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका।

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद-हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम-अट्टा धनावली से डेरियो तक लम्बाई लगभग 1.5 कि0मी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री विनय प्रधान एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका,

2-जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम-रामपुर न्यामतपुर प्रा0वि0 से सिद्ध बाबा मंदिर से होते हुए गुरूचरण सिंह के फार्म तक लम्बाई लगभग 05 कि0मी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री परमजीत सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका,

3-जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम-हबिसपुर विगास में बारात घर के निर्माण के सम्बन्ध में श्री नीरज पाल एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका,

4-जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम-शाहपुर जट्ट में शमशान घाट (अन्त्येष्टि स्थल) की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मनोज एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका तथा

5-जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम-लिसडी में नाग बाबा मंदिर से चन्द्रसैन के ट्यूबवेल तक लम्बाई 1.5 किमी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री नेत्रपाल प्रधान एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत हण्डिया कटहरा सम्पर्क मार्ग पर स्थित शिवशंकर यादव के आरा मशीन से होते हुए धनूपुर सम्पर्क मार्ग तक सड़क नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवशंकर यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत स्थित भीटी नब्बे चौराहा पक्की सड़क पहलवान वीर बाबा से सराय कस्तूरिया होते हुए शर्मा एवं यादव बस्ती तक मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उपरदह गौशाला पक्की सड़क से गुनराज यादव के आवास यादव बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री काशीनाथ बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चकनन्दू के चन्द्रशेखर यादव के आवास से राजाराम के आवास होते हुए शारदा सहायक नहर तक मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशाराम यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत रामपुर सदिलहा के प्राथमिक विद्यालय से यादव बस्ती होते हुए प्रजापति एवं पासी बस्ती तक मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साधू मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्रीमती अन्जुला सिंह माहौर, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्रीमती अन्जुला माहौर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद हाथरस के जलेसर रोड से तिलोहटी भोलेनाथ मंदिर तक के छतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद हाथरस के ब्लॉक सासनी के जिरौली डाबर रोड पुल से अलीपुर महुवा की नगरीय मार्ग तक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूरा पहलवान व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

3-जनपद हाथरस के ब्लॉक सासनी कोतवाली चौराहा इगलास रोड से सददा नंगला होते हुए बम्बा की पटरी लाहौरी पुल तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश चौहान व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

4-जनपद हाथरस के सासनी नानऊ मार्ग भोपतपुर से बाबली मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीकम सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका तथा

5-जनपद हाथरस के नंगला कहेरिया से हरौली तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विष्णु बघेल व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका।

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद श्रावस्ती, विधान सभा क्षेत्र भिन्गा के ब्लाक सिरसिया अन्तर्गत ग्राम बनगाई में लम्बाई लगभग 200 मी0 तिलक राम पाण्डेय के घर तक आर0सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू वर्मा, निवासी जनपद श्रावस्ती की याचिका,

2-जनपद श्रावस्ती, विधान सभा क्षेत्र भिन्गा के ब्लाक हरिहरपुर अन्तर्गत ग्राम पाण्डेय पुरवा में बब्लू मिश्रा के घर तक लम्बाई लगभग 200 मी0 आर0सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कन्धई लाल वर्मा, निवासी जनपद श्रावस्ती की याचिका तथा

3-जनपद श्रावस्ती, विधान सभा क्षेत्र भिन्गा के ब्लाक सिरसिया अन्तर्गत ग्राम देवतहा पक्की रोड से वीरपुर ग्राम तक लम्बाई 500 मीटर लेपन स्तर का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश पासवान एवं अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका।

श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित 04 याचिकाएं †

श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बांदा, विधान सभा क्षेत्र नरैनी में मुंसिफ न्यायालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री करूणानिधि एवं अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद बांदा, विधान सभा क्षेत्र नरैनी, नगर पंचायत ओरन में पुलिस चौकी की जगह नया थाना स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश चौरसिया एवं अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका,

3-जनपद बांदा, विधान सभा क्षेत्र नरैनी, ग्राम पंचायत करतल में पुलिस चौकी की जगह नया थाना स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामदीन साहू एवं अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका तथा

4-जनपद बांदा, विधान सभा क्षेत्र नरैनी, ग्राम पंचायत बदौसा को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कन्हैया श्रीवास्तव एवं अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित

05 याचिकाएं (व्यपगत)[†]

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद प्रयागराज के वि0 ख0 बहरिया के अन्तर्गत ग्राम सरांय जोधराय होरी लाल पासी के घर से तेलियरबीर तिलई सम्पर्क मार्ग तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री होरी लाल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के वि0 ख0 मऊआइमा के अन्तर्गत ग्राम सूरजभानपुर इस्माइलपुर में तार व पोल के साथ 63 के0 वी0 ट्रांसफारमर के प्रतिस्थापन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरधारी लाल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के वि0 ख0 बहरिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जाम्हा खास में राम सिंह हरिजन के घर से सिसई भौंका मार्ग यादव बस्ती तक सी0 सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के वि0 ख0 बहरिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जाम्हा खास में चुन्नू हरिजन के घर से कब्रिस्तान तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के वि0 ख0 बहरिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उपरौड़ा से सरंगापुर पाल बस्ती तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित

05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद इटावा के अंतर्गत इटावा नगर क्षेत्र के प्राचीन काली वाहन मंदिर में एक सत्संग हाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनंत अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

2-जनपद इटावा के ब्लाक बढ़पुरा में 33 के0वी0ए0 का पावर हाउस बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

3-जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र में इटावा के अन्तर्गत शहर में स्वास्थ्य विभाग के खाली पड़े भवन में 50 क्षमता का मेडिकल केयर यूनिट प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र जैन व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

4-जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र में इटावा के अन्तर्गत नगर क्षेत्र के समीप से जुगरी प्राचीन यमुना नदी के घाटों के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सागर दुबे व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका तथा

5-जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र में इटावा के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन/नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित

04 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-133, तिलहर वि0ख0 निगोही के बुढानापुर मार्ग से ग्राम बरौरा सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-133, तिलहर वि0ख0 निगोही के ग्राम कुदिरना मार्ग के छूटे हुए भाग में पुलिया एवं सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 0.70 कि0मी0) के निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिव प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-133, तिलहर वि0ख0 तिलहर के ग्राम रूजवारी नहर की पुलिया से बिहारीपुर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

4-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-133, तिलहर वि0ख0 निगोही के ग्राम कुदिरना से डालमिया चीनी मिल नहर पटरी तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 1.70 कि0मी0 का नव निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ब्लाक चरंथावल के ग्राम जडौदा में अल्पसंख्यक विभाग द्वारा एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फुरखान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

2-जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक बघरा के अन्तर्गत ग्राम माण्डी में तितावी नहर के पुल से माण्डी, करवाड़ा, हरसौली नहर की पटरी लम्बाई लगभग 08 कि0मी0 डामर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भोला व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

3-जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित स्पोर्ट स्टेडियम में बनवाये जा रहे सिंथेटिक टैंक को किसी अन्य जगह बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल भारद्वाज व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक बघरा के अन्तर्गत ग्राम मंगनपुर से नंगला पिथौरा लम्बाई लगभग 04 कि0मी0 तक डामर रोड का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशू व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

5-जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक बघरा के अन्तर्गत ग्राम सभा गढ़ीदेशराज के बस स्टैण्ड से उच्च प्राथमिक विद्यालय लम्बाई लगभग 02 कि0मी0 तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

[05:44] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

आज दिनांक 02-03-2023 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 107 सूचनाएँ प्राप्त हुई जिनमें से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयी :-

पहली श्री अभय सिंह की सूचना जनपद अयोध्या मण्डल के उप शिक्षा निदेशक द्वारा अकूत संपत्ति अर्जित करने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अमित अग्रवाल की प्रदेश के 11 छावनी परिषदों को नगरीय निकाय स्वीकार करके अनुमन्य नागरिक सुविधायें उलब्ध कराने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना, श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत खखरेरू में नवीन तहसील का सृजन कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा चौथी सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के अन्तर्गत कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री मोहन वर्मा की मदरसा अंजुमन इस्लामिया नुरूल उलूम ग्राम भानपुर, पोस्ट नकटहा मिश्र जनपद कुशीनगर में तत्कालीन मदरसा प्रबन्धक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तथा दूसरी सूचना श्री चन्द्र प्रकाश लोधी की जनपद फतेहपुर के वि0 ख0 हस्वा में पानी की टंकी की पाइप लाइन खराब होने की वजह से पेयजल की आपूर्ति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री कमाल अख्तर की जनपद मुरादाबाद के वि0स0 काठ के नगर पंचायत आगवानपुर से रामगंगा नदी के ऊपर ग्राम चटकाली तक पैटून पुल निर्माण के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना ई0 सचिन यादव की प्रदेश में पोस्टमार्टम किये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुये एकल खिड़की प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अनिल प्रधान की जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत कर्वी में कतिपय पुलिया के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्रीमती मनीषा अनुरागी की जनपद हमीरपुर के वि0स0 राठ में घुमन्तु जाति के लोगों को सरकारी आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री अरमान खान की जनपद अमेठी में अपर जिलाधिकारी के स्थानान्तरण के बावजूद भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री प्रसन्न कुमार, डॉ मनोज कुमार प्रजापति,श्री राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया, श्री रामअवतार सिंह सैनी, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री राजेश गौतम, श्री अनिल कुमार, श्री त्रिभुवन दत्त, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री राकेश कुमार गोस्वामी, श्री प्रदीप शुक्ला, श्री बम्बालाल दिवाकर, श्री पीयूष रंजन, श्री रामरतन कुशवाहा, श्री पल्टूराम, श्री प्रकाश द्विवेदी, श्री नफीस अहमद श्री मनीष जायसवाल, श्री अजय सिंह, श्री निर्मल वर्मा, श्री राहुल बच्चा सोनकर, श्री श्याम प्रकाश, श्रीमती नीलिमा कटियार, मो0 फहीम इरफान, श्री जैकिशन साहू, श्री जियाउर्रहमान बर्क, श्री समरपाल सिंह, श्री स्वामी ओमवेश, श्री बेदी, श्री योगेश वर्मा, डॉ0 सुरमी, डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री उमाशंकर सिंह, श्री रमेश चन्द्र मिश्र,

श्री लालजी वर्मा, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री राम अचल राजभर, श्री दूधराम, श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, श्रीमती केतकी सिंह, श्री राजपाल सिंह बालियान, डॉ0 राघवेन्द्र शर्मा, श्री अशरफ अली खॉन, श्री राम फेरन पाण्डेय, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री वीरेन्द्र चौधरी, श्री मनीष रावत, श्री श्रीकान्त कटियार, श्री मुकेश चौधरी, श्रीमती विजमा यादव, डॉ0 मंजू शिवाच, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री रमेश जायसवाल, श्री तसलीम अहमद, श्री एच0 एन0 पटेल, श्री निर्मल वर्मा, श्री विकास गुप्ता, श्री राजीव गुम्बर, श्री लक्ष्मीराज सिंह, श्री पंकज पटेल, डॉ0 डी0सी0 वर्मा, श्री पंकज गुप्ता, श्री हरिओम वर्मा, श्री राम सिंह पटेल, श्री जवाहर लाल राजपूत, डॉ0 शिव प्रताप यादव, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री संजय शर्मा, श्री अताउर्रहमान, डॉ0 वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस', ई0 बृजेश कठेरिया, श्री देवेन्द्र निम, श्री आशु मलिक, श्री विनय प्रकाश गोड़, श्रीमती गीता शास्त्री, श्री बाबूराम पासवान, श्री हंसूराम, श्री राम पाल वर्मा, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्रीमती सरिता भदौरिया, श्री विनोद सरोज, डॉ0 विमलेश पासवान, श्रीमती सैय्यदा खातून, मो0 हसन रूमी, श्री रामचन्द्र यादव, श्री ब्रजभूषण राजपूत, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री विवेक कुमार वर्मा, श्री छोटेलाल वर्मा, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह श्री पंकज सिंह तथा ई0सरवन कुमार निषाद।

[05:51] उ0प्र0 की चीनी मिलों में मजदूरों को न्यूनतम वेतन व मजदूरों पर हो रहे अत्याचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री का वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

मान्यवर, श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-2632/आई0आर0डी0-61, दिनाँक 01-03-2023 द्वारा अवगत कराया गया है .....

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(श्रम एवं सेवायोजन मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अनिल राजभर-

[कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासकीय अधिसूचना संख्या-1305/36-2-2022-08-2004 टी0सी0, दिनांक 29-06-2022 व अधिसूचना संख्या-2156788/2022/श्रम-2, दिनांक 03-08-2022 के माध्यम से प्रदेश की चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों के नये वेज बोर्ड को लागू किया गया है, जिसके अनुसार श्रमिकों को दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से पुनरीक्षित वेतनमान सहित रु0 1600/- की एकमुश्त बढ़ोत्तरी सहित 04 बराबर किस्तों में एरियर की राशि देय है। प्रदेश की 56 चीनी मिलों में दिनांक 01-10-2018 से पुनरीक्षित वेतन प्राप्त होने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की सूचना प्राप्त हुई है तथा प्रदेश के 23 चीनी कारखानें जो उत्तर प्रदेश सोसाइटी एक्ट 1965 के अधीन संचालित हैं, वे उपर्युक्त अधिसूचना से आच्छादित नहीं हैं। श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के 18,569 श्रमिकों को लगभग 35 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मेसर्स आई0पी0एल0 तितावी शुगर काम्पलेक्स, मुजफ्फरनगर में 490 श्रमिकों को रु0 1,13,30,537/- व आई0पी0एल0 यूनिट रूहाना कला में 126 श्रमिकों को रु0 27,01,561/-, मेसर्स आई0पी0एल0 शुगर डिवीजन जरवल, बहराइच में 91 श्रमिकों को रु0 23,68,325/-, मेसर्स आई0पी0एल0 लि0 खड्डा, कुशीनगर में रु0 18,75,025/- व मैसर्स आई0पी0एल0 इकाई सकौती टाडा, मेरठ में श्रमिकों को एरियर प्रदान किये जाने की सूचना प्राप्त है।

वर्तमान में प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण हेतु नवीन निरीक्षण प्रणाली-2017 एवं 2019 लागू है, जिसके अन्तर्गत किसी भी औद्योगिक इकाई का वर्ष में केवल एक ही बार निरीक्षण कराये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय निरीक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत 06 चीनी कारखानों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें आई0पी0एल0 तितावी का निरीक्षण दिनांक 23-09-2022 को किया गया था। तत्समय मिल में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया था। निरीक्षणोपरान्त वेतन भुगतान अधिनियम, आनुतोषिक भुगतान अधिनियम, स्थायी आदेश अधिनियम, राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण टिप्पणियां जारी की गयी हैं व बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत प्राभियोजन न्यायालय में दायर किया जा चुका है। शेष अधिनियमों से सम्बन्धित कार्यवाही सहायक श्रमायुक्त कार्यालय मुजफ्फरनगर से प्रचलित है तथा नापतौल केन्द्रों की जांच/निरीक्षण हेतु उप श्रमायुक्त, सहारनपुर द्वारा टीम का गठन कर दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्रम विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को नवीन निरीक्षण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी मिलों की जाँच कर सुसंगत प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।]

श्री अध्यक्ष-

पंकज मलिक जी आप कुछ पूछना चाहते हैं ?

***श्री पंकज कुमार मलिक-**

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मैंने इसमें जो सूचनाएं माँगी थी। मैंने तितावी व शामली शुगर मिल दोनों की सूचना माँगी थी। एक तो सूचना अधूरी है केवल तितावी की सूचना दी गयी है, शामली शुगर मिल की सूचना इसमें नहीं है। दूसरा बहुत गम्भीर मामला है कि वहाँ पर चौकीदार रखे जाते हैं उन्हें 04 हजार से 06 हजार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपये के बीच में तनख्वाह दी जाती है। कोई वेज-बोर्ड नहीं है। इसके बारे में कुछ लिख करके नहीं दिया, बता दिया कि हमने इतना पैसा दिया, इतना कर दिया। मैंने पूछा था तो चौकीदारों के लिए जाँच कर लेते। अगर हम मजदूरों की बात इस सदन में बैठ करके नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे ? मान्यवर, यह जो उत्तर दिया गया है यह किसी भी तरह से सही नहीं है। आप किसी भी स्तर से जाँच करा लीजिएगा। मान्यवर, चौकीदार को 4 हजार रुपये दिये जाते हैं। गन्ना तौल पर जो बाबू रखा जाता है उसको 10 हजार रुपया दिये जाते हैं। उसकी ड्यूटी शिफ्ट में होती है, जबकि चौकीदार को चौबीस घण्टे रहना पड़ता है और उसके अनुसार तनख्वाह मिल नहीं पाती है। ये शुगर मिल मालिक लूट मचाने का काम करते हैं और मजदूर को उसके हक से वंचित रखने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर गम्भीर फैसला लेकर दोनों मिलों की सूचना आ जाये और गम्भीर फैसला लेकर कोई समिति बना दें। गरीबों, मजदूरों, मजलूमों का मामला है। कोई समिति बना दें और समिति वहाँ जाकर जाँच कर ले। मुझे भी मौका दे दीजिएगा कि हम लोग सब जाकर जाँच कर लें, गरीबों का भला होगा। इतना छोटा सा अनुरोध है।]

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जो बात माननीय सदस्य ने कही है कि इसमें इन्होंने कुछ सूचना माँगी थी, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसकी पूरी सूचना ले करके माननीय सदस्य को तथा सम्बन्धित अधिकारी को अपने आफिस में बुलवा लीजिएगा, ताकि इनको पूरी सूचना मिल जाये और आवश्यक कार्यवाही हो जाये।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, आप बुला लीजिएगा। अध्यक्ष जी, आप एक समिति भेज दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मैं नहीं, मा0 मंत्री जी अपने कार्यालय में आपको बुला लेंगे। जहाँ तक मंत्री जी ने समिति भेजने की बात कही है, तो हर जगह समिति नहीं भेजी जा सकती। मंत्री जी आपको बुला लेंगे वहाँ सम्बन्धित अधिकारी भी होंगे, वहीं पर इसका निस्तारण हो जायेगा।

[05:52] जनपद-रायबरेली के ऊँचाहार के जगतपुर, दीनशाह गौरा, डलमऊ में जाने वाले इसौर ड्रेन की सफाई व पुल-पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी उपस्थित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

कोई बात नहीं, वक्तव्य आ गया है, तो इसको पढ़ दीजिए।,

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर, दीनशाह गौरा व डलमऊ.....

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[में स्थित इसौर ड्रेन की कुल लम्बाई 47.00 किमी0 तथा शीर्ष डिस्चार्ज 15.07 क्यूमेक है। यह ड्रेन ग्राम घुरवारा (विकास खण्ड-डलमऊ) से निकल कर सई नदी में गिरती है। इस ड्रेन के किमी0 0.000 से किमी0 12.000 तक का भाग तीव्र प्राकृतिक ढाल में है। वर्ष 2011-12 में इस ड्रेन के किमी0 12.000 से किमी0 47.000 तक का पुनरोद्धार का कार्य सोडिक परियोजना के अन्तर्गत कराया गया था। इसौर ड्रेन पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुरक्षण/सफाई का कार्य कराया गया था। सोडिक परियोजना के मापदण्ड के अनुसार तीन वर्ष पश्चात् वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस ड्रेन पर अनुरक्षण/सफाई का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

सुल्तानपुर जनौली व चूली के बीच पुलिया के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में यहाँ पर ह्यूम पाइप कल्वर्ट बना हुआ है, जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा बनवाया गया है। इसका विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर साध्य पाये जाने पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

दीनशाह गौरा ब्लाक में ग्राम नरायनपुर बन्ना व धीरनपुर के बीच के नाले पर पुल-पुलिया/ह्यूम पाइप के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ह्यूम पाइप सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं डाला गया है। इसके दोनों तरफ पक्की रोड नहीं बनी हुई है। विस्तृत सर्वेक्षण कराकर साध्य पाये जाने पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।]

[05:54] मेसर्स जे0पी0एस0 इम्पोरियम तथा देव इन्फ्रा अयोध्या द्वारा उ0प्र0 ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के काम में हो रही अनियमितता के बावजूद टेण्डर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

ऊर्जा मंत्री (श्री ए0 के0 शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम, अयोध्या एवं श्री देव इन्फ्रा, अयोध्या द्वारा प्रश्न में इंगित पारेषण मण्डलों में कीजा रही.....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[निविदाओं के सम्बन्ध में वित्तीय वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

1-वित्तीय वर्ष 2017-18-

निविदा सं0-67, 78, 79/ ई0टी0सी0 वाराणसी :-

उक्त निविदाओं के अनुबंध श्री देव इन्फ्रा लि0, अयोध्या से किये गये। मुख्य अभियन्ता (पारेषण दक्षिण-पूर्व), प्रयागराज के पत्र संख्या-736, दिनांक 28-02-2023 द्वारा सूच्य है कि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रपत्रों की जाँच की गयी एवं यह पाया गया कि फर्म को अनुबन्धानुसार भुगतान किया गया एवं फर्म द्वारा सभी कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य वैधानिक देय यथा ई0पी0एफ0 का भुगतान मानक के अनुरूप एवं समस्त कर्मचारियों का बीमा भी कराया गया था।

निविदा सं0-66/ ई0टी0सी0 मिर्जापुर :-

उक्त निविदा का अनुबन्ध मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम, अयोध्या से किया गया। मुख्य अभियन्ता (पारेषण दक्षिण-पूर्व), प्रयागराज के पत्र संख्या-736, दिनांक 28-02-2023 द्वारा सूच्य है कि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रपत्रों की जाँच की गयी एवं यह पाया गया कि फर्म को अनुबन्धानुसार भुगतान किया गया एवं फर्म द्वारा सभी कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य वैधानिक देय यथा ई0पी0एफ0 का भुगतान मानक के अनुरूप एवं समस्त कर्मचारियों का बीमा भी कराया गया था।

निविदा सं0-151/ई0टी0सी0, इलाहाबाद :-

उक्त निविदा का अनुबन्ध मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम, अयोध्या से किया गया। मुख्य अभियन्ता (पारेषण दक्षिण-पूर्व), प्रयागराज के पत्र संख्या-736, दिनांक 28-02-2023 द्वारा सूच्य है कि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रपत्रों की जाँच की गयी एवं यह पाया गया कि फर्म को अनुबन्धानुसार भुगतान किया गया एवं फर्म द्वारा सभी कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य वैधानिक देय यथा ई0पी0एफ0 का भुगतान मानक के अनुरूप एवं समस्त कर्मचारियों का बीमा भी कराया गया था।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-वित्तीय वर्ष 2018-19-

निविदा सं0 171/ई0टी0सी0, इलाहाबाद :-

निविदा निरस्त होने के कारण किसी भी फर्म को आवंटित नहीं की गई है।

निविदा सं0-188/ई0टी0सी0 मिर्जापुर :-

इस अवधि में विभागीय कार्मिकों की तैनाती हो जाने के कारण फर्म को कार्यादेश निर्गत नहीं किया गया।

निविदा सं0-238/ई0टी0सी0, लखनऊ प्रथम :-

उक्त निविदा का अनुबन्ध मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम, अयोध्या से किया गया। मुख्य अभियन्ता (पारेषण मध्य), लखनऊ के पत्र संख्या-317, दिनांक 27-02-2023 द्वारा सूच्य है कि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रपत्रों की जाँच की गयी एवं यह पाया गया कि फर्म को अनुबन्धानुसार भुगतान किया गया एवं फर्म द्वारा सभी कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य वैधानिक देय यथा ई0पी0एफ0 का भुगतान मानक के अनुरूप एवं समस्त कर्मचारियों का बीमा भी कराया गया था।

निविदा सं0-119/ई0टी0सी0 बस्ती :-

उक्त निविदा का अनुबन्ध मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम, अयोध्या से किया गया। मुख्य अभियन्ता (पारेषण उत्तर-पूर्व), गोरखपुर के पत्र संख्या-570, दिनांक 27-02-2023 द्वारा सूच्य है कि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रपत्रों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि फर्म को अनुबन्धानुसार भुगतान किया गया एंव फर्म द्वारा सभी कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य वैधानिक देय यथा ई0पी0एफ0 का भुगतान मानक के अनुरूप एवं समस्त कर्मचारियों का बीमा भी कराया गया था।

3-वित्तीय वर्ष 2019-20-

निविदा सं0 05/ई0टी0सी0, लखनऊ प्रथम :-

उक्त निविदा का अनुबन्ध मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम, अयोध्या से किया गया। मुख्य अभियन्ता (पारेषण मध्य), लखनऊ के पत्र संख्या-317, दिनांक 27-02-2023 द्वारा सूच्य है कि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रपत्रों की जाँच की गयी एवं यह पाया गया कि फर्म को अनुबन्धानुसार भुगतान किया गया एवं फर्म द्वारा सभी कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य वैधानिक देय यथा ई0पी0एफ0 का भुगतान मानक के अनुरूप एवं समस्त कर्मचारियों का बीमा भी कराया गया था।

निविदा सं0-152/ई0टी0सी0, गोरखपुर :-

उक्त निविदा का अनुबन्ध मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम, अयोध्या से किया गया। मुख्य अभियन्ता (पारेषण उत्तर-पूर्व), गोरखपुर के पत्र संख्या-570, दिनांक 27-02-2023 द्वारा सूच्य

है कि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रपत्रों की जाँच की गयी एवं यह पाया गया कि फर्म को अनुबन्धानुसार भुगतान किया गया एवं फर्म द्वारा सभी कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य वैधानिक देय यथा ई0पी0एफ0 का भुगतान मानक के अनुरूप एवं समस्त कर्मचारियों का बीमा भी कराया गया था।

4-वित्तीय वर्ष 2020-21-

निविदा सं0-54/ई0टी0सी0, आजमगढ़ :-

मुख्य अभियन्ता (पारेषण उत्तर-पूर्व), गोरखपुर के पत्र संख्या-570, दिनांक 27-02-2023 द्वारा सूच्य है कि मे0 श्री देव इन्फ्रा पॉवर अयोध्या द्वारा अनुबन्ध के विरुद्ध 07 माह का बीजक प्रस्तुत किया गया, जिसका भुगतान खण्डीय कार्यालय द्वारा किया गया है। फर्म द्वारा ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 जमा की रसीद उपलब्ध कराई है, जिसका सत्यापन कराया जा रहा है। कम भुगतान अथवा ई0पी0एफ0/ ई0एस0आई0 की कटौती में अनियमितता पाये जाने पर शेष बीजकों से उसका समायोजन कर लिया जायेगा।

बिन्दु सं0-2 : यूनीफाईड निविदा प्रक्रिया के तहत की गई निविदाओं के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :-

निविदा सं0-104/ई0टी0सी0 गोरखपुर :-

मुख्य अभियन्ता (पारेषण उत्तर-पूर्व), गोरखपुर के पत्र संख्या 570, दिनांक 27-02-2023 द्वारा सूच्य है कि ई-निविदा सं0 104-वि0पा0म0 (गो0)/2022-23, जो विद्युत पारेषण मण्डल, गोरखपुर के अधीन विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत विभिन्न 400 के0वी0/ 220 के0वी0/132 के0वी0 उपकेन्द्रों के 16 माह तक अनुरक्षण कार्य के सम्बन्ध में है। उक्त ई-निविदा में निम्नलिखित फर्मों के द्वारा प्रतिभाग किया गया था :-

1-मे0 एलाईड पावरटेक प्रा0लि0, नोएडा।

2-मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम, अयोध्या।

3-मे0 ए0आर0के0 इंजीनियरिंग, गोरखपुर।

उक्त ई-निविदा में मे0 एलाईड पावरटेक प्रा0लि0, नोएडा एवं मे0 ए0आर0के0 इंजीनियरिंग, गोरखपुर के द्वारा निविदा के पात्रता शर्तों के अनुरूप मैट, लिक्विड एसेट, बैलेंस शीट इत्यादि को निविदा की शर्तों के अनुरूप पाया गया। मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम, अयोध्या का मैट निविदा के मूल्य के अनुरूप नहीं पाये जाने पर फर्म के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया। निविदा की शर्तों के अनुरूप रु0 9.22 करोड़ के मैट की माँग के विरुद्ध, मेसर्स जे0पी0एस0 इम्पोरियम के चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा मैट की वैल्यू रु0 5.47 करोड़ अवगत करायी गयी थी। न्यूनतम निविदादाता मे0 ए0आर0के0 इंजीनियरिंग, गोरखपुर को कार्य आवंटित किया गया है।

निविदा सं0-103/ई0टी0सी0, गोरखपुर :-

मुख्य अभियन्ता (पारेषण उत्तर-पूर्व), गोरखपुर के पत्र संख्या-570, दिनांक 27-02-2023 द्वारा सूच्य है कि ई0-निविदा सं0-103-वि0पा0म0 (गो0)/2022-23, जो विद्युत पारेषण मण्डल, गोरखपुर के अधीन विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत विभिन्न 400के0वी0/220 के0वी0/132 के0वी0 पारेषण लाइनों के 16 माह की अवधि तक अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में है। उक्त निविदा में निम्नलिखित फर्मों के द्वारा प्रतिभाग किया गया था :-

1-मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम, अयोध्या।

2-मे0 शेखर इन्जीनियरिंग वर्क्स, आजमगढ़।

3-मे0 रामा पावर कन्सट्रक्शन, अयोध्या।

उपरोक्त फर्मों के द्वारा निविदा के पात्रता शर्तों के अनुरूप मैट, लिक्विड एसेट, बैलेंस शीट इत्यादि को निविदा के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया गया एवं उपरोक्त अभिलेखों के सही एवं निविदा के मूल्य के अनुरूप पाये जाने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रियानुसार न्यूनतम निविदादाता मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम, अयोध्या को कार्य आवंटित किया गया।

निविदा सं0-55 एवं 59/एस0ई0, ई0टी0सी0, वाराणसी --

मुख्य अभियन्ता (पारेषण दक्षिण-पूर्व), प्रयागराज के पत्र संख्या 736, दिनांक 28-02-2023 द्वारा सूच्य है कि ई-निविदा सं0-55-वि0 पा0म0 (वा0)-प्र0/2022-23, जो विद्युत पारेषण मण्डल, वाराणसी के अधीन विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत विभिन्न 220 के0वी0/132 के0वी0 पारेषण लाइनों के 24 माह की अवधि तक अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में है।

उक्त निविदा में निम्नलिखित फर्मों द्वारा प्रतिभाग किया गया था :-

1-मे0 क्षितिज इन्टरप्राइजेज, वाराणसी।

2-मे0 शेखर इन्जीनियरिंग वर्क्स, आजमगढ़।

3-मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम, अयोध्या।

उपरोक्त फर्मों के मैट एवं नेट वर्थ, चार्टेड एकाउन्टेण्ट द्वारा प्रदत्त यू0डी0आई0एन0 द्वारा एवं लिक्विड एसेट बैंक स्टेटमेन्ट विवरण से सत्यापित है। उक्त फर्मों के सभी प्रपत्र उचित पाये गये एवं कार्य न्यूनतम निविदादाता मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम को आवंटित किया गया है।

ई-निविदा सं0-59-वि0पा0म0 (वा0)-प्र0 /2022-23, जो विद्युत पारेषण मण्डल, वाराणसी के अधीन विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत विभिन्न 400 के0वी0/220 के0वी0/

132 के0वी0 पारेषण उपकेन्द्रों के 16 माह की अवधि तक अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में है। उक्त निविदा में निम्नलिखित फर्मों के द्वारा प्रतिभाग किया गया था :-

1-मे0 स्टर्लिंग विल्सन।

2-मे0 ए0आर0के0 इन्जीनियरिंग वर्क्स।

3-मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम।

उपरोक्त फर्मों के मैट एवं नेट वर्थ चार्टेड एकाउन्टेण्ट द्वारा प्रदत्त यू0डी0आई0एन0 द्वारा एवं लिक्विड एसेट बैंक स्टेटमेन्ट विवरण से सत्यापित है। उक्त फर्मों के सभी प्रपत्र उचित पाये गये एवं कार्य न्यूनतम निविदादाता मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम को आवंटित किया गया है।

निविदा सं0-36/ई0टी0सी0, सुल्तानपुर :-

मुख्य अभियन्ता (पारेषण मध्य), लखनऊ के पत्र संख्या-317, दिनांक 27-02-2023 द्वारा सूच्य है कि ई-निविदा सं0-36-वि0पा0म0 (सु0)/2022-23, जो विद्युत पारेषण मण्डल, सुल्तानपुर के अधीन विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत विभिन्न 400 के0वी0/220 के0वी0/32 के0वी0 पारेषण उपकेन्द्रों के 24 माह की अवधि तक अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में है। उक्त निविदा में निम्नलिखित फर्मों के द्वारा प्रतिभाग किया है :-

1-मे0 आदित्य इन्टरप्राइजेज, अलवर।

2-मे0 ए0आर0के0 इन्जीनियरिंग वर्क्स, गोरखपुर।

3-मे0 जे0पी0एस0 इम्पोरियम, अयोध्या।

निविदा का आवंटन प्रक्रियाधीन है।

यूनीफाइड निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत आमंत्रित निविदा संख्या-36, 55, 59, 103 एवं 104 में मैट, लिक्विड एसेट, बैलेंस शीट प्रपत्रों को चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसकी पुष्टि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा की गयी है। वर्तमान में भी इसकी पुष्टि यूनिक डाक्यूमेन्ट आइडेंटिफिकेशन नम्बर (यू0डी0आई0एन0) के माध्यम से भी की गयी है।

कारपोरेशन के मूल आदेश 1420, दिनांक 14-12-2021 के अन्तर्गत निम्नवत् प्रावधानित हैं :-

1-वर्तमान एवं भविष्य के सभी टर्न की अनुबन्धों की सिक्योरिटी/परफार्मेन्स/सिक्योरिटी कम परफार्मेन्स बैंक गारण्टियों में कोई परिवर्तन न किया जाये।

2-वर्तमान के समस्त आपूर्ति अनुबन्धों तथा ऐसे आपूर्ति अनुबन्धों/निविदाओं जिनको 13-12-2021 तक निर्णीत/निर्गमित किया जाना है, में परफार्मेन्स बैंक गारण्टी का मूल्य 10 प्रतिशत से 03 प्रतिशत कर दिया जाये।

3-जिन अनुबन्धों की परफार्मेन्स बैंक गारण्टी में कमी की छूट प्रदान की जाये व अनुबन्ध की सम्पूर्ण अवधि तक, जो यदि 31-12-2021 के पश्चात् भी हो, जारी रहेगी।

अग्रेतर, कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-463/अधि0नि0 (वित्त) निधि-प्रथम/उ0प्र0पा0ट्रा0का0 लि0/615 दिनांक 25-01-2023 के अनुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी हेतु वर्णित तिथि 31-12-2021 को तिथि 31-03-2023 तक विस्तारित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो क्षेत्रों को अनुपालनार्थ सूचित है।

अतः उक्त निविदायें टर्न की अनुबन्धों के अन्तर्गत होने के कारण अनुबन्धों की सिक्योरिटी/परफार्मेन्स/सिक्योरिटी कम परफार्मेन्स बैंक गारण्टी 10 प्रतिशत देय होगी।]

***श्री अभय सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने जो जवाब दिया है, वह पूरी तरह से गलत है। हम आपसे कहना चाहते हैं जैसे सरकार का निर्देश था कि 3 प्रतिशत सिक्योरिटी लगेगी, लेकिन 10 प्रतिशत इसलिए की गयी, ताकि अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिया जाए। बड़े आदमियों को काम मिला, उसमें उन्होंने बताया कि टर्नकी के आधार पर इनको 10 प्रतिशत पर काम दिया गया, जबकि ऑपरेशन मेन्टीनेंस का काम है, टर्नकी का काम नहीं है। 300 पन्ने की निविदा थी, मैंने स्वयं कल एक-एक पन्ना खोलकर देखा, वह टर्नकी का काम नहीं था, लेकिन जवाब फर्जी दे दिया कि टर्नकी का काम है। दूसरी चीज यह है कि इसकी वैल्यू मात्र 5 करोड़ 47 लाख रुपये की है। बिड कैपेसिटी ज्यादा काम समान प्रकृति की निविदा एक ही समय में निकाली जाती है, तो कमीशन जैसे वैल्यू खत्म होते रहते हैं। इनको वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ में लगभग साढ़े तेईस करोड़ रुपये का काम दिया गया है, जो कि नियमों के बिल्कुल विपरीत है। इसमें ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0 का बहुत बड़ा घोटाला है।

श्री अध्यक्ष-

आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री अभय सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इनके जो चेयरमैन देवराज जी हैं। वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, हमको उन पर पूरा विश्वास है। देवराज जी की अध्यक्षता में एक भविष्य निधि का व्यक्ति रख दिया जाए, एक फाइनेंस का व्यक्ति रख दिया जाए और इनके सारे कामों को निकालकर कागज चेक कर लिये जायें कि टर्न ओवर सही है या बैंक की बैलेंस शीट सही है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ए0 के0 शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य की नोटिस आने के बाद हमने कुछ जानकारियां लेने की कोशिश की है, उसमें से यह निकलकर आ रहा है जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है और मैं यह बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ कि यह पूरी लड़ाई स्थानीय ठेकदारों की है और उसमें भी 2017 के पहले वाले ठेकेदार और 2017 के बाद वाले ठेकेदार की लड़ाई मुझे लगती है। जो मा0 सदस्य ने दो कम्पनियों के नाम लिखे हैं। मेरे पास उनकी उपलब्ध जानकारी है। 2017-18 से उनको कई टेण्डर मिले हैं। यह बात सही है, लेकिन इन 5 वर्षों में कई टेण्डर उनको नहीं भी मिले हैं। मैं देख रहा हूँ कि कई टेण्डर में तीन-तीन प्रतिस्पर्धी थे। ऐसे उदाहरण के रूप में 103 नम्बर का गोरखपुर का जो टेण्डर है, वह रामा पावर कांस्ट्रक्शन को गया है। इस कम्पनी को नहीं गया है, जिसका मा0 सदस्य नाम ले रहे हैं। 104 नम्बर का 2020-21 का टेण्डर ए0आर0के0 इंजीनियरिंग को गया है। ज्यादा टेण्डर उस कम्पनी को गये हैं, यह आपकी बात सही है, लेकिन आपका यह कहना कि ई0पी0एफ0 में घोटाला हुआ है, ई0एस0आई0सी0 में घोटाला हुआ है। अभी तक की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कुछ निकलकर नहीं आया है। यह बहुत ही जिम्मेदार की रिपोर्ट है। सारे टेण्डरों को हमने देख लिया है। एक-एक टेण्डर की रिपोर्ट मेरे पास है। समय का अभाव है, लेकिन आपने जो कहा है कि ई0पी0एफ0, ए0एस0आई0सी0 और बीमा में गड़बड़ी हुई है, फिर भी इस कम्पनी को टेण्डर दिया जा रहा है, यह बात कहना कि लगातार 5 साल तक यह गलती होती आ रही है, यह बात थोड़ी ज्यादा लग रही है। मेरा इसमें और कुछ आगे करने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री अभय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह फोटोग्राफ हैं, जो मा0 मंत्री जी को केक काटकर खिला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, जिनके साथ आपकी फोटो है, क्या आप सबको पहचानते हैं ?

श्री अभय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी की कमी नहीं बता रहा हूँ। डायरेक्टर ऑपरेशन पीयूष गर्ग हैं, जिन्होंने 3 से 4 प्रतिशत अपने हर जगह टेण्डर में दिये हैं।

श्री ए0 के0 शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मंत्री बने तो 11 महीने हुए हैं।

मान्यवर, यह जो ठेकेदार हैं जिसके लिए बोल रहें हैं वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है इससे उनको चिढ़ है, लेकिन आपके ही प्रश्न के हिसाब से वह ठेकेदारी पांच साल से कर रहा है। शर्मा जी अभी मंत्री बने हैं इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें कभी नहीं कहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी मैंने पहले ही कह दिया है उसका कोई विषय नही है।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, इनको इस तरह की गैरजिम्मेदार बातें नही करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी मेरे पास पहले भी यह रिकॉर्ड और अब मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे पास जो प्रतिस्पर्धी कम्पनियाँ हैं जो वहाँ के कामों में ठेके लेने के लिए टेण्डर डालती हैं जिनमें से एक को कई बार मिला भी है।

श्री अध्यक्ष-

अब मा0 मंत्री जी किसी का नाम नही लिया जा सकता है। आप बस बैठ जाइए मेरा निवेदन है कि हम किसी को महिमामंडित क्यों कर रहे हैं किसी कम्पनी का नाम लेकर। हाउस इस बात को एलाऊ भी नहीं करता है।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, रामा पॉवर को टेण्डर मिला है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा अब आप बैठ जाइए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले यह बात नहीं कहा। मैंने यह कहा कि 2017-18 से यह कम्पनी काम कर रही है, उसके साथ सारे कामों में कहीं कोई क्षति नही पाई गई है माननीय अध्यक्ष जी अब मुझे कहना पड़ेगा कि दिव्यांश नाम की जो कम्पनी है उससे उसका काफी कम्पटीशन है। काफी लड़ाई है। मैंने पहले ही कहा कि स्थानीय लड़ाई को स्थानीय स्तर पर ही रखें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी हाउस में दो ठेकेदारों का या दो कम्पनी का विवाद नही उठना चाहिए। इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए। बैठिये। अभय जी प्लीज मेरा निवेदन है कि किसी भी कम्पनी का नाम यहाँ पर आवश्यक नहीं है। सारी कार्यवाही में जिन भी कम्पनियों का नाम आया है किसी भी कम्पनी का नाम नही लिखा जाएगा। जाँच उन्होंने करवाई है और जाँच करने के बाद बोला है उसका कोई आवश्यक नहीं है।

[06:01] जनपद अमेठी में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत बनी कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर औद्योगिक विकास मंत्री का वक्तव्य

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'')-

मान्यवर, उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 अध्यक्ष के उक्त निर्देशों के अनुपालन में शासन.....

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(औद्योगिक विकास मंत्री का वक्तव्य उन्होने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''-

[के पत्र संख्या-नियम-03/77-3-23-02नियम/23, दिनांक 28-02-2023 के क्रम में यूपीडा के पत्रांक-8686/यूपीडा/17/2018/तक0, दिनांक 28-02-2023 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के आधार पर स्थिति निम्नवत् है :-

पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्मित कादूनाला से थौरी मार्ग एवं मुसाफिर खाना से इसौली से पारा मार्ग के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे निर्माण के दौरान प्रयुक्त सामग्री के भारी वाहनों से ढुलाई के कारण क्षतिग्रस्त होने एवं सम्बन्धित निर्माणकर्ता द्वारा मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, गृह ने अपने पत्र दिनांक 04-12-2021 (एस0आई0टी0) का गठन किया गया।

एस0आई0टी0 की जाँच आख्या पर विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29-11-2022 को आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु जो दो मार्ग (कादूनाला से थौरी एवं मुसाफिरखाना से पारा) निर्माण सामग्री के परिवहन किये जाने के फलस्वरूप ध्वस्त हुए हैं, उन मार्गों की मरम्मत का दायित्व मेसर्स एपको इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का है।

दिनांक 01-02-2023 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यूपीडा एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 की संयुक्त टीमें गठित कर स्थल निरीक्षण किया जाये तथा उक्त मार्गों की मरम्मत का आगणन बनाया जाये, जिसके आधार पर यूपीडा द्वारा पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे की निर्माण एजेन्सी मेसर्स एपको के माध्यम से उक्त मरम्मत करायी जाये।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यूपीडा के पत्र दिनांक 01-02-2023 द्वारा मेसर्स एपको को इस आशय का नोटिस प्रेषित किया गया है कि वह उपरोक्त दोनों सड़कों की मरम्मत 15 दिनों के अन्दर सम्पन्न करा दें अन्यथा मरम्मत की धनराशि का ऑकलन कर उक्त धनराशि मेसर्स एपको के अन्तिम देयक से कटौती कर ली जायेगी। यूपीडा के पत्र दिनांक 20-02-2023 द्वारा पुनः मेसर्स एपको को स्मरण कराया गया।

मेसर्स एपको ने अपने पत्र दिनांक 14-02-2023 द्वारा कोई भी प्रतिकूल निर्णय लिये जाने से पूर्व उनको सुनवाई का अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया है जिसके क्रम में दिनांक 24-02-2023 को निर्माणकर्ता को उनका पक्ष रखने हेतु बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में निर्माणकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मुसाफिरखाना से पारा मार्ग का उपयोग आंशिक रूप से किया गया था एवं उसकी मरम्मत तत्समय करा दी गई थी। कादूनाला से थौरी मार्ग का उपयोग उनके द्वारा सामग्री ढुलान हेतु नहीं किया गया है। सुनवाई के उपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में निर्माणकर्ता को बैठक में अवगत करा दिया गया कि वह मार्गों की मरम्मत तत्काल करा दे, अन्यथा मरम्मत की धनराशि का आंकलन कर उसकी कटौती उनके अन्तिम देयक से कर ली जायेगी।]

श्री अध्यक्ष-

राकेश प्रताप जी यह वही वाली है।

*** श्री राकेश प्रताप सिंह-**

मान्यवर, हाँ वही वाली है। पांच मिनट समय भी दे दें।

श्री अध्यक्ष-

पांच मिनट समय क्यों दे दें अगर कोई स्पष्टीकरण है तो पूछ लीजिए कोई भाषण थोड़ी न देना है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, भाषण नही लेकिन बताना तो पड़ेगा ही कि कब आपने निर्देश दिया कब चार मंत्रियों ने निर्देश दिया यह तो बताना ही पड़ेगा। आपने पिछली 5 मई को सरकार को निर्देश दिया था लेकिन इसका सरकार ने कोई संज्ञान नही लिया।

श्री अध्यक्ष-

नही, ऐसा नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, तो मैं बता तो रहा हूँ कि आपके 5 मई के निर्देश के बाद एक भी गिट्टी नही पड़ी है। मैं तो वर्ष 2018 से लड़ रहा था। मुझे उम्मीद थी कि आपकी पीठ से निर्देश होने के बाद सरकार दोनों सड़कों को बना देगी। अभी तक इन सड़कों के लिए ग्राम्य विकास मंत्री जी जवाब दे रहे थे। इन सड़कों को बनाने के लिए इस सदन में चार बार आश्वासन दिया जा चुका है। सबसे पहले आदरणीय खन्ना जी ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इन सड़कों को बनवा दिया जाएगा। फिर तत्कालीन मा0 मंत्री श्री आनन्द कुमार शुक्ल ने वर्ष 2020 में कहा था कि इन सड़कों को जून माह के पहले बनवा दिया जाएगा। इसके बाद कुछ नही हुआ। पूरा जून बीत गया। इसके बाद मा0 मंत्री श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' जी ने कहा कि इन सड़कों को तीन माह के अन्दर बनवा दिया जाएगा। यह बात बाहुबली पार्ट-2 के पहले की बात है। इसके बाद भी कुछ नही हुआ। आ गया बाहुबली-2 का मामला। मैंने फिर इस प्रश्न को मई में लगाया। हम तो समझते थे कि मा0 मुख्य मंत्री जी के बाद सबसे ज्यादा इस प्रदेश में अगर किसी की चलती है तो आदरणीय केशव प्रसाद जी डिप्टी सी0एम0 की चलती है। उन्होंने भी कहा कि तीन महीने के अन्दर इस सड़क को बना दूंगा, उनका जवाब है, वह कार्यवृत्त मेरे पास है। आज उसको भी लगभग नौ दस महीने हो गया कुछ नही हुआ और सबसे ज्यादा भरोसा आप पर था इस पूरी सराकर के बाद और अब भी है अब तो आप ही पर भरोसा है ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा चार बार आश्वासन देने के बात संसदीय कार्य मंत्री के बाद अब हमको लगता है कि अब मैं सही जगह पहुँच गया हूँ। अब उद्योग मंत्री इस पर जवाब देने आये हैं तो उद्योग से तो पैसे आते हैं इसलिये अब तो इसको बन जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राकेश प्रताप जी, आपकी पूरी बात आ गयी है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं केवल एक मिनट लूँगा। इसमें कमेटी भी बन गयी और तय भी हो गया। इसमें एस0आई0टी0 तक की जाँच हुयी और एस0आई0टी0 ने भी अपनी रिपोर्ट लगा दी। प्राक्कलन समिति में भी यह विषय आया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, हो सकता है कि जो आप सुनना चाहते हैं, मा0 मंत्री जी वह बता दें।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसमें कमेटी बनी और कमेटी ने इसमें एपको कम्पनी, जिसने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का कार्य किया था, उसको दोषी मानते हुसे उसे तलब किया कि उसे ही यह बनाना है अन्यथा उसकी धरोहर राशि से पैसा काटकर इसको बना दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिये तो मा0 मंत्री जी आ गये हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं समझ रहा हूँ कि मा0 मंत्री जी इसीलिये आये हैं। अब हम सही जगह पर आये हैं। आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मेरा केवल एक अनुरोध है कि आपने एपको को बनाने के लिये कहा और एपको को सीधे दोषी सिद्ध किया। एपको ने कहा कि एक सड़क से मैंने आंशिक ढुलाई की है और दूसरी सड़क पर मैंने कोई काम नहीं किया है। एपको ने यह जवाब दिया। फिर भी आपने कहा कि नहीं। आपने तोड़ा है तो आपको ही बनाना है, लेकिन न उन्होंने और न ही आपने कोई समय बैठक में निश्चित किया कि कितने दिन में बनाना है। हमको ओम प्रकाश जी का वही चुटकुला याद आ जायेगा कि बनाना तो है, लेकिन कब बनाना है, समय नहीं निश्चित करना है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने 12 अक्टूबर, 2018 को इस सड़क को बनाने का निर्देश दिया था और तबसे लगभग 05 साल बीत गये हैं, एक गिट्टी नहीं पड़ी है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राकेश जी, अब मा0 मंत्री जी का जवाब आने दीजिये।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, अपने पूरे उद्योग विभाग की ताकत का प्रयोग करते हुये सरकार के पास अगर बजट न हो तो उद्योगपतियों से चन्दा लेते हुये, मैं भी अपनी तरफ से उसमें कुछ सहयोग करने का काम कर दूँगा, इस सड़क को बनवा दीजिये। मेरी आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है। यह सड़क उस क्षेत्र की सड़क है जिसे भाले सुल्तान वीर सूद कहा गया है, जिस जगह पर 581 लोग लड़ते हुये शहीद हुये हैं, भाले सुल्तान क्षत्रियों के आन-मान-सम्मान की सड़क है। यह सड़क आप बनवा दीजिये और आज समय जरूर निश्चित कर दें, ताकि मुझे दोबारा खड़ा न होना पड़े।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मा0 राकेश प्रताप सिंह जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है और मा0 अध्यक्ष जी तरफ से भी इसको पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं। अभी दिनांक 24-02-2023 को एपको की सुनवाई करते हुये उसे अवगत करा दिया गया है कि वह मार्ग की तत्काल मरम्मत करा दे अन्यथा मरम्मत की धनराशि की कटौती उनके अन्तिम देयक से कर ली

जायेगी। यदि एपको द्वारा मरम्मत नहीं करायी जाती है, तो यूपीडा उनकी धनराशि से कटौती करके इसको बनवा देगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप उसकी लिमिट बांध दीजिये कि दो महीने में, तीन महीने में, चार महीने में उसको बनवा देंगे।

श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि 03 महीने में हम इसको बनवा देंगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मद संख्या-12 पर मेरा वक्तव्य रख दिया गया है। इस पर मैं मा0 मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप उस समय कहाँ चले गये थे ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, उसके दो मिनट बाद हम आ गये थे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिये।

*** श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण के लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे क्षेत्र में एक इसौर ड्रेन है। इसौर ड्रेन में हर दो साल में सफाई करायी जाती रही है, लेकिन विगत लगभग 03 वर्षों से सफाई न होने के कारण करीब 40 हजार हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन सीपेज के कारण प्रभावित हो गयी है। आज स्थिति यह है कि सीपेज के कारण किसान वहाँ पर खेती नहीं कर पा रहा है। मान्यवर, इसी में हमनें एक दूसरा प्रकरण दिया था।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मनोज जी, जो उत्तर आया है आप उससे सम्बन्धित पूछिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, इसी में हमनें एक दूसरा प्रकरण दिया था। इसमें एक गाँव सुल्तानपुर जनौली व चूली है तथा एक गाँव नरायनपुर बन्ना है। इन दोनों गाँवों में हमने एक-एक पुलिया की मांग की थी। उत्तर यह आया है कि वहाँ पर ह्यूम पाइप लगा हुआ है। यह ह्यूम पाइप आपने नहीं लगाया, बल्कि गाँव के लोगों ने चन्दा लगा करके 2000 रुपये का ह्यूम पाइप डाल दिया। ह्यूम पाइप के कारण गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही हैं। मान्यवर, कुल 10-12 लाख रुपये का काम है। इसलिये इन दोनों पुलियों और इसौर ड्रेन की सफाई कराने का हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप उदारतापूर्वक इस पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मनोज जी, धन्यवाद।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मनोज जी उस समय उपस्थित नहीं थे और अब जल शक्ति मंत्री जी चले गये हैं। मेरा आग्रह है कि आप हमको लिखकर दे दीजिएगा मैं जल शक्ति मंत्री जी के पास पहुँचा दूँगा और सिफारिश भी कर दूँगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 मंत्री जी दो पुलिया का विषय है। आपको अधिकार है।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

कह तो रहे हैं कि आप लिखकर दे दीजिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

लिखकर तो कई बार दे चुके हैं। अगर लिखकर हो चुका होता तो हम सदन में क्यों कहते। आपका आश्वासन आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

कह तो रहे हैं इससे ज्यादा क्या आश्वासन होगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, 10 लाख रुपये का काम है या तो आप बता दीजिए कि 10 लाख की पुलिया हम नहीं बनवायेंगे।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

नहीं तो आप विधायक निधि से दे दीजिएगा, बिल्कुल बन जायेगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

विधायक निधि आपने हमारी काट ली है।

श्री अध्यक्ष-

मनोज जी, अब आप बैठिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी इसमें आपका संरक्षण प्राप्त हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसमें मा0 मंत्री जी, मा0 जल शक्ति मंत्री जी इनका इन्तजार करके चले गये हैं यह लेट आए हैं। आप उनको यह पुलिया बनवाने के लिए कह दीजिएगा।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

ठीक है मान्यवर।

[06:10] जनपद-जौनपुर के उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन दिलाए जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) का वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में आउटसोर्स के माध्यम से 375 कर्मचारी.....

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(उप मुख्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मंयकेश्वर शरण सिंह-

[कार्यरत है, जिसमें से 44 कर्मचारी मेसर्स वाजपेयी ट्रेडर्स और 331 कर्मचारी मेसर्स सन फैसिलिटी के माध्यम से कार्यरत हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इन कार्मिकों के वेतन भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक में गैर वेतन मद में प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि का व्यय होने के कारण अनुपूरक बजट के माध्यम से उपलब्ध धनाशि का पुनर्विनियोग गैर वेतन मद में कराते हुए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 17-02-2023 के द्वारा रु0 6.00 करोड़ की धनराशि आवंटित/उपलब्ध करायी गयी।

तत्क्रम में समस्त कार्मिकों के माह जनवरी, 2023 के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। माह फरवरी, 2023 के वेतन भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है।]

श्री अध्यक्ष-

आपको कुछ पूछना है ?

***डॉ0 रागिनी-**

मा0 अध्यक्ष जी, अभी स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा हो रही थी और बार-बार जिक्र हो रहा था कि हमारे पास 45 मेडिकल कॉलेजेज हैं और साथ ही साथ 14 बन रहे हैं और 16 पी0पी0पी0 मॉडल पर बनेंगे। मेरा प्रश्न है और पहली बात तो मैं यह बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से यह बातें कर रहे हैं शायद 2017 से पहले इनका कहना है कि कोई मेडिकल कॉलेज था ही नहीं जो भी बने हैं वह शायद पिछले 5 या 6 सालों में ही बने हैं। दूसरी बात यह है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाये हैं और वहां के जो कर्मचारी हैं वह सिर्फ संविदा पर कार्य कर रहे हैं और जो हमारे जौनपुर का मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर 6 महीने से स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही है। अगर इस तरह से स्टाफ की सैलरी में डिले होगा तो किस तरह से हमारा मेडिकल सिस्टम वर्क करेगा ? तो इसको मैं चाहूँगी कि सुनिश्चित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसमें लिखा है कि तत्क्रम में कार्मिकों को माह जनवरी, 2023 के वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

डॉ0 रागिनी-

ठीक है मान्यवर, कर दिया गया है लेकिन 6 महीने डिले था वह क्यों था इसका रीजन मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब तो हो गया है।

डॉ0 रागिनी-

अब हो गया है इसके लिए धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आगे से समय से भुगतान हो जाय।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो कहा है कि कारण नहीं बताया तो मैं कहना चाहता हूँ कि कारण भी बताया गया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आगे से डिले न हो ऐसा प्रयास किया जाय।

[06:11] जनपद-कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद में मंगलपुर को नगर पंचायत बनाए जाने के सम्बध में श्रीमती पूनम संखवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पंचायतों के गठन हेतु शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016-426सा/2014, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016.....

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसमें मुख्य मानक-प्रस्तावित क्षेत्र की जनसंख्या-20,000 या उससे अधिक होना, 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना, शहरी गुण होना निर्धारित किया गया है।

4-जिलाधिकारी, कानपुर देहात के पत्र दिनांक 16-08-2022 द्वारा नगर पंचायतों के गठन संबंधी शासनादेश में निर्धारित मानकों के अनुसार जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र-205 रसूलाबाद में मंगलपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसमें यह उल्लिखित है कि प्रस्तावित क्षेत्र की कुल जनसंख्या 9200, उक्त क्षेत्र के लगभग 20 प्रतिशत लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य है व 80 प्रतिशत लागों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। प्रस्तावित नगर पंचायत मंगलपुर, नगर पंचायत सृजन संबंधी शासनादेश में निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिलाधिकारी, कानपुर देहात के उपरोक्त पत्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव से स्पष्ट है कि जनपद कानपुर देहात के वि0स0 क्षेत्र रसूलाबाद में मंगलपुर, नगर पंचायतों के गठन संबंधी शासनादेश दिनांक 06-10-2016 में निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं कर रहा है। अतः उक्त के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने का अवसर नहीं है।]

जनपद-रायबरेली के हरचन्दपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के निर्वाचित ग्राम प्रधानों के अधिकारों का हनन एवं कार्यों में अवरोध उत्पन्न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत की गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत अजमतुल्लागंज के ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों में की गई अनियमितता.....

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[के सम्बन्ध में दिनांक 29-03-2022 को श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री उदयराज सिंह, निवासी ग्राम पंचायत-अजमतुल्लागंज का शिकायती पत्र नियमानुसार प्राप्त हुआ। इस क्रम में जिलाधिकारी, रायबरेली के कार्यालय पत्र दिनांक 30-03-2022 के माध्यम से शिकायत की प्रारम्भिक जाँच उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधान, उप प्रधान एवं सदस्यों का हटाया जाना) जाँच नियमावली, 1997 यथा संशोधित, 2001 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रायबरेली एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, रायबरेली की संयुक्त समिति से कराते हुए आख्या दिनांक 02-04-2022 को प्राप्त की गई। जाँच आख्या के अनुसार खडण्जा निर्माण कार्य, पंचायत भवन परिसर में मिट्टी भराई कार्य में कुल मु0 28222.00 रु0 की शासकीय धनराशि का दुरूपयोग पाये जाने पर जिलाधिकारी के कार्यालय पत्र दिनांक 07-04-2022 के माध्यम से ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। ग्राम प्रधान द्वारा अपना उत्तर पत्र दिनांक 13-04-2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ग्राम प्रधान द्वारा दिये गये उत्तर का परीक्षण अपर जिला पंचायत राज अधिकारी, रायबरेली द्वारा करते हुए परीक्षण आख्या दिनांक 08-06-2022 को उपलब्ध करायी गयी। परीक्षण में प्रधान द्वारा दिया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में पायी गई शासकीय धनराशि कुल मु0 28222.00 रु0 की क्षति के लिये प्रधान एवं सचिव आदि संयुक्त रूप से प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये। तद्क्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा संशोधित-1994) की धारा-95 (1) (जी) के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदया रायबरेली के कार्यालय आदेश दिनांक 04-08-2022 द्वारा श्री धर्मेश कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत अजमतुल्लागंज के वित्तीय एवं प्रशासनिक कृत्यों के अधिकारों पर रोक लगाई गई एवं आदेश दिनांक 17-08-2022 के माध्यम से ग्राम पंचायत के निर्वाचित तीन सदस्यों की समिति गठित की गई। नामित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा विकास कार्यों को नियमानुसार कराया जा रहा है तथा प्रकरण में अन्तिम जाँच हेतु अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड-रायबरेली एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली को नामित किया गया है। प्रकरण में अंतिम जाँच प्रचलित है।

ग्राम पंचायत-सुल्तानपुर खेड़ा, विकास खण्ड-सतांव-

उक्त ग्राम के प्रधान के सम्बन्ध में कार्यालय में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आदि प्राप्त नहीं हुई है और न ही कोई कार्यवाही प्रचलित है। उक्त ग्राम पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिव सैयद शमशुद्दीन हैदर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लिखित अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत में प्रधान अपना काम सुचारु रूप से कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के सारे खाते चालू अवस्था में हैं तथा ग्राम पंचायत में शासन की मंशा के अनुसार विकास कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

ग्राम पंचायत-कोंसा, विकास खण्ड-सतांव-

उक्त ग्राम के प्रधान के सम्बन्ध में कार्यालय में किसी प्रकार की कोई शिकायत आदि प्राप्त नहीं हुई है और न ही कोई कार्यवाही प्रचलित है। उक्त ग्राम पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिव श्री सन्त शरण, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लिखित अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत में प्रधान अपना काम सुचारु रूप से कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के सारे खाते चालू अवस्था में हैं तथा ग्राम पंचायत में शासन की मंशा के अनुसार विकास कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

ग्राम पंचायत-पोरई, विकास खण्ड-सतांव-

ग्राम पंचायत-पोरई के ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों में अनियमितता के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार पुत्र श्री राम स्वरूप, निवासी ग्राम पूरे शिव बक्श सिंह मजरे पोरई का दिनांक 22-03-2022 के माध्यम से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधान, उप प्रधान एवं सदस्यों का हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 संशोधित-2001 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, रायबरेली एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रायबरेली की संयुक्त समिति से कराई गई। समिति की आख्या दिनांक 29-03-2022 को प्राप्त हुई। जांच आख्यानुसार खड़न्जा कार्य एवं जूनियर हाई स्कूल में

बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य में कुल मु0 11701.00 रु0 की शासकीय धनराशि का दुरुपयोग पाये जाने पर जिलाधिकारी महोदया के कार्यालय पत्र दिनांक 30-03-2022 के माध्यम से ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। ग्राम प्रधान द्वारा अपना उत्तर पत्र दिनांक 11-04-2022, पत्र दिनांक 15-06-2022, पत्र दिनांक 07-09-2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ग्राम प्रधान द्वारा दिये गये उत्तर का परीक्षण जिलाधिकारी महोदया द्वारा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रायबरेली एवं सहायक अभियन्ता, रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली को नामित कर कराया गया। संयुक्त हस्ताक्षरित परीक्षण आख्या पत्र दिनाक 27-09-2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें प्रधान द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया तथा प्रारम्भिक जांच में पाई गई शासकीय धनराशि कुल रु0 11701.00 की शासकीय क्षति के लिये प्रधान एवं पंचायत सचिव आदि संयुक्त रूप से प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये। तद्क्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा संशोधित-1994) की धारा-95 (1) (जी) के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदया रायबरेली के कार्यालय आदेश दिनांक 13-10-2022 द्वारा श्रीमती बिटान देवी प्रधान ग्राम पंचायत-पोरई के वित्तीय एवं प्रशासनिक कृत्यों के अधिकारों पर रोक लगाई गई एवं अदेश दिनांक 17-11-2022 के माध्यम से ग्राम पंचायत के निर्वाचित तीन सदस्यों की समिति गठित की गई। नामित त्रिस्तरीय समिति द्वारा विकास कार्यों को नियमानुसार कराया जा रहा है तथा प्रकरण में अन्तिम जांच हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, रायबरेली को नामित किया गया है। प्रकरण में अन्तिम जांच प्रचलित है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल सुबह 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 06 बजकर 12 मिनट पर दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 02, मार्च, 2023 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-03 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-11-12 पर)

कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत विगत 05 वर्षों में लाभान्वित लाभार्थियों की जनपदवार सूची

क्र0-स0	जनपद का नाम	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
1	आगरा	4,992
2	अलीगढ़	2,814
3	अम्बेडकरनगर	3,089
4	अमेठी	1?457
5	अमरोहा	2,071
6	औरैया	1,181
7	अयोध्या	2,965
8	आजमगढ़	4,165
9	बागपत	1,446
10	बहराइच	4,349
11	बलिया	3,584
12	बलरामपुर	2,689
13	बांदा	1,929
14	बाराबंकी	2,963
15	बरेली	5,099
16	बस्ती	1,725
17	भदोही	774
18	बिजनौर	3,226
19	बदायूँ	5,707
20	बुलन्दशहर	2,619
21	चन्दौली	2,159

क्र0-स0	जनपद का नाम	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
22	चित्रकूट	1,106
23	देवरिया	6,775
24	एटा	5,078
25	इटावा	2,125
26	फर्रुखाबाद	2,006
27	फतेहपुर	1,455
28	फिरोजाबाद	2,936
29	गौतमबुद्धनगर	766
30	गाजियाबाद	1,613
31	गाजीपुर	3,510
32	गोण्डा	2,532
33	गोरखपुर	6,993
34	हमीरपुर	1,417
35	हापुड़	2,158
36	हरदोई	5,256
37	हाथरस	1,633
38	जालौन	2,946
39	जौनपुर	2,549
40	झांसी	1,573
41	कन्नौज	2,914
42	कानपुर देहात	1,826
43	कानपुर नगर	3,928
44	कासगंज	1,441
45	कौशाम्बी	1,711

क्र0-स0	जनपद का नाम	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
46	खीरी	4,930
47	कुशीनगर	3,862
48	ललितपुर	1,461
49	लखनऊ	6,814
50	महराजगंज	3,996
51	महोबा	999
52	मैनपुरी	3,104
53	मथुरा	2,335
54	मऊ	1,801
55	मेरठ	3,088
56	मिर्जापुर	1,225
57	मुरादाबाद	4,244
58	मुजफ्फरनगर	3,449
59	पीलीभीत	3,972
60	प्रतापगढ़	8,099
61	प्रयागराज	7,807
62	रायबरेली	2,283
63	रामपुर	1,493
64	सहारनपुर	3,490
65	सम्भल	4,984
66	सन्तकबीरनगर	1,263
67	शाहजहांपुर	4,106
68	शामली	926
69	श्रावस्ती	1,067

क्र0-स0	जनपद का नाम	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
70	सिद्धार्थनगर	3,889
71	सीतापुर	4,870
72	सोनभद्र	3,333
73	सुल्तानपुर	2,878
74	उन्नाव	2,808
75	वाराणसी	4,360
	कुल योग :	**2,30,181**

नत्थी (ख)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-03 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-50-51 पर)

संलग्नक-1

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2023 के दूसरे गुरुवार के लिए डॉ0 पल्लवी पटेल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-03 से सम्बन्धित प्रारूप

क्र0-सं0	जनपद का नाम	इनरोल्ड युवा	प्रशिक्षणरत् युवा	सेवायोजित युवा
1	आगरा	5788	4034	818
2	अलीगढ़	5671	4491	765
3	अम्बेडकरनगर	3752	2594	328
4	अमेठी	1792	1306	411
5	अमरोहा	3083	2300	572
6	औरैया	2622	1586	656
7	अयोध्या	3509	2492	626
8	आजमगढ़	6769	3428	924
9	बागपत	4366	3001	354
10	बहराइच	1919	1487	405
11	बलिया	1968	1159	527
12	बलरामपुर	1514	1190	133
13	बांदा	2049	1509	498
14	बाराबंकी	3559	2615	229
15	बरेली	6000	4056	1409
16	बस्ती	1618	997	285
17	भदोही	2410	1411	570
18	बिजनौर	9378	6259	1839
19	बदायूँ	2272	1813	2046
20	बुलन्दशहर	6625	5815	1150

क्र0-सं0	जनपद का नाम	इनरोल्ड युवा	प्रशिक्षणरत् युवा	सेवायोजित युवा
21	चन्दौली	3354	2231	414
22	चित्रकूट	1547	899	344
23	देवरिया	2737	1873	276
24	एटा	1582	1039	363
25	इटावा	2438	1547	138
26	फर्रुखाबाद	2395	1450	377
27	फतेहपुर	3332	1960	86
28	फिरोजाबाद	2599	1654	407
29	गौतमबुद्धनगर	3599	2334	497
30	गाजियाबाद	4268	2931	642
31	गाजीपुर	5976	4011	492
32	गोण्डा	2305	1741	241
33	गोरखपुर	3508	1900	418
34	हमीरपुर	1765	1225	417
35	हापुड़	1069	988	186
36	हरदोई	3375	2055	504
37	हाथरस	2356	2113	720
38	जालौन	2681	2033	334
39	जौनपुर	8566	4682	763
40	झांसी	2461	1462	500
41	कन्नौज	2007	1251	421
42	कानपुर देहात	2896	1683	762
43	कानपुर नगर	6084	3192	942
44	कासगंज	1250	926	199

क्र0-सं0	जनपद का नाम	इनरोल्ड युवा	प्रशिक्षणरत् युवा	सेवायोजित युवा
45	कौशाम्बी	2135	1271	876
46	खीरी	3539	2299	261
47	कुशीनगर	955	793	157
48	ललितपुर	1300	760	517
49	लखनऊ	8755	6789	261
50	महराजगंज	2683	1981	637
51	महोबा	1198	685	488
52	मैनपुरी	1981	1117	307
53	मथुरा	4854	3748	202
54	मऊ	2861	2186	386
55	मेरठ	5287	3808	664
56	मिर्जापुर	4461	2841	552
57	मुरादाबाद	3883	3025	618
58	मुजफ्फरनगर	4405	2897	606
59	पीलीभीत	1333	739	667
60	प्रतापगढ़	1772	1340	425
61	प्रयागराज	4288	2668	818
62	रायबरेली	3262	2134	653
63	रामपुर	1723	1129	841
64	सहारनपुर	6311	4348	1138
65	सम्भल	1611	1287	321
66	सन्तकबीरनगर	1134	920	333
67	शाहजहांपुर	2908	2482	699
68	शामली	3571	3193	721

क्र0-सं0	जनपद का नाम	इनरोल्ड युवा	प्रशिक्षणरत् युवा	सेवायोजित युवा
69	श्रावस्ती	1702	973	329
70	सिद्धार्थनगर	928	685	264
71	सीतापुर	2956	2444	362
72	सोनभद्र	4514	2165	758
73	सुल्तानपुर	2650	1787	458
74	उन्नाव	3149	2153	680
75	वाराणसी	8228	4358	1356
	कुल	**251353**	**169738**	**43333**

नत्थी (ग)

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-58 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-85 पर)

SI	Company Name	Project Name	Project Details	Investment Proposed in Crore INR	Employment	Preferred Location	Department Name
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NTPC Ltd	2X800 MW Obra 'D' Thermal Power Plant	Supercritical Thermal Power PlantAt Obra] District Sonbhadra] subject to feasibility] statutory clearanceAnd equity infusion by GOUP-	16130	2200	Sonbhadra	Department of Energy
2	NTPC Ltd	2 X 800 MW Anpara 'E' Thermal Power Plant	Supercritical Thermal Power PlantAtAnpara] District Sonbhadra] subject to feasibility] statutory clearanceAnd Jequity infusion by GOUP-	16130	2200	Sonbhadra	Department of Energy
3	NTPC Ltd	Singrauli Stage-III 1600 MW (2 X 800)	Expansion of Singrauli Coal based thermal plant with Stage&III 1600 MW ¼2Û800½] subject to subject to feasibilityAnd statutory clearance-	14400	1000	Sonbhadra	Department of Energy
4	REC Limited	Obra C, Jawaharpur, Ghatampur, Panki,Anpara E, Obra D	Setting up of thermal power projects of Obra C, Jawaharpur, Ghatampur, Panki Extn,Anpara EAnd Obra DAlongwith R&M of existing Thermal Plants-	13600	2500	Sonbhadra	Department of Energy
5	REC Limited	ROSS,RBPF, System Strengthening of Distribution Network	immenemation of varusus DISCOM schemes like RDSS, RBPF etcAnd stregtening Distribution Network inAll 5 DISCOM's of UP viz MVVNL/Lucknow, DVVNL/MeerutAnd KESCO/KanpurAlong with working capital requirments of M/S UPPCL.	13600	3500	Varansi	Department of Energy
6	Power Finance Coropration Limtied	Generation	Setting up of thermel power projects of Obra' C Jawaharlal, Ghatampur,Anpara 'E" Obra "D" Panki	12992	2500	Etah	Department of Energy

1	2	3	4	5	6	7	8
7	NTPC Ltd	Meja Stage-l 1320 MW(2X660 MW)	Expansion of MUNPL (a JV of NTPC & UPRUVN) with Stage-II 1320 MW(2X660), subject to feasibility. statutory clearanceAnd equity infusion by GOUP.	11880	800	Prayaraj	Department of Energy
8	Power Finance Corporation Limited	Transmission	CapacityAugmentationAnd system strengthening of the transmission network	11472	3000	Ghaziabad	Department of Energy
9	Power Finance Corporation Limited	Distribution	Implementation of verious DISCOM schemes lke RDSS, RBPF etc. end strengthening of distribution network	9200	2500	Varanasi	Department of Energy
10	REC Limited	CapacityAugmentation and System Strengthening of Transmission Project	CapacityAugmentationAnd System Strengthening of Transmission Project acrossAll districts of Uttar Pradesh.	7800	2000	Lucknow	Department of Energy
11	POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	Upgradation And strenthening of State Transmision Network	Implementation of Intra State Transmission Network toAugment Power SupplyAnd relieve bottle necks in the State Transmission Network, the work shallAlso include strenthening of communication networkAssociated with power system to improve reliability of the real time operation. The project shall also include implementation of online TransmissionAsset Management system, that interAlia includes Remote accessebility system,Automated fault analysis system, visual monitoring system etc.,	5700	1000	Ghaizabad	Department of Energy

1	2	3	4	5	6	7	8
12	POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	Battery Storage System	Setting up of 5 X 10 MW/40 MWh Battery storage system	850	50	Mathura	Department of Energy
			Total	**134257**	**2350**		

पी0एस0यू0पी0-एल0 129 विधान सभा (209)-20-01-2023-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।